SALES TAX STRUCTURE : PROBLEMS AND SOLUTIONS
WITH SPECIAL REFERENCE TO U. P.

THESIS

SUBMITTED TO THE UNIVERSITY OF ALLAHABAD FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY.

IN

COMMERCE

Under The Supervision Of :
Dr. K. M. SHARMA
M. Com., D.Phil.
Reader,
Department of Commerce &
Business Administration
University of Allahabad
ALLAHABAD.

Submitted By :
NARESH K. KESHARWANI
M. Com.
Research Scholar,
Department of Commerce &
Business Administration
University of Allahabad
ALLAHABAD.

विषय परिचय

विषय परिचय एवं रूपरेखा

वर्तमान समय में राज्य सरकारों के कर आगम में बिक्रीकर अप्रत्यक्ष कर के रूप में अत्यधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। वर्तमान रूप में यह कर 1938 में मध्य प्रान्त एवं बरार में प्रारम्भ हुआ था, लेकिन अत्यन्त अल्प अवधि में ही सभी राज्य सरकारों ने इसे आगम के महत्वपूर्ण स्त्रोत के रूप में स्वीकार किया। इस सन्दर्भ में यदि तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो पता चलता है कि सन् 1951-52 में बिक्री कर से सभी राज्य सरकारों को कुल आगम 58.93 करोड़ रुपये था जो कि सन् 1985-86 में 7884.94 करोड़ रुपये हो गया अतः इस अवधि में राज्य सरकारों के कर आगम में बिक्रीकर का अंशदान 25.88 प्रतिशत से बढ़कर 54.74 प्रतिशत हो गया। स्पष्ट है कि राज्य सरकारों के वित्तीय संसाधनों में सर्वोच्च अंशदान के रूप में बिक्री कर की अपनी विशिष्ट भूमिका बन गयी है।

बिक्रीकर की निरन्तर बढ़ती हुई भूमिका में जहाँ एक ओर राज्य सरकारें इसे अपनी वित्तव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रयोग करके इस व्यवस्था की की उत्पादकता और लोचकता का पूर्ण लाभ उठा रही हैं। वहीं दूसरी ओर व्यापारी वर्ग इसके प्रभाव तथा इसके क्रियान्वयन के प्रति सख्त आलोचक हैं तथा इसके सरलीकरण तथा प्रतिस्थापन की माँग बढ़ती जा रही है। बिक्रीकर के विभिन्न समस्याओं का विश्लेषण करने तथा इसके प्रतिस्थापन के विविध पहलुओं पर विचार करने के लिये केन्द्रीय एवं राज्यकीय स्तर पर कई समितियों का गठन किया गया, परन्तु उन सभी समितियों की सिफारिशों के बाद भी ऐसा कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकल पाया है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर बिक्रीकर प्रावधानों एवं प्रवृत्तियों की विस्तृत एवं समग्र स्थिति स्पष्ट हो सके। इन्हीं सभी पहलुओं से प्रभावित होकर मैंने अपने शोध-कार्य के लिये "बिक्रीकर के ढाँचे, समस्यायें एवं समाधान उत्तर प्रदेश के विशिष्ट सन्दर्भ में" सम्बन्धित विषय का चयन किया। विषय की गहनता और सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तुत शोध-कार्य में विभिन्न राज्यों की बिक्रीकर व्यवस्था का अध्ययन करते हुए उत्तर प्रदेश में बिक्रीकर व्यवस्था का विस्तृत विवेचन किया गया है। प्रस्तुत शोध-कार्य के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। बिक्रीकर तथा

केन्द्रीय बिक्रीकर तथा बिक्रीकर प्रशासन और क्रियान्वयन में प्रशासकों, व्यापारियों और सामान्य दृष्टिकोण से विभिन्न समस्याओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन । यद्यपि इन सभी उद्देश्यों के सन्दर्भ में बिक्रीकर व्यवस्था का देश में विभिन्न राज्यों की दृष्टि से अध्ययन किया गया है । और आगम प्रवृत्तियों के विश्लेषण में देश के सभी राज्यों की प्रवृत्तियों को शामिल किया गया है, लेकिन पूर्व उल्लेखित क्षेत्र के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश के बिक्रीकर प्रावधानों, बिक्रीकर प्रशासन, आगम प्रवृत्तियों और समस्याओं के विश्लेषण पर पृथक और विशिष्ट ध्यान दिया गया है ।

प्रस्तुत शोध-कार्य को कुल दस अध्यायों में विभाजित किया गया है । प्रथम अध्याय में बिक्रीकर के ऐतिहासिक विकास पर प्रकाश डालते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि प्रारम्भ में विश्व के विभिन्न देशों में किस प्रकार बिक्रीकर वसूल किया जाता था । इसी अध्याय में देश के विभिन्न राज्यों में बिक्रीकर के प्रारम्भ और विकास की संक्षिप्त ऐतिहासिक विवेचना की गयी है । द्वितीय अध्याय में बिक्रीकर के पृष्ठावलोकन, स्वभाव, प्रकृति तथा बिक्रीकर के विभिन्न स्वरूपों की विवेचना की गयी है । तृतीय अध्याय में भारत में बिक्रीकर के सामान्य अध्ययन तथा संवैधानिक स्थिति का उल्लेख किया गया है । चतुर्थ अध्याय में केन्द्रीय बिक्रीकर का परिचय देते हुए उसके उद्देश्यों एवं विशेषताओं को स्पष्ट किया गया है साथ ही इस कर से प्राप्त आगम की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हुए समीक्षात्मक निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया गया है । पाँचवें एवं छठवें अध्याय में उत्तर प्रदेश में बिक्रीकर व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है साथ ही प्रदेश के सन्दर्भ में बिक्रीकर प्रशासनिक एवं संगठनात्मक ढाँचे की विस्तृत विवेचना करते हुए विभिन्न स्तर पर कार्यरत बिक्रीकर पदाधिकारियों के कार्य, क्षेत्र, अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है । सातवाँ अध्याय देश के विभिन्न राज्यों में विविध वर्षों में बिक्रीकर आगम की संख्यात्मक प्रवृत्तियों को दर्शाता है । इस अध्याय में राज्य सरकारों के आगम में बिक्रीकर की भूमिका को मूल्यांकित करने का प्रयास किया गया है । इसी अध्याय में देश के अनेक राज्यों में बिक्रीकर से सम्बन्धित प्रमुख व्यवस्थाओं और प्रावधानों की तुलनात्मक समीक्षा की गयी है । आठवाँ अध्याय बिक्रीकर की प्रमुख

समस्याओं से सम्बन्धित है । इन समस्याओं का उत्तर प्रदेश के विशिष्ट सन्दर्भ में उल्लेख किया गया है । नवम अध्याय में बिक्रीकर के प्रतिस्थापन के पहलू का विस्तृत विश्लेषण किया गया है । अन्तिम अध्याय में शोध-कार्य के निष्कर्षों को प्रस्तुत करते हुए बिक्रीकर व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु आवश्यक सुझाव दिये गये हैं।

प्रस्तुत शोध-कार्य का मुख्य आधार व्यापारियों, उद्योगपतियों, अधिवक्ताओं, राजवित्त विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों, जनप्रतिनिधियों तथा अखबार एवं पत्रिकाओं के प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये विचारों, लेखों तथा विभिन्न न्यायिक वादों में दिये गये निर्णय हैं । संख्यात्मक तथ्यों की दृष्टि से यह शोध-कार्य मूलतः प्रकाशित समंकों के विश्लेषण एवं निर्वचन पर आधारित है । इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के बजटों तथा विभिन्न राज्य सरकारों के प्रकाशनों का प्रयोग उल्लेखनीय है । उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में सभी समंक उत्तर प्रदेश के बिक्रीकर विभाग द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा महत्वपूर्ण आदेशों एवं परिपत्रों की हैण्डबुक पर आधारित है जबकि अन्य राज्यों के समंक विभिन्न राज्य सरकारों के बिक्रीकर विभागों द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदनों और रिजर्व बैंक आफ इण्डिया बुलेटिन पर आधारित है । इसके साथ ही कर जाँच समिति, अप्रत्यक्ष कर जाँच समिति तथा त्रिपाठी समिति के प्रतिवेदनों का भी व्यापक प्रयोग किया गया है । आवश्यकतानुसार बिक्री से सम्बन्धित व्यक्तियों, व्यवसायियों, फर्मों, अधिवक्ताओं तथा अधिकारियों से व्यक्तिगत सम्पर्क भी स्थापित करके बिक्रीकर की समस्याओं, नियमों की जटिलताओं तथा प्रावधानों की भिन्नताओं को समझने एवं उनके द्वारा दिये गये विचारों के आधार पर भी आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है ।

यह उल्लेखनीय है कि बिक्रीकर के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित तथ्यों एवं समंकों में, विभिन्न राज्य सरकारों के बिक्रीकर विभाग के प्रकाशनों में विवरण तथा संशोधनों और रिजर्व बैंक आफ इण्डिया बुलेटिन से इन प्रकाशनों के अन्तर के कारण उनको सही एवं क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने में अनेक सीमायें रहीं हैं तथा देश में सभी राज्य सरकारों के बिक्रीकर प्रावधानों को पूर्णरूप में प्राप्त नहीं किया जा सका है। तथापि मेरा विश्वास है कि प्रस्तुत शोध-कार्य भारत में बिक्रीकर की व्यवस्था को

एक रूप तथा विवेकपूर्ण बनाने तथा विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में बिक्रीकर प्रावधानों को सरल, तर्कसंगत तथा प्रशासन को प्रभावशाली बनाने में पर्याप्त उपयोगी सिद्ध होगा । मैं उन सभी शुभाकांक्षियों, व्यापारियों, उद्योगपतियों, अधिवक्ताओं, राजवित्त विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों एवं संस्थाओं के प्रति अपनी गहन कृतज्ञता प्रकट करना अपना पावन कर्तव्य समझता हूँ, जिनसे प्रस्तुत शोध-कार्य को पूर्ण करने और प्रस्तुतीकरण में मुझे विविध प्रकार से बहुमूल्य योगदान प्राप्त हुआ है ।

मैं प्रो० जी०सी० अग्रवाल (विभागाध्यक्ष वाणिज्य एवं प्रशासन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय) के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने समय-समय पर अपने विचारों के द्वारा मुझे शोध कार्य के लिये प्रेरित किया तथा मुझे आपेक्षित सहयोग दिया । मैं प्रो० एस०के० मित्तल (डीन वाणिज्य एवं प्रशासन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रति भी आभार व्यक्त करना अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूँ, जिन्होंने इस शोध में मुझे सहयोग प्रदान किया । मैं प्रो० पी०सी० शर्मा, प्रोफेसर, वाणिज्य एवं प्रशासन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रति भी कृतज्ञ हूँ जिन्होंने अपने विचार विमर्श के द्वारा मुझे लाभान्वित किया तथा काफी अल्प समय में ही शोध-कार्य प्रस्तुत करने के लिये प्रेरित किया ।

इस महत्वपूर्ण विषय पर शोधकार्य हेतु प्रेरणा स्त्रोत और अपने परमपूज्य गुरु डा० के०एम० शर्मा, रीडर, वाणिज्य एवं प्रशासन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना मेरा परमकर्तव्य है, जिनके कुशल निर्देशन में प्रस्तुत शोध कार्य पूर्ण किया जा सका है । वास्तव में उनकी सतत् प्रेरणा, उत्कृष्ट निर्देशन, सक्रिय व्यक्तिगत रुचि एवं उच्च स्तरीय शैक्षिक विचार-विमर्श से ही प्रस्तुत शोध-कार्य की कल्पना को साकार रूप में प्रस्तुत करने में सफलता सम्भव हुई है।

प्रस्तुत शोध-कार्य के सन्दर्भ में विषय सामग्री का अध्ययन करने तथा विभिन्न तथ्यों के संकलन में मुझे जिन पुस्तकालयों की सुविधा मिली है, उनके पुस्तकालयाध्यक्षों एवं सहयोगी कर्मचारियों का मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूँ । मैं विभिन्न व्यापारियों, उद्योग-पतियों एवं अधिवक्ताओं का आभारी हूँ जिन्होंने बिक्रीकर की विभिन्न समस्याओं

एवं उनके सन्दर्भ से अपने सुझाव दिये । मैं श्री राम बरन यादव, टंकणकर्ता, लेखा विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का आभारी हूँ जिन्होंने समय के अन्दर मेरे शोध-कार्य की उत्कृष्ट पाण्डुलिपि तैयार करके दी । मैं श्री डी0के0 लहरी, वाणिज्य एवं प्रशासन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भी आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे शोध-कार्य में सहयोग प्रदान किया । मैं अपने मित्र श्री रामजी टण्डन एवं श्री सुनील कुमार का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे शोध कार्य में सहयोग प्रदान किया । मैं अपने पूज्य चाचाजी (श्री मैयालाल केसरवानी, एडवोकेट) का भी आभारी हूँ, जिन्होंने विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करके मुझे सहयोग प्रदान किया । मैं अपने परम पूज्यनीय पिताजी, माताजी एवं बड़े भाई साहब का ऋणी हूँ जिन्होंने मेरे पठन-पाठन के कार्य में हमेशा उत्सुकता दिखायी तथा मुझे शोध-कार्य के लिये प्रेरित किया ।

इलाहाबाद
11 अक्टूबर, 1988

नरेश कुमार केसरवानी

अनुक्रमणिका

तालिका सूची

तालिका सूची

अध्याय प्रथम

भारत में बिक्रीकर का ऐतिहासिक विकास

अध्याय-1

भारत में बिक्री कर का ऐतिहासिक विकास

भारत में बिक्री कर का इतिहास पाश्चात्य देशों की तुलना में और भी प्राचीन है । यहाँ के प्राचीनतम् ग्रन्थों में इस बात का पर्याप्त उल्लेख है । बिक्री कर के प्रादुर्भाव का उल्लेख यहाँ पर दो पहलुओं में किया गया है । पहले हम इसका अध्ययन पाश्चात्य देशों के उदाहरण उद्धृत करते हुए करेंगे तत्पश्चात् भारतीय परिपेक्ष में इसका विस्तृत अवलोकन करेंगे ।

एथेन्स और मिस्र में "पोलेमिक्स" द्वारा बिक्री कर वसूल किया जाता था । रोम में भी इस प्रकार की व्यवस्था थी । टैस्टिस के कथनानुसार रोम में कुछ वस्तुओं पर एक प्रतिशत बिक्री कर लगाया जाता था । रोम में अगस्तु ने इसे मध्य युग में सम्मिलित किया था । मध्य कालीन यूरोप में भी आवश्यक वस्तुओं पर बिक्री कर लगाये जाने का उल्लेख पाया जाता है । फ्रांस में वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर वर्ष 1292 में कर लगाया गया लेकिन खाद्य वस्तुओं एवं छोटी-छोटी विक्रय वस्तुओं को इस कर की परिधि से पूर्णतया मुक्त रखा गया । स्पेन में वर्ष 1342 से वर्ष 1845 तक बिक्री कर "अलकावाला" नाम से वसूल किया जाता था । इसी प्रकार का कर मैक्सिको में वर्ष 1893 में 6 प्रतिशत की दर से बिक्री कर लगाया गया । प्रथम विश्वयुद्ध की अवधि में विश्व के अधिकांश देशों ने अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने एवं राज्य के सतत आय के स्त्रोत को ढूंढने की दिशा में काफी प्रयत्न किया । बिक्री कर को इन देशों ने अप्रत्यक्ष कर के रूप में राजस्व प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्वीकार किया ।

फिलीपीन्स में बिक्री कर को 1915 में अपनाया गया । जर्मनी में बिक्रीकर ।डाईक्मस्टवस्टर। को वर्ष 1916 में प्रारम्भ किया गया था और वर्ष 1919 में इसे स्थायी रूप से लागू कर दिया गया । फ्रांस, इटली, चेकोस्लोवाकिया में बिक्री कर वर्ष 1919 में लागू किया गया जिसको "बिम्पटलेतरली चीफ्ड अफेयरए" के नाम से जाना जाता था । कनाडा में यह कर वर्ष 1920 में और बेल्जियम, युगोस्लाविया, रूमानियाँ, हंगरी तथा रूस आदि देशों में वर्ष 1921 में अपनाया गया । रूस में इस

कर को "टर्न ओवर टैक्स" के नाम से जाना जाता था । वर्तमान समय में रूस की कुल आय का लगभग 80 प्रतिशत भाग इसी कर के द्वारा प्राप्त होता है । सन् 1922 में लक्सबर्ग तथा क्यूबा में सन् 1923 में पोलैण्ड तथा आस्ट्रिया में सन् 1924 में ब्राजील में सन् 1925 में इक्वेडोर में सन् 1928 में उरग्वे में और सन् 1930 में नार्वे, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड तथा सन् 1931 में अर्जेन्टाइना में बिक्री कर को विभिन्न नामों से प्रारम्भ किया गया ।

संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य सरकारों तथा नीदरलैण्ड ने सन् 1933 में मन्दी काल में इसे अपनाया था जो कि उनकी आय का महत्त्वपूर्ण स्त्रोत बन गया है। सन् 1937 तक बिक्री कर को योरोप के 12 देशों में दक्षिणी अमेरिका के 6 गणराज्यों में ब्रिटिश कामन वेल्थ के तीन उपनिवेशों में, संयुक्त राज्य अमेरिका के 29 राज्यों में अपनाया जा चुका था । यद्यपि प्रारम्भ में ब्रिटेन में बिक्री कर के पक्ष में वातावरण नहीं था लेकिन बाद में सन् 1940 में वहाँ पर भी यह कर अपना लिया गया था । इसके पश्चात् सन् 1941 में स्विट्जरलैण्ड और फिनलैण्ड में तथा सन् 1943 में चिली में यह कर अपनाया गया । द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति तक लगभग 30 देशों ने सामान्य बिक्री कर को अपना लिया था । पाकिस्तान ने भी स्वतंत्र होने के बाद 1948 में बिक्री कर को "बहु बिन्दु कर प्रणाली" के रूप में अपनाया । इन्डोनेशिया ने सन् 1950 में बिक्री कर को अपनाया ।

बिक्री कर का इतिहास भारत में भी काफी प्राचीन है । यहाँ बिक्री कर के इतिहास के विकास के बारे में बताना काफी कठिन है । प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में भी इस कर का उल्लेख मिलता है । उदाहरणार्थ मनुस्मृति में इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि प्राचीन भारत में माल के लागत पर लगभग 5 प्रतिशत कर लगाया जाता था जो कि उस समय राज्य की आय का मुख्य साधन था । कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में वस्तुओं की बिक्री पर व्यापारिक कर लगाने का उल्लेख किया है । शुक्र-नीति में विक्रय कर की चर्चा करते हुए उल्लेख किया गया है कि वस्तुओं पर एक ही बार कर लगाना चाहिए जब विक्रेता वस्तु की लागत के बराबर या लागत से कम धनराशि प्राप्त करता है तो वह कर देने के लिये उत्तरदायी नहीं है और फिर भी

यदि वह क्रेता से कर प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में वह कर देने के लिये उत्तरदायी होगा । इसी प्रकार राजा को क्रेता और विक्रेता से 32वां भाग प्राप्त करना चाहिए । अतः यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में भी अप्रत्यक्ष करारोपण का सिद्धांत प्रमुख था । इसके अन्तर्गत यदि व्यक्ति व्यापार से अपना जीवन निर्वाह करता था उसे कुछ न कुछ राजकोष में अंशदान करना चाहिए । मेगस्थनीज ने भी एक स्थान पर लिखा है कि वस्तुओं के बिक्री मूल्य का 1/10 भाग बिक्री कर के रूप में वसूल किया जाता था और भुगतान न करने के दोषी को मृत्यु दण्ड दिया जाता था ।

मुगल काल में भी सीमा शुल्क तथा बिक्री कर महत्वपूर्ण करों के रूप में प्रचलित थे । औरंगजेब के समय में 55 रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं पर बिक्री कर वसूल किया जाता था । मुगल शासन में नमक तथा नील की बिक्री पर कर के द्वारा राज्य को अच्छी आय प्राप्त होती थी परन्तु जिन खानों पर साम्राज्य का प्रत्यक्ष अधिकार था उनकी बिक्री पर आय का 1/5 भाग कर के रूप में उनसे वसूल लिया जाता था ।

स्वतन्त्रता के पूर्व ब्रिटिश काल में करारोपण जाँच समिति 1924 ने सर्वप्रथम चुंगी तथा सीमा शुल्क के स्थान पर एक स्थायी फुटकर बिक्री कर लगाने की सिफारिश की थी । परन्तु भारत में यह कर अधिनियम 1935 में लागू हुआ ।

भारत सरकार अधिनियम 1935

भारत के वर्तमान रूप में बिक्री कर का प्रारम्भ प्रान्तीय स्वशासन व्यवस्था से प्रारम्भ होता है, जबकि भारत सरकार अधिनियम 1935 की सातवीं अनुसूची के मद संख्या 48 के अन्तर्गत सर्वप्रथम प्रान्तीय स्वायत्तता के साथ-साथ सामान्य बिक्री कर तम्बाकू, मोटर, स्प्रिट, मोटरवाहन आदि पर बिक्री कर की व्यवस्था कर उसे प्रान्तीय सरकारों को सौंप देने का प्रावधान किया गया । इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक प्रान्तीय सरकार अपने प्रान्त में होने वाले माल के विक्रय पर कर लगा सकती थी । धीरे-धीरे सभी प्रान्तीय सरकारों ने अपने-अपने प्रान्तों में होने वाले विक्रयों पर कर लगाना प्रारम्भ कर दिया ।

इस व्यवस्था का लाभ उठाते हुए सर्वप्रथम 1938 में मध्य प्रान्त [मध्य प्रदेश] एवं बरार में मोटर ईंधन तथा उससे सम्बन्धित चिकने पदार्थों जैसे मोटर स्प्रिट, पेट्रोल आदि पर 5 प्रतिशत बिक्री कर लगाया गया । विस्तृत रूप में बिक्री का प्रारम्भ 1939 में मद्रास में किया गया । इसके पश्चात् 1941 में बंगाल सरकार तथा पंजाब सरकार ने एक बिन्दु सामान्य बिक्री कर के रूप में बिक्री कर लगाया । उत्तर प्रदेश में बिक्री कर को सन् 1942 में कुछ वस्तुओं पर लगाया गया था लेकिन सन् 1948 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सामान्य बिक्री कर को अपनाया जो बहु बिन्दु आधार पर लगाया गया । सन् 1944 में बिहार में एकल बिन्दु बिक्री कर लगाया गया । सन् 1946 से 1948 के मध्य में बम्बई, असम, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में भी बिक्री कर लागू किया गया । सन् 1948 तक अधिकांश राज्य सरकारें बिक्री कर लगा चुकी थी इनमें से कुछ ने इसे बहु बिंदु कर प्रणाली तथा कुछ ने एकल बिन्दु कर प्रणाली के रूप में अपनाया । अन्तर्राज्यीय व्यापार में क्रय विक्रय पर कर लगाने की दृष्टि से सन् 1956 में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम पारित किया गया ।

विभिन्न राज्यों में बिक्री कर के ऐतिहासिक स्थिति को इस प्रकार व्यक्त किया गया है[1]:-

1. <u>आन्ध्र प्रदेश</u>

आन्ध्र प्रदेश में बिक्री कर सन् 1939 में लगाया गया था जबकि आन्ध्र प्रदेश-मद्रास राज्य का एक भाग था । जब आन्ध्र प्रदेश पृथक राज्य बना तो आन्ध्र प्रदेश में अलग से "आन्ध्र प्रदेश सामान्य बिक्री-कर अधिनियम, 1957" पारित किया गया । यद्यपि कुछ वस्तुओं की प्रथम बिक्री पर एक बिन्दु बिक्री कर भी लगाया जाता है । इसी प्रकार वस्तुओं की बहुत सीमित संख्या पर एक बिन्दु क्रय-कर भी लगाया जाता है । सन् 1983-84 में आन्ध्र प्रदेश सरकार को बिक्रीकर से 503.38 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है ।

---

1. रिजर्व बैंक आफ इण्डिया बुलेटिन, 1983-84.

2. असम

असम राज्य में सन् 1947-48 के बजट में बिक्री कर लगाया गया । "असम, बिक्री कर अधिनियम, 1947" के नाम से जाना जाता है । असम में एक बिन्दु बिक्री कर को अपनाया गया जो बिक्री की अन्तिम स्थिति पर लगाया गया । सन् 1956 में "आसाम वित्त (बिक्रीकर) अधिनियम, 1956 बनाया गया । इस प्रकार वर्तमान में असम में दो अधिनियमों के अन्तर्गत बिक्री-कर लगता है । प्रथम अधिनियम के अधीन समस्त वस्तुओं पर, उन वस्तुओं को छोड़कर जिनकी घोषणा राज्य सरकार ने द्वितीय अधिनियम में की है, बिक्री कर लगाया जाता है । वित्त अधिनियम के अन्तर्गत बिक्री कर बहु बिन्दु पद्धति से लगाया जाता है । असम का बिक्री कर अधिनियम पश्चिमी बंगाल के बिक्री कर के समान है । सन् 1983-84 में असम सरकार को बिक्री कर से 93.89 करोड़ रुपये की राजस्व की प्राप्ति हुई ।

3. बिहार

बिहार राज्य में की जाने वाली बिक्री पर कर लगाने के लिए "बिहार बिक्री कर अधिनियम, 1944" बनाया गया । इस अधिनियम के अन्तर्गत वस्तुओं की प्रथम बिक्री पर एक बिन्दु बिक्री कर लगाया जाता था । बिहार बिक्री कर अधिनियम बंगाल के बिक्री कर अधिनियम पर आधारित है । बिहार राज्य में कुछ वस्तुओं को बिक्री कर से मुक्त रखा गया तथा विलासिता की वस्तुओं और आवश्यकता की वस्तुओं की कर की दरें अलग-अलग रखीं गयीं । समय-समय पर आवश्यकतानुसार बिहार बिक्री कर अधिनियम में परिवर्तन होते रहे हैं । सन् 1983-84 में बिहार सरकार की बिक्री कर से 298.41 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है ।

4. दिल्ली

बंगाल के वित्त (बिक्रीकर) अधिनियम, 1941 को ही दिल्ली ने सन् 1951 में अपना लिया था, जो कि सन् 1975 तक लागू रहा । 21 अक्टूबर सन् 1975 से "दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 1975" प्रचलन में आ गया जो कि पूरे केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली पर लागू होता है । यह अधिनियम दिल्ली में एक स्तर बिक्री कर की व्यवस्था करता है जो कि बिक्री के प्रथम या अन्तिम स्तर पर लगाया जा सकता है ।

इस अधिनियम में कुल 10 अध्याय तथा 75 धारायें हैं । इस अधिनियम के कुशल संचालन के लिये आवश्यक नियम "दिल्ली बिक्री कर नियम, 1975" के अधीन बनाये गये जो कि 21 अक्टूबर सन् 1975 से ही प्रभाव में आये । सन् 1983-84 में दिल्ली प्रशासन को बिक्री कर से 230.85 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है ।

5. <u>हरियाणा</u>[2]

सन् 1966 में पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके 1 नवम्बर, 1966 से हरियाणा राज्य अलग बनाया गया । हरियाणा राज्य ने पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 (31.10.1966 तक संशोधित) को ही अपनाया । बाद में हरियाणा ने "हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 बनाया तथा 5 मई 1973 से इसे पूरे हरियाणा राज्य में लागू किया गया । इस अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें काफी नयी व्यवस्थायें की गयीं । इस अधिनियम में एक स्तर आधार पर सामान्य बिक्री कर की व्यवस्था है । इस अधिनियम में कुल 68 धारायें हैं तथा चार अनुसूचियाँ संलग्न हैं । अधिनियम के कुशल संचालन के लिए राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है । इस अधिकार के तहत "हरियाणा सामान्य बिक्री कर नियम, 1975" बनाये गये हैं । इसमें कुल 72 नियम तथा 51 फार्म हैं । इन नियमों का प्रकाशन 25 नवम्बर, 1975 को किया गया । अधिनियम में माल को कर मुक्त माल, विलासिता पूर्ण माल तथा साधारण माल की श्रेणी में बाँटा गया है । सन् 1983-84 में हरियाणा सरकार को बिक्री कर से 167.46 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है ।

6. <u>कर्नाटक (मैसूर)</u>

मैसूर में बिक्री कर को सन् 1948 में लगाया गया जो कि बहु बिन्दु बिक्री कर पर आधारित है । सन् 1952 में मैसूर बिक्री कर अधिनियम में संशोधन किया गया जिसके आधार पर कर मुक्त वस्तुओं की सूची में कुछ परिवर्तन किये गये, साथ ही

---

2. जे०पी० गोयल : हरियाणा बिक्रीकर, पृ० 1-2.

मैसूर में बिक्री कर बहु बिन्दु पद्धति एवं एक बिन्दु पद्धति दोनों से लगाया जाने लगा । लगभग 15 वस्तुओं पर प्रथम बिन्दु पर क्रय-कर लगाया गया । वर्तमान समय में मैसूर (कर्नाटक) में बहु बिन्दु बिक्री कर, कुछ वस्तुओं पर एक बिन्दु बिक्री कर तथा कुछ चुनी हुई वस्तुओं पर एक बिन्दु क्रय कर लगाया जाता है । सन् 1983-84 में कर्नाटक सरकार को बिक्रीकर से 399.30 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है ।

7. केरल

केरल राज्य में वस्तुओं की बिक्री पर सबसे पहले सन् 1950 में बिक्री कर लगाया गया और केरल बिक्री कर अधिनियम, 1950 बनाया गया जिसके अन्तर्गत सामान्य बिक्री कर लगाया गया, जो कि बहु बिन्दु बिक्री कर पर आधारित था । वर्तमान समय में कुछ विशेष वस्तुओं पर एक बिन्दु बिक्री कर भी लगाया जाता है । सन् 1983-84 में केरल सरकार को बिक्री कर से 306.61 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है ।

8. मध्य प्रदेश[3]

सन् 1938 में मध्य प्रदेश राज्य में पेट्रोल कर के नाम से सबसे पहले बिक्री कर लगाया गया था । पेट्रोल कर के अधीन मोटर ईंधन तथा उससे सम्बन्धित चिकनाई के पदार्थों पर बिक्री कर लगाया गया था । वास्तविक रूप में मध्य प्रदेश राज्य में वस्तुओं की बिक्री पर सन् 1947 में बिक्री कर लगाया गया । यह बिक्री कर एक बिन्दु बिक्री कर के आधार पर था । मध्य प्रदेश सरकार ने सन् 1952 में बिक्री कर के सम्बन्ध में बिक्री कर जाँच समिति भी नियुक्त की थी । राज्यों का पुनर्गठन होने से सन् 1958 में मध्य प्रदेश राज्य में माल के विक्रय या क्रय पर सामान्य कर लगाने से सम्बन्धित विधियों का एकीकरण एवं संशोधन करने हेतु मध्य प्रदेश सामान्य विक्रय-कर अधिनियम, 1958 (1959 का क्रमांक 2) पारित किया गया, जिस पर राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 27 फरवरी, सन् 1959 को प्राप्त हुई । यह अनुमति

---

3. डब्ल्यू०सी० ढींगरा : मध्य प्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958.

प्रथम बार दिनांक 13 मार्च, 1959 के "मध्य प्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित हुई । वर्तमान में मध्य प्रदेश में एक बिन्दु बिक्री कर लगाया जाता है जो कि बिक्री की प्रथम स्थिति पर लगाया जाता है । सन् 1983-84 में मध्य प्रदेश सरकार को बिक्री कर से 352.78 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है ।

9. महाराष्ट्र एवं गुजरात (बम्बई)

बम्बई में सामान्य बिक्री कर सन् 1946 में लागू किया गया जिसे एक बिन्दु के आधार पर अपनाया गया और जिसके अन्तर्गत केवल उपभोक्ताओं और अनरजिस्टर्ड विक्रेताओं की बिक्री पर ही कर लगाया जाता था । बम्बई राज्य में बिक्री-कर बंगाल और बिहार के बिक्री कर के ही समान था । बम्बई राज्य में बिक्री कर का इतिहास 1939 से शुरू होता है जबकि सन् 1939 में मोटर स्प्रिट की बिक्री पर बिक्री कर लगाया गया । इसके बाद सन् 1943 में एक अधिकारी को अन्य राज्यों की बिक्री-कर प्रणाली का अध्ययन करने के लिए भेजा गया, जिसके आधार पर । अक्टूबर सन् 1946 से बम्बई सरकार ने एकबिन्दु बिक्री कर लगाया । यह एक बिन्दु बिक्री कर वस्तु की अन्तिम बिक्री पर लगाया जाता था । इस प्रकार सन् 1946 में "बम्बई बिक्री कर अधिनियम, 1946" पारित किया गया । सन् 1952 में बम्बई सरकार ने एक बिन्दु बिक्री कर के स्थान पर बहु-बिन्दु बिक्री कर लगाने का निश्चय किया जो कि । नवम्बर सन् 1952 से लागू किया गया । । अप्रैल सन् 1954 से दो बिन्दु बिक्री कर लगाया गया । बम्बई राज्य में दो भाग महाराष्ट्र एवं गुजरात होने पर दोनों में ही बम्बई बिक्री कर अधिनियम लागू है । सन् 1983-84 में महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य सरकारों की बिक्री कर से क्रमशः 1196.71 एवं 554.87 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है ।

10. पंजाब[4]

पंजाब राज्य में की जाने वाली बिक्री पर कर लगाने के लिए "पंजाब सामान्य

---

4. V.P. Gaur and D.B. Narang : Punjab General Sales Tax Act-1948.

बिक्री कर अधिनियम 1941" बनाया गया था, जो कि मद्रास (अब तमिलनाडु) सामान्य बिक्री कर अधिनियम पर आधारित था । सन् 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय सिन्ध, बिलोचिस्तान तथा पंजाब का कुछ हिस्सा कटकर पाकिस्तान में चला गया और 15 अगस्त, 1947 को पूर्वी पंजाब राज्य का निर्माण हुआ । इसलिए 1941 के बिक्री कर अधिनियम को रद्द कर दिया गया तथा "पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948" बनाया गया जो 1 मई, 1949 से पूरे पंजाब प्रान्त पर लागू हुआ । इस अधिनियम को पंजाब के गवर्नर ने 15 नवम्बर, 1948 को स्वीकृत किया था । इस अधिनियम में बहु-बिन्दु कर को प्राथमिकता नहीं दी गई और बहु-बिन्दु बिक्री कर के स्थान पर एक बिन्दु बिक्री कर को अपनाया गया । सन् 1948 का अधिनियम पश्चिमी बंगाल के समान था । बाद में समय-समय पर इसमें परिवर्तन किये गये । सन् 1966 में पंजाब का पुनर्गठन किया गया और हरियाणा नया राज्य बना। हरियाणा ने 1973 तक इसी को अपनाया । 6 जुलाई, 1968 को केन्द्रीय सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाली जिसमें पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 को उस तारीख तक पूर्ण संशोधित कर दिया और केन्द्रशासित प्रदेश चण्डीगढ़ पर भी इसे लागू कर दिया । सन् 1983-84 में पंजाब राज्य सरकार को बिक्री कर से 255.33 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है ।

11. <u>राजस्थान</u>[5]

राजस्थान सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 1955 से "राजस्थान बिक्री कर अधिनियम 1954" को लागू किया गया था । इस समय यह अधिनियम सम्पूर्ण राजस्थान में लागू है । इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य में हुए माल के क्रय-विक्रय पर कर लगाना था । राज्य सरकार ने इस अधिनियम को सुचारु रूप से क्रियान्वित करने के लिए कुछ नियम बनाये हैं जिन्हें "राजस्थान बिक्री-कर नियम, 1955" कहा जाता है । राजस्थान बिक्री-कर अधिनियम के अन्तर्गत मुख्यतया माल के क्रय-विक्रय पर एक बिन्दु कर लगाने व्यवस्था है जो कि मध्य प्रदेश के बिक्री कर अधिनियम पर आधारित है । यद्यपि यह

5. बाकला, गुप्ता एवं नाहर : राजस्थान बिक्री कर परिचय, पृ0 183.

कर दो प्रकार से लगाया जाता है। अधिकांश मालों पर प्रथम बिन्दु पर तथा कुछ मालों पर अन्तिम बिन्दु पर कर लगाया गया है। अपवाद स्वरूप कुछ मालों पर बहुल बिन्दु कर लगाने की भी व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में निर्माण-कर्त्ताओं द्वारा निर्मित माल पर बिक्री कर लगाने के सम्बन्ध में कुछ अलग व्यवस्थायें हैं। सन् 1983-84 में राजस्थान सरकार को बिक्रीकर से 249.98 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है।

12. तमिलनाडु (मद्रास)[6]

मद्रास भारत का पहला राज्य था जिसने 1939 में बिक्रीकर को अपनाया। मद्रास में सामान्य बिक्रीकर लागू किया गया जो बहु-बिन्दु बिक्रीकर के आधार पर लगाया जाता था। इसका नाम "मद्रास सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1939" था, यह अधिनियम कांग्रेस सरकार के मुख्यमन्त्री श्री सी० राजगोपालाचारी के समय बनाया गया। सन् 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो अधिकांश राज्यों ने अपने बिक्री कर कानूनों में संशोधन किया और नये अधिकृहीत क्षेत्रों तक उनका विस्तार कर दिया। जब तमिलनाडू पृथक राज्य बना तो तमिलनाडू में अलग से "तमिलनाडू सामान्य बिक्री कर अधिनियम 1959" पारित किया गया। इस पर राज्यपाल की स्वीकृति 11 मार्च 1959 को प्राप्त हुई जिसे पहली बार 18 मार्च, 1959 को राज्य सरकार के गजट में प्रकाशित किया गया। यह 1 अप्रैल, 1959 से सम्पूर्ण तमिलनाडू राज्य में लागू है। इस अधिनियम के द्वारा तमिलनाडू राज्य में माल के क्रय-विक्रय पर सामान्य कर लगाया जाता है। परिस्थितियों के अनुसार समय-समय पर इस अधिनियम में परिवर्तन होते रहे हैं। सन् 1983-84 में तमिलनाडु सरकार को बिक्री कर से 701.52 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है।

13. उड़ीसा

उड़ीसा राज्य में वस्तुओं की बिक्री पर बिक्री कर लगाने के लिए सन् 1947-48

---

6. M. Srinivasachari : Tamil Nadu Sales Tax (Madras Act 1 of 1959)

के बजट में सामान्य बिक्री कर लगाने की व्यवस्था की गई । इस प्रकार उड़ीसा में "उड़ीसा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1947" बना । यह अधिनियम 1950-51 में संशोधित किया गया । उड़ीसा में एक बिन्दु बिक्री कर लगाये जाने की व्यवस्था की गई जो कि विक्रय के अन्तिम बिन्दु पर लगाया जाता है । यद्यपि उड़ीसा सरकार को यह अधिकार है कि वह बिक्री कर को विक्रय के किसी भी बिन्दु (स्थिति) पर लगा सकती है । सन् 1983-84 में उड़ीसा सरकार को बिक्री कर से 114 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है ।

14. उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में बिक्री कर का प्रारम्भ सन् 1948 में हुआ था । इस हेतु 27 फरवरी सन् 1948 को एक विधेयक विधान सभा में प्रस्तुत किया गया था और जिसके आधार पर 1 अप्रैल 1948 से "उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 लागू हुआ । प्रारम्भ में प्रान्त के कुछ भाग इस कर की परिधि से मुक्त थे, लेकिन बाद में अधिनियम की धारा 26 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 1 जनवरी, 1950 से यह अधिनियम राज्य में सम्मिलित बनारस, रामपुर तथा टेहरी गढ़वाल रियासतों पर भी लागू किया गया । इस अधिनियम के द्वारा उत्तर प्रदेश में बहु स्तर आधार पर बिक्री कर लगाया गया । अधिनियम में कुल 36 धारायें एवं दो अनुसूचियाँ हैं । इस अधिनियम के कुशल क्रियान्वयन के लिए "उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948" भी बनाये गये हैं । इनमें 88 नियम तथा 41 प्रारूप शामिल हैं । सन् 1983-84 में उत्तर प्रदेश सरकार को बिक्रीकर से 551.14 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है ।

15. पश्चिमी बंगाल

बंगाल में बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, 1941 के नाम से जाना जाता है, जो कि 1 जुलाई, 1941 से लागू किया गया । इसके अन्तर्गत बंगाल राज्य में माल की बिक्री पर सामान्य कर लगाया जाता था । देश का विभाजन हो जाने के बाद, इस अधिनियम का नाम बदल दिया गया तथा जो "पश्चिमी बंगाल बिक्री कर अधिनियम में बंगाल के अन्तर्गत एक बिन्दु बिक्री कर के आधार पर कर लगाया जाता है ।

सन् 1983-84 में पश्चिमी बंगाल सरकार को बिक्री कर से 450.06 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है ।

उपर्युक्त राज्यों के अतिरिक्त यह कर नागालैण्ड और मेघालय के क्षेत्रों में सन् 1947 में, हिमाचल प्रदेश में सन् 1949 में, मणिपुर में सन् 1952 में, जम्मू और कश्मीर में सन् 1958 में, त्रिपुरा में सन् 1962 में और सिक्किम में सन् 1974 में लागू किया गया । सन् 1983-84 में हिमाचल प्रदेश को 22.25 करोड़ रुपये, जम्मू व कश्मीर प्रदेश को 26.50 करोड़ रुपये तथा मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्किम एवं त्रिपुरा को बिक्री-कर से क्रमशः 1.69, 4.89, 5.27, 0.92 एवं 4.10 करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति हुई है ।

-------::0::-------

अध्याय द्वितीय

किंगलियर : पृष्ठावलोकन

अध्याय - 2

बिक्री कर : पृष्ठावलोकन

सरकार को अपने उत्तरदायित्वों का पूर्णतया पालन करने हेतु विविध कार्यों एवं परियोजनाओं पर सामाजिक लाभ के सिद्धान्तों के अनुरूप व्यय करना होता है। इसके लिये सरकार को धन की आवश्यकता होती है। यद्यपि राज्यों को आगम के अनेक साधन हैं, लेकिन उनमें कर का प्रमुख एवं विशिष्ट स्थान है। करों को भी कर आधार तथा कर भार इत्यादि की दृष्टि से विविध रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है उदाहरणार्थ - प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्षकर, सम्पत्ति, आय व व्यय के आधार पर कर एकल कर, बहुकर इत्यादि। कर नामावली की दृष्टि से इन्हें आयकर, सम्पदा कर, आयात-निर्यात कर, उत्पादक शुल्क, बिक्री कर, भू-लगान इत्यादि रूप में रखा जा सकता है। भारत में स्वतन्त्रता से पूर्व राज्य सरकारों को राजस्व व्यवस्था में भू-राजस्व का महत्वपूर्ण स्थान था। राज्यों के पुनर्गठन से पूर्व अनेक देशी रियासतों ने अपने क्षेत्र में आने वाले माल पर सीमा शुल्क भी लगाया था, लेकिन भारतीय संविधान लागू होने पर अन्तर्राज्यीय सीमा शुल्क हटाना अनिवार्य हो गया। अतः राज्य सरकारों के आगम की दृष्टि से वैकल्पिक साधन की आवश्यकता अनुभव की गई और इस सन्दर्भ में विभिन्न राज्यों में वस्तुओं की बिक्री पर बिक्री कर लागू किया गया।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भारत में ही नहीं, वरन् सभी विकासशील देशों की कर व्यवस्था में बिक्री कर का विशिष्ट महत्व स्वीकार किया जाता है। इस सन्दर्भ में जान. एफ. ड्यु का यह कथन महत्वपूर्ण है कि "प्रायः सभी विकासशील अर्थ व्यवस्थाओं में सामान्य बिक्री कर का सम्भावित महत्व व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया है क्योंकि इन देशों में आयकर से सीमित आय होती है और आर्थिक विकास होता है सीमा शुल्क भी उत्तरोत्तर असन्तोषजनक होते जाते हैं।"[1]

---

1. John. F. Due : The Retail Sales Tax in Honduras. Readings on Taxation in Developing Countries. Ed. Bird and Oldman. Johns Hopkins Press 1967. Page 326.

(अ) बिक्री कर का आशय

बिक्री कर से आशय उस कर से है जो सम्बन्धित अधिनियम में वर्णित अपवादों को छोड़कर दृष्टिगत सम्पत्ति अथवा वस्तुओं की व्यावसायिक बिक्रियों पर लगाया जाता है। यह विक्रय फुटकर या थोक व्यापार अथवा निर्माण की स्थिति में हो सकता है। यह उल्लेखनीय है कि सामान्यतः बिक्री कर वस्तुओं की बिक्री पर लगाया जाता है किन्तु कभी-कभी यह सेवाओं की बिक्री पर भी लगा दिया जाता है। बिक्री कर को "हस्तान्तरण कर" तथा "आवर्त्तन कर" भी कहा जाता है। बिक्री कर की कुछ प्रमुख परिभाषायें इस प्रकार हैं :

"बिक्री कर एक ऐसा कर है जो सभी अथवा अधिकांश वस्तुओं की बिक्री पर अथवा बिक्री से सम्बन्धित तत्व जैसे कि उनसे होने वाली प्राप्तियों पर लगाया जाता है।"[2]

- जॉन. एफ. ड्यू

उपरोक्त परिभाषा के विश्लेषण से स्पष्ट है कि बिक्री कर सभी वस्तुओं की बिक्री या अधिकांश वस्तुओं की बिक्री पर लगाया जाता है। कुछ वस्तुओं को बिक्री कर से मुक्त भी किया जा सकता है। साथ ही बिक्री कर केवल उन्हीं वस्तुओं की बिक्री पर लगता है जिनकी बिक्री से प्राप्ति हो, यदि प्राप्ति नहीं होती है तो ऐसी वस्तुओं की बिक्री पर बिक्री कर नहीं लगाया जायेगा।

"बिक्री कर वह कर है, जिसके क्षेत्र के अन्तर्गत कर सम्बन्धी वैधानिक अपवादों को छोड़कर फुटकर, थोक या उत्पादन स्तर पर दृश्य व्यक्तिगत सम्पत्ति के समस्त व्यापारिक विक्रय को सम्मिलित किया जाता है।"[3]

- हैग और शाप

---

2. "A Sales Tax is a levy imposed upon the sales, or element incidental to the Sales, such as receipts from them, of all or a wide range of commodities". John F.Due:Sales Taxation,Page 3.

3. "Sales Tax is any tax which includes within its scope all business sales of tangible personal property at either the retailing, whole sailing or manufacturing stage, with exceptions noted in the taxing Law. "Haig and Shoup : The Sales Tax in American States.

प्रो. हैग ने यहाँ बिक्री कर के क्षेत्र को स्पष्ट किया है । उनके अनुसार बिक्री कर के क्षेत्र के अन्तर्गत उन समस्त व्यापारिक बिक्रयों को सम्मिलित किया गया है जो व्यापारिक विक्रय, फुटकर व्यापार के विक्रय, थोक व्यापार के विक्रय या उत्पादन स्तर के विक्रय से सम्बन्धित हों लेकिन ऐसे विक्रय कानून में दिये गये नियमों को उल्लंघन न करते हों ।

इस प्रकार संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि "बिक्री कर से आशय उस कर से है जो वस्तुओं की बिक्री के आधार पर लगाया जाता है । बिक्री कर का मुख्य आधार बिक्री है अर्थात् जब कोई वस्तु विक्रय-प्रक्रिया में आये, उस समय कर लगेगा तथा कर का आधार विक्रय की राशि या मात्रा होगी । यह महत्वपूर्ण है कि परम्परागत अर्थ में तो वस्तुओं की बिक्री पर लगने वाले कर को ही विक्रय कर कहा गया है जबकि सेवाओं के प्रदान करने पर विक्रय कर लगाया जा सकता है । बिक्री कर वस्तुओं या सेवाओं के विक्रय सम्बन्धी उन सभी व्यवहारों पर लगाया जा सकता है जिनके मध्य वस्तुएं गुजरती हैं । यह भी हो सकता है कि यह कर सभी व्यवहारों पर न लगाया जाकर बिक्री के केवल एक अथवा थोड़े ही स्तरों पर लगाया जाये । सामान्यतः यह मान लिया जाता है कि बिक्री कर उपभोक्ताओं की ओर अन्तरित कर दिया जायेगा और विक्रेता फर्म तो केवल कर को एकत्रित करने वाली एजेन्ट मात्र है ।

बिक्री कर का स्वभाव एवं प्रकृति

बिक्री कर के स्वभाव एवं प्रकृति के सन्दर्भ में अनेक पहलुओं का विवेचन किया जा सकता है । सामान्यतः कर की दरों की दृष्टि से यह कर आनुपातिक कर होता है लेकिन प्रभाव की दृष्टि से यह कर प्रगतिशील या प्रतिगामी भी हो सकता है । यदि इस कर को मुख्य रूप से विलासिता की वस्तुओं या धनी वर्ग द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है या सामान्य वस्तुओं की तुलना में इन वस्तुओं पर कर की दरें ऊँची रखी जाती है तो कर का प्रभाव प्रगतिशील होता है । इसके विपरीत यह कर सामान्य उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता है तो कर की दर आनुपातिक होते हुए भी कर का प्रभाव प्रतिगामी होता है क्योंकि धनी और निर्धन

दोनों वर्गों द्वारा समान दर से कर दिया जाता है जबकि दोनों वर्गों के लिए मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता में अन्तर होता है। यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि कर से पर्याप्त आगम प्राप्त करने की दृष्टि से सामान्य उपभोग की वस्तुओं पर बिक्री कर लगाया जाता है लेकिन इसके प्रतिगामी प्रभाव को दूर करने की दृष्टि से सरकारें अनेक छूट एवं सुविधायें प्रदान करती हैं।

कर भार को वहन करने के सन्दर्भ में बिक्री कर एक अप्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर का आरोपण सरकार के द्वारा व्यापारियों पर किया जाता है किन्तु व्यापारी माल का विक्रय करते समय वस्तुओं के क्रेताओं या उपभोक्ताओं पर बिक्री कर का विवर्तन कर सकता है। प्रायः सभी बिक्री-कर अधिनियमों में यह अधिकार दिया गया है कि व्यापारी माल का विक्रय करते समय अपने ग्राहकों से कर को वसूल कर सकता है। यद्यपि ऐसा व्यवहार में हो सकता है कि विक्रेता अपनी किसी विक्रय नीति, बाजार की प्रतियोगी स्थिति अथवा वस्तु की माँग व पूर्ति की लोच सम्बन्धी विशेषताओं के कारण बिक्री कर की सम्पूर्ण अथवा आंशिक राशि को विवर्तित न कर सकें।

कर लगाने के आधार के दृष्टि से बिक्री कर एक मूल्यानुसार कर है क्योंकि इसका आरोपण बिक्री के भार के आधार पर न होकर बिक्री की राशि के आधार पर होता है।

(ब) बिक्री कर के विविध स्वरूप

बिक्री कर का मूल आधार विक्रय राशि तथा विक्रय प्रक्रिया है लेकिन कर लगाने की प्रकृति के आधार पर विक्रय कर अनेक रूपों में वर्गीकृत किये जा सकते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख वर्गीकरण निम्न प्रकार हैं :

सामान्य बिक्री कर एवं चयनात्मक बिक्री कर

सामान्य बिक्री कर अधिकतम वस्तुओं पर लगाया जाता है जिन वस्तुओं पर बिक्री कर नहीं लगाया जाता उनका उल्लेख अधिनियम में स्पष्ट रूप से कर दिया जाता

है । इस प्रकार संसद या विधान सभा द्वारा घोषित कर मुक्त वस्तुओं को छोड़ दिया जाता है अर्थात् सामान्य बिक्रीकर उन सभी सामान्य वस्तुओं पर लगाया जाता है जो कि किसी व्यापारी अथवा विक्रेता के हाथों से गुजरती है अथवा जिसे उसकी कुल बिक्री कहा जाता है ।

वास्तविक अर्थ में भारत में कहीं भी सामान्य बिक्री कर नहीं है क्योंकि अधिकांश परिस्थितियों में सेवाएं बिक्री कर के क्षेत्र से बाहर रखी जाती है और लगभग सभी राज्यों में कुछ वस्तुएं कर मुक्त रखी जाती है । अतः भारत में जिसे सामान्य बिक्री कर कहा जाता है, वह जम्मू व कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में लागू है । सामान्य बिक्रीकर सर्वप्रथम मद्रास (तमिलनाडु) राज्य में सन् 1939 में लगाया गया था । यह कर अब सभी राज्यों में, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अतिरिक्त, जहाँ पर चयनात्मक बिक्री कर लगाया जाता है, प्रभावशील है । जिन वस्तुओं पर अन्य कर अधिनियमों के अन्तर्गत कर लगाया जाता है उन्हें बिक्री-कर से मुक्त रखा जाता है । इस सन्दर्भ में अनेक राज्यों में नशीली वस्तुओं एवं शराब की बिक्री पर बिक्री-कर नहीं लगाया जाता, क्योंकि इन पर राज्यीय उत्पादन शुल्क लगाया जाता है । मोटर स्प्रिट एवं विद्युत शक्ति पर राज्यों में अलग से कर लगाया जाता है । समस्त राज्यों में स्टाक, अंश तथा गृह - सम्पत्ति को इस कर से छूट प्रदान की गई है । यद्यपि कर वसूली की सुविधा तथा राजस्व की दृष्टि से यह कर काफी उपयोगी है, लेकिन कर भार के न्यायपूर्ण वितरण के दृष्टिकोण से यह कर उचित नहीं है । इसका प्रभाव अधोगामी होता है । साथ ही सामान्य बिक्री कर में न्यूनतम कर रहित सीमा के ऊपर जितने भी व्यापारी होते हैं सभी से कर-अधिकारियों को सम्पर्क रखना होता है और उनके खाते एवं लेखों का निरीक्षण करना पड़ता है, चूँकि ऐसे व्यापारियों की संख्या बहुत अधिक होती है अतः कर - निर्धारण एवं कर-वसूली, प्रबन्ध सम्बन्धी कठिनाइयाँ भी स्वभावतः अधिक होती हैं । सामान्य बिक्री कर सामान्यतः जनसाधारण द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं पर लगाया जाता है। अतः इससे जन साधारण को काफी कठिनाई भी होती है ।

चयनात्मक बिक्री कर केवल कुछ चुनी हुई वस्तुओं पर ही लगाया जाता है और अन्य वस्तुओं को कर-मुक्त कर दिया जाता है । इसके अन्तर्गत व्यापारी को विभिन्न

प्रकार के मालों की बिक्री पर भिन्न-भिन्न दरों से बिक्री कर चुकाना पड़ता है क्योंकि इस पद्धति में विभिन्न प्रकार के मालों के लिए बिक्री कर की दरें अलग-अलग निर्धारित की जाती है। अतः व्यापारी के लिए विभिन्न मालों के सम्बन्ध में बिक्री के लेखे अलग-अलग रखना आवश्यक हो जाता है। इसके अन्तर्गत अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुएं ही कर मुक्त होती हैं और उन पर कर इस आधार पर नहीं लगाया जाता जिससे कि कर का भार गरीबों पर न पड़ सके। कर के लिये चुनी हुई वस्तुएं अधिकांश रूप में विलासिता की वस्तुएं तथा अधिक मूल्यवान वस्तुएं ही होती हैं, जैसे रेडियो, कार, रेफ्रिजरेटर आदि।

समस्त राज्यों में भी, जहाँ पर सामान्य बिक्री कर लगाया जाता है वहाँ उसके अतिरिक्त चयनात्मक करों को भी लगाया जाता है जिसमें मोटर-स्प्रिट, कच्चे जूट तथा गन्ने पर लगाये जाने वाले कर प्रमुख हैं। कुछ राज्य जैसे आन्ध्र-प्रदेश, मध्य-प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पंजाब तम्बाकू पर एक चयनात्मक बिक्री कर लगाते थे। इस कर से प्राप्त आय अल्प थी क्योंकि निर्मित तम्बाकू पर सामान्य बिक्री कर लगाया जाता था। जब से तम्बाकू पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगने लगा है तब से समस्त राज्यों में तम्बाकू (साथ में निर्मित तम्बाकू भी) पर चयनात्मक तथा सामान्य बिक्री कर समाप्त कर दिया गया है। जम्मू एवं कश्मीर में तो केवल चयनात्मक बिक्री कर लगाया जाता है। समस्त राज्यों में मोटर-स्प्रिट की फुटकर बिक्री पर एक चयनात्मक बिक्रीकर लगाया जाता है। विभिन्न राज्यों में इस कर की दर समान नहीं है। कुछ राज्य कच्चे तेल तथा डीजल तेल पर भी चयनात्मक कर लगाते हैं। अधिकतर राज्यों में इस कर की दर को अनेक बार बढ़ाया गया है। पश्चिमी बंगाल में कच्चे तेल पर, उत्तर-प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा आन्ध्र-प्रदेश राज्यों में चयनात्मक बिक्री कर लगाया जाता है।

<u>एक बिन्दु और बहु-बिन्दु बिक्री कर</u>

जब किसी वस्तु के विक्रय की किसी एक स्थिति पर ही बिक्री कर लगाया जाता है तो यह एक बिन्दु बिक्री कर कहलाता है। यह कर उत्पादक, थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी किसी एक पर लगाया जा सकता है। एक बिन्दु बिक्री कर प्रणाली के

अन्तर्गत वस्तु के उत्पादन से उपभोग तक की स्थिति में केवल किसी एक बिन्दु पर बिक्री कर लगाया जाता है । एक बिन्दु पर कर निम्न दो बिन्दुओं में से एक बिन्दु पर लगाया जा सकता है : प्रथम बिन्दु पर या अन्तिम बिन्दु पर ।

प्रथम बिन्दु बिक्री कर के अन्तर्गत बिक्री कर उस समय लिया जाता है जब किसी वस्तु की बिक्री राज्य में प्रथम बार की जाती है, यदि किसी राज्य में वस्तु का निर्माण या उत्पादन किया गया है तो उस वस्तु का निर्माणक या उत्पादक जब वस्तु को बेचता है तो उससे बिक्री कर वसूल किया जाता है । यदि व्यापारी किसी दूसरे राज्य से वस्तु लाकर बेचता है तो बिक्री कर उस व्यापारी से वसूल किया जाता है जो प्रथम बार उस वस्तु को उस राज्य में बेच रहा है । अन्तिम बिन्दु बिक्री कर के अन्तर्गत बिक्री कर उस समय लिया जाता है जब पंजीकृत व्यापारी द्वारा वस्तु उपभोक्ता को या अपंजीकृत व्यापारी को बेची जाती है । जब वस्तु एक पंजीकृत व्यापारी से दूसरे पंजीकृत व्यापारी को बेची जाती है तो अन्तिम बिन्दु बिक्री कर के अन्तर्गत कोई कर नहीं लिया जाता, परन्तु जब पंजीकृत व्यापारी माल को राज्य में या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान उसी रूप में जिसमें उसने खरीदा है पुनः बेचने के लिए नहीं खरीदता तो उससे भी कर लिया जायेगा । जब उत्पादन संगठित रूप से किया जाता है तब प्रथम बिन्दु तरीके द्वारा कर संग्रह करने में सुविधा रहती है किन्तु यदि वस्तुओं का उत्पादन छोटे-छोटे उत्पादकों द्वारा बिखरे हुए रूप में किया जाता है तो अन्तिम बिन्दु वाले तरीके में कर संग्रह करना सुविधाजनक होता है । जब इस कर को उत्पादन की स्थिति के समय में प्रथम बार लगाया जाता है तो छोटे-छोटे दुकानदारों के पास उन वस्तुओं के वर्तमान स्टाक पर कर लगने नहीं पाता किन्तु जब वह दुकानदार बाद में उन वस्तुओं को क्रय करेंगे तो उन्हें कर का भुगतान करना पड़ेगा । अतः ऐसी स्थिति में वे दुकानदार अपने वर्तमान स्टाक में स्थित वस्तुओं के मूल्य को कर की मात्रा से बराबर देंगे । वस्तु के उद्गम स्थान पर उसका मूल्य नीचा होता है और इस कारण कर में संग्रह की गई राशि की मात्रा अल्प होती है । यद्यपि ऐसा हो सकता है और पाया भी जाता है कि उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य देना पड़े क्योंकि दुकानदार इस स्थिति का लाभ उठाकर वस्तु का मूल्य ऊँचा निर्धारित करते हैं । जब यह कर अन्तिम

स्थिति पर उपभोक्ता को बेचे जाने पर लगाया जाता है तब रजिस्टर्ड क्रेताओं को, जो वस्तु को पुनः बिक्री के लिए क्रय करते हैं, कर से मुक्त रखा जाता है । इसी प्रकार से वस्तु उत्पादन करने वाले उद्योगों को क्रय किये जाने वाले कच्चे माल पर कर से छूट प्रदान की जा सकती है ।

बहु बिन्दु कर प्रणाली के अन्तर्गत जब भी वस्तु को बेचा जाता है तभी कर लगाया जाता है । ऐसी दशा में, अन्तिम उपभोक्ता के पास पहुँचने से पूर्व वस्तु पर अनेक बार कर लग जाता है । सामान्यतः एक बिन्दु बिक्री कर की अपेक्षा बहु बिन्दु बिक्री कर की दर नीची होती है । उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में जब एक बिन्दु बिक्री कर के स्थान पर बहु बिन्दु बिक्री कर को अपनाया गया तो कर की दर को 6 पैसे प्रति रूपया के स्थान पर घटाकर 3 पैसे प्रति रूपया कर दिया गया । इस प्रणाली के अन्तर्गत कर-वंचन अथवा कर की चोरी की कम गुंजाइश रहती है, क्योंकि प्रथम व्यापारी से लेकर अन्तिम व्यापारी तक को अपने लेखे जोखों में परिवर्तन कर बिक्री को कम दिखाना कठिन सा जान पड़ता है । किसी भी स्थिति पर कर-वंचन अथवा कर-चोरी का पता लग जाने के भय से राजकीय हित सुरक्षित रखा जा सकता है । यद्यपि व्यावहारिक जीवन में क्रय-विक्रय के समस्त सौदों को ज्ञात करना बहुत कठिन है । जबकि एक बिन्दु बिक्री-कर प्रणाली के अन्तर्गत यदि कोई व्यापारी कर की चोरी करता है तो सरकार को आय का अधिक नुकसान होता है तथा ईमानदार व्यापारियों को भी अधिक हानि पहुँचती है, क्योंकि उनकी स्पर्धा शक्ति बेईमान व्यापारियों की अपेक्षा कम हो जाती है । बहु बिन्दु कर प्रणाली की अपेक्षा एक बिन्दु बिक्री कर प्रणाली के अन्तर्गत कर वंचन से व्यापारियों को अधिकतम लाभ होता है क्योंकि एक बिन्दु कर प्रणाली में कर की दरें ऊँची होती हैं ।

बहु बिन्दु बिक्री कर प्रणाली के अन्तर्गत मध्यस्थों की संख्या सीमित होने की प्रवृत्ति पायी जाती है । थोक विक्रेताओं द्वारा वस्तु के आयात तथा उनके द्वारा वस्तुओं के छोटे-छोटे व्यापारियों को बिक्री के लिए वस्तु के वितरण के स्थान पर इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है कि छोटे-छोटे व्यापारी स्वयं ही सीधे वस्तु को मँगा लेते हैं । इस तरीके के द्वारा उत्पादन में एकत्रीकरण की प्रवृत्ति को भी जन्म मिलता है।

इस एकत्रीकरण से मध्यस्थों की समाप्ति के कारण उत्पादन लागत को कम करने तथा नीचे मूल्य निर्धारण करने में भी सहायता मिलती है ।

बहु बिन्दु बिक्री-कर प्रणाली का एक अन्य लाभ यह है कि हिसाब-किताब रखना अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक होता है । एक बिन्दु बिक्री-कर प्रणाली के अन्तर्गत व्यापारियों को उस बिक्री के सम्बन्ध में अलग हिसाब-किताब रखना पड़ता है जिसका सम्बन्ध रजिस्टर्ड व्यापारियों अथवा उत्पादकों से है तथा जिन्हें बिक्री कर से छूट प्रदान की जाती है । अन्तिम उपभोक्ताओं अथवा गैर रजिस्टर्ड कम्पनियों को बेची गई वस्तुओं की बिक्री का अलग हिसाब रखना पड़ता है, क्योंकि इनसे बिक्री कर वसूल किया जाता है । ऐसी अवस्था के कारण कर-निर्धारण करने में कठिनाइयाँ सामने आती हैं । क्योंकि रजिस्टर्ड व्यापारी तथा उत्पादकों को की गई बिक्री की सत्यता कर-छूट प्रमाण पत्र द्वारा प्रमाणित करनी पड़ती है ।

बहु बिन्दु कर प्रणाली के अन्तर्गत वस्तु का मूल्य अन्तिम उपभोक्ता तक पहुँचते-पहुँचते कर की मात्रा से अधिक बढ़ जाता है तथा उपभोक्ता से जो कर की मात्रा वसूल की जाती है वह राज्य को प्रदान की गई कर मात्रा से अधिक होती है । सामान्य उपभोग की वस्तुएं जिनकी माँग अधिकतर कम लोचदार होती है । उनके सम्बन्ध में ऐसा ही पाया जाता है । जब माँग लोचदार होती है तो व्यापारी कर का भुगतान, अधिकांशतः अपने लाभ को कम करके अदा करते हैं तथा स्वयं ही कर का भार सहन करते हैं । सामान्य तौर पर ऐसा देखने को मिलता है कि विलासिता की वस्तुएं एवं मूल्यवान वस्तुएं जिनकी माँग लोचदार होती है, वे कम लोचदार वस्तुओं की अपेक्षा अल्प (कम) व्यापारियों के हाथों से गुजरती हैं । उदाहरण के लिए जब मोटर-कार अथवा रेफ्रिजरेटर किसी राज्य में आयात करने वाले व्यापारी द्वारा सीधे उपभोक्ता के पास पहुँचता है । दूसरी ओर अनाज, कपड़ा, चीनी आदि वस्तुएं अनेक व्यापारियों के हाथों से गुजरती हैं । इस कारण बहु बिन्दु बिक्री करों की प्रवृत्ति भी अवरोही होने की होती है ।

<u>बिक्री कर बनाम आवर्तन कर</u>

बिक्री कर केवल वस्तुओं की बिक्री पर लगाया जाता है लेकिन जब वस्तुओं और

सेवाओं दोनों की बिक्री पर कर लगाया जाता है तो इसे "आवर्त्त कर" कहते हैं। यदि व्यापारी की सभी प्रकार के मालों की कुल वार्षिक बिक्री पर एक ही दर से बिक्री कर लिया जाये तो इसे "कुल विक्रय राशि पर कर" कहा जायेगा। इस पद्धति में सभी प्रकार के मालों की बिक्री पर कर की दर समान होती है। अतः व्यापारी को विभिन्न मालों के सम्बन्ध में बिक्री के लेखे अलग-अलग रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब कोई कर केवल वस्तुओं की बिक्री पर ही नहीं अपितु सेवाओं की बिक्री पर भी लगाया जाता है तो उस कर को "सकल प्राप्ति कर" कहा जाता है। कभी-कभी इस कर के निर्धारण के आधार के रूप में वस्तुओं तथा सेवाओं की बिक्री से मिलने वाली प्राप्तियों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्राप्तियाँ भी इसमें शामिल कर ली जाती है जैसे मकान का किराया, अंशों पर लाभांश आदि। तब ऐसे करों को "सौदा कर" भी कहा जाता है।

<u>थोक बिक्री कर या फुटकर बिक्री कर</u>

जब थोक व्यापारियों द्वारा वस्तुओं की थोक बिक्री पर बिक्री कर लगाया जाता है और थोक-व्यापारियों से ही वसूल किया जाता है तो उसे "थोक बिक्री कर" के नाम से पुकारा जाता है। इसके विपरीत फुटकर व्यापारियों द्वारा वस्तुओं की फुटकर बिक्री पर बिक्री-कर लगाया जाता है और फुटकर व्यापारियों से ही वसूल किया जाता है तो उसे "फुटकर-बिक्री कर" के नाम से सम्बोधित किया जाता है।

<u>जोड़े गये मूल्य पर बिक्री कर</u>

यदि किसी माल पर बिक्री कर केवल उस राशि पर लगाया जाये जो विक्रेता व्यापारी ने उस माल के क्रय मूल्य में जोड़ी है तो उसे "जोड़े गये मूल्य पर बिक्री कर" कहा जायेगा। इस पद्धति में किसी भी माल के क्रय-विक्रय के उत्तरोत्तर व्यवहारों की श्रृंखला में, जिसके द्वारा वह माल उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुँचता है, प्रत्येक बिन्दु पर बिक्री कर लिया जाता है किन्तु यह बिक्री कर माल के विक्रेता से उस माल के सम्पूर्ण विक्रय पर नहीं लिया जाता, वरन् इस पद्धति में बिक्री कर प्रत्येक विक्रेता से केवल उसी राशि पर लिया जाता है जो उसके द्वारा उक्त माल के क्रय मूल्य में जोड़ी गई है।

विक्रय कर एवं क्रय कर में अन्तर

व्यापारिक व्यवहार के सामान्यतः दो पहलू होते हैं : विक्रय और क्रय । इसी आधार पर यदि वस्तु के विक्रय पहलू पर कर लगाया जाए तो उसे विक्रय कर कहा जाता है और यदि क्रय पहलू पर कर लगाया जाए तो इसे क्रय कर कहा जाता है । इन दोनों करों में वस्तु-विनिमय के पहलू का अन्तर पाया जाता है लेकिन अधिकांश परि-स्थितियों में इनका प्रभाव समान होता है । यह ठीक है कि विक्रय कर विक्रेताओं पर लगाया जाता है लेकिन व्यवहार में वह क्रेताओं पर ही विवर्तित हो जाता है जबकि क्रय कर सीधे ही क्रेताओं पर लगाया जाता है । विक्रय कर पंजीकृत व्यापारी या विक्रेता की कुल बिक्री पर लगाया जाता है जबकि क्रय कर उसके द्वारा क्रय किये गये माल की राशि पर लगाया जाता है । भले ही उसमें से कोई माल बिका हो या न बिका हो । सैद्धान्तिक रूप से क्रय कर किसी भी क्रेता द्वारा किये जाने वाले क्रय राशि पर लगाया जाता है लेकिन व्यवहार में क्रय कर उन क्रेता व्यापारियों या उत्पा-दकों पर लगाया जाता है जो वस्तु को पुनः बेचे जाने या वस्तु का प्रयोग कर तैयार माल बेचने के उद्देश्य से क्रय करते हैं । सामान्यतः निजी उपभोग के लिए किये जाने वाले क्रयों को कर की परिधि में शामिल नहीं किया जाता । कर के अन्तरण में के सन्दर्भ में यह उल्लेख है कि वस्तु की माँग और पूर्ति की परिस्थितियाँ, प्रतियोगी दशाएँ, कर राशि तथा प्रतिस्थापापन्न वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए दोनों की दशाओं में कर को विवर्तित करने की संभावना रहती है । हाँ इतना अवश्य है कि विक्रय कर सामान्यतः इसी नाम से विवर्तित हो जाता है जब कि क्रय कर अनेक परिस्थितियों में लागत का एक अंग बन कर विवर्तित होता है ।

बिक्री कर औचित्य

बिक्री कर के औचित्य को लेकर विशेषज्ञों में काफी मतभेद है । फिर भी ऐसा देखने में मिलता है कि यह कर प्रायः सभी देशों में प्रचलित है । आमतौर पर यह विक्रय की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है । बिक्री कर विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं और उनका क्षेत्र तथा उनके लगाने के विशिष्ट उद्देश्य भी अलग-अलग हो सकते हैं । बिक्री पर कर लगने से प्रायः वस्तुओं का मूल्य अधिक हो जाता है । इससे उपभोग

की मात्रा घट जाती है और उपभोक्ताओं की रहन-सहन की लागत अधिक हो जाती है। मूल्य बढ़ने से माँग कम हो जाने से वस्तु का उत्पादन निरुत्साहित हो सकता है। जिसके कारण कभी-कभी नियोक्ताओं को और श्रमिकों के मध्य विवादों की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। बिक्री कर के विभिन्न प्रकारों के बारे में यदि कोई तथ्य समान है तो यह कि बिक्री कर उपभोक्ताओं पर भार डालने की इच्छा से लगाये जाते हैं। सामान्यतः बिक्री कर सभी उपभोक्ताओं के साथ समान अथवा आनुपातिक व्यवहार करते हैं और उनमें छूट की कोई व्यवस्था नहीं होती इसके साथ ही बिक्री कर वस्तुओं अथवा क्रियाओं की लागत में प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट रूप से जोड़ दिया जाता है। बिक्री करों से सम्बन्धित कानूनों में इनको सम्पूर्ण रूप से अन्तरित करने की स्पष्ट व्यवस्थायें होती हैं और उपभोक्ताओं को भी इस बात का पूरा ज्ञान होता है कि बिक्री कर उनकी और को अन्तरित किया जा रहा है। इस प्रकार सामान्यतः बिक्री कर का भार उपभोक्ता ही सहन करते हैं और इन करों को लगाते समय सरकार का भी यही उद्देश्य होता है कि इसका भार सभी उपभोक्ता सहन करें।

बिक्री करों की प्रवृत्ति ऐसी है कि इनका आमतौर पर अग्रान्तरण हुआ करता है यद्यपि इनका पश्चान्तरण अथवा पीछे की ओर अन्तरण भी सम्भव है। इसके अन्तरण का सामान्य तरीका यह है कि इस कर का द्रव्य भार, उत्पादकों की ओर से, जिन पर यह मूल रूप से लगाया जाता है, मध्यवर्ती एजेन्सियों जैसे थोक व्यापारियों एवं फुटकर व्यापारियों के माध्यम से अन्तिम उपभोक्ता की ओर को स्थानान्तरित कर दिया जाता है। यह आगे की ओर अन्तरण का सामान्य रूप है और इसमें कर के कारण वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। यदि उपभोक्ता द्वारा कर के ऐसे पूरे अन्तरण का कुछ प्रतिरोध किया जाता है तो उत्पादक करान्तरण के अन्य तरीके अपनाते हैं जिनमें एक मद यह भी है कि वे कर लगी वस्तु की किस्म या मात्रा में अथवा दोनों में ही कुछ कमी कर देते हैं। कभी-कभी उत्पादक उपभोक्ताओं के प्रतिरोध के कारण जब यह देखते हैं कि कर का आगे की ओर अन्तरण करना संभव नहीं है और साथ ही वे उत्पादित वस्तु की किस्म अथवा मात्रा में भी कोई परिवर्तन करना नहीं चाहते तो कर को पीछे की ओर अन्तरित करने का प्रयास करते हैं और इस तरह वे या तो श्रमिकों को कम मजदूरी लेने को बाध्य करते हैं अथवा कच्चे माल की पूर्तिकर्त्ताओं पर दबाव डालते हैं कि वे अपनी

वस्तुओं की अपेक्षाकृत कम कीमतें लेना स्वीकार करें। यदि इन दोनों को करना सम्भव नहीं होता तो उपभोक्ताओं की ओर कर का अन्तरण करने का केवल एक ही अन्तिम शेष रहता है। इस उपाय के द्वारा सीमान्त फर्मों को शनैः शनैः उद्योग से बाहर कर दिया जाता है और इस प्रकार उत्पादित वस्तु की पूर्ति में कमी करके उनके मूल्य में वृद्धि कर दी जाती है।

व्यवहारतः वस्तु पर लगे कर का विवर्तन होना या न होना वस्तु की माँग या पूर्ति की लोच पर निर्भर रहता है। यदि करारोपित वस्तु की माँग बेलोचदार होती है तब मूल्य वृद्धि द्वारा कर भार उपभोक्ताओं पर सरलता से विवर्तित किया जा सकता है, लेकिन यदि वस्तु की माँग लोचदार होती है तो कर का भार अंशतः उपभोक्ता को और अंशतः उत्पादक या विक्रेता को वहन करना पड़ता है। वस्तु की आपूर्ति जितनी अधिक लचीली होगी, उतनी ही अधिक सम्भावना इस बात की है कि कर क्रेता को वहन करना होगा। यदि वस्तु की पूर्ति बेलोचदार और माँग लोचदार होती है तो कर लगने पर कर का भार विवर्तन नहीं होने पाता और सम्पूर्ण कर का भार उत्पादकों को ही वहन करना पड़ता है।

वस्तु कराधान का अन्तरण तथा उसकी ग्राह्यता बिक्री करों की प्रकृति तथा उसके क्षेत्र पर निर्भर करती है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि बिक्री-कर दो तरह के होते हैं - ।1। सामान्य बिक्री कर एवम् ।2। विशिष्ट बिक्री कर।

।1। उत्पादक, सामान्य बिक्री कर के भार को पूर्णतः एवं सरलता से उपभोक्ताओं पर विवर्तित कर देते हैं और सरकार का भी यही उद्देश्य होता है। इसका कारण एक तो उनका क्षेत्र व्यापक है और दूसरे सभी प्रतियोगी वस्तुओं पर वे एक समान दर से लगते हैं। इसमें उपभोक्ताओं को प्रतिरोध की बहुत थोड़ी छूट प्राप्त होती है और इस कारण उसे बढ़ी कीमत का भुगतान करना होता है क्योंकि वे अपने उपभोग को अन्य करों में लगी वस्तुओं के लिए स्थानान्तरित नहीं कर सकते। इसमें एक बात यह भी है कि क्योंकि जनता बिक्री कर लगने की अभ्यस्त हो जाती है अतः अन्तरण को सामान्य स्थिति के रूप में स्वीकार करने लगते हैं। साथ ही व्यवसायी लोगों को भी

सामान्य बिक्री करों के अन्तरण से सम्बन्धित विभिन्न तरीकों के सम्बन्ध में अधिक अनुभव मिल जाता है । इसके अलावा बिक्री कर से वस्तु की उत्पादन लागत तथा बाजार में लाने की लागत बढ़ जाती है और इसमें कर लगी फर्मों को कर के भार का अन्तरण करने की एक प्रेरणा मिलती है । उत्पादन की दशा में तथा उसके साथ ही माँग की मूल्य सापेक्षता अथवा लोचशीलता की स्थितियाँ भी सामान्य बिक्री कर के अन्तरण की सम्भावनाओं पर प्रभाव डालती हैं ।

12। विशिष्ट बिक्री कर के भार का विवर्तन इतना सरल नहीं होता क्योंकि ऐसे कर के लागू होने का क्षेत्र बड़ा सीमित होता है । यह अन्तरण कर लगी फर्म पर दो स्थितियों में बुरा प्रभाव डाल सकता है, एक तो तब जब कि उस वस्तु की स्थानापन्न वस्तुओं पर करारोपण नहीं होता है तो इन करों का भार प्रायः उत्पादकों को ही वहन करना पड़ता है । दूसरे, उस समय जब कर लगी वस्तुओं की माँग मूल्य सापेक्ष अथवा लोचदार होती है तो भी उसके भार को उत्पादक ही वहन करते हैं । ऐसी स्थिति में कर लगी फर्म यदि कर लगने के कारण कीमत में वृद्धि करती है तो वह दो प्रकार से घाटे में रहती है - प्रथम, इस स्थिति में वस्तु का बाजार इनके हाथ से निकल जायेगा और वे प्रतियोगी फर्में जिनकी उत्पादित वस्तुओं पर कर नहीं लगा है, बाजार पर प्रभुत्व जमा लेंगी । दूसरे, यदि फर्म कीमत में वृद्धि करती है तो उस फर्म के वे उपभोक्ता जिनके लिए उस वस्तु की माँग मूल्य सापेक्ष अथवा लोचदार है उस फर्म से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेंगे । अतः कर लगी फर्म इस के लिए बाध्य हो जायेगी कि वह कर-भार को पूर्णतया स्वयं ही वहन करें । इसके विपरीत करारोपित वस्तु की स्थानापन्न वस्तु के बाजार में न होने पर और उसकी माँग बेलोचदार होने पर कर भार को उपभोक्ताओं पर विवर्तित किया जा सकता है जैसे-पेट्रोल, तम्बाकू आदि । ऐसी वस्तुओं पर कर अन्तरित किये जा सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि उन्हें उपभोक्ता के कर सम्बन्धी कोई विशेष प्रतिरोध का सामना न करना पड़े ।

भारत में बिक्री कर की स्थिति कुछ भिन्न है । यहाँ बिक्री कर राज्य स्तर पर लगाए जाते हैं । जब एक राज्य में बिक्री कर की दरें दूसरे राज्य से अधिक है तथा कर लगने वाली वस्तुएँ एक राज्य से दूसरे राज्य में बिकती हैं तो उपभोक्ता उस वस्तु को

जिस पर एक राज्य में कर लगा हुआ है परन्तु दूसरे में नहीं, उसे अन्य राज्यों से मँगा लेते हैं और इस प्रकार कर-भार उपभोक्ताओं पर डाला जाना सम्भव नहीं हो पाता तथा उत्पादक स्वयं ही अधिकांशतः कर भार सहन करते हैं । यह स्पष्ट है कि बिक्री कर सामान्यतः अन्तिम उपभोक्ताओं पर आगे की ओर अन्तरित कर दिये जाते हैं । यह अन्तरण अनिवार्य अथवा आदेश प्राप्त हो सकता है और बिक्री कर के विधान में इसका स्पष्ट उल्लेख कर सकते हैं । कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं जिनके अन्तर्गत इन करों का अन्तरण न हो सके और उत्पादक कर के भार को पूर्णतया या अंशतया स्वयं ही वहन करने को बाध्य हो जाए । वास्तव में कर का भार किस अंश तक क्रेता और विक्रेता तथा उत्पादकों पर पड़ेगा, यह अनेक तत्वों पर निर्भर करता है, जैसे करारोपित वस्तु की माँग और पूर्ति की लोच, उत्पादित वस्तु पर उत्पत्ति के नियमों का प्रभाव, उत्पादन तथा विपणन दशा, स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता, कर की प्रकृति, बाजार में प्रचलित उपयोगिता इत्यादि । इन सब कारणों के सामूहिक प्रभाव के आधार पर ही बिक्री कर के अन्तिम भार का निर्धारण किया जाता है ।

बिक्री कर तुलनात्मक रूप से एक नवीन कर है एवम् भारत में राज्य सरकारों की आय का महत्वपूर्ण आधार बन गया है । पिछले कुछ समय में इस कर को प्रतिस्थापित करने को प्रबल माँग बनी रही है । लेकिन अनेक प्रबल तर्कों एवं औचित्यों के आधार पर इस कर को लगाने और बनाये रखने का समर्थन किया जाता रहा है । बिक्री कर के पक्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले तर्क इस प्रकार हैं :-

राजकीय आगम स्रोत

सरकारी पक्ष की दृष्टि से बिक्री कर के समर्थन में प्रबल तर्क इस कर से होने वाली पर्याप्त आय है । इसका मुख्य कारण यह है कि यह कर वस्तुओं तथा व्यापारियों के विस्तृत क्षेत्र पर लगाया जा सकता है और कर की छोटी सी दर से ही एक बड़ी धनराशि एकत्रित की जा सकती है । यही कारण है कि बिक्री कर राज्य-सरकारों की आगम का मुख्य स्रोत बन गया है । कुछ राज्यों में तो यह आय का सबसे बड़ा स्रोत है । राज्यों की लगभग 55 प्रतिशत से अधिक आय इसी कर से प्राप्त होती है ।

बिक्री कर की आगम उत्पादकता की पुष्टि करते हुये कराधान जाँच आयोग ने भी लिखा है कि "बिक्री कर का गुण आय के मुख्य साधन के रूप में इस तथ्य पर आधारित है कि यदि इसे कम दर से अधिक व्यापारियों एवं वस्तुओं पर लगाया जाय तो इससे एक अच्छी आय प्राप्त की जा सकती है ।"[4]

बिक्री कर द्वारा आगम में शीघ्रता

बिक्री कर का एक लाभ यह भी है कि इस कर से सरकार को शीघ्र आगम प्राप्त होने लगती है । करदाता बिक्री-कर का भुगतान पूरे वर्ष करता ही रहता है क्योंकि इसका भुगतान अनेक वस्तुओं की खरीद पर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में करना पड़ता है, इसलिये यह कर अत्यन्त सुगम भी होता है । टेलर के शब्दों में "बिक्री कर के समर्थन में एक लोकप्रिय तर्क यह है कि कानून बनने के उपरान्त बहुत कम समय में यह कर आय उत्पन्न करने की क्षमता रखता है । सामान्यतः यह किसी कर का वांछनीय विलक्षण है।"[5]

सरकार के आगम में स्थायित्व

बिक्री कर से होने वाले आगम में अन्य करों की अपेक्षा अधिक स्थिर रहने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि सामान्यतः यह करउन वस्तुओं की बिक्री पर लगाया जाता है जिनका उपभोग प्रायः स्थिर और नियमित होता है । टेलर ने लिखा है कि "अन्य करों (सामान्यतः आयकर आगम) की आगम की तुलना में बिक्री कर से आय अधिक स्थिर होती है । यह कर उपभोग की वस्तुओं पर होता है जो एक काल में लगभग स्थिर रहता है ।"[6]

---

4. Report of Taxation Enquiry Commission, Vol. III, Page 44.

5. Philips E. Taylor : "The Economics of Public Finance", Page 414.

6. Philips E. Taylor : The Economics of Public Finance, P. 411.

लोच

बिक्री कर में लोच का अंश भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहता है । बिक्री कर की दरों में थोड़ी सी वृद्धि करके, बिक्री के अन्तर्गत सम्मिलित की जाने वाली वस्तुओं की संख्या में वृद्धि करके तथा कर मुक्ति की सीमाओं में परिवर्तन करके, कर से प्राप्त होने वाली राशि में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है । चूँकि यह कर बहुसंख्यक वस्तुओं और व्यापारियों पर लगाया जा सकता है, अतः सरकार की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसमें परिवर्तन किये जा सकते हैं और आय प्राप्त की जा सकती है ।

व्ययों पर नियन्त्रण एवं बचतों को प्रोत्साहन

बिक्री कर लगाने से वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होती है जिससे उपभोक्ताओं को अपने उपभोग व्यय में कुछ कमी करनी पड़ती है और व्यय पर रोक लग जाती है । अनेक परिस्थितियों में प्रत्यक्ष रूप से वस्तु का राशनिंग न करके उनकी बिक्री पर अधिक बिक्री कर लगा देने से ही उपभोग कम हो जाता है और वस्तुओं की माँग में कमी हो जाती है । डा० आर.एन. भार्गव के शब्दों में "एक सामान्य बिक्री कर व्ययों पर आनुपातिक कर की भाँति होता है । यह बचतों को प्रोत्साहित करता है तथा कल्याणकारी आधार पर पसन्द किया जाता है ।"

आबंटनात्मक कुशलता

इस कर से आबंटनात्मक कुशलता भी प्राप्त की जा सकती है । यह अब सामान्यतः मान लिया गया है कि "आबंटनात्मक कुशलता के लिए जिन वस्तुओं का उपभोग निरोत्साहित करना है, उन पर कर लगाना अधिक अच्छा है, चाहे वे किसी भी देश में उत्पादित की गई हों, बजाय इसके कि केवल आयातित वस्तुओं पर विभेदात्मक कर लगाये जायें ।[7]

---

7. M. Bird : "An appraisal of the Columbian Sales Tax. Page 319.

<u>बिक्री कर तथा प्रेरणात्मक प्रभाव</u>

यह बात सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है कि आयकर, और विशेष रूप से अत्यधिक आरोही आयकर, आर्थिक प्रेरणाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि निवेश से होने वाली समस्त आयों का कुछ भाग लेकर आयकर नये व्यवसायों के विकास तथा पुराने व्यवसायों के विस्तार को रोकता है । ऐसा कुछ तो इस कारण होता है क्योंकि व्यवसाय के विस्तार व व्यवसाय के लिए उपलब्ध द्रव्य पूँजी की प्राप्ति में कमी हो जाती है और कुछ इसलिए क्योंकि विस्तार की प्रेरणाओं में कमी हो जाती है ।

दूसरी ओर, बिक्री कर नये पूंजी विनियोग से होने वाली आय को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता क्योंकि पूंजी-निवेश से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं की कुल मांग बिक्री कर द्वारा प्रभावित नहीं होती है । इसके अतिरिक्त, उन व्यक्तियों के मामले में, जो कि अपनी आय मजदूरियों और वेतनों के रूप में प्राप्त करते हैं, आयकर उनकी कार्य करके प्राप्त की हुई आय का एक हिस्सा लेकर, कार्य करने की विशेष रूप से ओवर टाइम वर्क (समयोपरिकाम) करने की उनकी प्रेरणाओं में परिवर्तन कर देता है किन्तु यह भी सम्भव है कि उपर्युक्त स्थिति में व्यक्ति अपने कार्य की मात्रा में वृद्धि कर दें, बशर्ते कि वह अपने पुराने जीवन-स्तर को बनाये रखने में रूचि रखता है ।

दूसरी ओर, बिक्री कर प्रेरणाओं पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता । ऐसा इसलिये होता है क्योंकि अधिकांश मामलों में व्यक्ति अपने खर्च आदि का हिसाब लगाने में बिक्री कर की कोई गणना नहीं करता । प्रो. एफ. डब्ल्यू. पेश ने कहा है कि "व्यक्ति उस समय अतिरिक्त कार्य करने को तैयार नहीं होगा जब कि उसे यह ज्ञात होता कि उसके कमाये हुए धन का आधा भाग उससे आयकर के रूप में ले लिया जायेगा, परन्तु तम्बाकू खरीदने के लिए धन कमाने हेतु वह अवश्य ही काम करेगा, यद्यपि होता यह है कि उस तम्बाकू के लिए जो धनराशि वह अदा करता है उसका तीन चौथाई भाग सरकार के पास जमा जाता है ।"

<u>बिक्री कर और सरकार को सामान्य अंशदान</u>

बिक्री कर का और विशेषतः सभी उपभोग करों का इस आधार पर भी समर्थन

किया जाता है कि इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति सरकार को अपना अंशदान देता है। जब सरकार सभी की है और सरकार की सेवाओं के लाभ सभी व्यक्ति प्राप्त करते हैं तो यह, बिल्कुल उचित तथा स्वाभाविक ही है कि सरकार के व्ययों का भार भी सभी उठायें और इस कार्य के लिए गरीबों तक पहुँचने का केवल एक ही रास्ता है, और यह है - वस्तुओं का कराधान। वस्तु करों की ही एक किस्म के रूप में, बिक्री कर सरकार को इस योग्य बनाते हैं कि वह निर्धन से निर्धन किसान से भी प्राप्त कर लें।

बिक्री कर और पूँजी निर्माण

बिक्री कर के समर्थकों का दावा है कि बिक्री कर बचत करने की प्रेरणा को कम नहीं करता जबकि आयकर ऐसा करता है। बिक्री कर का भार जिन व्यक्तियों पर अधिक मात्रा में केन्द्रित होगा। वे बचतों की बजाए उपभोग को ही ■ कम करने को मजबूर होंगे। इसके अतिरिक्त, यह भी कहा जाता है कि कर-राजस्व की एक निश्चित रकम प्राप्त करने के लिए जो बिक्री कर लगाया जाता है। उसका एक बड़ा भाग उन धनराशियों में से लिया जाता है जो कि अन्य स्थिति में उपभोग कार्यों में खर्च कर दी जाती है, जबकि आयकर में ऐसा नहीं होता। इसका परिणाम यह होगा कि आय के कराधान के अन्तर्गत राष्ट्रीय आय के बचतों का कुल अनुपात अपेक्षाकृत अधिक रहेगा और पूँजी निर्माण की दर मुद्रास्फीति की सम्भावना के बिना अधिक हो जायेगी।[8]

अल्पविकसित देशों के लिए यह तर्क बड़े महत्व का है। जैसा कि सर्वविदित है, इन देशों में पूँजी निर्माण की कमी पाई जाती है अतः बिक्री के कराधान द्वारा पूँजी निर्माण में जो वृद्धि सम्भव होती है, उसके कारण बढ़ते हुए जीवन स्तर में तेजी से गिरावट आती है। इस प्रकार, स्पष्टतः पूँजी निर्माण तथा आर्थिक विकास की दृष्टि से बिक्री का कराधान अधिक लाभप्रद है।

बिक्री कर और प्रशासन में सरलता

अन्य वस्तु करों के समान ही, बिक्री कर का समर्थन इस आधार पर भी किया

8. John. F. Due : Sales Taxation, Page 32.

जाता है कि सामान्यतः इसको वसूल करना बड़ा सरल होता है, चूँकि बिक्री कर खरीदी गई वस्तुओं की कीमतों में छिपा रहता है, अतः लोगों को शायद ही कभी इसका आभास होता हो कि वे कर दे रहे हैं फिर जब भी खरीद की जाती है, यह आप से आप ही अदा कर दिया जाता है ।

इसके अतिरिक्त, आयकर और व्ययकर की तुलना में बिक्री कर का प्रबन्ध एवं प्रशासन बड़ा सरल होता है । एक तो इस कारण, क्योंकि यह बड़ी संख्या में पृथक - पृथक व्यक्तियों से वसूल न किया जाकर थोड़ी व्यावसायिक फर्मों से वसूल कर लिया जाता है । दूसरे, इसका संग्रह दर्ज हुई कुल बिक्री के आधार पर किया जाता है और इसमें शुद्ध आमदनियों की अनेक व्याख्याओं तथा उनके विभिन्न स्रोतों की छान-बीन नहीं करनी पड़ती ।

<u>बिक्री-कर-मुद्रा स्फीति विरोधी उपाय के रूप में</u>

युद्ध काल में तथा अन्य मुद्रा स्फीति की अवधियों में, एक सामान्य बिक्री कर का समर्थन इस आधार पर भी किया जाता है कि उसके द्वारा मुद्रा स्फीति के दबाव को कम किया जा सकता है । ऐसा दो प्रकार से किया जा सकेगा : प्रथम तो इस प्रकार यह व्यक्तियों के हाथों में उपलब्ध फालतू क्रयशक्ति को कम करेगा और दूसरे, यह उपभोग व्यय को सीमित करेगा और इस प्रकार अपर्याप्त पूर्ति पर माँग के पड़ने वाले दबाव को कम करेगा ।

।परन्तु यह भी सम्भव है कि इस सम्बन्ध में एक विरोधी तर्क यह दिया जाए कि ऊँची दरों से लगाया जाने वाला बिक्री कर लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि वे अधिक मजदूरी और वेतन की माँग करें तथा उसे प्राप्त करें, और यदि ऐसा हुआ तो कीमतों पर मुद्रा-स्फीति सम्बन्धी दबाव पड़ने की सम्भावना और बढ़ जायेगा ।।

<u>बिक्री कर और भ्रमणशील जनसंख्या</u>

बिक्री करों के पक्ष में एक अत्यन्त ठोस तर्क, जो कि महत्वपूर्ण नगरों एवं पर्यटक केन्द्रों पर विशेष रूप से लागू होता है, यह है कि बिक्री कर ही एकमात्र वह उपाय है

जिसके द्वारा भ्रमणशील जनसंख्या से भी यह आशा की जा सकती है कि वह सरकार की सामान्य सेवाओं की प्राप्ति के उपलक्ष में कुछ अदा करें । भ्रमणशील जनसंख्या में ऐसे सभी लोग सम्मिलित किये जाते हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों में अथवा विदेशों के, बसने के लिए नहीं, बल्कि भ्रमण के लिए अथवा अस्थायी रूप से ठहरने के लिए आते हैं । स्पष्ट है कि इन भ्रमणशील व्यक्तियों अथवा पर्यटकों से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे आयकर अथवा अन्य कोई प्रत्यक्ष कर अदा करें । अतः इस उद्देश्य की पूर्ति का एक मात्र रास्ता, जिसके द्वारा उन तक पहुँच की जा सकती है, वस्तुओं का कराधान ही है और बिक्री कर उसका एक महत्वपूर्ण अंश है ।

संघीय प्रशासन-व्यवस्था में बिक्री कर

बिक्री कर के पक्ष में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण तर्क का सम्बन्ध विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा भारत जैसे संघीय ढांचे वाले देशों से है । ऐसे देशों में संघ सरकार आयकर के कारण बड़ी अच्छी स्थिति में रहती है और राज्य सरकारों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि अपनी आय का एक बड़ा भाग प्राप्त करने के लिए वे बिक्री करों पर निर्भर रहें, परन्तु जैसा कि जान ड्यु ने कहा है कि "कुछ देशों में, इससे उल्टी ही बात है, अर्थात् आयकर पर राज्य का स्वामित्व होने के कारण केन्द्र सरकारों को बिक्री के कराधान पर निर्भर होना पड़ा है ।[9]

उपर्युक्त विभिन्न तर्क, बिक्रीकर के औचित्य को स्पष्ट करने में पर्याप्त सीमा तक सक्षम है लेकिन जनसामान्य की दृष्टि से यह कर अनेकों आलोचनाओं और विपक्षी तर्कों के दावों से घिरा रहा है । सन् 1920 में ही राजस्व के प्रसिद्ध विद्वान् सैलिग मैन ने यह लिखा था कि "सामान्य बिक्री-कर एक कष्टदायी व्यवस्था का एक बदनाम अवशेष है, निश्चय ही इसकी प्रकृति अलोकतान्त्रीय है, और यदि इसको लागू किया गया तो इससे धन तथा अवसरों की वर्तमान असमानतायें घटने की बजाये बढ़ेगी ही ।"[10]

9. John F. Due : Sales Taxation, Page 35.

10. Seligman : Studies in Public Finance, Page 138.

इसी प्रकार के विचार व्यक्त करते हुए हैरोल्ड एम. ग्रेव्स ने लिखा है कि "बिक्री का कराधान और वस्तुतः सम्पूर्ण परोक्ष कराधान ही रूपरेखा में अयुक्तिपूर्ण तथा भार की दृष्टि से अन्यायपूर्ण एवं अनुचित है ।"[11]

बिक्री कर के विपक्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले तर्कों को संक्षेप में निम्न प्रकार रखा जा सकता है :

<u>अधोगामी या प्रतिगामी प्रभाव</u>

बिक्री-कर का एक बड़ा दोष यह है कि यह प्रगतिशील नहीं है । यह एक अप्रत्यक्ष कर है और वस्तु पर लगाया गया कर है, इसलिये इसमें प्रगतिशीलता लाने की पर्याप्त सम्भावना नहीं होती है । सामान्यतः सभी उपभोक्ताओं पर बिना उनकी आय की ओर ध्यान दिये हुए या उनकी कर दान योग्यता को ध्यान में रखे हुए एक ही दर से कर लगाया जाता है । इसलिए यह कर दरों की दृष्टि से आनुपातिक होते हुए भी प्रभाव की दृष्टि से प्रतिगामी होता है, क्योंकि इसका भार निर्धन व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि व्यवहार में बिक्री कर की प्रतिगामिता को कम करने के लिए बहुधा दो उपाय किये जाते हैं । प्रथम, बिक्री कर केवल विलासियुक्त वस्तुओं पर ही लगाये जाते हैं, परन्तु ये इतने उत्पादक नहीं होते जितने कि सामान्य बिक्री कर होते हैं । द्वितीय, उपभोग की कुछ वस्तुओं पर, जिनका उपभोग मुख्यतः निर्धन व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता है, या तो कर लगाया ही नहीं जाता या बहुत नीची दर से कर लगाया जाता है ।

<u>औद्योगिक गुटबन्दी को प्रोत्साहन</u>

औद्योगिक गुटबन्दी को इस कर से अधिकांशतः प्रोत्साहन मिलता है । व्यापारीगण परस्पर मिलकर ऐसी संस्थायें स्थापित कर लेते हैं जिनमें कच्चे माल के उत्पादन से लेकर निर्मित माल के उत्पादन तक सभी क्रियायें एक ही संगठन के भिन्न-भिन्न

---

11. Harold M. Graves : Financing Government (V. Edition, Page 251).

विभागों द्वारा सम्पन्न की जाती है। एक विभाग दूसरे विभाग को वस्तुएं बिना बिक्री कर का भुगतान किए ही देता है और इस तरह कर के भुगतान से बच जाता है। साथ ही प्रत्येक व्यापारी के उत्पादन कार्य से सम्बद्ध विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे को बिना बिक्री कर के ही प्रदान कर दी जाती है। इस प्रकार पारस्परिक सम्बन्धों के द्वारा व्यापारी लोग बिक्री कर से बच जाते हैं। साथ ही वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण के प्रत्येक स्तर पर बिक्री कर से बचने के लिए उद्योग एकीकरण की नीति को अपनाते हैं ऐसा करने से उत्पादन से लेकर फुटकर बिक्री की समस्त क्रियायें एक ही संगठन इकाई के अन्तर्गत लाई जाती है। ऐसी दशा में कर एक ही बार दिया जाता है।

अन्तर्राज्यीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव

बिक्री कर से अन्तरस्थानीय (अन्तर्राज्यीय) व्यापार को, विशेषकर उन देशों में जहाँ संघ सरकार स्थापित होती है, बहुत हानि पहुँचती है। एक वस्तु के स्थानान्तरण पर जब प्रत्येक राज्य बिक्री कर लगाता है तो जितने राज्यों में होकर वह वस्तु बिकती है उतना ही उसका मूल्य बढ़ता जाता है और इस प्रकार अन्तरस्थानीय व्यापार को क्षति पहुँचती है। साथ ही विभिन्न राज्यों में बिक्री कर की दरें अलग-अलग निर्धारित की जाएं तो अन्तर्राज्यीय व्यापार का विकास प्रतिकूल रूप में प्रभावित होता है। इसी प्रकार यदि एक राज्य बिक्री कर लगाता है और दूसरा राज्य नहीं लगाता तब सीमा पर स्थित लोग दूसरे राज्य से माल खरीदने लगते हैं, जो बिक्री कर नहीं लगाता है। इस प्रकार वे अपने राज्य के बिक्री कर को प्रभावहीन कर देते हैं और दूसरे राज्य के व्यापारियों को हानि उठाने के लिए विवश करते हैं।

कर प्रशासन में कठिनातायें

बिक्री-कर प्रणाली अन्य कर-प्रणालियों की अपेक्षा काफी जटिल है। इसमें प्रशासन को भी बड़ी खोजबीन करनी होती है। उसे हर प्रकार की बातों का पता लगाना कठिन होता है और यह देखना होता है कि किन-किन व्यापारियों के द्वारा किन-किन वस्तुओं को बेचा व खरीदा जा रहा है। उसी प्रकार बिक्री-कर की अदायगी के लिए विक्रेताओं को लम्बे चौड़े हिसाब-किताब रखने होते हैं। व्यापारियों

को बिक्रीकर अधिकारियों के सामने समय-समय पर अपनी वस्तुओं का हिसाब प्रस्तुत करना होता है और बिक्रीकर अधिकारियों द्वारा भी अनेक प्रकार की जाँच की जाती है, जो व्यापारियों को परेशानी में डाल सकती है ।

<u>बिचौलियों का प्रादुर्भाव</u>

बिक्रीकर का एक दोष यह भी है कि इसके लगने से व्यापार करने के ढंग को भी बदल दिया जाता है । कर का भुगतान न करने के लिए थोक व्यापारियों के स्थान पद दलालों को नियुक्त कर दिया जाता है और वस्तुओं को ऐसे बेचा जाता है जैसे कि स्वयं उत्पादक बेच रहा हो यह दोष मुख्यतया बहु-बिन्दु प्रणाली में होता है जिसमें बिक्रीकर वस्तु की प्रत्येक बिक्रीकर वस्तु की प्रत्येक बिक्री पर लगता है यह दोष मुख्यतया बहु बिन्दु प्रणाली में होता है । व्यापार करने के ढंग में ऐसे परिवर्तन हो जाने से वस्तु की बिक्री पर कर केवल एक ही बिन्दु पर लग पाता है ।

<u>कर संग्रह की ऊँची लागत</u>

बिक्रीकर के विपक्ष में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि इस कर की आय को संग्रह करने की लागत अधिक होने के कारण यह मितव्ययी नहीं है, क्योंकि इस कर को व्यापारियों से एकत्रित किया जाता है जो दूर-दूर तक फैले रहते हैं । साथ ही अनेक छोटे-छोटे व्यापारियों के खातों के निरीक्षण के लिए सरकार को बड़ी संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ती है । इसलिए बिक्रीकर की वसूली की लागत काफी अधिक होती है । बिक्री कर की चोरी का भय भी रहता है । इसलिए सरकार की आय कम हो पाती है, जबकि सरकारी व्यय उतना ही बना रहता है । सरकार का यह व्यय प्रशासन सम्बन्धी होता है । यह कहा जाता है कि बिक्रीकर एकत्रीकरण में उससे प्राप्त होने वाली आय का 2/3 भाग तक व्यय हो जाता है । टेलर का मत है कि "यह सामान्यतया सत्य प्रतीत होता है कि 3 प्रतिशत बिक्रीकर लगाने पर 2 प्रतिशत से कम आय प्राप्त होती है, 2 प्रतिशत कर लगाने से 3 प्रतिशत से भी कम आय प्राप्त होगी तथा 1 प्रतिशत कर से औसत रूप में 3 प्रतिशत से भी अधिक आय संग्रह की जा सकती है ।[12]

---

12. Taylor, P.E. Op.Cit., Page 411.

<u>दोहरा करारोपण एवं वस्तु लागत में वृद्धि</u>

बिक्री कर में दोहरे कर की समस्या भी रहती है । एक ही वस्तु पर कई बार कर लग जाता है । सर्वप्रथम कच्चे माल की बिक्री पर कर लगता है, फिर जब दुकानदार कच्चे माल को खरीदता है तब कर लगता है और अन्त में उपभोक्ता खरीदता है तो भी कर लग जाता है । बिक्री कर से वस्तुओं की लागत में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जब कच्चे माल पर बिक्री कर लगाया जाता है तो उत्पादकों की सीमान्त लागत में वृद्धि हो जाती है ।

<u>कर-चैतन्यता का अभाव</u>

बिक्री कर में सामान्यतः कर चैतन्यता का अभाव होता है । अधिकांशतः यह कर वस्तु के मूल्य में छिपा रहता है अर्थात् उपभोक्ता को यह ज्ञात नहीं होता कि वह कर के रूप में राज्य को कुछ अंशदान दे रहा है । फलस्वरूप नागरिकों में कर-चैतन्यता कम हो जाती है । इस प्रकार बिक्री कर का वास्तविक उद्देश्य समाप्त हो जाता है। यह हो सकता है कि निर्धन व्यक्ति एवं सामान्य व्यक्ति बिक्री कर के भार से पूर्णतया परिचित न हो और ऐसी दशा में वे सरकार की वित्तीय क्रियाओं के प्रति कभी भी आलोचनात्मक रुख नहीं अपना सकते ।

<u>असमान भार वितरण</u>

बिक्री कर से प्राप्त होने वाली आय और आयकर से प्राप्त होने वाली आय समान होती है, परन्तु बिक्री कर का भार असमान रूप से पड़ता है । मध्यम और श्रमिक वर्ग पर इस कर का भार बहुत अधिक पड़ता है जबकि धनी वर्ग पर इस कर का भार कम पड़ता है ।

<u>आर्थिक तटस्थता</u>

यदि कुछ आवश्यक शर्तें पूरी हो जाएं तो सिद्धान्त रूप में बिक्री कर को प्रभाव डालने की दृष्टि से तटस्थ माना जा सकता है किन्तु व्यवहार में, यह स्पष्टतः तटस्थ एवं अतर्कपूर्ण है । उदाहरण के लिए यदि कुछ वस्तुओं को इस कर से मुक्त किया गया तो

उस वस्तु के उपभोग में अपेक्षया वृद्धि हो जायेगी । इसी प्रकार, यदि कर का अन्तरण पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है अथवा यदि वस्तुओं की कीमतों में कर की राशि से अधिक वृद्धि होती है, तो उससे वस्तुओं का उत्पादन तथा उपभोग प्रभावित होगा । फिर, यदि बिक्री कर उत्पादक पदार्थों पर भी लगाया गया तो यह सम्भव हो सकता है कि उत्पादन की कुछ रीतियाँ अन्य के मुकाबले अधिक खर्चीली अथवा इष्टतम कार्यक्षमता की प्राप्ति की आशा क्षीण हो सकती है ।

<u>स्फीतिकारक प्रभाव</u>

मुद्रा प्रसार की अवस्था में कर इसलिए लगाया जाता है कि लोगों से क्रय-शक्ति छीनकर वस्तुओं के मूल्य को कम किया जावे, परन्तु बिक्री कर से मूल्य स्तर नीचा होने की अपेक्षा ऊँचा हो जाता है क्योंकि जितना ही अधिक कर सरकार लगाती है, विक्रेता उतना ही ऊँचा मूल्य-स्तर निर्धारित करके वस्तुओं की बिक्री करते हैं । इस प्रकार सामान्य मूल्य-स्तर में वृद्धि होने से नागरिकों में (वेतन भोगी एवं मजदूर) मँहगाई-भत्ते की माँग बढ़ने लगती है और यदि सरकार इन माँगों को पूरा कर दे तो और अधिक मुद्रा-स्फीति की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि बिक्री कर का सामान्य प्रभाव यह होता है कि कीमतें बढ़ जाती हैं और उससे उपभोक्ताओं को अपने उपभोग में कटौती करने की प्रेरणा मिलती है । बिक्री कर के गुणों में बतलाया जा चुका है कि बिक्री कर का उपयोग मुद्रास्फीति विरोधी उपाय के रूप में किया जा सकता है, परन्तु इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि अवस्फीति अथवा मन्दीकाल में, जबकि वस्तुओं की कीमतें स्वयं ही गिर रही होती हैं और बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर होती है, यदि बिक्री कर लगाया जाए तो उससे अवस्फीति अथवा मन्दी की स्थिति और भी बदतर हो जाती है । बिक्री कर के द्वारा उपभोग की मात्रा कम होने लगती है और उसके फलस्वरूप माँग में कमी होने के कारण विनियोग की मात्रा भी घटने लगती है । अर्थव्यवस्था के लिए यह प्रवृत्ति बड़ी खतरनाक होती है । इस स्थिति में तो यह आयकर से निश्चय ही घटिया है, क्योंकि मन्दीकाल में आयकर से होने वाली सरकारी आय में कमी हो जाती है और कर-दाताओं के पास अधिक मात्रा में आय रह जाती है जिससे उनकी उपभोग्य वस्तुओं की माँग बढ़ने

की आशा की जा सकती है । बिक्री कर जहाँ तक उपभोग्य पदार्थों की बिक्री में कमी करता है उस सीमा तक इसे अवस्फीति सम्बन्धी प्रभाव डालने वाला ही कहा जायेगा ।

बिक्री-कर के पक्ष तथा विपक्ष में जिन बातों का उल्लेख किया गया है उनमें एक बात तो स्पष्ट ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और वह यह कि बिक्री कर अत्यधिक अवरोही है । यह एक कठोर तथा अन्यायपूर्ण कर है । इन मानों में क्योंकि यह उन व्यक्तियों पर अधिक तीव्र प्रहार करता है जिनकी कर अदा करने की सामर्थ्य न्यूनतम है। देश की औद्योगिक और व्यापारिक उन्नति में भी यह बाधक बनता है । यद्यपि यह सत्य है कि खाद्य पदार्थों तथा अनिवार्य आवश्यकता की कुछ अन्य वस्तुओं को कर मुक्त करके इसका अवरोहीपन कम किया जा सकता है, परन्तु केवल इतना करके ही बिक्री कर को समता एवं न्याय की दृष्टि से न्यायोचित सिद्ध करना सम्भव नहीं है । तथापि इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि आधुनिक अर्थ-व्यवस्थाओं में बिक्री कर को एक स्थायी स्थान प्राप्त है । ऐसा अनेक कारणों से है :

सर्वप्रथम यह है कि आधुनिक युग में राज्य के खर्चे इतने अधिक बढ़ गये हैं कि आय-कर तथा प्रत्यक्ष व परोक्ष किस्म के अन्य उपयुक्त कर प्रेरणाओं पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले पर्याप्त मात्रा में राजस्व प्रदान नहीं कर सकते । यदि आयकर आरोपण के निश्चित स्तरों को भी लाँघ जाएं, तो स्पष्ट रूप से वे काम करने व बचत करने की प्रेरणाओं पर प्रभाव डालते हैं और इस प्रकार वे राष्ट्रीय आय के स्तर को कम करते हैं । यही वही कमी है जिसकी पूर्ति के लिए बिक्री कर को अपना योगदान करना होता है । दूसरे, भारत जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को यदि गरीबी और पिछड़ेपन की दलदल से बाहर निकालना है तो यह बड़ा जरूरी है कि उनमें पूंजी निर्माण व विनियोग की दर को ऊँचा किया जाए । बिक्री कर उपभोग में कमी करके बचत तथा पूंजी निर्माण की ऊँची दरों के विषय में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान करता है । तीसरे, जहाँ आयकर को लागू करना कठिन होता है, विशेषरूप से वहाँ जहाँ अधिकांश व्यक्तियों की आमदनियाँ बहुत थोड़ी होती हैं और जहाँ सरकारी प्रशासन अकुशल होता है, वहाँ यह आवश्यक हो जाता है कि बिक्री कर पर निर्भर रहा जाए । चौथे, संघीय ढाँचे वाले देशों में,आयकरों

तथा बिक्री करों को बड़ी आसानी के साथ संघ या राज्य सरकारों के बीच बाँटा जा सकता है जिससे कि प्रत्येक सरकार के राजस्व को एक निश्चित तथा उपयुक्त स्रोत मिल जाए ।

निष्कर्ष

बिक्री कर के विपक्षी तर्कों के सन्दर्भ में इसके स्थान पर उत्पादन कर को प्रतिस्थापित करने का समर्थन किया जाता है । ऐसा करने से एक ओर बिक्री कर से होने वाली हानियों से बचा जा सकेगा तथा दूसरे, राज्य सरकारों की आय भी यथावत बनी रहेगी । परन्तु आधुनिक राज्यों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण बिक्री कर का लगाना अति आवश्यक हो जाता है क्योंकि बिक्री कर न केवल सतत् रूप से चला ही आ रहा है अपितु यह सरकारी आय का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है । इसका उपयोग सभी अथवा कुछ थोड़ी सी विशिष्ट वस्तुओं के उपभोग को सीमित करने में किया जा सकता है । इसको उत्पादन शुल्कों से श्रेष्ठ माना जाता है, किन्तु सामान्यतया आयकर से घटिया समझा जाता है । इस सम्बन्ध में जॉन ड्यू. का यह कथन उल्लेखनीय है कि "सम्पूर्ण रूप में, बिक्री कर को दूसरा सर्वोत्तम कर माना जाना चाहिए - एक ऐसा कर जो कि केवल तभी लगाया जाना चाहिए जब कि अनेक ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएं जिनके कारण आयकर तथा अन्य उपयुक्त करों पर पूर्णतया निर्भर रहना अवांछनीय हो जाए ।"

डा० जे.सी. पन्त ने लिखा है कि "बिक्री कर ऐसा कर है जिसमें क्रेताओं व विक्रेताओं को हानि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिल पाता है । यह कर देश के आर्थिक विकास में बाधक हो सकता है । इस कर की जितनी आलोचनाएं की जायें, कम हैं, परन्तु इतने पर भी इन करों को भुलाया नहीं जा सकता है । वर्तमान में राज्य सरकारों के व्यय बढ़ते ही जा रहे हैं । यह कर राज्यों की आय का प्रधान साधन बन गया है । आज इस कर की चाहे जितनी आलोचना की जाए, तो भी इस करारोपण को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है. क्योंकि वर्तमान में भू-राजस्व आय के बाद बिक्री कर राज्य सरकारों की आय का मुख्य साधन बन चुका है ।"[13]

13. Dr. J.C. Pant : Public Finance 1984-85, Page 467.

अध्याय तृतीय

भारत में बिक्रीकर का सामान्य अध्ययन एवं संवैधानिक विकास

अध्याय-3

भारत में बिक्रीकर का सामान्य अध्ययन एवं संवैधानिक स्थिति

बिक्रीकर से सम्बन्धित संविधान लागू होने से पूर्व, पश्चिमी बंगाल के अतिरिक्त सभी राज्य दूसरे समस्त राज्यों को जाने वाली वस्तुओं पर बिक्री कर लगाते थे। मद्रास में इस प्रकार की व्यवस्था थी कि अन्तिम विक्रेता को यह कर आधा देना पड़ता था, यदि वह विक्रेता उन वस्तुओं को मद्रास राज्य के बाहर बेचता था। पंजाब राज्य से दूसरे राज्यों को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को इस कर से छूट प्रदान की गई थी, परन्तु बम्बई में 1 अप्रैल, 1949 ई0 से बिक्री कर में छूट प्रदान नहीं की गई और वस्तुओं को दूसरे राज्यों को निर्यात करते समय 3 पैसे प्रति रुपये की दर से कर लगाया गया। बम्बई में बन्दरगाह होने के कारण ऐसी वस्तुओं पर, जो दूसरे राज्यों के उपभोग के लिए वहाँ पर आयात की जाती थी, कर लगाना वास्तव में उन राज्यों से एक प्रकार का पथकर वसूल करना था। उन राज्यों ने इस प्रवृत्ति पर अपना असंतोष प्रकट किया। सन् 1950 में भारतीय संविधान 1950 के अनुच्छेद 286 के द्वारा इस प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने का यथेष्ट प्रबन्ध किया गया है। इस अनुच्छेद 286 में की गई मुख्य व्यवस्थाएँ निम्न प्रकार हैं :-

किसी राज्य का कोई कानून निम्न परिस्थितियों में माल की बिक्री या खरीद पर कोई कर नहीं लगायेगा - जब माल की बिक्री या खरीद राज्य के बाहर हो, या जब माल भारत की सीमा में आयात के दौरान या भारत की सीमा से निर्यात के दौरान खरीदा या बेचा गया हो।

इसी प्रकार किसी राज्य का कोई भी कानून अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाली माल की बिक्री या खरीद पर न तो कर लगायेगा और न कर लगाना अधिकृत करेगा, सिवाय उन परिस्थितियों व सीमाओं के जो संसद कानून बनाकर निर्धारित कर दें। किसी राज्य की विधान सभा द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून जो ऐसे माल की बिक्री या खरीद पर कर लगाता है या कर लगाने को अधिकृत करता है जिसे संसद ने कानून बनाकर समाज के लिए अनिवार्य घोषित कर दिया है उस समय तक लागू नहीं होगा जब तक कि उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ

प्रस्तुत न किया गया हो तथा उस पर राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति न दे दी हो ।

इस प्रकार से उपर्युक्त संविधान के अनुच्छेद 286 के अन्तर्गत कोई भी राज्य सरकार न तो अपने राज्य की सीमा से बाहर होने वाले माल के क्रय-विक्रय पर कर लगा सकती है और न आयात अथवा निर्यात के दौरान माल के क्रयविक्रय पर ही कर लगा सकती है । इस प्रकार के प्रतिबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर नियन्त्रण एवं इसके द्वारा सीमा शुल्क लगाने के दृष्टिकोण तथा देश में वाणिज्य और व्यापार की स्वतन्त्रता के लिए आवश्यक है, जो संविधान के अनुच्छेद 301 के अन्तर्गत प्रदत्त किये गये हैं । संविधान के अनुच्छेद 304(अ) के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि यदि कोई राज्य अपने राज्य में उत्पादित अथवा निर्मित वस्तुओं के समान, दूसरे राज्य से वस्तुओं का आयात करता है तो उस पर कर लग सकता है किन्तु कर की मात्रा राज्य में उत्पादित, निर्मित वस्तुओं तथा आयात की वस्तुओं पर भिन्न-भिन्न नहीं हो सकती । अतः राज्य सरकारों ने दूसरे राज्य में उत्पादित वस्तुओं पर भेदमूलक कर की दरें नहीं लगा सकती ।

<u>बिक्रीकर लगाने का अधिकार एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय</u> :

<u>बम्बई राज्य बनाम दी यूनाइटेड मोटर्स (इण्डिया) लिमिटेड</u>[1] के मामले में सन् 1953 में यह निर्णय दिया गया कि :-

(अ) संविधान के अनुच्छेद 286 (1) (अ) तथा उसके दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार किसी माल की बिक्री या खरीद पर केवल वही एक राज्य कर लगा सकता है जिसमें माल के उपभोग के लिए माल की सुपुर्दगी दी गई हो ;

(ब) इस स्पष्टीकरण के अनुसार वह राज्य ऐसे माल की बिक्री या खरीद पर भी कर लगा सकता है जो अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बेचा गया हो ;

---

1. डब्ल्यू०सी० ढींगरा : मध्य प्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958, पृ० 6.

।स। अनुच्छेद 286 ।2। ऐसे राज्य पर कर लगाने के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाता है जो उक्त स्पष्टीकरण के अनुसार कर लगाने का अधिकारी है।

सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय से राज्य सरकारों को ऐसे व्यापारियों से भी बिक्रीकर वसूल करने की खुली छूट मिल गई जो उस राज्य के निवासी नहीं थे किन्तु जिन्होंने माल की सुपुर्दगी उस राज्य में दी थी। इसका परिणाम यह हुआ है कि कई राज्य सरकारों ने अपने राज्य के बाहर के व्यापारियों को बुलाना, उनसे लेखा पुस्तकें पेश करवाना, बिक्री के नक्शे भरवाना और बिक्री कर माँगना प्रारम्भ कर दिया। इससे व्यापारिक क्षेत्रों में अनिश्चितता व अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई और यह माँग की जाने लगी कि बिक्री कर लगाने का अधिकार राज्य सरकारों से लेकर केन्द्र सरकार को सौंपा जाए।

इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक दूसरे निर्णय में "<u>बंगाल इम्युनिटी कम्पनी लिमिटेड बनाम बिहार सरकार</u>" के मामले में 6 सितम्बर सन् 1955 को संविधान के अनुच्छेद 286 के सम्बन्ध में एक नया निर्णय दिया। यह निर्णय इसी न्यायालय द्वारा सन् 1953 में बम्बई राज्य बनाम दी यूनाइटेड मोटर्स ।इण्डिया। लिमिटेड के मामले में दिये गये निर्णय से भिन्न था। निर्णय के आधार पर यह कहा गया कि,

।अ। जहाँ तक आयात एवं निर्यात के दौरान माल के क्रय या विक्रय का सम्बन्ध है, ऐसे क्रय-विक्रय पर कोई भी राज्य सरकार बिक्रीकर नहीं लगा सकती है।

।ब। संविधान के अनुच्छेद 286।1।।अ। में जो स्पष्टीकरण दिया गया है, वही उसी अनुच्छेद के लिए है और उसका अनुच्छेद 286।2। पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः कोई भी राज्य सरकार अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल के क्रय या विक्रय पर उस समय तक कोई कर नहीं लगा सकती है जब तक अनुच्छेद 286।2। के अनुसार उसे संसद से ऐसा कर लगाने की अनुमति नहीं मिल जाती है।

।स। यदि संविधान के अनुच्छेद 286।2। के अनुसार संसद किसी राज्य सरकार को अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल के क्रय-विक्रय पर कर लगाने की अनुमति दे देती है तो अनुच्छेद 286।1। ।अ। के

स्पष्टीकरण के अनुसार यह निर्धारित किया जायेगा कि ऐसे क्रय या विक्रय पर किसी राज्य की सरकार कर लगा सकती है ।

इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय से व्यापारिक क्षेत्रों में व्याप्त अनिश्चितता व अराजकता की स्थिति तो समाप्त हो गई, किन्तु साथ ही अन्य कई प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई । प्रथम, इस निर्णय से पूर्व राज्य सरकारों के द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल के क्रय या विक्रय पर जो कर लगाये जा चुके थे या वसूल किये जा चुके थे, वे सभी अवैध हो गये क्योंकि संसद द्वारा किसी भी राज्य सरकार को ऐसे क्रय या विक्रय पर कर लगाने की अनुमति नहीं दी गई थी । अतः राज्य सरकारों के द्वारा लगाये गये ऐसे करों को निरस्त करने की तथा जो राशि वसूल की जा चुकी थी उसे वापिस करने की समस्या उत्पन्न हुई। द्वितीय, सभी राज्य सरकारों के बजट अनुमानों में संशोधन करने की समस्या उत्पन्न हुई । इस समस्या का समाधान करना तो सरल कार्य था किन्तु वसूल हुई राशि को वापिस लौटाना राज्य सरकारों के लिए असम्भव था ।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए 30 जनवरी सन् 1956 को राष्ट्रपति द्वारा "बिक्री कर कानून मान्यता अध्यादेश, 1956 जारी किया । इसके अनुसार 1 अप्रैल, 1951 से 6 सितम्बर, 1955 तक की अवधि में राज्य सरकारों ने अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल के क्रय-विक्रय पर जो कर वसूल कर लिया था उसे वैध बना दिया गया । 1 अप्रैल, 1951 को संविधान की धारा 286(2) लागू हुई थी और 6 सितम्बर 1955 को सर्वोच्च न्यायालय ने बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी लिमिटेड बनाम बिहार सरकार के मामले में अपना उपर्युक्त निर्णय दिया था । इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध ठहराये गये करों को इस अवधि में वैध बना दिया गया । बाद में इस अध्यादेश को "बिक्रीकर कानून मान्यता अधिनियम, 1955 द्वारा पुनर्स्थापित कर दिया गया ।

सन् 1953 में बम्बई राज्य बनाम दी यूनाइटेड मोटर्स (इण्डिया) लिमिटेड के मामले में उत्पन्न समस्याओं को दूर करने के लिए 1 अप्रैल, 1953 को भारत सरकार ने देश में कर प्रणाली के अध्ययन तथा सुधार के लिए सुझाव देने हेतु एक 'कराधान जाँच

आयोग' का गठन किया । राज्य सरकारों के करों की जाँच करने का भी कार्य इसे सौंपा गया था । आयोग ने सन् 1954 के अन्त में अपना प्रतिवेदन सरकार को दिया । अन्य करों के साथ-साथ आयोग ने बिक्री कर का भी अध्ययन किया और बिक्री कर तथा विशेषकर अन्तर्राज्यीय क्रय एवं विक्रय के सम्बन्ध में निम्न सुझाव प्रस्तुत किये :-

।1। बिक्री कर राज्य की आय का ही साधन बना रहना चाहिए, क्योंकि बिक्री कर राज्यों की वित्तीय व्यवस्था में प्रमुख स्थान रखता है और विभिन्न राज्यों में व्यापारिक दशाओं में बहुत अधिक भिन्नताएँ होती हैं । इसलिए राज्य के अन्दर वस्तुओं की बिक्री पर केवल राज्य सरकारें कर लगायें और इसको लगाने तथा वसूल करने का कार्य एवं इससे सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रशासन राज्य सरकारों के अधीन ही रहने दिया जाये । साथ ही अन्तर-राज्य व्यापार में आने वाली वस्तुओं पर संघ सरकार कर लगाये । इसी प्रकार समस्त व्यापार को दो भागों में विभाजित किया जाये ।अ। ऐसी वस्तुएँ जो अन्तर-राज्य व्यापार में नहीं आती अर्थात् राजकीय व्यापार और वाणिज्य, और दूसरी ।ब। वे वस्तुएँ जो अन्तर-राज्य व्यापार में आती हैं अर्थात् अन्तर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य । इस प्रकार राजकीय व्यापार और वाणिज्य पर इसे राज्यों द्वारा लगाना चाहिए और अन्तर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य पर यह कर संघ सरकार द्वारा लगाया जाना चाहिए।

।2। अन्तर्राज्यीय व्यापार की कर की दरों का निर्धारण तो संसद के द्वारा ही होना चाहिए, परन्तु इनका प्रशासन राज्यों द्वारा होना चाहिए और इन करों से जो आय प्राप्त हो वह राज्य-सरकारों को दी जाये ।

।3। अन्तर्राज्यीय व्यापार पर बिक्री-कर अन्तर्राज्यीय बिक्री के अन्तिम निर्यात पर लगाना चाहिए ।

।4। अन्तर्राज्यीय व्यापार पर कर की दर बहुत कम होनी चाहिए ताकि उपभोक्ताओं पर कर-भार बहुत अधिक न पड़े और अन्तर्राज्यीय व्यापार को बहुत हानि न हो । आयोग ने सुझाव दिया कि कुछ विशेष वस्तुओं को

छोड़कर अन्तर्राज्यीय व्यापार की अन्य वस्तुओं पर । प्रतिशत की दर से बिक्री कर लगाया जाना चाहिए । । प्रतिशत की न्यूनतम दर तभी लगानी चाहिए जब कि वस्तु अन्य राज्यों में स्थित पंजीकृत व्यापारियों को बेची जा रही हो, परन्तु यदि वस्तुएं ऐसे व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं को बेची जा रही है जो पंजीकृत नहीं हैं तो उन पर उसी दर से कर लगाया जाये जो राज्य में प्रचलित है । इस तरह बिक्री कर के अपवंचन से रोक लग जायेगी।

।5। कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना देनी चाहिए जो अन्तर्राज्यीय व्यापार के लिए आवश्यक है और उन पर कर बहुत नीची दर से लगाया जाये जैसे 3 पाई प्रति रुपया का एक बिन्दु कर और वह भी वस्तु की अन्तिम बिक्री पर । इन वस्तुओं में आयोग ने कोयला, लोहा और इस्पात, कपास, कच्ची और पक्की खालें, तिलहन, तेल और जूट को विशेष महत्व की वस्तुएं घोषित करके इन पर $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से एक बिन्दु बिक्री कर लगाने का सुझाव दिया। इन वस्तुओं पर इतनी नीची दर से कर लगाने का प्रस्ताव आयोग ने कदाचित इसी विचार से दिया कि ये कच्ची सामग्री की वस्तुएं हैं और इनसे बनी हुई वस्तुओं का निर्यात अन्य राज्यों को होगा । यदि इन पर बहुत ऊँची दर से कर लगा दिया जाए तो अन्य राज्यों में रहने वाले उपभोक्ताओं पर बहुत अधिक कर का भार पड़ेगा ।

।6। आयोग ने सुझाव दिया कि सन् 1952 के आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत विस्तृत संख्या में वस्तुएं कर मुक्त सूची में सम्मिलित कर ली गई हैं । अतएव इस सूची में उत्तम ।उपरोक्त। वस्तुओं को छोड़कर शेष सभी को निकाल देना चाहिए ।

।7। आयोग ने सुझाव दिया कि विभिन्न राज्यों के बिक्री कर विभाग के अध्यक्षों की वर्ष में एक बार मीटिंग की जानी चाहिए, जिसमें वे विचार-विनिमय करें, अपने सामूहिक हितों पर वाद-विवाद करें और पारस्परिक हित की समस्याओं की विवेचना करें ताकि कर की व्यवस्था सरल हो जाये । ऐसी मीटिंग "अन्तर्राज्यीय करारोपण परिषद्" के नेतृत्व में होनी चाहिए ।

अन्तर्राज्यीय करारोपण परिषद् को विभिन्न राज्यों की कर व्यवस्था को सरल बनाने तथा उसमें एकरूपता लाने का प्रयास करना चाहिए ।

(8) कर वंचन की प्रवृत्ति को रोकने हेतु व्यवस्था एवं निरीक्षण को पहले की तुलना में कठोर किया जाए तथा उच्च अधिकारियों को आकस्मिक निरीक्षण करने का अधिकार दिया जाए ।

(9) आयोग ने सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य में एक बिक्री कर ट्रिब्यूनल की स्थापना की जानी चाहिए जो बिक्री कर विभाग तथा व्यापारियों की अपीलों के बारे में अन्तिम निर्णय कर सकें ।

(10) केवल कुछ सुपरिभाषित वस्तुओं के वर्ग को ही बिक्री कर से छूट प्रदान की जाए ।

(11) उद्योग एवं व्यापार से व्यवस्थित सम्पर्क के लिए बिक्री कर विभाग द्वारा व्यापार एवं उद्योग के संघों आदि से सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिए। आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य में एक <u>बिक्री कर सलाहकार समिति</u> की स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें व्यापार, उद्योग एवं व्यवसायों के हितों का प्रतिनिधित्व हो तथा जो बिक्री कर समस्याओं का अध्ययन करें ।

(12) आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि बिक्री कर प्रशासन की अलोकप्रियता को दूर करने के लिए उच्च अधिकारियों को विस्तृत अधिकार दिये जाने चाहिए। निरीक्षण कर्मचारी और अधिकारी पृथक-पृथक होने चाहिए, प्रत्येक बिक्रीकर विभाग में इन्टेलिजेन्स सैक्शन होना चाहिए, कर्मचारियों का व्यवहार व्यापारियों के साथ मधुर होना चाहिए तथा उन्हें व्यापारियों की समस्याओं पर उचित सलाह देनी चाहिए ।

(13) आयोग ने यह सुझाव दिया कि बिक्री कर को केवल वस्तुओं तक ही सीमित रखना चाहिए तथा सेवाओं पर कर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे प्रशासन में कठिनाइयाँ आयेंगी तथा कर बचाने की सम्भावना बढ़ेगी ।

संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम, 1956

करारोपण जाँच आयोग की संस्तुतियों को व्यावहारिक रूप देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने सन् 1956 में संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम पारित किया, जिससे बिक्री-कर के सम्बन्ध में व्याप्त भ्रान्तियों, कठिनाइयों तथा जटिलताओं का निवारण किया जा सके। इस संविधान में संशोधन द्वारा निम्नलिखित परिवर्तन किये गये[2]:

1. <u>अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर लगाने का अधिकार केन्द्र को</u>

संशोधन अधिनियम द्वारा संघीय सूची में एक नवीन प्रविष्टि 92-अ सम्मिलित की गई जो केन्द्रीय सरकार को, समाचार पत्रों के अतिरिक्त, अन्य समस्त माल के अन्तर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य के दौरान हुए क्रय-विक्रय पर कर लगाने का अधिकार देती है।

2. <u>राज्य सूची में परिवर्तन</u>

संघीय सूची में प्रविष्टि 92-अ के सम्मिलित किये जाने पर राज्य सूची की प्रविष्टि 54 को पुनर्स्थापित किया गया ताकि राज्य सरकारों के बिक्री कर सम्बन्धी अधिकारों को उपर्युक्त 92-अ के अधीन रखा जा सके।

3. <u>कर वसूली तथा कर को राज्यों को वापसी</u>

संविधान के अनुच्छेद के 269 के प्रथम वाक्य में एक उपवाक्य-जी सम्मिलित किया गया। इस उपवाक्य के द्वारा भारत सरकार के अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल (समाचार पत्रों के अतिरिक्त) के क्रय या विक्रय पर कर लगाने के अधिकार को विस्तृत किया गया। द्वितीय वाक्य के अन्तर्गत इस कर को राज्यों को वापिस देने की व्यवस्था है।

4. <u>संसद को सिद्धान्त बनाने का अधिकार</u>

संविधान के अनुच्छेद 269 में नवीन वाक्य (3) जोड़ा गया जिसके द्वारा संसद

---

2. बी0 बाफना, गुप्ता एवं नाहर: केन्द्रीय एवं राजस्थान बिक्री कर परिचय, पृ0 32-34.

को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वह उन सिद्धान्तों की रचना करे जिनके द्वारा इस बात का निर्धारण हो सके कि अन्तर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य के अन्तर्गत बिक्री कब मानी जावे ।

5. <u>अनुच्छेद 286 में संशोधन</u>

अनुच्छेद 286 में इस प्रकार संशोधन किया गया कि उसका संशोधित रूप निम्न प्रकार हो गया :

<u>अनुच्छेद 286 : माल के क्रय-विक्रय पर कर लगाने सम्बन्धी प्रतिबन्ध</u>

॥अ॥ किसी राज्य का कोई भी कानून माल की निम्न प्रकार हुई बिक्री या खरीद पर न तो कोई कर लगायेगा और न ही कर लगाने के लिए अधिकृत करेगा : राज्य के बाहर बिक्री तथा भारतीय सीमा के अन्दर माल का आयात एवं सीमा से बाहर माल का निर्यात ।

॥ब॥ संसद कोई कानून पारित करके उन सिद्धान्तों का निर्माण कर सकती है जिनसे उपर्युक्त वाक्यांश में वर्णित माल की बिक्री या खरीद को निश्चित किया जा सके ।

॥स॥ ऐसी वस्तुएं जो संसद द्वारा कानून पारित कर अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में विशेष महत्व की घोषित की जायें, के सम्बन्ध में राज्य द्वारा निर्मित कोई भी कानून जो या तो कर लगाता है या कर लगाने के लिए अधिकृत करता है, जहाँ तक कर लगाने, कर की दरें एवं कर के अन्य मुद्दों का सम्बन्ध है संसद द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन होगा ।

इस प्रकार उपर्युक्त संशोधनों के फलस्वरूप संसद को निम्न कार्यों के लिए अधिकृत किया गया :

॥1॥ यह निश्चित करने के लिए सिद्धान्तों का निर्माण करना कि, माल का क्रय-विक्रय कब : ॥अ॥ अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान, या ॥ब॥ राज्य के बाहर, या ॥स॥ भारत के अन्दर आयात या भारत से बाहर निर्यात के दौरान होता है ।

(2) अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान हुई माल की बिक्री पर कर लगाने, संग्रह करने एवं उसका वितरण करने का प्रावधान करना ।

(3) कतिपय वस्तुओं को अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के अन्तर्गत विशेष महत्व की घोषित करना तथा उन शर्तों एवं प्रतिबन्धों का उल्लेख करना जिनका पालन राज्य सरकारें ऐसी विशेष महत्व की वस्तुओं पर कर लगाने के सम्बन्ध में कानून बनाते समय करेंगी ।

उपर्युक्त संशोधनों के सन्दर्भ में ही सन् 1956 में "केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम" पारित किया गया ।

<u>संविधान (छियालीसवां संशोधन) अधिनियम 1982</u>

बिक्रीकर व्यवस्था में कुछ कमियों का समाधान करने तथा अन्तर्राज्यीय बिक्री कर में अपवंचन को रोकने की दृष्टि से सन् 1982 में संविधान में कुछ संशोधन किये गये । संविधान (छियालीसवां संशोधन) अधिनियम 1982 के द्वारा बिक्री कर के सन्दर्भ में संविधान में निम्न प्रकार से परिवर्तन किये गये :

(अ) <u>अनुच्छेद 269 में परिवर्तन</u>

इसके अनुसार यदि किसी माल का अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रेषण कर दिया गया हो, तो उस प्रेषण पर केन्द्रीय सरकार को कर लगाने का अधिकार प्रदान किया गया है । माल का यह प्रेषण चाहे प्रेषण कर्ता को स्वयं को किया गया हो चाहे किसी अन्य व्यक्ति को हुआ हो ।

(ब) <u>अनुच्छेद 286 में परिवर्तन</u>

अब इस अनुच्छेद का रूप निम्न प्रकार हो गया है : वाक्यांश (3) राज्य सरकार का कोई भी कानून जो निम्न के सम्बन्ध में या तो कर लगाता है अथवा कर लगाने को अधिकृत करता है, जहां तक कर लगाने, कर की दरें एवम् कर के अन्य मुद्दों का सम्बन्ध है, संसद के द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन होगा :

(1) ऐसे माल के क्रय या विक्रय पर जिन्हें संसद के द्वारा कानून पारित करके अन्तर्राज्यीय व्यापार एवम् वाणिज्य में विशेष महत्व का माल घोषित कर दिया गया है ।

[2] मालों के क्रय या विक्रय पर ऐसा क्रय जो अनुच्छेद 366 के वाक्यांश 29 ए के उपवाक्य बी सी या डी में वर्णित कर की प्रकृति का हो ।

[ख] अनुच्छेद 366 में परिवर्तन

संविधान के अनुच्छेद 366 में वाक्यांश 29 के आगे एक नया वाक्यांश 29 ए जोड़ा गया । यह नया वाक्यांश 29 ए निम्न प्रकार है :-

29 ए "मालों के क्रय या विक्रय पर कर" में शामिल है :

[1] किसी नकद राशि, स्थगित भुगतान या अन्य किसी मूल्यवान प्रतिफल के बदले में मालों के स्वामित्व के हस्तान्तरण पर कर, यदि ऐसा हस्तान्तरण किसी अनुबन्ध के अन्तर्गत हस्तान्तरण न हो ।

[2] किसी कार्य अनुबन्ध के निष्पादन में प्रयुक्त सामग्री के स्वामित्व के हस्तान्तरण पर कर, चाहे वह सामग्री मालों के रूप में हो या अन्य किसी रूप में हो ।

[3] किराया क्रय पर या किश्त भुगतान पद्धति के अन्तर्गत माल की सुपुर्दगी पर कर ।

[4] किसी नकद राशि, स्थगित भुगतान या अन्य किसी मूल्यवान प्रतिफल के बदले में किसी भी उद्देश्य के लिए माल को प्रयोग में लेने के अधिकार के हस्तान्तरण पर कर ।

[5] व्यक्तियों के किसी समुदाय या संघ [जो समामेलित न हो] द्वारा अपने सदस्य को नकद राशि, स्थगित भुगतान या अन्य किसी मूल्यवान प्रतिफल के बदले माल की पूर्ति पर कर ।

[6] सेवा के रूप में या अन्य किसी रूप में ऐसे मालों की पूर्ति पर कर, जो मानव उपभोग का समान हो या कोई पेय पदार्थ हो । माल की यह पूर्ति नकद राशि, स्थगित भुगतान या अन्य किसी मूल्यवान प्रतिफल के बदले में हो सकती है ।

उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में ऐसे माल के हस्तान्तरण, सुपुर्दगी या पूर्ति को उस माल के हस्तान्तरण, सुपुर्दगी या पूर्ति करने वाले व्यक्ति के द्वारा उस माल की

बिक्री माना जायेगा तथा जिस व्यक्ति को उस माल का हस्तान्तरण, सुपुर्दगी या पूर्ति हुई है, उसे माल का क्रेता समझा जायेगा ।

(द) सातवीं अनुसूची में संशोधन

संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रथम सूची में वर्णित मदों में 92 ए के बाद एक नई मद 92 बी को जोड़ा गया है । यह मद निम्न प्रकार है :

92 बी - माल के प्रेषण कर, यदि वह प्रेषण अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान हुआ हो । माल का प्रेषण चाहे प्रेषक द्वारा स्वयं को किया गया हो या किसी अन्य व्यक्ति को किया गया हो ।

उपर्युक्त संशोधनों के कारण सरकार को अब "कार्य अनुबन्ध के अन्तर्गत माल की बिक्री पर, प्रेषण बिक्री कर" आदि पर भी बिक्री कर लगाने का अधिकार प्राप्त हो गया है ।

संक्षेप में वर्तमान समय में भारत में बिक्री कर की संवैधानिक व्यवस्था को निम्न प्रकार रखा जा सकता है :-

(अ) भारत में आयात होने वाले या यहाँ से निर्यात होने वाले माल के क्रय-विक्रय पर बिक्री कर नहीं लगता है ।

(ब) विभिन्न राज्य सरकारें केवल उसी क्रय-विक्रय पर बिक्री कर लगा सकती है जो उनके राज्य में हुआ है । इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु लगभग सभी राज्यों में बिक्री कर अधिनियम पारित किये गये हैं । कुछ वस्तुओं को विशेष महत्व का माल घोषित किया गया है । इस माल पर राज्य सरकार बिक्री कर कुछ विशेष दशाओं में कुछ शर्तों तथा नियन्त्रणों के अधीन ही लगा सकती है । अपने राज्य के बाहर की बिक्री पर कोई राज्य सरकार बिक्री कर नहीं लगा सकती है ।

(स) अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल के क्रय-विक्रय पर केवल केन्द्रीय सरकार ही बिक्री कर लगा सकती है । इस कर की व्यवस्था "केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम" के अन्तर्गत की गई है किन्तु फिर भी कर संग्रहण का कार्य विभिन्न राज्यों में सम्बन्धित राज्य सरकार ही करती है ।

अध्याय चतुर्थ

केन्द्रीय बिक्रीकर : परिचय, उद्देश्य एवं विशेषताएँ

अध्याय 4

केन्द्रीय बिक्री कर : परिचय, उद्देश्य एवम् विशेषतायें (भारतीय परिपेक्ष में)

संक्षिप्त परिचय

केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम 1935 के अन्तर्गत भारत सरकार ने वस्तुओं के विक्रय पर बिक्रीकर लगाने का अधिकार कुछ अपवादों को छोड़कर प्रान्तीय सरकार को दिया ▬ तथा अन्तर्राज्यीय व्यापार में वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने के प्रान्तीय सरकारों के अधिकारों पर इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई प्रतिबन्ध नहीं था । स्वतन्त्रता के पश्चात् केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय सम्बन्धों का उल्लेख देश के संविधान में किया गया । इसके अन्तर्गत समाचार पत्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर कर लगाने एवं इसका संग्रह करने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया । निम्न दशाओं में कर लगाने का अधिकार राज्य सरकारों को नहीं दिया गया :

(1) भारत की सीमाओं के बाहर व्यापार के सम्बन्ध में किया गया क्रय-विक्रय;
(2) अन्य राज्यों में उपयोग के लिये की गई वस्तुओं की बिक्री ;
(3) अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य से सम्बन्धित विक्रय ।

कराधान जाँच आयोग, 1955 की संस्तुतियों के सन्दर्भ में मई 1956 में संविधान में एक संशोधन पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप अन्तर्राज्यीय क्रय-विक्रय के करारोपण को केन्द्र की सूची में रख दिया गया और यह व्यवस्था की गई कि राज्य के अन्दर ऐसी वस्तुओं, जो अन्तर्राज्यीय व्यापार की दृष्टि से विशेष महत्व रखती है, के क्रय-विक्रय पर कर लगाने के राज्यों के अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं । इस संशोधन के आधार पर केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम सन् 1956 में पारित किया, जिसे 21 दिसम्बर, 1956 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई और यह अधिनियम 5 जनवरी, 1957 से लागू किया गया । इस अधिनियम में 18 धारायें हैं जो पाँच अध्यायों में विभाजित की गई हैं । प्रथम अध्याय, जिसमें पहली तथा दूसरी धारायें हैं, एक प्रारम्भिक अध्याय है । इसमें अधिनियम के लागू होने का समय, क्षेत्रीय सीमा तथा परिभाषायें दी गई हैं । अगले चार अध्यायों में इस अधिनियम को पारित करने के तीन प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति के लिए

समुचित व्यवस्था की गई हैं । अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य से सम्बन्धित धारायें 3, 4 तथा 5 को 1 जुलाई, 1957 से तथा दूसरे और तीसरे उद्देश्यों से सम्बन्धित धाराओं को 1 अक्टूबर, 1958 से लागू किया गया ।

केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम के उद्देश्य

केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम[1] के निर्माणाधीन काल में इस अधिनियम द्वारा निम्न उद्देश्यों को पूरा करने पर सरकार की ओर से अत्यधिक जोर दिया गया:-

(1) इस सम्बन्ध में सिद्धान्त निर्धारित करना कि किस समय किसी वस्तु का क्रय-विक्रय अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य की प्रक्रिया में अथवा राज्य के बाहर अथवा आयात या निर्यात की प्रक्रिया में माना जायेगा ;

(2) अन्तर्राज्यीय व्यापार की प्रक्रिया में बेचे गये माल पर बिक्री कर लगाने, उसका संग्रह करने और राज्यों के मध्य वितरण करने के सम्बन्ध में सिद्धान्त निर्धारित करना ;

(3) कुछ वस्तुओं को अन्तर्राज्यीय व्यापार की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण घोषित करना तथा उन वस्तुओं पर राज्यों द्वारा बिक्री कर वसूल करने के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध एवं शर्तें निर्धारित करना ।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की प्रमुख विशेषतायें

केन्द्रीय बिक्री कर के क्षेत्र, प्रकृति एवं विशेषताओं को संक्षेप में निम्न प्रकार रखा जा सकता है :

अधिनियम की क्षेत्रीय सीमायें : प्रारम्भ में यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर शेष समस्त भारत में लागू किया गया था । सन् 1958 में इसको जम्मू और कश्मीर में भी लागू कर दिया गया । सन् 1963 में इसको गोआ, दमन, द्वीप और पाण्डीचेरी में लागू किया गया । सन् 1972 में इसको नागालैण्ड के कोहिमा और मोकोकुंग जिलों में भी लागू कर दिया गया । वर्तमान में यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत में लागू होता है ।

---

1. भारतीय केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956.

कर की प्रकृति : केन्द्रीय बिक्रीकर "सामान्य बिक्री कर" एवं "एक स्तरीय बिक्री कर" है ।

अन्तर्राज्यीय व्यापार की प्रक्रिया में माल का क्रय-विक्रय : केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के दूसरे अध्याय में धारा 3, 4 और 5 में उन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है जिनके आधार पर यह निश्चित किया जा सके कि किसी माल का क्रय या विक्रय अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान हुआ है अथवा राज्य के बाहर या भीतर हुआ है अथवा आयात या निर्यात व्यापार के दौरान हुआ है । इन सिद्धान्तों को संक्षेप में निम्न प्रकार रखा जा सकता है :

1. अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल का क्रय-विक्रय : अधिनियम की धारा 3 के अनुसार जब किसी माल का क्रय या विक्रय निम्नलिखित दो परिस्थितियों में से किसी भी प्रकार से किया जाए तो उसे अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल का क्रय-विक्रय माना जाता है :

(क) जब किसी माल का क्रय या विक्रय हो तथा उस क्रय-विक्रय के फलस्वरूप उस माल का एक राज्य से दूसरे राज्य में गमन हो : यह उल्लेखनीय है यदि किसी माल के गमन का प्रारम्भ तथा अन्त दोनों एक ही राज्य में हो, किन्तु गमन के दौरान उस माल को किसी दूसरे राज्य की सीमा में होकर गुजरना पड़े तो उस माल का अन्तर्राज्यीय गमन नहीं माना जायेगा । कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी होती हैं जिनमें उस माल का अन्तर्राज्यीय गमन तो होता है, किन्तु यह गमन उस माल के क्रय व विक्रय के परिणाम-स्वरूप नहीं होता है । अतः इन परिस्थितियों में उस माल का अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान क्रय या विक्रय नहीं माना जा सकता है ;

(अ) जब किसी व्यापारी के व्यवसाय के मुख्य कार्यालय से किसी दूसरे राज्य में स्थित शाखा को माल भेजा जाए या उस शाखा से मुख्य कार्यालय को माल भेजा जाए ;

(ब) जब किसी व्यापारी के व्यवसाय की एक शाखा से दूसरे राज्य में स्थित दूसरी शाखा को माल भेजा जाये ;

(ख) जब किसी व्यापारी के द्वारा कोई माल किसी दूसरे राज्य में स्थित प्रतिनिधि के पास भेजा जावे या उस प्रतिनिधि के द्वारा माल को व्यापारी के पास भेजा जाए ।

(ग) जब माल का विक्रय माल के अधिकार प्रलेख को उस समय हस्तान्तरित करके किया जाए जब माल एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते समय मार्ग में हो ।

2. <u>राज्य के अन्दर माल का क्रय अथवा विक्रय</u> : अधिनियम की धारा 4(2) के अन्तर्गत किसी माल का क्रय अथवा विक्रय उस राज्य के अन्दर हुआ माना जाता है जब माल निम्न समय इस राज्य के अन्दर रहता है :

(क) जब विशिष्ट अथवा निश्चित माल के क्रय अथवा विक्रय का अनुबन्ध किया जाता है तो माल के अनुबन्ध के समय ;

(ख) अनिश्चित या भावी वस्तुओं की दशा में क्रेता अथवा विक्रेता द्वारा विक्रय के अनुबन्ध के आधार पर माल के नियोजन या पृथक करने के समय, चाहे दूसरे पक्ष की सहमति ऐसे नियोजन से पहले ली गयी है अथवा बाद में ।

यह ध्यान रहे कि यदि एक से अधिक स्थानों पर स्थित वस्तुओं के क्रय अथवा विक्रय के सम्बन्ध में एक ही अनुबन्ध किया जाता है, तो यह माना जायेगा जैसे प्रत्येक स्थान पर स्थित वस्तुओं के सम्बन्ध में अलग-अलग अनुबन्ध किये गये हैं ।

3. <u>आयात या निर्यात व्यापार के दौरान माल का क्रय या विक्रय</u> : ये निम्न दो हैं :

(क) निर्यात व्यापार के दौरान माल का क्रय-विक्रय धारा 5(1) (3) के अनुसार माल का क्रय-विक्रय भारत की सीमाओं के बाहर उस समय निर्यात हुआ माना जाता है जब ऐसा क्रय अथवा विक्रय या तो निर्यात का कारण होता है या माल का क्रय अथवा विक्रय भारत की सीमाओं के बाहर माल निकल जाने के बाद माल के स्वामित्व प्रलेखों के हस्तान्तरण द्वारा होता है । निर्यात व्यापार के तीन आवश्यक तत्व हैं -

(अ) विदेशी क्रेता से समझौता ;

।ख। माल के यातायात के लिये सार्वजनिक वाहन का प्रयोग तथा

।ग। विदेशी ठिकाना ।

।छ। आयात की प्रक्रिया में माल का क्रय-विक्रय : धारा 5।2। के अनुसार माल का क्रय-विक्रय भारत की सीमाओं के अन्दर आयात की प्रक्रिया में हुआ माना जाता है। यदि क्रय-विक्रय या तो माल के आयात का कारण होता है या माल का क्रय-विक्रय भारत की सीमाओं के अन्दर माल आ जाने से पहले माल के स्वामित्व प्रलेखों के हस्तान्तरण द्वारा होता है ।

<u>कर योग्य सीमा न होना</u> : राज्य बिक्री कर अधिनियमों की भाँति केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत कोई कर योग्य सीमा नहीं है । केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 6।1। के अनुसार ऐसा प्रत्येक व्यापारी, जो अन्तर्राज्यीय व्यापार में वस्तुओं को बेचता है ।विद्युत शक्ति को छोड़कर। ऐसी सभी बिक्रियों पर कर चुकाने के लिए दायी होगा चाहे उसकी बिक्री कितनी ही क्यों न हो । यह भी उल्लेखनीय है कि इस अधि-नियम के अधीन व्यापारी द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार में बेची गई प्रत्येक वस्तु की बिक्री पर कर देय होगा चाहे सम्बन्धित राज्य के अन्दर ऐसी वस्तु की बिक्री कर-मुक्त ही क्यों न हो ।

<u>अनिवार्य पंजीकरण</u> : प्रत्येक ऐसा व्यापारी जो अन्तर्राज्यीय व्यापार की प्रक्रिया में माल का क्रय-विक्रय करता है । इस अधिनियम के अन्तर्गत कर देने के लिए उत्तरदायी है । ऐसे व्यापारी को अपना पंजीकरण कराना भी अनिवार्य है । यह उल्लेखनीय है कि कोई व्यापारी केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अधीन कर चुकाने के लिए दायी न होने पर भी <u>ऐच्छिक रूप से अपना पंजीकरण</u> करा सकता है यदि :

।1। वह राज्य बिक्री कर अधिनियम के अधीन कर चुकाने के लिए दायी है; अथवा

।2। उसका व्यापारिक स्थान ऐसे राज्य में या राज्य के किसी ऐसे भाग में है जहाँ राज्य बिक्री कर अधिनियम लागू नहीं होता है ; अथवा

(3) राज्य बिक्री कर अधिनियम के अधीन व्यापारी की कोई खरीद अथवा बिक्री कर से मुक्त है अथवा उसे इस सम्बन्ध में कोई छूट या वापसी मिलती है।

यह आवश्यक है कि पंजीकृत व्यापारी को पंजीकरण प्रमाण-पत्र अपने समस्त व्यापारिक संस्थानों (स्थानों) पर प्रदर्शित करना चाहिए।

व्यापारी की प्रतिभूति की व्यवस्था : यदि बिक्रीकर अधिकारी इस अधिनियम की धारा 7 (2ए) एवं(3ए) के अधीन कर की समुचित वसूली तथा निर्दिष्ट फार्मों के उचित प्रयोग एवं संरक्षण के लिए आवश्यक समझता है तो वह कारणों का लिखित रूप में उल्लेख करके पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व अथवा पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रचलन में रहने के दौरान (यदि पंजीकरण प्रमाण-पत्र पहले जारी किया जा चुका है) लिखित आदेश द्वारा व्यापारी से निर्धारित राशि की प्रतिभूति अथवा अतिरिक्त प्रतिभूति निर्धारित ढंग से देने को कह सकता है।

अन्तर्राज्यीय व्यापार की प्रक्रिया में विक्रय पर कर की दरें : मालों की अन्तर्राज्यीय बिक्रियों पर केन्द्रीय बिक्री कर सामान्यतः निम्न प्रकार वसूल किया जाता है :

(अ) यदि माल सरकार को बेचा गया है : यदि व्यापारी अन्तर्राज्यीय व्यापार की प्रक्रिया में माल सरकार को बेचता है तथा विक्रेता व्यापारी "फार्म डी" में सरकार के अधिकृत क्रय अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र बिक्री कर अधिकारी के यहाँ दाखिल कर देता है तो ऐसी पण्यावर्त पर कर की दर 4 प्रतिशत होगी।

(ब) यदि माल पंजीकृत व्यापारी को बेचा गया है : यदि अन्तर्राज्यीय व्यापार की प्रक्रिया में माल पंजीकृत व्यापारी को बेचा जाता है और विक्रेता व्यापारी क्रेता पंजीकृत व्यापारी से "फार्म सी" में निश्चित सूचना देते हुए तथा हस्ताक्षर करके एक घोषणा पत्र बिक्री कर अधिकारी को दे देता है तो कर की दर 4 प्रतिशत होगी। यह उल्लेखनीय है कि प्रारम्भ में केन्द्रीय बिक्रीकर की सामान्य दर 1 प्रतिशत थी, जिसे धीरे-धीरे बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया है। दर वृद्धि की व्यवस्था को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

पंजीकृत व्यापारियों के लिए केन्द्रीय बिक्री कर की दरें

(घोषित वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर)

अवधि	1.7.57 से 31.3.63	1.4.63 से 30.6.66	1.7.66 से 30.6.75	1.7.75 से आगे
कर की दर (प्रतिशत में)	1	2	3	4

केन्द्रीय बिक्री कर के अन्तर्गत कुछ वस्तुओं को अन्तर्राज्यीय व्यापार की दृष्टि से विशेष महत्व की वस्तुएं घोषित किया गया है। इन वस्तुओं पर वर्तमान समय में कर की अधिकतम सीमा 4 प्रतिशत है, लेकिन व्यवहार में अनेक वस्तुओं पर इसे कम दर से भी लगाया गया है। उदाहरण के लिए साईकिल, ट्रैक्टर, निवाड़ इत्यादि पर केन्द्रीय बिक्रीकर की दर 2 प्रतिशत है।[2]

(ख) यदि माल किसी अन्य व्यक्ति को बेचा गया है : यदि व्यापारी द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार में माल का विक्रय गैर पंजीकृत व्यापारी को किया जाता है तो:

(1) बेचा गया माल "घोषित माल" होने पर कर की दर उस कर की दो गुनी होगी जो दर "उपयुक्त राज्य" में ऐसे माल के क्रय-विक्रय पर लागू होती है ;

(2) यदि बेचा गया माल "घोषित माल" के अलावा है तो कर की दर 10 प्रतिशत अथवा उपयुक्त राज्य में ऐसे माल के क्रय-विक्रय पर लागू दर, जो भी दोनों में अधिक हो, होगी।

अन्तर्राज्यीय बिक्रियों पर केन्द्रीय बिक्री कर के सम्बन्ध में निम्नलिखित छूटें एवं रियायतें भी उपलब्ध है :

सामान्य कर-मुक्तियाँ : यदि किसी माल का क्रय या विक्रय उपयुक्त राज्य के सामान्य बिक्री-कर कानून के अनुसार "सामान्य रूप से कर मुक्त" हो तो उस माल की

---

2. Radhey Shiam Goyal : Rates & Interportations of Sales Tax commodities under Uttar Pradesh Sales Tax Act, 1948 & Central Sales Tax Act, 1956, Page 292.

अन्तर्राज्यीय बिक्री भी केन्द्रीय बिक्री कर से मुक्त होगी । इसी प्रकार यदि किसी माल के क्रय या विक्रय पर उपयुक्त राज्य के सामान्य बिक्रीकर कानून के अनुसार सामान्य दर 4 प्रतिशत से कम है, तो उस माल की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर केन्द्रीय बिक्रीकर की दर भी वही होगी जो राज्य के बिक्री कर के अनुसार निर्धारित है ।

<u>राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कर-मुक्तियाँ</u> : यदि राज्य सरकार सार्वजनिक हित में ऐसा करना उचित समझती है तो वह सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन यह निर्देश कर सकती है कि निर्दिष्ट वस्तुओं पर या निर्दिष्ट व्यापारिक स्थान से अथवा निर्दिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों को अन्तर्राज्यीय व्यापार में माल बेचने पर केन्द्रीय बिक्री कर नहीं लगेगा अथवा धारा 8(1) तथा 8(2) में वर्णित दरों की अपेक्षा कम दर से लगेगा ।

<u>पण्यावर्त या विक्रय राशि का निर्धारण</u> : केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा 8ए के अनुसार, पहले किसी भी वर्ष में अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बेचे गये माल के विक्रय मूल्यों का योग ज्ञात किया जाता है फिर इस योग में से निम्नलिखित राशियों को घटाकर कर योग्य बिक्री ज्ञात की जाती है :

(अ) <u>केन्द्रीय बिक्री-कर की राशि</u> : यदि व्यापारी द्वारा क्रेता से बिक्री कर की राशि विक्रय मूल्य में शामिल करके वसूल की जाती है तो निम्न सूत्र के आधार पर निकाली गयी कर की राशि को विक्रय मूल्य के योग में से घटा दिया जायेगा ।[3] यदि व्यापारी की विक्रय राशि अलग-अलग दरों से कर योग्य है तो उपर्युक्त सूत्र अलग-अलग विक्रय पर अलग-अलग दर से प्रयोग किया जायेगा तथा इस प्रकार कर की कुल राशि ज्ञात करके उसे कुल विक्रय मूल्य में से घटा दिया जायेगा । यदि पंजीकृत व्यापारी द्वारा कर

---

3. $$\text{केन्द्रीय बिक्री कर की राशि} = \frac{\text{कर की दर} \times \text{विक्रय मूल्यों का योग}}{100 + \text{बिक्री कर की दर}}$$

के रूप में एकत्र की गई राशि को इस अधिनियम के अनुसार अन्य किसी प्रकार से घटा दिया गया है तो उपरोक्त सूत्र के आधार पर कोई कटौती नहीं दी जायेगी ।

(ब) वापस लौटाये गये माल का मूल्य : यदि क्रेता सुपुर्दगी की तिथि से 6 माह में विक्रेता को सम्पूर्ण या कुछ ऐसा माल वापस कर देता है जो अन्तर्राज्यीय बिक्री के अन्तर्गत बेचा गया है तो उसका मूल्य ।

(स) अन्य कटौतियाँ : ऐसी अन्य कटौतियाँ जो बाजार की शर्तें व्यापार की सुविधा तथा उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कर दी जावे ।

करारोपण एवं संग्रहण का अधिकार : केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम केन्द्रीय सरकार का अधिनियम है, लेकिन इसके अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय बिक्रियों पर कर-निर्धारण करने तथा बिक्री कर वसूल करने का अधिकार राज्य सरकारों को सौंप दिया गया है । यदि व्यापारी के व्यापार का स्थान एक हो तो केन्द्रीय बिक्रीकर का निर्धारण एवं वसूली उसी राज्य में होगा, जहाँ व्यापारी पंजीकृत है । लेकिन यदि एक व्यापारी के अनेक व्यापारिक स्थान है लेकिन सभी स्थान एक राज्य में हैं तो भी कर का निर्धारण एवं वसूली एक ही राज्य में होगा जहाँ व्यापारी पंजीकृत है किन्तु यदि किसी व्यापारी के अनेक व्यापारिक स्थान हो और अलग-अलग राज्यों में स्थित हो तो कर निर्धारण एवं वसूली किस राज्य सरकार द्वारा किया जाए । इसकी व्यवस्था अधिनियम की धारा 9(1) में उल्लिखित की गई है ।

कर का संचालन एवं प्रशासन : धारा 9(2) के अनुसार इस अधिनियम के प्रावधानों एवं नियमों को ध्यान में रखते हुए "सम्बन्धित राज्य" के बिक्री कर कानून के अधीन कर-निर्धारण एवं कर का संग्रह आदि करने के लिये अधिकृत अधिकारी केन्द्र सरकार की ओर से इस अधिनियम के अधीन भी कर-निर्धारण, पुनः कर निर्धारण, कर एवं अर्थदण्ड का संग्रह आदि कार्य उसी प्रकार करेंगे जैसे वे राज्य बिक्री कर कानून के अन्तर्गत करते हैं । इस आशय के लिये वे अधिकारी उन सब अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं जो अधिकार उन्हें राज्य बिक्री-कर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त हैं ।

<u>राज्य के सामान्य बिक्री कर अधिनियम के प्रावधानों का लागू होना</u> : केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम में बिक्री-विवरण दाखिल करने, अस्थायी कर-निर्धारण, कर का अग्रिम भुगतान, अपील, व्यापार के क्रेता का पंजीकरण, साझेदारी संस्था में विघटन अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार के विभाजन पर कर-दायित्व, पुनर्विचार, पुनरीक्षण, कर की वापसी इत्यादि के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में राज्य बिक्री कर अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं।

<u>कर से एकत्रित राशि का वितरण</u> : धारा 9(3) के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में किसी राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन केन्द्र सरकार की ओर से एकत्र की गयी कर तथा अर्थदण्ड की राशि उसी राज्य को दे दी जाती है तथा केन्द्र शासित क्षेत्र में इस प्रकार से एकत्र की गई राशि को भारत सरकार की "संचित निधि" में जमा कर दिया जाता है।

<u>अधिनियम का उल्लंघन होने पर अर्थ दण्ड एवं सजायें</u> : धारा 10 के अनुसार यदि कर दाता इस अधिनियम के किसी प्रावधान अथवा नियम की अवहेलना करता है तो उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देकर उस पर अर्थदण्ड लगाया जा सकता है अथवा सजा दी जा सकती है।

<u>केन्द्र एवं राज्य सरकारों के नियमों में संगतता</u> : धारा 13 के अनुसार केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार इस अधिनियम के संचालन के लिये नियम बना सकती है। राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये नियम इस अधिनियम के प्रावधानों तथा केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के असंगत नहीं होने चाहिये। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए एवं प्रशासनिक सुविधाओं की दृष्टि से संसद ने 1957 में कुछ नियम पारित किये। ये नियम-केन्द्रीय बिक्रीकर (पंजीयन एवं विक्रय राशि) नियम, 1957 कहलाते हैं। इन नियमों के द्वारा केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम के दूसरे उद्देश्य से सम्बन्धित धाराओं को सही ढंग से प्रभावशाली बनाने की व्यवस्था की गई है।

<u>वस्तुओं का वर्गीकरण</u> : अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत वस्तुओं को घोषित वस्तु अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार में महत्वपूर्ण वस्तु तथा अन्य वस्तुओं में वर्गीकृत किया गया है । अधिनियम में उन वस्तुओं को अन्तर्राज्यीय व्यापार में महत्वपूर्ण घोषित किया गया है जो राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए अन्तर्राज्यीय व्यापार में विशेष महत्व रखती हैं ।

कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अन्तर्राज्यीय व्यापार में विशेष महत्व रखती हैं । यह राष्ट्र एवं व्यापार दोनों के हित में है कि ऐसी वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध हों और उन पर बिक्री कर का अधिक भार न डाला जाये । अतः केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में कुछ वस्तुओं को अन्तर्राज्यीय व्यापार में महत्वपूर्ण माल घोषित किया गया है और उस माल पर राज्यों द्वारा बिक्री-कर वसूल करने के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्ध एवं शर्तें लगा दी गयी है । धारा 14 में उन मालों का वर्णन किया गया है जो केन्द्रीय सरकार ने अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान विशेष महत्व के घोषित किये हैं । अतः इनको घोषित माल कहा जाता है ।[4]

<u>घोषित वस्तुओं पर बिक्री कर</u> : घोषित वस्तुओं पर बिक्रीकर की दर अन्य वस्तुओं पर बिक्री कर की दर की तुलना में कम रखी गयी है । यदि कोई राज्य अपने बिक्री कर अधिनियम द्वारा घोषित माल के क्रय-विक्रय पर बिक्री कर लगाने का अधिकार प्रदान करता है तो यह अधिकार निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अन्तर्गत ही हो सकता है:

(अ) कोई भी राज्य सरकार अपने राज्य के सामान्य बिक्री कर कानून के द्वारा

---

4. खाद्यान्न, कोयला, कपास, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र एवं कृत्रिम रेशम के वस्त्र, बेकार सूती धागे को छोड़कर सूती धागा, अशोधित तेल (कच्चा तेल, कच्चा पेट्रोलियम तेल, शैल मिश्रित खनिज से प्राप्त कच्चा तेल), चमड़ा और खालें (ये कच्ची अथवा अपनी परिष्कृत (साफ की हुई) अवस्था में हो सकती है), लोहा एवं इस्पात, जूट (पटसन)- गाँठ में बंधी हुई या अन्य प्रकार से, तिलहन, दालें, चीनी, तम्बाकू, रेयन या कृत्रिम रेशम के कपड़े ।

राज्य के भीतर इन मालों के क्रय या विक्रय पर 4 प्रतिशत से अधिक दर पर कर नहीं लगा सकती है तथा यह एक बिन्दु कर ही हो सकता है ।

(ब) यदि राज्य बिक्री कर अधिनियम के अधीन राज्य के अन्दर घोषित वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर कर लगा दिया जाता है और बाद में इन वस्तुओं को अन्तर्राज्यीय व्यापार की प्रक्रिया में दुबारा बेच दिया जाता है तथा इस अन्तर्राज्यीय बिक्री पर केन्द्रीय बिक्री कर चुका दिया जाता है तो राज्य बिक्री कर अधिनियम के अधीन लगाया गया कर अन्तर्राज्यीय व्यापार में ऐसी बिक्री करने वाले व्यक्ति को निर्धारित शर्तों के पूरा होने पर वापस लौटा दिया जायेगा ।

(स) यदि किसी राज्य में धान की खरीद या बिक्री पर कर लगा दिया जाता है तथा बाद में उस धान से निकाले गये चावल पर कर लगाया जाता है तो चावल पर लगाये जाने वाले कर में से पहले धान पर लगाया कर घटा दिया जायेगा तथा शेष राशि ही वसूल की जायेगी ।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 15 के द्वारा राज्य सरकारों पर जो प्रतिबन्ध लगाये गये हैं, वे अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । घोषित मालों में से कुछ माल तो ऐसे हैं जिनका उत्पादन कुछ विशेष राज्यों में ही होता है, किन्तु इसका उपभोग अन्य राज्यों में अधिक होता है या वे अन्य राज्यों में स्थित उद्योगों के लिये कच्चे माल के रूप में महत्वपूर्ण होते हैं । जैसे - चीनी, सूती कपड़ा का उत्पादन कुछ विशेष राज्यों में ही होता है, किन्तु इनका उपभोग सभी राज्यों में किया जाता है । यदि इन मालों पर प्रतिबन्ध न हों, तो जिन राज्यों में इनका उत्पादन होता है, वहाँ की सरकारें अपनी आगम में वृद्धि करने के प्रलोभन में आकर इन मालों पर बिक्री कर की दरें बढ़ा सकती हैं या एक से अधिक बिन्दुओं पर बिक्री कर लगा सकती हैं, इससे इन राज्यों की आय तो बढ़ जायेगी, परन्तु इससे अन्य सभी राज्यों के उपभोक्ताओं को माल महंगा मिलेगा । इससे अन्य राज्यों में स्थित वे उद्योग भी प्रभावित होंगे, जिनमें उपरोक्त घोषित माल कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है । अतः बिक्री कर बढ़ाने की इस प्रवृत्ति का प्रभाव उद्योग धन्धों पर, निर्यात एवं जनसाधारण पर भी पड़ेगा व समूचे देश की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित हो जायेगी । देश की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । इसी उद्देश्य से राज्य सरकार के अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ।

केन्द्रीय बिक्री-कर से आगम की प्रवृत्तियाँ

देश में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम सन् 1957 में लागू हुआ और इससे प्राप्त आगम में निरन्तर वृद्धि होती रही हैं । यह उल्लेखनीय है कि राजकीय प्रकाशनों में इसके पूर्ण, विस्तृत और व्यवस्थित समंकों का अभाव है, लेकिन फिर भी जो समंक उपलब्ध हैं, उनसे कर आगम की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया जा सकता है । इन समंकों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है ।

तालिका नं0 4 ।

राज्यों में केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत वर्षवार बिक्रीकर संग्रह

।करोड़ रुपयों में।

वर्ष	कर-राशि	वर्ष	कर-राशि
1960-61	22.49	1976-77	465.19
1967-68	101.36	1977-78	474.20
1968-69	100.07	1978-79	547.50
1969-70	126.92	1979-80	613.06
1970-71	158.38	1980-81	720.04
1971-72	159.25	1981-82	970.41
1972-73	202.98	1982-83	1014.02
1973-74	212.21	1983-84	1047.08
1974-75	300.78	1984-85।सं0।	1287.07
1975-76	374.70	1985-86।बजट।	1423.99

स्रोत : रिजर्व बैंक आफ इण्डिया बुलेटिन अक्टूबर 1962, जून 1969, अगस्त 1970, अगस्त 1971, सितम्बर 1972, जून 1973, सितम्बर 1974, सितम्बर 1975, दिसम्बर 1976, सितम्बर 1978, अक्टूबर 1979, अक्टूबर 1980, अगस्त 1981, सितम्बर 1982, अक्टूबर 1983, अक्टूबर 1984, नवम्बर 1985 एवं अप्रत्यक्ष करारोपण जाँच समिति प्रतिवेदन।भाग-2।, जनवरी 1978, पृ0 440 पर आधारित ।

राज्य सरकारों की केन्द्रीय बिक्री कर से आगम की वास्तविक राशियाँ तालिका नं० ५-१ में दी गई राशियों से अधिक हो सकती हैं क्योंकि विभिन्न वर्षों में भिन्न-भिन्न राज्यों के समंक उपलब्ध नहीं हो सके हैं और कुछ राज्यों की दशा में केन्द्रीय बिक्री कर की राशि के समंक अलग से उपलब्ध नहीं हैं और कुल बिक्री कर में शामिल है ।

तालिका नं० ५-१ में केन्द्र शासित क्षेत्रों को प्राप्त केन्द्रीय बिक्री कर से आगम शामिल नहीं है ।

यद्यपि विभिन्न राजकीय प्रकाशनों में केन्द्रीय बिक्री कर से सम्बन्धित समंकों में व्यापक भिन्नता रही है लेकिन समंक स्त्रोतों में एकरूपता बनाये रखने के लिए लगभग सभी समंक रिजर्व बैंक आफ इण्डिया बुलेटिन से लिये गये हैं, लेकिन सन् 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के समंक अप्रत्यक्ष कर जाँच समिति (जनवरी 1978) के प्रतिवेदन से लिये गये हैं । इसका कारण यह है कि प्रतिवेदन में यह समंक योग के रूप में दिये गये हैं, जबकि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया बुलेटिन में राज्यवार दिये गये हैं और उनमें कई राज्यों के समंक अनुपलब्ध दिखाये गये हैं ।

तालिका नं० ५-१ के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सन् 1960-61 में इस कर से आगम 22.49 करोड़ रुपये थी जो सन् 1967-68 में बढ़कर 101.36 करोड़ रुपये हो गई । सन् 1968-69 में इस आगम में लगभग स्थिरता रही, लेकिन इसके पश्चात् धीमी गति से बढ़ता हुआ यह कर सन् 1973-74 में 212.21 करोड़ रुपये हो गया । इसके पश्चात् तीन वर्षों में ही इस कर से आगम इतनी तेजी से बढ़ी कि यह 1973-74 की तुलना में 1976-77 में दो गुने से अधिक (465.19) करोड़ रुपये) हो गया । सन् 1980-81 से इस कर के आगम में वृद्धि की दर पर्याप्त ऊँची रही है और सन् 1983-84 में यह राशि 1047.08 करोड़ रुपये हो गयी । सन् 1984-85 और 1985-86 के संशोधित एवं बजट अनुमानों में इस कर से लगातार बढ़ते हुए आगम के समंक प्रस्तुत किये गये हैं जो क्रमशः 1287.07 और 1423.99 करोड़ रुपये है । यहाँ इस बात का भी उल्लेख किया जा सकता है कि आगम में वृद्धि का कारण केवल बिक्री की राशि में वृद्धि या कर-वसूली की प्रभावशीलता में वृद्धि ही नहीं है वरन् समय-समय पर इस कर की दर में वृद्धि की गई है । प्रारम्भ में इस कर की दर मात्र

1 प्रतिशत थी जो सन् 1963 में 2 प्रतिशत, सन् 1966 में 3 प्रतिशत और सन् 1975 में 4 प्रतिशत कर दी गई है ।[1]

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय बिक्रीकर का राज्यवार आगम संग्रह तालिका नं0 5-2 में दर्शाया गया है ।

सन् 1970-71, 1971-72 एवं 1972-73 के समंकों की योग राशि (जो कोष्ठक में दिये हुए हैं) व्यक्तिगत राज्यों के समंकों के योग (जो कोष्ठक में नहीं हैं) से भिन्न है, क्योंकि इनमें कई राज्यों के समंक अनुपलब्ध है । जबकि योग की राशि (कोष्ठक वाली) अप्रत्यक्ष कराधान जाँच आयोग के प्रतिवेदन (जनवरी 1978) से उपलब्ध की गई है ।

सन् 1973-74 के व्यक्तिगत राज्यों के समंकों का योग 21471 लाख रुपये होता है लेकिन रिजर्व बैंक आफ इण्डिया बुलेटिन तथा अप्रत्यक्ष कराधान जाँच समिति के प्रतिवेदन, दोनों में ही, 21221 लाख रुपये दिया गया है । अतः किसी राज्य की राशि में ही त्रुटि की मान्यता करके योग को यथावत मान लिया गया है ।

प्रस्तुत तालिका में उत्तर प्रदेश के समंक और उत्तर प्रदेश में बिक्री कर (अध्याय (5) में उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय बिक्री कर के समंकों में कहीं-कहीं भिन्नतायें हैं और पूर्ण प्रयास करने पर भी इन भिन्नताओं को समाप्त नहीं किया जा सका, क्योंकि प्रस्तुत अध्याय में समंक रिजर्व बैंक आफ इण्डिया बुलिटिन से लिये गये हैं जिसमें सभी राज्यों के समंक उपलब्ध थे । जबकि "उत्तर-प्रदेश में बिक्रीकर" (अध्याय 5) में बिक्री कर के समंक उत्तर प्रदेश बिक्री कर विभाग द्वारा प्रकाशित "सामान्य वार्षिक प्रतिवेदन 1983-84" से लिये गये हैं और उत्तर प्रदेश की दशा में जिन्हें अधिक विश्वसनीय माना जाना स्वाभाविक है ।

प्रस्तुत तालिका में जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों के केन्द्रीय बिक्री कर आगम को पृथक से नहीं दिखाया जा सका है क्योंकि रिजर्व बैंक आफ

---

1. अप्रत्यक्ष कर जाँच आयोग प्रतिवेदन, जनवरी 1978, पृ0 216.

तालिका नं 4.2

केन्द्रीय बिक्रीकर से राज्यवार एवं वर्षवार आगम

(लाख रुपयों में)

राज्य का नाम	1960-61	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76
1. आन्ध्र प्रदेश	44	436	216	317	362	अनु0	491	957	1936	2439
2. असम	3	51	50	58	60	60	128	170	437	699
3. बिहार	268	740	अनु0	अनु0	998	786	अनु0	674	1049	1420
4. गुजरात	88	764	934	1150	1290	1497	अनु0	1865	2787	3353
5. हरियाणा	-	अनु0	अनु0	875	अनु0	अनु0	अनु0	1245	1463	1822
6. हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	2	12	8	14	16	20
7. कर्नाटक	63	244	409	661	591	727	1110	1285	1712	2305
8. केरल	80	262	246	288	357	394	465	501	632	818
9. मध्य प्रदेश	107	766	809	1002	1064	1110	1398	1614	2114	2743
10. महाराष्ट्र	488	2418	2545	3041	3743	3957	4476	5591	7101	8598
11. मेघालय	-	-	-	-	अनु0	अनु0	5	3	4	7
12. नागालैण्ड	-	-	3	अनु0	अनु0	अनु0	अनु0	अनु0	1	1
13. उड़ीसा	48	422	430	497	635	अनु0	714	832	686	791
14. पंजाब	135	437	680	697	882	774	871	1017	1751	1700
15. राजस्थान	28	256	247	261	333	380	471	587	810	1088
16. तमिलनाडु	228	1016	1036	1239	1379	1694	अनु0	2082	2887	3327
17. उत्तर प्रदेश	88	356	347	399	501	509	628	527	1055	1658
18. पश्चिमी बंगाल	581	1968	2055	2207	2525	2230	2675	2507	3637	4681
योग	2249	10136	10007	12692	14722 15838	14130 15925	13440 20298	21471 21221	30078	37470

(लाख रुपयों में)

राज्य का नाम	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85 (लगाया गया)	1985-8 (बजट)
1. आन्ध्र प्रदेश	1990	1671	1870	2131	3313	7618	6639	7207	8500	10000
2. असम	637	655	अनु0	251	अनु0	अनु0	1776	2919	2920	3029
3. बिहार	1556	2340	1756	273	2192	अनु0	5101	अनु0	8760	9636
4. गुजरात	4567	4997	5571	6851	9240	10519	11112	11301	12891	13500
5. हरियाणा	2721	2723	3103	3682	अनु0	5546	6122	6628*	7500	8295
6. हिमाचल प्रदेश	27	32	37	72	79	117	144	146	127	169
7. कर्नाटक	2766	3010	3975	3753	4661	7866	7362	7404	8300	9300
8. केरल	1042	1105	1404	1502	2143	2135	1911	2334	3530	4039
9. मध्यप्रदेश	3125	2810	3533	3870	4425	6469	5784	7391	8900	9612
10. महाराष्ट्र	11215	11137	13845	15836	18937	22486	23313	24316	26494	28688
11. मेघालय	8	14	112	14	35	22	38	91	60	77
12. नागालैण्ड	1	1	अनु0	3	अनु0	अनु0	अनु0	अनु0	अनु0	अनु0
13. उड़ीसा	1549	1690	1618	1953	2026	2614	2335	2453	3104	3957
14. पंजाब	1898	2680	2458	2939	3414	4296	अनु0	अनु0	अनु0	अनु0
15. राजस्थान	1426	1463	1706	1768	1622	2107	2344	2275	2758	3075
16. तमिलनाडु	4242	4290	4984	6245	8559	9547	10159	11835	12700	14022
17. उत्तर प्रदेश	2347	1985	2301	2197	2819	4448	5227	5437	6163	6500
18. पश्चिमी बंगाल	5402	4867	6477	7966	8539	11251	12035	12970	16000	18500
योग	46519	47420	54750	61306	72004	97041	101402	104708	128707	142399

स्रोत : विभिन्न वर्षों के रिजर्व बैंक आफ इण्डिया बुलेटिनों के आधार पर। पुनर्मुद्रित माह एवं वर्ष।
अनु0 = अनुपलब्ध

इण्डिया बुलेटिन में इन राज्यों के केन्द्रीय बिक्री कर के समंक या तो अनुपलब्ध दिखाये गये हैं या सामान्य बिक्रीकर एवं कुल बिक्री कर में जोड़कर दिखाये गये हैं। ।

तालिका नं0 4.2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुछ अपवादों को छोड़कर इस कर से प्राप्त आगम में प्राय: सभी राज्यों में निरन्तर वृद्धि होती रही है । राज्यवार विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि सन् 1967-68 से महाराष्ट्र राज्य का आगम की दृष्टि से प्रथम स्थान पर रहा है । देश में केन्द्रीय बिक्री कर के कुल आगम का लगभग 20 से 25 प्रतिशत तक भाग अकेला महाराष्ट्र राज्य ही अर्जित करता रहा है ।

यद्यपि सन् 1960-61 में केन्द्रीय बिक्री कर से आगम में प्रथम स्थान पश्चिमी बंगाल का था लेकिन सन् 1967-68 से इसका स्थान महाराष्ट्र के पश्चात् लगातार दूसरा बना रहा है और इसका भाग देश में केन्द्रीय बिक्री कर के कुल आगम में 10 से 15 प्रतिशत तक उच्चावचित होता रहा है और कुछ वर्षों में यह 20 प्रतिशत तक पहुंच गया था । महाराष्ट्र में सन् 1977-78 को छोड़कर लगातार कर आगम में वृद्धि का क्रम रहा है, लेकिन पश्चिमी बंगाल में दीर्घकालीन प्रवृत्ति बढ़ने की होते हुए भी सन् 1971-72, 1973-74 तथा 1977-78 में कर आगम में गत वर्षों की तुलना में कमी आयी थी ।

महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल के पश्चात् गुजरात और तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जिनका इस कर-आगम की दृष्टि से तीसरे और चौथे स्थान पर अधिकार बना रहा है, परन्तु यह स्थान विभिन्न वर्षों में दोनों राज्यों में परिवर्तित होता रहा है । केन्द्रीय बिक्रीकर के आगम की राशि की दृष्टि से अन्य उल्लेखनीय राज्य बिहार, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हैं । उत्तर प्रदेश में प्रारम्भ में इस कर से सीमित आय प्राप्त होती थी लेकिन सन् 1973-74 के पश्चात् तेजी से वृद्धि हुई है ।

केन्द्रीय बिक्री कर के राज्यवार विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि इस कर से देश के विकसित राज्यों को विकासशील और पिछड़े राज्यों की लागत पर लाभ हुआ है । इस स्थिति को संक्षिप्त रूप में तालिका नं0 4.3 में दर्शाया गया है ।

इस तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि देश में केन्द्रीय बिक्री कर आगम का लगभग 2/3 भाग देश के 8 विकसित एवं विकास-शील राज्यों को प्राप्त हो रहा है और

तालिका नं० 4.3

केन्द्रीय बिक्रीकर आगम में राज्यों की तुलनात्मक स्थिति

(उपलब्ध तथ्यों के योग में प्रतिशत के रूप में भाग)

	राज्य का नाम	1960-61	1970-71	1980-81	1983-84	1984-85 (संशोधित)	1985-86 (बजट)
(अ)	**औद्योगिक विकसित राज्य**						
1.	महाराष्ट्र	21.70	25.42	26.30	23.23	20.59	20.15
2.	प० बंगाल	25.83	17.15	11.86	12.39	12.43	12.99
3.	तमिलनाडु	10.14	9.37	11.89	11.30	9.87	9.85
4.	गुजरात	3.91	8.76	12.83	10.79	10.02	9.48
5.	हरियाणा	-	-	-	6.33	5.83	5.83
6.	पंजाब	6.00	5.99	4.74	-	-	-
	योग	67.58	66.69	66.62	64.04	58.74	58.30
(ब)	**विकासशील राज्य**						
1.	कर्नाटक	2.80	4.01	6.48	7.08	6.46	6.53
2.	केरल	3.58	2.43	2.98	2.30	2.75	2.84
	योग	6.38	6.44	9.46	9.38	9.21	9.37
(स)	**औद्योगिक पिछड़े राज्य**						
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.95	2.46	4.60	6.88	6.60	7.02
2.	मध्य प्रदेश	4.76	7.23	6.16	7.06	6.92	6.75
3.	बिहार	11.92	6.78	4.04	-	6.82	6.77
4.	उत्तर प्रदेश	3.91	3.40	3.93	5.19	4.79	4.57
5.	उड़ीसा	2.13	4.32	2.82	2.35	2.41	2.79
6.	राजस्थान	1.24	2.26	2.26	2.17	2.14	2.20
7.	असम	0.13	0.41	-	2.79	2.27	2.13
8.	हिमाचल प्रदेश	-	0.01	0.11	0.14	0.10	0.10
	योग	26.04	26.87	23.92	26.58	32.05	32.33
	कुल योग	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

स्रोत : तालिका नं० 4.2 में दिये गये तथ्यों के आधार पर परिकल्पित ।

मात्र 1/3 भाग शेष अन्य सभी राज्यों को प्राप्त होता है ।

जहाँ तक केन्द्रशासित क्षेत्रों का प्रश्न है, इनमें नई दिल्ली के सम्बन्ध में ही विस्तृत एवं क्रमबद्ध समंक उपलब्ध हैं जिन्हें तालिका नं0 4.4 में प्रदर्शित किया गया है ।

तालिका नं0 4.4

केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत वर्षवार बिक्री कर संग्रह

वर्ष	करोड़ रुपयों में	वर्ष	करोड़ रुपयों में	वर्ष	करोड़ रुपयों में
1957-58	0.56	1966-67	04.67	1975-76	26.97
1958-59	1.15	1967-68	05.66	1976-77	33.88
1959-60	1.18	1968-69	06.61	1977-78	36.70
1960-61	1.36	1969-70	06.91	1978-79	43.78
1961-62	1.50	1970-71	07.98	1979-80	52.73
1962-63	1.68	1971-72	08.51	1980-81	62.62
1963-64	2.72	1972-73	10.40	1981-82	73.07
1964-65	3.31	1973-74	13.28	1982-83	77.00
1965-66	3.66	1974-75	18.70	1983-84	83.99

स्रोत : आयुक्त बिक्रीकर नई दिल्ली ﴾सांख्यिकीय अनुभाग﴿ : बिक्री कर विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन 1983-84, पृष्ठ 28-29.

इस तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि नई दिल्ली को इस कर से निरन्तर बढ़ती हुई और महत्वपूर्ण कर आगम प्राप्त हुई है । सन् 1957-58 में दिल्ली को इस कर से मात्र 56 लाख रुपये की आगम प्राप्त हुई थी जो सन् 1958-59 में बढ़कर 1.15 करोड़ रुपये हो गयी और सन् 1983-84 में इस कर से दिल्ली को 83.99 करोड़ रुपये की आगम हुई है । इस दृष्टि से यदि राज्यों को भी ध्यान में रखा जाए तो सन् 1983-84 में केन्द्रीय बिक्री कर आगम की दृष्टि से महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु और गुजरात के पश्चात इसका पाँचवा स्थान था । स्पष्ट है कि नई दिल्ली देश की एक बड़ी और महत्वपूर्ण व्यापारिक मण्डी है, जिससे देश के सभी भागों का व्यापार होता है और इस कारण नई दिल्ली को इस कर से पर्याप्त आय प्राप्त होती है ।

केन्द्रीय बिक्रीकर आगम के विश्लेषण से स्पष्ट है कि देश में कर आगम के अन्य उत्पादक स्रोतों की भाँति इस कर से प्राप्त आगम में भी निरन्तर और उल्लेखनीय वृद्धि होती रही है और इस वृद्धि के तीन मुख्य आधार रहे हैं : बिक्री कर की राशि में निरन्तर वृद्धि, अन्तर्राज्यीय व्यवहारों पर कर आरोपण की प्रभावशीलता में वृद्धि तथा केन्द्रीय बिक्रीकर की दर को मात्र 1 प्रतिशत से धीरे-धीरे बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर देना । यद्यपि बिक्रीकर की धारणा के पीछे इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि यह कर उपभोक्ता राज्य में बिक्री होने पर लगना चाहिए लेकिन उत्पादक राज्य को भी अपने द्वारा उत्पादित या निर्मित वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय व्यवहार में कुछ हिस्सा मिलने के आधार पर केन्द्रीय बिक्रीकर का औचित्य सिद्ध किया गया । केन्द्रीय बिक्रीकर की राज्यवार प्रवृत्तियों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि यह कर क्षेत्रीय दृष्टि से आर्थिक विषमतायें उत्पन्न करता है क्योंकि इस कर से उन्हीं राज्यों को अधिक लाभ होता है जिनमें विस्तृत औद्योगिक आधार हो या पर्याप्त कृषि आधिक्य हो और जिन्हें अन्य राज्यों को भेजा जा सके । समंकों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय बिक्रीकर आगम का लगभग 2/3 भाग देश के आठ विकसित और विकासशील राज्यों को प्राप्त होता है और इस कर आगम में पहले चार स्थान औद्योगिक विकसित राज्यों - महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु और गुजरात के ही रहे हैं । यह संयोग की बात है कि विशाल लौह एवं इस्पात कारखानों के कारण बिहार और मध्य प्रदेश को भी इस कर से पर्याप्त आगम मिल जाता है ।

केन्द्रीय बिक्री कर की दरों में समय-समय पर जो वृद्धि की जाती रही है,उसके कारण बिक्रीकर की उत्पादन शुल्क से वह भिन्नता समाप्त हो जाती है जिसके आधार पर बिक्रीकर मुख्यतः राज्य विशेष में किये जाने वाले उपभोग पर लगाया जाना चाहिए । प्रारम्भ में केन्द्रीय बिक्रीकर की दर को 1 प्रतिशत के निम्नतम स्तर पर निर्धारित करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि जहाँ एक ओर उत्पादक राज्य को कुछ आगम की प्राप्ति हो जाए, वहाँ दूसरी ओर आयातक राज्य के निवासियों पर इसका अनावश्यक भार न पड़े, लेकिन राज्यों के निरन्तर बढ़ते हुए दबावों के कारण यह दर 1 प्रतिशत से क्रमिक रूप से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दी गई । इस प्रकार इससे एक ओर तो कम विकसित राज्यों से

अधिक विकसित राज्यों को वित्तीय संसाधनों का प्रवाह हो रहा है, वहाँ दूसरी ओर अनेक उत्पादक इस कर को बचाने की दृष्टि से अन्य राज्यों में अपने विक्रय केन्द्रों या भण्डारण केन्द्रों के नाम से माल भेजते हैं । इससे लघु उत्पादकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके साधन इतने पर्याप्त नहीं होते कि वे अपनी शाखा या विक्रय केन्द्र अन्य राज्यों में स्थापित कर सकें ।

यह भी उल्लेखनीय है कि उत्पादक कार्यों में प्रयुक्त आगतों पर केन्द्रीय बिक्रीकर और स्थानीय बिक्रीकर की दरों में अन्तर होने के कारण व्यापार का अनार्थिक विपथन (Diversion) होता है । जिन राज्यों में आगतों पर बिक्री कर की दर अधिक होती है, वे ऐसे अन्य राज्यों से अपना कच्चा माल प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जहाँ कर की दर कम हो । उदाहरण के लिए तमिलनाडु में ट्रांसफोर्मर तेल पर 8 प्रतिशत का बिक्रीकर है, अतः वहाँ के उत्पादक उसे अन्य राज्यों से 4 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्रीकर का भुगतान करके प्राप्त करते हैं । इसी प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी रसायन उत्पादन करने वाली फैक्टरियाँ अपना अधिकांश उत्पादन बिहार के ऐसे कारखानों को बेचती हैं जो इन रसायनों का प्रयोग अपने उत्पादनों में आगतों के रूप में करते हैं । जबकि उत्तर प्रदेश में इन रसायन आगतों का प्रयोग करने वाली फैक्टरियाँ गुजरात से रसायन मँगाना पसन्द करती हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में रसायन पर कर की दर अन्तर्राज्यीय बिक्रीकर की 4 प्रतिशत की दर से अधिक है ।[6] यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि अन्तर्राज्यीय व्यापार के लिए कर के अतिरिक्त उत्पादक के मूल्य और किस्म भी उत्तरदायी होती है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि यदि किस्म और मूल्य लगभग समान हो और केन्द्रीय बिक्रीकर तथा राज्य बिक्रीकर की दरों में पर्याप्त अन्तर हो तो व्यापार का अनावश्यक विपथन स्वाभाविक है ।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अप्रत्यक्ष कर जाँच समिति (झा समिति) ने यह सुझाव दिया था कि केन्द्रीय बिक्रीकर की दर को 4 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया जाए लेकिन राज्य सरकारों ने इस सुझाव पर पूर्णतया असहमति प्रकट की, क्योंकि वे इस कर

---

6. अप्रत्यक्ष कर जाँच आयोग प्रतिवेदन, जनवरी 1978, पृ0 216-217.

आगम को आय के एक उपयोगी स्रोत के रूप में मानने लगे हैं । जहाँ तक केन्द्रीय बिक्री कर की व्यवस्था में सुझाव का प्रश्न है । यह इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि बिक्रीकर व्यवस्था में किस प्रकार का परिवर्तन या प्रतिस्थापन किया जाता है, क्योंकि यदि बिक्रीकर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया जाये तो उत्पादित और विर्मित वस्तुओं पर केन्द्रीय बिक्रीकर की अनेक समस्यायें हल हो जायेंगी और यदि ऐसा नहीं होता तो आर्थिक निष्पक्षता के आधार पर केन्द्रीय बिक्रीकर की दरों को विवेकपूर्ण और राज्य बिक्रीकर की दरों को उसके अनुरूप एवं संगत करना होगा ।

---------::0::---------

अध्याय पंचम

उत्तर प्रदेश में बिक्री कर

अध्याय-5

उत्तर प्रदेश में बिक्री कर

राजकीय आय के स्रोत के रूप में बिक्री कर को महत्वपूर्ण स्थान देते हुये उत्तर प्रदेश में इसका शुभारम्भ 1948 में किया गया । इस सन्दर्भ में 27 फरवरी सन् 1948 को यहाँ विधान सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया । जो सन् 1948-49 में पारित होकर एक अधिनियम बन गया । यह अधिनियम "उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम 1948" के नाम से जाना जाता है और 1 अप्रैल, 1948 से (कुछ रियासतों को छोड़कर) सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में लागू हुआ है । सरकार ने राज्य में बिक्री कर लगाने के लिए निम्न दलीलें प्रस्तुत की । राज्य सरकार द्वारा राज्य में आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिए विशाल योजनायें प्रारम्भ की जा रही हैं । इनके कारण राज्य सरकार का व्यय काफी बढ़ गया है, जिसकी पूर्ति के लिए एक साधन के रूप में बिक्री कर आवश्यक था । नशाबन्दी योजना के कारण उत्पादन शुल्क से प्राप्त राज्य सरकार के राजस्व में कमी हुई है, जिसकी क्षतिपूर्ति के रूप में एक नया कर लगाना आवश्यक है । राज्य के कार्यक्षेत्र और उत्तरदायित्वों में वृद्धि की पूर्ति के लिए भी राजस्व में वृद्धि करना आवश्यक है ।[1]

उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य राज्यों के अनुभव से लाभ उठाते हुये समय-समय पर इस अधिनियम में आवश्यक संशोधन किये । प्रारम्भ में कर की दर 2 पैसे प्रति रुपया थी, जो कुछ वस्तुओं पर एक बिन्दु प्रणाली से और कुछ वस्तुओं पर बहु बिन्दु प्रणाली से निर्धारित की गई थी । इसके अतिरिक्त विभिन्न वस्तुओं पर 3 पैसे से लेकर 6 पैसे प्रति रुपया तक बिक्री कर लगाया गया था । 25,000 रुपये से कम क्रय विक्रय करने वाले व्यवसायियों को कर से मुक्त रखा गया था । न्यूनतम कर रहित सीमा 15,000 रुपये थी । अनाज, आटा, सूजी, मैदा, घी, तेल आदि वस्तुओं की बिक्री पर कर नहीं लगाया गया था । सन् 1956 में उत्तर प्रदेश विधान सभा ने एक "बिक्री कर संशोधन" विधेयक पारित किया था, जिसके अनुसार कर की सामान्य दर

---

1. मेहरोत्रा एवं गोयल : उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, पृ० 1.

2 पैसे प्रति रुपया से बढ़ाकर 3 पैसे प्रति रुपया कर दी गई थी । बहु बिन्दु कर प्रणाली के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं पर यही कर की अधिकतम दर थी । इस संशोधन के अनुसार आटा, दाल, अनाज, मैदा, सूजी आदि वस्तुओं की बिक्री पर बहु बिन्दु कर प्रणाली के अन्तर्गत 3 पैसे प्रति रुपया बिक्री कर लगा दिया गया । औद्योगिक तेलों तथा खादों पर बिक्री कर की दर 5 पैसे प्रति रुपया थी । दूसरे राज्यों से आने वाली वस्तुओं में से कुछ पर एक बिन्दु कर प्रणाली से और कुछ पर बहु बिन्दु कर प्रणाली से कर लगाया गया था । अफीम, भाँग, देशी शराब आदि पर बिक्री कर को बढ़ाकर 6 पैसे प्रति रुपया कर दिया गया था । सोना और चाँदी के विक्रय पर भी बहु बिन्दु कर प्रणाली के अनुसार प्रति 500 रुपये पर 24 पैसे कर लगा दिया गया । न्यूनतम कर रहित सीमा को घटाकर 10,000 रुपये कर दिया गया । सरकार द्वारा मोटे अनाजों पर भी बिक्री कर लगाने की बड़ी आलोचना हुई थी । सन् 1958 से सरकार द्वारा अनाज पर बिक्री कर की एक बिन्दु प्रणाली लागू करने का निश्चय किया गया । साथ ही यह व्यवस्था भी की गई कि बिक्री कर केवल उन्हीं व्यवसायियों पर लगेगा, जिनकी वार्षिक बिक्री 30,000 रुपये से अधिक है । इसके पश्चात् भी समय-समय पर बिक्री कर अधिनियम में विविध संशोधन किये गये ।

बिक्री कर अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ एवं अधिनियम के प्रावधानों का विश्लेषणात्मक व आलोचनात्मक अध्ययन

उत्तर प्रदेश बिक्री कर के स्वभाव, क्षेत्र, विशेषताओं एवं अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की व्याख्या अधोलिखित है :-

1. अधिनियम का क्षेत्र

यह अधिनियम सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होता है । इसे "उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम 1948" के नाम से सम्बोधित किया जाता है । यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि यह अधिनियम राज्य में 1 अप्रैल 1948 से लागू हो गया था लेकिन बनारस, रामपुर और टेहरी गढ़वाल की रियासतों पर 1 जनवरी, 1950 से लागू हुआ । यह भी महत्त्वपूर्ण है कि मूल रूप से इस अधिनियम में उत्तर प्रदेश शब्द नहीं था वरन्

"संयुक्त राज्य" शब्द था क्योंकि उस समय विद्यमान उत्तर-प्रदेश को "आगरा और अवध का संयुक्त राज्य" कहा जाता था । अधिनियम में संयुक्त राज्य के स्थान पर उत्तर प्रदेश शब्द को । अगस्त 1958 से प्रतिस्थापित किया गया । अधिनियम की कार्यविधि को निर्धारित करने के लिए "उत्तर-प्रदेश बिक्री कर नियम 1948" बनाये गये हैं और समय-समय पर आवश्यकतानुसार राज्य सरकार इन नियमों में संशोधन करती रही है । बिक्री कर अधिनियम में भी हाल के वर्षों में सन् 1972, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 और 1984 में महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं । प्रारम्भ में 105 धारायें थीं परन्तु 1981 के संशोधन में 35 धारायें निकाल दी गयी थी । इनका अध्ययन 15 अध्यायों में किया गया है ।

2. <u>कर बिन्दु</u>

प्रारम्भ में बिक्री कर अधिनियम में कुछ वस्तुओं पर बहु-बिन्दु बिक्री कर लगाया गया था, परन्तु वर्तमान में यह मुख्यतया एक बिन्दु कर ही रह गया है । एक बिन्दु आधार पर भी कुछ वस्तुओं की दशा में बिक्री के प्रथम बिन्दु पर और कुछ वस्तुओं की दशा में बिक्री के अन्तिम बिन्दु पर अर्थात् उपभोक्ता को बिक्री होने पर यह कर लगाया जाता है ।

3. <u>प्रशासनिक व्यवस्था</u>

बिक्री कर अधिनियम के क्रियान्वयन एवं संचालन के लिए अनेक प्रकार के पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, परन्तु इस विभाग का उच्चतम अधिकारी बिक्री कर आयुक्त होता है । इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है । आयुक्त की सहायतार्थ राज्य सरकार अनेक अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करती है। अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार ने सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश को अनेक परिक्षेत्र में विभाजित किया है । परिक्षेत्रों को क्षेत्रों में बाँटा गया है । प्रत्येक क्षेत्र मण्डल एवं उपमण्डल में बँटा होता है । ये बिक्री कर अधिकारी के नियन्त्रण में होते हैं ।

4. करारोपित वस्तुएं

अधिनियम के अन्तर्गत करारोपित वस्तुओं का सन्दर्भ अधिनियम की धारा 3(श) के अन्तर्गत उल्लिखित किया गया है । इसमें विभिन्न वस्तुओं का उल्लेख 5 उपवर्गों में किया गया है :

(अ) घोषित वस्तुएं ;

(ब) किसी होटल या रेस्टोरेंट में कैबरे या अन्य मनोरंजन प्रोग्राम के साथ दिये जाने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थ ;

(स) स्प्रिट तथा सभी प्रकार की शुद्ध शराब ;

(द) प्रथम अनुसूची में वर्णित माल तथा

(य) अन्य वस्तुएं ।

प्रथम अनुसूची में जिन विभिन्न वस्तुओं को बिक्री कर की दृष्टि से शामिल किया गया है । उनको कर के स्तर एवं कर की दर की दृष्टि से 76 वर्गों में विभाजित किया गया है जबकि अन्य वस्तुओं को 56 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है । सरकार ने विभिन्न वस्तुओं की उपयोगिता और बिक्री-कर का समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुए कुछ वस्तुओं को बिक्री कर से मुक्त रखा है । इस सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 4 में यह उल्लेख है कि पानी, दूध, नमक, समाचार पत्र, मोटर स्प्रिट, डीजल तेल तथा अल्कोहल पर क्रय या विक्रय कर नहीं लगाया जायेगा । अधिनियम में राज्य सरकारों को यह अधिकार भी दिया जाता है कि यदि सरकार उचित समझे तो अन्य किन्हीं वस्तुओं को बिक्री कर से मुक्त घोषित कर सकती है और इस अधिकार के अन्तर्गत सरकार ने लगभग 63 प्रकार की वस्तुओं को क्रय-विक्रय कर से मुक्त घोषित किया है ।

5. क्रय-विक्रय कर से मुक्त संस्थाएं

कुछ समाज उपयोगी संस्थाओं को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से सरकार ने ऐसी संस्थाओं द्वारा माल के क्रय-विक्रय को कर से मुक्त घोषित किया है । इस सन्दर्भ में मूल रूप से अधिनियम में दो संस्थाओं : अखिल भारतीय कताई संघ तथा गांधी आश्रम मेरठ एवं उसकी शाखाओं का उल्लेख था लेकिन बाद में ऐसी अनेक संस्थाओं को

क्रय-विक्रय कर से मुक्त घोषित किया गया है । इसके अतिरिक्त निम्न संस्थाओं एवं व्यक्तियों को किया गया विक्रय भी राज्य सरकार ने कर मुक्त घोषित कर रखा है, भले ही माल किसी व्यापारी द्वारा बेचा गया हो :

(1) भूटान सरकार, भूटान नरेश अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को;
(2) भारतीय सैनिक प्रशिक्षण टीम, भूटान को ;
(3) भूटान में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति अथवा व्यापारी को;
(4) भारत में विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों तथा राजदूतों को ;
(5) अमेरिकन सहकारिता कल्याण समिति को ;
(6) उत्तर प्रदेश में यू०एन०ओ० की संस्थाओं को ;
(7) मुस्लिम अनाथालय, कानपुर को;
(8) छोटे तथा मध्यम समाचार-पत्रों को अखबारी कागज की बिक्री इत्यादि।

6. बिक्री कर से मुक्त सीमायें

इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक ऐसे व्यापारी पर बिक्री कर लगाया जाता है, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय-विक्रय करते हैं तथा जिनकी बिक्री की राशि कर निर्धारण वर्ष के लिए कर योग्य सीमा से अधिक होती है । वर्तमान में उत्पादक विक्रेता की दशा में 50,000 रुपये की सीमा तक तथा अन्य व्यापारी की दशा में 1,00,000 रुपये तक का विक्रय कर से मुक्त है । इस सीमा से अधिक विक्रय होने पर ही कर-निर्धारण वर्ष में कर लगाया जायेगा ।

7. बिक्री कर की दरें

उत्तर प्रदेश में सभी वस्तुओं पर एक दर से विक्रय कर नहीं लगाया जाता है वरन् विभिन्न वस्तुओं पर, वस्तुओं की उपयोगिता और बिक्री कर का समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, अलग-अलग दरों से विक्रय कर लगाया जाता है । वर्तमान में बिक्री कर की न्यूनतम दर 2 प्रतिशत एवं अधिकतम 14 प्रतिशत है । यह उल्लेखनीय है कि प्रथम अनुसूची में घोषित माल पर विक्रय कर की अधिकतम दर 15 प्रतिशत तक हो सकती है । होटल या रेस्टोरेंट में कैबरे या अन्य मनोरंजन प्रोग्राम के साथ दिये जाने वाले खाद्य पदार्थों तथा पेय पदार्थों की बिक्री पर 40 प्रतिशत की दर

तक बिक्री कर लगाया जा सकता है । इसी प्रकार स्प्रिट तथा सभी प्रकार की शुद्ध शराब (देशी शराब व अल्कोहल को छोड़कर) की बिक्री पर बिक्री कर की सीमायें 20 से 25 प्रतिशत तक हैं ।

उत्तर प्रदेश में बिक्री कर की सामान्य दर की व्यवस्था भी रही है । यह दर उन सभी वस्तुओं पर लागू होती है जो निम्न परिधि में नहीं आती : (अ) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 15 के अन्तर्गत घोषित वस्तुएं (ब) होटल या रेस्टोरेन्ट में कैबरे कार्यक्रमों के साथ परोसे जाने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थ (स) सभी प्रकार की स्प्रिट एवं शुद्ध शराब (द) प्रथम अनुसूची में शामिल की गई वस्तुएं । बिक्री कर की सामान्य दर 30 नवम्बर, 1973 तक बहु बिन्दु कर के रूप में थी लेकिन उसके पश्चात् 1 दिसम्बर, 1973 से एक बिन्दु कर के रूप में कर दी है । बिक्री कर की सामान्य दर की प्रवृत्ति को तालिका नं0 5.1 में दर्शाया गया है ।

तालिका नं0 5.1

उत्तर प्रदेश में बिक्री कर की सामान्य दर[2]

अवधि	दर	कर का बिन्दु
1.4.1948 से 31.3.1954 तक	2 पैसा प्रति रूपया	बहु-बिन्दु
1.4.1954 से 31.3.1959 तक	3 पैसा प्रति रूपया	"
1.4.1959 से 30.9.1969 तक	2 पैसा प्रति रूपया	"
1.10.1969 से 21.8.1971 तक	3 पैसा प्रति रूपया	"
22.8.1971 से 14.11.1971 तक	3 प्रतिशत	"
15.11.1971 से 30.11.1973 तक	$3\frac{1}{2}$ प्रतिशत	"
1.12.1973 से 6.9.1981 तक	7 प्रतिशत	उत्पादन स्तर पर अथवा आयातकर्ता द्वारा बिक्री होने पर
7.9.1981 से	8 प्रतिशत	

@

2. Goyal, Radhey Shyam : Rates & Interpertations of Sales Tax Commodities under Uttar Pradesh Sales Tax Act 1948 & Central Sales Tax Act 1956, P. 1.

उत्तर प्रदेश में बिक्रीकर व्यवस्थाओं में अतिरिक्त कर का प्रावधान भी है। इस कर का प्रावधान अधिनियम की धारा 3 ।एफ। के अन्तर्गत 1 अक्टूबर 1970 से किया गया। इस दर में समय-समय पर परिवर्तन होते रहे हैं और 1 अक्टूबर 1983 से इस धारा को समाप्त कर धारा 3 ।ई। के अन्तर्गत इसकी व्यवस्था की गई। राज्य में अतिरिक्त कर की व्यवस्था को निम्नलिखित तालिका नं0 5.2 में स्पष्ट किया गया है :

तालिका नं0 5.2

उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त बिक्रीकर

अवधि	दर	विवरण
1.10.70 से 14.11.71 तक	1/2 प्रतिशत	कुल 2,00,000 रुपये से ऊपर होने पर कर योग्य बिक्रीकर
15.11.71 से 3.11.74 तक	1/2 प्रतिशत	" "
4. 11.74 से 3.12.79 तक	1 प्रतिशत	" "
4. 12.79 से 6.09.81 तक	1 प्रतिशत	कुल करयोग्य क्रय और विक्रय पर
7. 10.83 से	टैक्स का 5 प्रतिशत	उन विक्रेताओं पर जिनकी वार्षिक बिक्री 10,00,000 रुपये से अधिक हो।

8. व्यापारियों के पंजीयन की व्यवस्था

इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक ऐसे व्यापारी को पंजीयन कराना अनिवार्य है जो ।1। उत्तर प्रदेश के बाहर से ऐसे माल को आयात करके बेचता है जिसकी बिक्री पर इस अधिनियम की धारा 3 ।ए। के अन्तर्गत कर लगता है ।2। उत्पादक की दशा में 50,000 रुपये से अधिक बिक्री होने तथा अन्य व्यापारी की दशा में, 1,00,000 रुपये से अधिक बिक्री होने पर ।3। प्रत्येक व्यापारी जिस पर इस अधिनियम की अन्य किसी धारा के अन्तर्गत कर दायित्व है।

इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत व्यापारियों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा

रही है । प्रदेश में दो प्रकार के पंजीकृत व्यापारी हैं, एक उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारी, दूसरे केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारी । इन पंजीकृत व्यापारियों की संख्या को तालिका नं0 5.3 में दर्शाया गया है ।

तालिका नं0 5.3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सन् 1971-72 में उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत 1 लाख 19 हजार व्यापारी पंजीकृत थे, जो लगातार बढ़ते हुए ।सन् 1978-79 को छोड़कर। सन् 1980-81 में सर्वाधिक 2 लाख 68 हजार हो गये । सन् 1984-85 में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या घटकर 2 लाख 31 हजार रह गयी । केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 1971-72 में 64 हजार थी जो 1976-77 में बढ़कर 87 हजार हो गई । सन् 1980-81 में सर्वाधिक पंजीकृत व्यापारी 1 लाख 8 हजार थे । परन्तु सन् 1981-82 में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या सन् 1971-72 की संख्या से काफी कम हो गई । सन् 1984-85 में यह संख्या 71 हजार थी । यह उल्लेखनीय है कि कर योग्य व्यापारियों की संख्या में कर मुक्ति सीमा में परिवर्तन के सन्दर्भ में उतार चढ़ाव होते रहे हैं ।

9. <u>व्यापारियों की बिक्री एवं बिक्री कर का निर्धारण</u>

उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न वस्तुओं पर बिक्री कर लगता है । उन सभी वस्तुओं की कुल बिक्री का योग किया जाता है । सामान्यतः व्यापारियों को अपनी बिक्री का त्रैमासिक विवरण दाखिल करना पड़ता है, लेकिन यदि किसी व्यापारी की किसी कर-निर्धारण वर्ष में बिक्री दो लाख रुपये से अधिक होने का अनुमान है तो उसे अपनी बिक्री का मासिक विवरण अगले माह की समाप्ति से पूर्व बिक्री कर अधिकारी के यहाँ प्रस्तुत करना होता है जब बिक्री का विवरण दाखिल कर दिया जाता है । तो इस बिक्री के विवरण के आधार पर बिक्री कर का निर्धारण किया जाता है । इसे नियमित कर-निर्धारण कहा जाता है । यदि ।1। व्यापारी नियत समय में विवरण दाखिल नहीं करता है, अथवा ।2। कर निर्धारण अधिकारी की राय में दाखिल किया गया विवरण अपूर्ण अथवा असत्य है अथवा इसमें

तालिका नं0 5.3

कर योग्य तथा पंजीकृत व्यापारियों की संख्या[3]

(1971-72 से 1984-85)

वर्ष	कर योग्य व्यापारियों की संख्या	पंजीकृत व्यापारियों की संख्या (लाख में)	
		उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम के अन्तर्गत	केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत
1971-72	1,51,919	1.19	0.64
1972-73	1,56,923	1.28	0.65
1973-74	1,68,051	1.36	0.71
1974-75	1,83,813	1.53	0.78
1975-76	2,04,600	1.61	0.86
1976-77	2,17,746	1.81	0.87
1977-78	2,42,400	2.24	0.87
1978-79	2,33,250	2.08	0.79
1979-80	2,12,842	2.37	0.93
1980-81	2,15,399	2.68	1.08
1981-82	2,14,957	2.18	0.54
1982-83	2,10,601	2.36	0.65
1983-84	2,11,195	2.37	0.71
1984-85	1,99,426	2.31	0.71

3. आयुक्त बिक्रीकर उत्तर प्रदेश (सांख्यिकी अनुभाग) : बिक्री कर विभाग का सामान्य वार्षिक प्रतिवेदन 1984-85, लखनऊ, पृ0 48.

गलत तथ्य शामिल है अथवा ।3। निर्धारित ढंग से कर चुकाये बिना अथवा देयकर से कम कर चुकाने के बाद विवरण दाखिल किया गया है तो बिक्री कर अधिकारी आवश्यक पूछताछ के बाद अस्थायी कर निर्धारण कर सकता है । गत कुछ वर्षों में कर योग्य व्यापारियों एवं उनसे कर संग्रह की विश्लेषणात्मक स्थिति को तालिका नं0 5.4 में दर्शाया गया है । इस तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है :

।अ। यद्यपि कुल कर योग्य व्यापारियों की संख्या में सर्वाधिक भाग ऐसे व्यापारियों का है जिनकी वार्षिक बिक्री 50,000 रू0 तक है लेकिन इनसे मिलने वाली बिक्री कर की राशि सबसे कम है । ऐसा स्वाभाविक भी है क्योंकि कुछ अपवादों को छोड़कर सामान्यतः 50,000 रू0 तक बिक्री कर से मुक्त है ।

।ब। कर मुक्ति की सीमा के कारण 50,000 रू0 तक और 50,000 रू0 से 80,000 रू0 तक के वर्गों में कर योग्य व्यापारियों की संख्या में निरन्तर कमी हुई है लेकिन इससे ऊपर के वर्गों में कुछ अपवादों को छोड़कर सामान्यतः कर योग्य व्यापारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। 50 लाख रूपये से अधिक कर योग्य व्यापारियों की संख्या में सन् 1980-81 से सन् 1984-85 के मध्य 60 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है ।

।स। यद्यपि 50 लाख रूपये से अधिक बिक्री वाले व्यापारियों की संख्या कुल कर योग्य व्यापारियों की संख्या का मात्र । प्रतिशत है लेकिन इनसे प्राप्त कर राशि सन् 1980-81 में 54.5 प्रतिशत थी जो सन् 1984-85 में 66 प्रतिशत से ऊपर हो गयी ।

10. <u>स्वतः कर निर्धारण योजना</u>

सामान्य व्यापारियों के 500 रू0 वार्षिक तथा सरकारी कार्यालयों के 1000 रू0 वार्षिक तक निहित कर से सम्बन्धित वादों का निस्तारण करने के लिये जून 1976 से "समरी योजना" प्रारम्भ की गई, किन्तु व्यावहारिक रूप में किसी भी निर्माता फर्म अथवा मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त व्यापारी के वादों को उक्त योजना में सम्मिलित नहीं किया गया । इसके पश्चात् । जनवरी सन् 1978 से स्वतः कर निर्धारण योजना प्रारम्भ की गई । यह योजना उन व्यापारियों के लिये थी । जिनका सम्पूर्ण वार्षिक

तालिका नं0 5.4

विक्रय धन की मौद्रिक सीमानुसार कर योग्य व्यापारियों की संख्या तथा वास्तविक बिक्री कर संग्रह[4]

(संख्या हजारों में, धनराशि करोड़ रु0 में)

क्र0 सं0	विक्रय धन की मौद्रिक सीमा	1980-81 कर योग्य व्यापारियों की संख्या		1980-81 बिक्री कर संग्रह		1981-82 कर योग्य व्यापारियों की संख्या		1981-82 बिक्री कर संग्रह		1982-83 कर योग्य व्यापारियों की संख्या		1982-83 बिक्री कर संग्रह	
		संख्या	प्रतिशत	धनराशि	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	धनराशि	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	धनराशि	प्रतिशत
1.	50,000 तक	75.1	34.8	7.21	2.4	67.4	31.4	8.31	2.2	54.7	26.0	6.08	1.5
2.	50,000 से 80,000 तक	46.2	21.4	9.05	3.0	42.8	19.9	9.07	2.4	40.6	19.3	9.58	2.3
3.	80,000 से 1,25,000 तक	32.1	14.9	11.76	3.9	34.0	15.8	12.85	3.4	36.7	17.4	13.31	3.2
4.	1,25,000 से 2,00,000 तक	22.7	10.6	14.99	5.0	25.3	11.8	16.63	4.4	29.1	13.8	17.07	4.2
5.	2,00,000 से 5,00,000 तक	18.3	8.5	18.91	6.3	21.1	9.8	22.67	6.0	24.2	11.5	24.73	6.0
6.	5,00,000 से 10,00,000 तक	10.2	4.8	20.90	6.9	11.7	5.4	25.70	6.8	12.6	6.0	29.75	7.2
7.	10,00,000 से 25,00,000 तक	6.3	2.9	26.11	8.7	7.4	3.5	33.63	8.9	7.4	3.5	36.44	8.9
8.	25,00,000 से 50,00,000 तक	2.8	1.3	28.04	9.3	3.3	1.5	38.16	10.1	3.3	1.5	43.60	10.6
9.	50,00,000 से अधिक	1.7	0.8	164.59	54.5	2.0	0.9	210.86	55.8	2.0	1.0	231.02	56.1
	योग	215.4	100	301.56	100	215.0	100	377.88	100	210.6	100	411.58	100

4. आयुक्त, बिक्री कर, उत्तर प्रदेश

क्र0 सं0	विक्रय धन की मौद्रिक सीमा	1983-84				1984-85			
		कर योग्य व्यापारियों की संख्या		बिक्री कर संग्रह		कर योग्य व्यापारियों की संख्या		बिक्री कर संग्रह	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	50,000 तक	50.7	24.0	6.93	1.5	45.6	22.8	4.22	0.8
2.	50,000 से 80,000 तक	39.3	18.6	6.71	2.1	36.9	18.5	6.87	1.3
3.	80,000 से 1,25,000 तक	38.2	18.1	13.41	2.9	34.2	17.2	11.09	2.1
4.	1,25,000 से 2,00,000 तक	31.0	14.7	19.42	4.2	29.3	14.7	16.37	3.1
5.	2,00,000 से 5,00,000 तक	23.1	10.9	24.50	5.3	24.1	12.1	22.71	4.3
6.	5,00,000 से 10,00,000 तक	14.1	6.7	30.06	6.5	14.2	7.1	29.58	5.6
7.	10,00,000 से 25,00,000 तक	8.9	4.2	37.92	8.2	8.8	4.4	21.20	7.8
8.	25,00,000 से 50,00,000 तक	3.5	1.7	41.15	8.9	3.6	1.8	45.42	8.6
9.	50,00,000 से अधिक	2.4	1.1	279.28	60.4	2.7	1.4	350.73	66.4
	योग	211.2	100	462.39	100	199.4	100	528.19	100

4. आयुक्त बिक्रीकर उत्तर प्रदेश (सांख्यिकी अनुभाग) बिक्रीकर विभाग का सामान्य वार्षिक प्रतिवेदन 1984-85, लखनऊ, पृ0 49.

देयकर 2500 रुपये से अधिक न हो, नियमानुसार नक्शे व स्वीकृति कर जमा हो, प्रगतिशील विक्रय धन तथा देयकर प्रदर्शित किया हो तथा सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष में कोई प्रतिकूल सर्वेक्षण सूचना अथवा तथ्य न हो । प्रारम्भ में उन व्यापारियों को स्वतः कर निर्धारण योजना में सम्मिलित नहीं किया गया था जो अन्तर्प्रदेशीय बिक्री, निर्यात बिक्री अथवा प्रान्त के बाहर के आढ़तियों को कन्साइनमेन्ट बिक्री करते हों, भले ही उनकी कुल कर देयता 2500 रुपये से अधिक न हो, किन्तु बाद में इस प्रतिबन्ध को शिथिल कर दिया गया । जनवरी सन् 1981 से स्वतः निर्धारण योजना का आधार और व्यापक करते हुए यह सुविधा उन व्यापारियों को भी प्रदान की गई जिनका कुल वार्षिक विक्रय धन 2 लाख रुपये तथा वार्षिक कर देयता दस हजार रुपये से अधिक न हो । इस योजना में छोटे कर दाताओं को बिक्रीकर कार्यालय नहीं बुलाया जाता है तथा उनके द्वारा दाखिल किये गये अभिलेखों को मानते हुये उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है । केवल करापवंचन के मामलों तथा संदिग्ध मामलों में ही छोटे करदाताओं को बिक्री कर कार्यालय बुलाया जाता है । इस योजना का लाभ उन व्यापारियों को भी अनुमन्य हैं जिनके विरुद्ध प्रासंगिक सर्वेक्षण अथवा अन्य स्रोत से क्रय/विक्रय धन ठीक-ठीक न प्रदर्शित करने की सूचना प्राप्त न हुई हो तथा जिनका प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष में सम्पूर्ण क्रय-विक्रय धन पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्ष में प्रदर्शित बिक्री से 20 प्रतिशत से अधिक उन्नतिशील हो ।

11. कर का भुगतान, वसूली तथा वापसी

बिक्री कर का भुगतान व्यापारी को विक्रय विवरण दाखिल करने से पूर्व ही करने का प्रावधान है । कर, फीस, अर्थदण्ड आदि की राशि का भुगतान प्रथम, सरकारी कोष, उपकोष या भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखा में चालान की चार प्रतियों द्वारा जमा करके, अथवा द्वितीय चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा चालान की चार प्रतियाँ भर कर बिक्री कर अधिकारी को निर्धारित तिथि से पूर्व देकर अथवा तृतीय सरकारी विभाग द्वारा पुस्तकों में हस्तान्तरण की प्रविष्टि करके, किया जा सकता है लेकिन 500 रुपये से अधिक का भुगतान केवल चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही किया जायेगा ।

यदि किसी व्यापारी ने इस अधिनियम के अधीन देयकर, फीस अथवा अन्य कोई राशि से अधिक राशि जमा कर दी है तो निर्धारित विधि से व्यापारी इस राशि को प्राप्त कर सकता है । यदि वह राशि वापिस आदेश की तिथि से या न्यायालय के आदेश की प्राप्ति से 3 माह में वापिस नहीं की जाती है तो व्यापारी ऐसे आदेश की तिथि से वापसी की तिथि तक 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज पाने का अधिकारी होता है ।[5]

12. <u>मार्गस्थ माल का निरीक्षण</u>

राज्य सरकार यदि यह उचित समझती है कि राज्य के बाहर से आयातित माल की बिक्री पर देय कर अथवा अन्य राशि की चोरी को रोकने के लिए चैक पोस्ट या बैरियर स्थापित करना आवश्यक है तो वह अधिसूचना जारी करके राज्य में निर्धारित स्थानों पर चैक पोस्ट या बैरियर की स्थापना का निर्देश दे सकती है ।[6]

प्रत्येक जाँच चौकी या नाके या किसी अन्य स्थान पर जब जाँच के प्रभारी अधिकारी द्वारा गाड़ी या यान का स्वामी, ड्राइवर या कोई अन्य प्रभारी व्यक्ति गाड़ी यान को रोकेगा और उसे तब तक रोके रखेगा, जब तक ऐसे अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो । वह ऐसे अधिकारी को गाड़ी या यान की अन्तर्वस्तुओं का परीक्षण करने देगा और ले जाये जाने वाले माल से सम्बन्धित समस्त लेखों तथा अभिलेखों का, जो उसके कब्जे में हों, या गाड़ी अथवा यान में किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में हों, निरीक्षण करने देगा । गाड़ी यान का स्वामी, ड्राइवर या अन्य कोई प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी दशा हो, अधिकारी द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, अपना नाम और पूरा पता, गाड़ी यान के स्वामी का नाम और पूरा पता तथा माल के स्वामी का नाम तथा पूरा पता, यदि वह गाड़ी या यान में उपस्थित न हो, उसे देगा ।

यदि ऐसे परीक्षण पर अधिकारी को यह पता चले या उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि —

(क) कोई एक या एकाधिक पारेषण अभिदिष्ट एक या एकाधिक लेखों के अन्तर्गत नहीं आते, या

(छ) किसी पारेषण के सम्बन्ध में कोई ऐसा लेख्य मिथ्या, झूठा, अशुद्ध या अपूर्ण या अवैध है, तो अधिकारी गाड़ी या यान के ड्राइवर या प्रभारी व्यक्ति को यह कारण बताने के लिये कि माल क्यों न अभिगृहीत कर लिया जाय, तुरन्त नोटिस जारी करेगा ।

यदि अधिकारी का, यथास्थिति, भूल या दोष के कारण या कारणों के संबंध में समाधान हो जाय तो वह अपनी उपपत्तियों को अभिलिखित करने के पश्चात् नोटिस रद्द कर सकता है और अधिकारी का गाड़ी के स्वामी, ड्राइवर या प्रभारी व्यक्ति द्वारा दिये गए स्पष्टीकरण से समाधान न हो तो वह माल को अभिगृहीत करने का आदेश देगा और अभिगृहीत माल के सम्बन्ध में उपर्युक्त व्यक्ति को एक रसीद देगा ।

घोषणा-पत्र का जारी तथा प्रस्तुत किया जाना और तत्सम्बन्धी आनुषंगिक विषय 6- कोई रजिस्टर्ड व्यापारी जो राज्य के बाहर किसी स्थान से इस राज्य में माल, जो तदधीन निर्दिष्ट परिमाण, माप या मूल्य से अधिक हो, आयात या प्राप्त करना चाहता है तो वह दूसरे राज्य के विक्रेता, व्यापारी या पारेषक को उपनियम (4) के अधीन प्राप्त रूप-पत्र 31 में घोषणा-पत्र की दो प्रतियाँ भेजेगा ।

रजिस्टर्ड व्यापारी सादे घोषणा-प्रपत्रों को जारी करने के लिए उस बिक्री-कर अधिकारी को, जिसके क्षेत्राधिकार में उसके व्यापार का मुख्य स्थान हो प्रार्थना-पत्र देगा । यदि बिक्री-कर अधिकारी का समाधान हो जाय कि व्यापारी की सादे घोषणा-प्रपत्रों की माँग वास्तविक और उचित है, तो वह उतने प्रपत्र जारी कर सकता है जो वह उचित समझे । कोई घोषणा-प्रपत्र तब तक जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि व्यापारी पहले प्राप्त किये गये ऐसे समस्त प्रपत्रों का हिसाब न दे दे । यदि अदा किया गया शुल्क जारी किए गये रूप-पत्रों के लिए देय शुल्क से अधिक हो तो शेष धनराशि व्यापारी के खाते में जमा रहेगी जिसे भविष्य में जारी किये जाने वाले रूपपत्रों के प्रति समायोजित किया जायेगा । रजिस्टर्ड व्यापारी रूप-पत्र के मूल तथा द्वितीय प्रति के भागों को, समस्त अपेक्षित ब्यौरे भरने तथा उस पर हस्ताक्षर करने के बाद, दूसरे राज्य के विक्रय व्यापारी या पारेषक को भेजेगा । वह प्रतिपर्ण अपने पास रख लेगा । रजिस्टर्ड व्यापारी प्रत्येक घोषणा-पत्र सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा । वह किसी ऐसे प्रपत्र

के खो जाने, नष्ट हो जाने या चुरा लिए जाने और इस प्रकार खो जाने, नष्ट जाने या चुरा लिये जाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व की हानि के लिये, यदि कोई हो, स्वयं उत्तरदायी होगा । कोई रजिस्टर्ड व्यापारी, जिसे घोषणा-पत्र जारी किया गया हो, विधिक प्रयोजनों के सिवाय अन्य प्रयोजनों के लिए उसे किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं करेगा । प्रत्येक रजिस्टर्ड व्यापारी, जिसे घोषणा-पत्र जारी किया जाय, एक रजिस्टर में, प्रत्येक ऐसे रूप-पत्र का सही और पूर्ण विवरण रखेगा, यदि कोई रूप-पत्र खो जाय, नष्ट हो जाय या चुरा लिया जाय तो व्यापारी इस तथ्य की सूचना तुरन्त बिक्री-कर अधिकारी को देगा, उपरोक्त रजिस्टर में समुचित प्रविष्टियाँ करेगा और इस प्रकार खो जाने, नष्ट हो जाने या चुरा लिये जाने की समुचित सार्वजनिक सूचना जारी करने के लिए कार्यवाही करेगा । रजिस्टर्ड व्यापारी, यथास्थिति, अपना व्यापार बन्द कर देने पर या उसका रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र रद्द कर दिये जाने या वैधता की अवधि समाप्त हो जाने पर समस्त अप्रयुक्त घोषणा-पत्र, जो उसके स्टाफ में बच रहे हों, तुरन्त अभ्यर्पित कर देगा । यदि क्रेता व्यापारी या पारेषिती द्वारा विक्रेता व्यापारी या पारेषक को जारी गया यथाविधि भरा गया घोषणा-पत्र मार्ग में विक्रेता व्यापारी या पारेषक द्वारा खो जाय, तो क्रेता व्यापारी या पारेषिती ऐसे विक्रेता व्यापारी या पारेषक की माँग पर उसे एक दूसरा घोषणा-पत्र उस रीति से जारी करेगा जिस प्रकार मूल घोषणा-पत्र जारी किया गया हो ।

बिक्री-कर कमिश्नर, समय-समय पर, गजट में ऐसे घोषणा-पत्र के ब्यौरे प्रकाशित करेगा, जिसके सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई हो । बिक्री-कर कमिश्नर, विज्ञप्ति द्वारा, यह घोषणा कर सकता है कि किसी विशिष्ट श्रेणी, डिजाइन या रंग के घोषणा-पत्र उस दिनांक से जिसे विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाय, अप्रचलित और अवैध समझे जायेंगे और उनके स्थान पर नई श्रेणी, डिजाइन या रंग के नये रूप-पत्र प्रतिस्थापित कर सकता है । कोई विज्ञप्ति जब उपनियम (13) के अधीन जारी की जाय तो सभी रजिस्टर्ड व्यापारी उस दिनांक को या उसके पूर्व, जब से उन्हें इस प्रकार अप्रचलित तथा अवैध घोषित ऐसे सभी अप्रयुक्त रूप-पत्र, जो उनके पास हों, बिक्री-कर अधिकारी को अभ्यर्पित कर देंगे और उनके बदले में ऐसे नये रूप-पत्र प्राप्त करेंगे जो उनके स्थान पर प्रतिस्थापित

किये जायें : प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यापारी को नये रूप-पत्र तब तक जारी नहीं किये जायेंगे जब तक कि उसने पहले जारी किये गये समस्त रूप-पत्रों का लेखा न दे दिया हो और जब तक कि उसने शेष रूप-पत्र, यदि कोई हो बिक्री-कर अधिकारी को लौटा न दिये हों । कोई रजिस्टर्ड व्यापारी, कोई घोषणा, सिवाय ऐसे घोषणा-पत्र में जो उस बिक्री-कर अधिकारी से, जिसका उसके व्यापार के मुख्य स्थान पर क्षेत्राधिकार हो, प्राप्त किया गया हो और जो अप्रचलित या अवैध न घोषित किया गया हो, जारी नहीं करेगा । बिक्री-कर अधिकारी ऐसे घोषणा-पत्रों के सम्बन्ध में जो उसे प्राप्त हुये हों अथवा जो उसके द्वारा जारी किए गए हों, और अभ्यर्पित रूप-पत्रों के सम्बन्ध में रूप-पत्र 37, 38 तथा 39 में लेखा रखेगा ।

<u>प्रमाण-पत्र का जारी तथा प्रस्तुत किया जाना और तत्सम्बन्धी आनुषंगिक विषय</u> - रजिस्टर्ड व्यापारी से भिन्न कोई व्यक्ति जो राज्य के बाहर किसी स्थान से इस राज्य में धारा 28-क की उप-धारा (1) के अधीन विज्ञापित (या उसमें निर्दिष्ट) माल, जो तदधीन निर्दिष्ट परिमाण, माप या मूल्य से अधिक हों, आयात या प्राप्त करना चाहे, इस नियम के उपबन्धों के अनुसार बिक्री-कर अधिकारी से रूप-पत्र 32 में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकता है और उसकी मूल तथा दूसरी प्रतियाँ दूसरे राज्य के विक्रेता व्यापारी या पारेषक को भेज सकता है । किसी प्रमाण-पत्र के लिए, प्रार्थना-पत्र, रूप-पत्र 33 में होगा और ऐसे बिक्री-कर अधिकारी को, जिसके क्षेत्राधिकार में प्रार्थी व्यापार करता हो या, यदि वह व्यापार नहीं करता, निवास करता हो, प्रस्तुत किया जायेगा । प्रत्येक पारेषण के लिए अलग-अलग प्रार्थना-पत्र दिया जायेगा । कोई प्रमाण-पत्र तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि प्रति प्रमाण-पत्र के लिए बीस पैसे के शुल्क का भुगतान न कर दिया जाय । यदि बिक्री-कर अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि प्रमाण-पत्र के लिये माँग वास्तविक और उचित है तो वह उसे जारी कर सकता है, अन्यथा प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् वह प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार कर सकता है । जारी किया गया प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के दिनांक से एक माह की अवधि तक के लिये वैध होगा ।

बिक्री-कर अधिकारी जारी किए गए प्रमाण-पत्रों के सम्बन्ध में रूप-पत्र 40 में

लेखा रखेगा । उप-नियम (4) के अधीन प्राप्त कोई प्रमाण-पत्र, उप-नियम (1) में उल्लिखित विधि-संगत प्रयोजनों के सिवाय हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा । प्रार्थी प्रमाण-पत्र सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा । वह व्यक्तिगत रूप से इसके खो जाने, नष्ट हो जाने या चुरा लिए जाने तथा इस प्रकार खो जाने, नष्ट हो जाने अथवा चुरा लिए जाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व की हानि के लिए भी, यदि कोई हो, उत्तरदायी होगा । यदि कोई प्रमाण-पत्र खो जाय, नष्ट हो जाय या चुरा लिया जाय, तो वह व्यक्ति जिसने इसे प्राप्त किया हो इस तथ्य की सूचना तुरन्त बिक्री-कर अधिकारी को देगा और इस प्रकार खो जाने, नष्ट हो जाने या चुरा लिये जाने की सार्वजनिक सूचना जारी करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करेगा । सभी अप्रयुक्त प्रमाण-पत्र बिक्री-कर अधिकारी को लौटा दिये जायेंगे जो रूप-पत्र 41 में इसका लेखा रखेगा । बिक्री कर कमिश्नर, विज्ञप्ति द्वारा, यह घोषणा कर सकता है कि किसी विशिष्ट श्रेणी, डिजाइन या रंग के प्रमाण-पत्र उस दिनांक से, जिसे विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाय, अप्रचलित तथा अवैध समझे जायेंगे और उनके स्थान पर नई श्रेणी, डिजाइन या रंग के नये रूप-पत्र प्रतिस्थापित कर सकता है ।

<u>राज्य से होकर सड़क से माल का पारगमन और पारगमन-पत्र का जारी किया जाना</u> - किसी गाड़ी का ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति धारा 28-ख के अधीन पारगमन-पत्र पाने के उद्देश्य से, राज्य में प्रवेश स्थल के निकट स्थापित, जाँच चौकी या नाके, यदि कोई हो, जिसे आगे प्रवेश जाँच चौकी कहा गया है, के प्रभारी अधिकारी को रूप-पत्र 34 में प्रार्थना-पत्र तीन प्रतियों में प्रस्तुत करेगा । प्रवेश जाँच चौकी का प्रभारी अधिकारी, लेखों का परीक्षण करने के पश्चात् और ऐसी जाँच, जिसे वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् प्रार्थना-पत्र की द्वितीय और तृतीय प्रतियों पर पारगमन-पत्र जारी करेगा और मूल प्रति अपने पास रख लेगा । पारगमन पत्र में गाड़ी या यान द्वारा पार किये जाने वाली राज्य की जाँच चौकी या नाके का (जिसे आगे निर्गम जाँच चौकी कहा गया है) और उस समय तथा दिनांक का जब तक उसे पार कर लेना चाहिये, निर्देश होगा । गाड़ी या यान का ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति अपनी गाड़ी को ऐसी निर्गम जाँच चौकी पर रोकेगा, पारगमन-पत्र की द्वितीय प्रति अभ्यर्पित करेगा तथा जाँच चौकी के प्रभारी अधिकारी को, यह सुनिश्चित करने के लिये कि राज्य

के बाहर ले जाये जाने वाले पारेषण वही है जिनके लिये पारगमन-पत्र प्राप्त किया गया, लेखों, पारेषणों तथा माल का निरीक्षण करने देगा । निर्गम जाँच चौकी का प्रभारी अधिकारी गाड़ी के ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति द्वारा अभ्यर्पित द्वितीय प्रति के लिये पारगमन-पत्र की तृतीय प्रति पर एक रसीद जारी करेगा । निर्गम जाँच चौकी के प्रभारी अधिकारी को, गाड़ी की अन्तर्वस्तुओं को रोकने, उतारने तथा तलाशी लेने का अधिकार होगा ।

<u>रेल, नदी या वायु मार्ग द्वारा माल का आयात या उसकी प्राप्ति तथा तत्सम्बन्धी आनुषंगिक विषय</u> - कोई रजिस्टर्ड व्यापारी या रजिस्टर्ड व्यापारी से भिन्न कोई व्यक्ति जो राज्य के बाहर किसी स्थान से उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर रेल, नदी या वायु मार्ग द्वारा, माल उस परिमाण, माप या मूल्य से अधिक का आयात करना या प्राप्त करना चाहता है, जो तदधीन विनिर्दिष्ट हो, अपने द्वारा यथाविधि भरे गए तथा हस्ताक्षरित, यथास्थिति, रूप-पत्र 31 या 32 में घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र की मूलप्रति तथा द्वितीय प्रति को पृष्ठांकन के लिये उस बिक्री-कर अधिकारी या सहायक बिक्री-कर अधिकारी को प्रस्तुत करेगा जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता में वह व्यापार करता हो, अथवा यदि व्यापार न करता हो तो साधारणः निवास करता हो ।

वह बिक्री-कर अधिकारी या सहायक बिक्री-कर अधिकारी जिसे कोई घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र पृष्ठांकन के लिए प्रस्तुत किये जायें उनकी शुद्धता तथा पूर्णता के बारे में अपना समाधान करने के पश्चात् उन पर हस्ताक्षर करके अपनी शासकीय मुहर लगायेगा। घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को अपने पास रखेगा तथा उसकी द्वितीय प्रति पर रोकी गई मूल प्रति की प्राप्ति की रसीद पृष्ठांकित करके उसे यथास्थिति, रजिस्टर्ड व्यापारी को या रजिस्टर्ड व्यापारी से भिन्न अन्य व्यक्ति को, लौटा देगा । बिक्री-कर अधिकारी या सहायक बिक्री-कर अधिकारी, स्वविवेकानुसार, व्यापारी अथवा सम्बद्ध व्यक्ति को निदेश दे सकता है कि वह अन्य राज्य के विक्रेता व्यापारी अथवा पारेषक से अपने को प्राप्त हुये बिल या नकदी पर्चा या चालान या बीजक की प्रतियों का घोषणा-पत्र अथवा प्रमाण-पत्र की अन्तर्वस्तु के सत्यापन के लिये प्रस्तुत करें ।

नियम 83 तथा 84 नियम 85 (उनके उप-नियम (1), (6), (8) तथा (11) को छोड़कर) तथा नियम 86 (इसके उप-नियम (1) तथा (6) को छोड़कर) के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ उप-नियम (1) में अभिदिष्ट, यथास्थिति, घोषणा-पत्रों अथवा प्रमाण-पत्रों के सम्बन्ध में लागू होंगे ।

प्रतिभूति से कर आदि का समायोजन - व्यापारी या किसी व्यक्ति द्वारा, जैसी भी दशा हो, देय कर या अन्य धनराशि को उसके द्वारा प्रदत्त नकद प्रतिभूति से, यदि कोई हो, समायोजित किया जा सकता है ।

धनराशि की वापसी[7]

अधिनियम की धारा 29 के अधीन धनराशि की वापसी, के वाउचर के माध्यम से, वापस की जाने वाली धनराशि पाँच हजार रुपये से अधिक न हो; और अन्य मामलों में, फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड पाँच, भाग एक में दिये गये नियम 194 से 197 के अनुसार की जायगी ; या व्यापारी पर उसी कर निर्धारण वर्ष या किसी अन्य कर-निर्धारण वर्ष के लिए बकाया किसी धनराशि के प्रति समायोजित करके की जायगी ।

जब धनराशि की वापसी के लिए कोई दावा किया जाय, तब बिक्रीकर अधिकारी समस्त सुसंगत अभिलेखों की संवीक्षा और आवश्यक सत्यापन करने के पश्चात् अपना यह समाधान करेगा कि धनराशि वापस करने योग्य है । यदि किसी वर्ष के लिए व्यापारी द्वारा कोई देय बकाया न हो तो वापसी का वाउचर तैयार किया जायगा । यदि किसी वर्ष के लिए व्यापारी द्वारा कोई देय बकाया हो या यदि व्यापारी वापस करने योग्य धनराशि का भावी देयों के प्रति समायोजन करने का अनुरोध करे तो वापस करने योग्य अधिक धनराशि का ऐसे देयों के प्रति समायोजन करने के लिये एक समायोजन वाउचर तैयार किया जायगा । वापसी या समायोजन के वाउचर पर हस्ताक्षर किये जाने के पूर्व समस्त सुसंगत अभिलेखों में, जिसके अन्तर्गत

---

7. नये नियम 89 से 105 तक उ0प्र0 बिक्रीकर (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1985 द्वारा अन्तःस्थापित (प्रभावी 1.4.1985) ।

दैनिक वसूली रजिस्टर, व्यापारी की खाता-बही, मांग, वसूली और बकाया रजिस्टर, धनराशि की वापसी का रजिस्टर, सुसंगत कर - निर्धारण पत्रावली का आदेश-पत्र ﴾आर्डर शीट﴿, धनराशि की वापसी का निदेश करने वाला आदेश और समस्त सम्बद्ध खजाना चालान की प्रतियाँ भी हैं, धनराशि की वापसी के सम्बन्ध में प्रविष्टियाँ की जायेंगी । ऐसी सभी प्रविष्टियाँ बिक्रीकर अधिकारी के हस्ताक्षर से ﴾दिनांक, मास और वर्ष सहित﴿ अधिप्रमाणित की जायेंगी । बिक्री-कर अधिकारी द्वारा पारित वापसी के वाउचर पर आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायगा । समायोजन द्वारा भुगतान के लिये प्राप्त समायोजन के वाउचर पर भी बिक्री-कर अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जायगा । व्यापारी द्वारा जमा की गई धनराशि के लिए रूप-पत्र में यथाविधि भरी गयी खजाना चालान की चार प्रतियाँ भी समायोजन के लिए खजाने में भेजे जाने से पूर्व वाउचर के साथ संलग्न की जायेंगी । बिक्री-कर अधिकारी द्वारा पारित समायोजन के वाउचर पर भी आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायगा ।

खजाने का अधिकारी अपने अभिलेखों से समायोजन के वाउचर की प्रविष्टियों का सत्यापन करने के पश्चात् अतिरिक्त धनराशि वापस कर देगा और तत्पश्चात् उसी धनराशि को वाउचर के संलग्न चालान में उल्लिखित वर्ष के लिए समायोजन द्वारा जमा की गई धनराशि मान लेगा । तत्पश्चात् ऐसे चालान की दो प्रतियाँ बिक्री-कर अधिकारी को अग्रसारित की जायगी जो एक प्रति सम्बद्ध व्यापारी को उसके अभिलेख के लिए देगा । वापसी के वाउचर का भुगतान खजाने का कार्य करने वाली भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में या जहाँ स्टेट बैंक की कोई ऐसी शाखा न हो, वहाँ खजाने या उपखजाने से लिया जा सकेगा । वापसी का वाउचर अनन्तरणीय होगा । वापसी का वाउचर जारी करने के साथ ही साथ एक सूचना-पत्र ﴾एडवाइस नोट﴿, यथास्थिति, भारतीय स्टेट बैंक, खजाना या उपखजाना को भेजा जायगा । सूचना-पत्र पर वही क्रम-संख्या डाली जायगी जो जारी किये गये वापसी के वाउचर पर उल्लिखित हो । भारतीय स्टेट बैंक, खजाने के अधिकारी या उपखजाने के अधिकारी द्वारा कोई धनराशि तब तक वापस नहीं की जायगी जब तक कि उसे सूचना-पत्र प्राप्त न हो जाय ।

वापसी के वाउचर और सूचना-पत्र में समस्त प्रविष्टियाँ स्याही से की जायेंगी, और शुद्धियाँ, यदि कोई हों, बिक्रीकर अधिकारी के दिनांक सहित पूरे हस्ताक्षर से अनुप्रमाणित की जायेंगी । भारतीय स्टेट बैंक के नाम जारी किये गये 500 रुपये या उससे अधिक के प्रत्येक वापसी के वाउचर को रेखित (क्रास) किया जायगा और केवल पाने वाले के लेखा में ही देय होगा । परन्तु खजाने या उप-खजाने के नाम जारी किये गये वाउचर को इस प्रकार रेखित (क्रास) नहीं किया जायेगा।

उपनियम (1) में किसी बात के होते हुये भी, यदि व्यापारी का कोई बैंक-लेखा न हो और वह बिक्रीकर अधिकारी से लिखित रूप में यह अनुरोध करता है कि वापसी का वाउचर रेखित (क्रास) न किया जाय तो उसे रेखित (क्रास) नहीं किया जायगा किन्तु इस तथ्य को समस्त सुसंगत अभिलेखों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित कर दिया जायगा । 500 रुपये या इससे अधिक का प्रत्येक वापसी का वाउचर और अरेखित प्रत्येक वापसी का वाउचर व्यापारी, साझेदार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सदैव व्यक्तिगत रूप से दिया जायगा जो दिनांक और अपने पूर्ण नैवासिक पता सहित अपने पूरे हस्ताक्षर करके उसकी प्राप्ति स्वीकार करेगा । वापसी का वाउचर जारी होने के दिनांक से साठ दिन की अवधि तक के लिए विधिमान्य होगा । यदि उसे इस अवधि के भीतर न भुनाया जाय तो व्यापारी वाउचर को रद्द करने के लिए उसे बिक्रीकर अधिकारी को वापस कर सकता है और नया वाउचर जारी करने के लिए लिखित रूप से आवेदन कर सकता है । बिक्रीकर अधिकारी द्वारा मूल वाउचर रद्द कर दिया जायगा और उसे प्रतिपर्ण के साथ संलग्न कर दिया जायगा, और तब इस नियमावली के अनुसार रद्द किये गये और नये वाउचर के सम्बन्ध में सुसंगत अभिलेखों में प्रविष्टियाँ करने के पश्चात वापस किये गये वाउचर के बदले में एक नया वापसी का वाउचर जारी किया जायगा ।

यदि वापसी का वाउचर खो जाए तो व्यापारी दूसरी प्रति जारी करने के लिए बिक्रीकर अधिकारी का लिखित रूप में आवेदन कर सकता है । यदि बिक्रीकर अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि मूल वाउचर को उसकी विधिमान्यता की अवधि में भुनाया नहीं गया है, तो वह इस नियमावली के अनुसार समस्त सुसंगत

अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टियाँ करने और यथास्थिति, भारतीय स्टेट बैंक, खजाने के अधिकारी और उपखजाने के अधिकारी को मूल वाउचर को रद्द किये जाने की सूचना देने के पश्चात् खो गये वाउचर के बदले में उसकी दूसरी प्रति जारी कर सकता है ।

वापसी के वाउचर की धनराशि का भुगतान किये जाने के पश्चात् सूचना-पत्र का "मूल" अंकित भाग, यथास्थिति, भारतीय स्टेट बैंक, खजाने के अधिकारी या उप-खजाने के अधिकारी द्वारा बिक्री-कर अधिकारी को वापस कर दिया जायगा । उसकी प्राप्ति पर समस्त सुसंगत अभिलेखों में अधिप्रमाणित प्रविष्टियाँ की जायेंगी जिन पर बिक्री कर अधिकारी दिनांक सहित हस्ताक्षर करेगा । वापसी के वाउचर, समायोजन के वाउचर और सूचना-पत्र की पुस्तक बिक्री-कर अधिकारी की वैयक्तिक अभिरक्षा में रखी जायगी, जो भारतीय स्टेट बैंक, खजाने के अधिकारी और उपखजाने के अधिकारी को उसके द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले वापसी के वाउचर, समायोजन के वाउचर और सूचना-पत्र की पुस्तक संख्या और क्रम-संख्या सूचित करेगा ।

किसी मास में अनुमत वापसी का सत्यापन खजाने के अभिलेखों से उसी मास के आगामी मास में किया जायगा जिसके लिए जारी किये गये वापसी के वाउचर का ब्योरा देते हुए विवरण-पत्र बिक्री-कर अधिकारी द्वारा तैयार किया जायगा और हस्ताक्षर किया जायगा और उसे खजाने के अधिकारी को भेजा जायगा । खजाने का अधिकारी वापसी का सत्यापन करेगा और विवरण-पत्र बिक्री-कर अधिकारी को लौटा देगा । वापसी का वाउचर रूप-पत्र संख्या 42 में, समायोजन का वाउचर रूप-पत्र संख्या 43 में, और सूचना-पत्र रूप-पत्र संख्या 44 में जारी किया जायगा और वापसी के वाउचर की दूसरी प्रति जारी किये जाने के लिये आवेदन-पत्र रूप-पत्र संख्या 45 प्रस्तुत किया जायगा ।

इस अध्याय में वापसी से सम्बन्धित नियमों के उपबन्ध अधिनियम की धारा 29-क के अधीन प्रतिपूर्ति पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

13. अपराध एवं अर्थ दण्ड

प्रत्येक व्यापारी एवं अन्य व्यक्ति को उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948

के प्रावधानों का पालन करना चाहिए । यदि कोई व्यापारी या अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के वैधानिक कर्त्तव्यों एवं विभिन्न व्यवस्थाओं का पालन नहीं करता है तो वह अपराध कहलाता है । ऐसी दशा में उस व्यापारी एवं व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन दण्डित किया जा सकता है ।

कोई अदालत इस अधिनियम के अधीन या इसके साथ संलग्न नियमों के अधीन किये गये किसी अपराध की सुनवाही तब तक नहीं करेगी जब तक कि बिक्री कर आयुक्त की पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं कर ली जाती तथा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से नीचे की अदालत ऐसे किसी अपराध पर विचार नहीं करेगी ।

यदि कर निर्धारण अधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है कि कोई व्यापारी अथवा अन्य व्यक्ति अपराध करता है तो वह आवश्यक जाँच पड़ताल करने के आदेश दे सकता है कि व्यापारी या अन्य व्यक्ति बकाया धनराशि के साथ-साथ अर्थदण्ड भी चुकायेगा ।

<u>बिक्री कर से आगम - प्रवृत्तियाँ एवं विश्लेषण</u>

उत्तर प्रदेश में बिक्री कर से आगम का शुभारम्भ सन् 1948-49 से हुआ । उस समय से इस कर की प्रवृत्तियों का विश्लेषण निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है :

1. <u>बिक्री कर संग्रह की वर्षानुसार प्रवृत्ति</u>

उत्तर प्रदेश में सन् 1948-49 से सन् 1984-85 तक के बिक्री कर आगम का विवरण तालिका नं0 5.5 में दर्शाया गया है । इसमें सन् 1957-58 से केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त राशि को भी दर्शाया गया है । तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सन् 1948-49 में प्रान्तीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत बिक्री कर से मात्र 4.25 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई थी । जो सन् 1955-56 तक लगभग 6 करोड़ रुपये हो पायी थी । सन् 1960-61 में 10.78, सन् 1970-71 में 46.12, सन् 1980-81 में 268.20 और सन् 1984-85 में 444.69 करोड़ रुपये हो गई । इस तरह बिक्रीकर आगम में केवल वृद्धि ही नहीं वरन् सतत् व तीव्र वृद्धि की

तालिका नं० 5.5

उत्तर प्रदेश में बिक्री-कर संग्रह[8] (1948-49 से 1984-85 तक)

(करोड़ रु० में)

वर्ष	प्रान्तीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत संग्रह	केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत संग्रह	योग	प्रगत्यात्मक संग्रह	प्रतिशत (गत वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी)
1	2	3	4	5	6
1948-49	4.23	-	4.23	4.23	-
1949-50	6.11	-	6.11	10.34	+ 44.4
1950-51	4.92	-	4.92	15.26	- 19.5
1951-52	4.81	-	4.81	20.07	- 2.2
1952-53	4.46	-	4.46	24.53	- 7.3
1953-54	5.12	-	5.12	29.65	+ 14.8
1954-55	5.70	-	5.70	35.35	+ 11.3
1955-56	5.95	-	5.95	41.30	+ 4.4
1956-57	9.20	-	9.20	50.50	+ 54.6
1957-58	9.51	0.48	9.99	60.49	+ 8.6
1958-59	7.74	0.54	8.28	68.77	- 17.1
1959-60	9.19	0.72	9.91	78.68	+ 19.7
1960-61	10.78	0.91	11.89	90.57	+ 20.0
1961-62	12.05	0.96	13.01	103.58	+ 9.4
1962-63	13.92	1.04	14.96	118.54	+ 15.0
1963-64	16.66	1.67	18.33	136.87	+ 22.5
1964-65	19.05	2.07	21.12	157.99	+ 15.2
1965-66	22.67	2.26	24.93	182.92	+ 18.0
1966-67	27.26	2.82	30.08	213.00	+ 20.6
1967-68	34.48	3.56	38.04	251.04	+ 26.5

1	2	3	4	5	6
1968-69	38.47	3.50	41.97	293.01	+ 10.3
1969-70	43.05	4.14	47.19	340.20	+ 12.4
1970-71	46.12	5.96	52.08	392.28	+ 10.4
1971-72	52.69	5.96	58.65	450.93	+ 12.6
1972-73	64.06	6.91	70.97	521.90	+ 21.0
1973-74	76.97	6.52	83.49	605.39	+ 17.6
1974-75	108.92	11.26	120.18	725.57	+ 43.9
1975-76	157.00	18.80	175.80	901.37	+ 46.3
1976-77	184.93	23.83	208.76	1110.13	+ 18.7
1977-78	190.89	19.47	210.36	1320.49	+ 1.0
1978-79	206.98	22.15	229.13	1549.62	+ 8.9
1979-80	226.68	28.94	255.62	1805.24	+ 11.6
1980-81	268.20	33.36	301.56	2106.80	+ 18.0
1981-82	329.54	48.34	377.88	2484.68	+ 25.3
1982-83	344.17	67.41	411.58	2896.26	+ 8.9
1983-84	400.73	61.50	462.23	3358.49	+ 12.3
1984-85	444.69	83.50	528.19	3886.68	+ 14.3

8. पूर्वोद्धृत, पृ० 11.

प्रवृत्ति रही है और मात्र पिछले 10 वर्षों में ही इससे प्राप्त आगम चार गुने से अधिक हो गई। यह महत्वपूर्ण है कि बिक्री कर की राशि में वृद्धि केवल बिक्री में वृद्धि के कारण ही नहीं हुई है बल्कि समय-समय पर बिक्री कर की दरों में जो तीव्र वृद्धि की गई है उसका भी योगदान रहा है। कुछ वर्षों में प्रशासन द्वारा कर वसूली के कठोर प्रयासों ने भी कर आगम को बढ़ाया है। उदाहरण के लिए सर्वप्रथम आपातकालीन अवधि में सन् 1975-76 के एक वर्ष में बिक्री कर आगम में 55.62 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी जो उस समय तक के इतिहास में एक रिकार्ड थी। छठीं योजना के प्रारम्भ होने पर वित्तीय साधनों को जुटाने की तीव्र आवश्यकता के सन्दर्भ में पुनः कर वसूली पर ध्यान दिया गया। इसके फलस्वरूप योजना के पाँच वर्षों में बिक्री कर के कुल आगम में क्रमशः 45.94, 76.32, 33.70, 50.81 और 65.96 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत सर्वप्रथम सन् 1957-58 में मात्र 48 लाख रुपये का संग्रह किया गया था, जो सन् 1960-61 में 0.91 करोड़, 1970-71 में 5.96 तथा 1980-81 में 33.36 और सन् 1984-85 में 83.50 करोड़ रुपये हो गया। उत्तर-प्रदेश में बिक्री कर लगने के प्रारम्भ से लेकर सन् 1984-85 तक 3886.68 करोड़ रुपये की राशि एकत्रित की गई है। यह उल्लेखनीय है कि सन् 1948-49 से लेकर 1976-77 तक के 28 वर्षों में इस राशि का मात्र 1/3 से कम (1110.13 करोड़ रुपये) एकत्र किया गया जबकि 1977-78 से 1984-85 के 8 वर्षों में 2/3 राशि से अधिक एकत्रित की गई। स्पष्ट है कि पिछले कुछ वर्षों में इस कर से प्राप्त राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और राज्य सरकार को पर्याप्त राजस्व प्राप्त हुआ है।

2. <u>बिक्री कर का कुल राजस्व में अंशदान</u>

सन् 1948-49 में उत्तर प्रदेश में बिक्री कर से प्राप्त राशि का भाग राज्य के कुल कर आगम का मात्र 11.98 प्रतिशत था जो सन् 1960-61 तक विभिन्न वर्षों में 10 से 16 प्रतिशत तक के मध्य घटता बढ़ता रहा। सन् 1970-71 से सन् 1984-85 तक के विभिन्न वर्षों में राज्य के कर राजस्व में बिक्री कर के योगदान को तालिका नं0 5.6 में दर्शाया गया है।

तालिका नं0 5.6

बिक्रीकर का कुल कर राजस्व में प्रतिशत अंशदान[9]

वर्ष	बिक्री कर संग्रह (करोड़ रु0 में)	बिक्री कर का कुल कर राजस्व में प्रतिशत अंशदान
1970-71	52.08	34.1
1971-72	58.65	37.7
1972-73	70.97	39.9
1973-74	83.49	37.0
1974-75	120.18	43.5
1975-76	175.80	43.9
1976-77	208.76	46.9
1977-78	210.36	45.9
1978-79	229.13	45.1
1979-80	255.62	45.5
1980-81	301.56	46.7
1981-82	377.88	45.9
1982-83	411.58	44.3
1983-84	462.23	46.6
1984-85	528.19	47.7

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सन् 1970-71 में राज्य अ के कुल कर राजस्व में बिक्री कर का भाग 34.1 प्रतिशत था जो सन् 1975-76 में 43.9 प्रतिशत, सन् 1980-81 में 46.7 प्रतिशत तथा सन् 1984-85 में बढ़कर 47.7 प्रतिशत हो गया ।

---

9. पूर्वोद्धृत, पृ0 10.

3. <u>बिक्री कर संग्रह लागत की प्रवृत्ति</u>

उत्तर प्रदेश में बिक्री कर संग्रह लागत प्रवृत्ति को तालिका नं0 5.7 में प्रदर्शित किया गया है ।

तालिका नं0 5.7

बिक्री कर संग्रह तथा संग्रहण व्यय एवं प्रतिशत[10]

वर्ष	बिक्री कर संग्रह (करोड़ रुपये में)	बिक्री कर संग्रह में वास्तविक व्यय (करोड़ रु0 में)	प्रतिशत
1970-71	52.08	1.08	2.1
1971-72	58.65	1.23	2.1
1972-73	70.97	1.53	2.2
1973-74	83.49	1.98	2.4
1974-75	120.18	2.90	2.4
1975-76	175.80	3.66	2.1
1976-77	208.76	4.38	2.1
1977-78	210.36	5.09	2.4
1978-79	229.13	5.97	2.6
1979-80	255.62	6.99	2.7
1980-81	301.56	8.11	2.7
1981-82	377.88	9.50	2.5
1982-83	411.58	12.36	3.0
1983-84	462.23	13.66	2.9
1984-85	528.19	15.81	3.0

10. पूर्वोद्धृत, पृ0 10.

तालिका नं0 5.7 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि बिक्रीकर संग्रहों के व्ययों में निरन्तर वृद्धि हुई है । यह स्वाभाविक भी है क्योंकि निरन्तर बिक्री कर विभाग के कर्मचारियों एवं उनके वेतनमानों में वृद्धि हुई है । इसके साथ ही चैक-पोस्ट, सचल दस्ते इत्यादि पर भी पहले वर्षों में विशेष व्यय बढ़े हैं, लेकिन विचारणीय पहलू यह है कि बिक्री कर संग्रह की लागत का प्रतिशत भी बढ़ता गया है । सन् 1970-71 में संग्रह की लागत एकत्रित किये गये बिक्री कर का 2.1 प्रतिशत थी जो सन् 1980-81 में 2.7 प्रतिशत और सन् 1984-85 में बढ़कर लगभग 3 प्रतिशत हो गयी ।

4. <u>परिक्षेत्रानुसार बिक्री कर आगम का विश्लेषण</u>

वर्तमान समय में राज्य का बिक्री कर प्रशासन 12 परिक्षेत्रों में विभक्त है, जिनके सम्बन्ध में सन् 1973-74 से राजस्व प्राप्ति का विवरण तालिका नं0 5.8 में सम्पादित किया गया है ।

प्रस्तुत तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से सन् 1973-74 में कानपुर, मेरठ, लखनऊ और आगरा परिक्षेत्रों का महत्वपूर्ण स्थान था । उसी वर्ष एकत्रित बिक्री कर में इनका भाग क्रमशः 17.9, 17.8, 16.2 और 12.3 प्रतिशत था । सन् 1984-85 में सर्वोच्च स्थान लखनऊ परिक्षेत्र का था जिसने राज्य के कुल बिक्री कर राजस्व के 107.20 करोड़ रुपये प्राप्त किये । इसके पश्चात् क्रमशः कानपुर 172.85 करोड़ रुपये।, आगरा 169.57 करोड़ रु0।, तथा गाजियाबाद 164.48 करोड़ रुपये।, परिक्षेत्रों का स्थान था । यह भी स्पष्ट है कि कुछ अपवादों को छोड़कर प्रायः सभी परिक्षेत्रों में बिक्रीकर राजस्व में निरन्तर वृद्धि हुई है । अलीगढ़, इलाहाबाद, कानपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, सहारनपुर तथा वाराणसी परिक्षेत्रों में बिक्रीकर राजस्व में वृद्धि क्रमिक और लगभग नियमित रूप से हुई है । आगरा परिक्षेत्र में सन् 1982-83 में बिक्री कर राजस्व में एक साथ वृद्धि हुई जबकि यह राशि 33.75 करोड़ रुपये से बढ़कर 50.41 करोड़ रुपये हो गई अर्थात् एक ही वर्ष में 50 प्रतिशत के लगभग वृद्धि हुई । लखनऊ परिक्षेत्र में सन् 1977-78 में बिक्री कर राजस्व में महत्वपूर्ण गिरावट आयी थी तो सन् 1981-82 में सन् 1980-81 की तुलना में 33.5 प्रतिशत की

तालिका नं0 5.8

परिक्षेत्र वार बिक्री कर राजस्व प्राप्तियों का विवरण

(1973-74 से 1984-85 तक)

(रुपये करोड़ में)

परिक्षेत्र का नाम	1973-1974	1974-1975	1975-1976	1976-1977	1977-1978	1978-1979	1979-1980	1980-1981	1981-1982	1982-1983	1983-1984	1984-1985	1985-1986
1. आगरा	10.31	14.98	20.22	18.10	20.30	21.49	24.56	27.74	33.75	50.41	59.41	69.57	
	(12.3)	(12.5)	(11.5)	(8.7)	(9.65)	(9.38)	(9.61)	(9.20)	(8.93)	(12.25)	(12.85)	(13.17)	
2. अलीगढ़	-	-	8.02	8.04	9.52	10.23	11.20	12.97	16.32	16.44	18.77	21.05	
			(14.5)	(13.8)	(14.53)	(14.46)	(14.38)	(14.30)	(14.32)	(13.99)	(14.06)	(13.99)	
3. इलाहाबाद	5.16	7.31	9.80	11.67	11.73	13.23	14.93	17.66	25.27	29.40	31.41	33.81	
	(16.2)	(16.1)	(15.5)	(15.6)	(15.58)	(15.77)	(15.84)	(15.86)	(16.69)	(17.14)	(16.80)	(16.40)	
4. बरेली	5.16	7.36	10.34	10.13	11.33	11.84	12.50	15.78	18.71	16.72	18.23	21.12	
	(16.3)	(16.2)	(15.8)	(14.9)	(15.39)	(15.17)	(14.89)	(15.23)	(14.95)	(14.06)	(13.94)	(14.00)	
5. गोरखपुर	3.04	4.95	7.49	10.12	11.04	11.66	10.42	12.49	15.48	15.32	15.15	17.48	
	(13.6)	(14.2)	(14.3)	(14.8)	(15.25)	(15.08)	(14.08)	(14.14)	(14.10)	(13.72)	(13.28)	(13.31)	
6. कानपुर	14.97	21.99	30.28	30.52	33.33	36.01	40.46	45.03	53.68	57.61	64.21	72.85	
	(17.9)	(18.3)	(17.2)	(14.6)	(15.84)	(15.72)	(15.83)	(14.93)	(14.20)	(13.99)	(13.89)	(13.79)	
7. लखनऊ	13.49	19.79	31.29	49.64	36.34	44.24	50.00	54.06	72.16	75.71	87.23	107.20	
	(16.2)	(16.3)	(17.8)	(23.8)	(17.27)	(19.31)	(19.56)	(17.93)	(19.10)	(18.39)	(18.86)	(20.30)	

परिक्षेत्र का नाम	1973-1974	1974-1975	1975-1976	1976-1977	1977-1978	1978-1979	1979-1980	1980-1981	1981-1982	1982-1983	1983-1984	1984-1985
8. मेरठ	14.87	21.08	24.21	31.55	35.75	38.43	43.85	56.78	20.42	20.06	23.72	24.76
	(17.8)	(17.5)	(13.8)	(15.1)	(16.99)	(16.77)	(17.15)	(18.83)	(5.40)	(4.87)	(5.14)	(4.69)
9. गाजियाबाद	-	-	-	-	-	-	-	-	50.12	52.97	57.88	64.48
									(13.26)	(12.87)	(12.54)	(12.21)
10. मुरादाबाद	3.04	4.42	6.09	6.82	7.17	7.55	8.21	10.11	11.61	11.42	12.17	14.27
	(3.6)	(3.7)	(3.5)	(3.3)	(3.41)	(3.29)	(3.21)	(3.35)	(3.27)	(2.78)	(2.63)	(2.70)
11. सहारनपुर	7.29	10.04	16.85	18.54	20.03	18.71	21.34	28.80	33.21	34.76	39.48	43.91
	(8.7)	(8.3)	(9.8)	(8.9)	(9.52)	(8.17)	(8.35)	(9.55)	(8.79)	(8.45)	(8.54)	(8.31)
12. वाराणसी	6.16	8.26	11.21	13.63	13.82	15.74	18.15	20.14	27.15	30.76	34.57	37.69
	(7.4)	(6.9)	(6.3)	(6.5)	(6.57)	(6.87)	(7.10)	(6.68)	(7.18)	(7.48)	(7.48)	(7.14)
योग उत्तर प्रदेश	83.49	120.18	175.80	208.76	210.36	229.13	255.62	301.56	377.88	411.58	462.23	528.19

नोट : (1) सन् 1975-76 में अलीगढ़ नया परिक्षेत्र बनाया गया ।
(2) सन् 1980-81 तक मेरठ तथा गाजियाबाद परिक्षेत्रों के आंकड़े एक ही में सम्मिलित हैं ।
(3) कोष्ठक में उत्तर प्रदेश के कुल बिक्री कर में प्रत्येक परिक्षेत्र के बिक्री कर संग्रह का प्रतिशत दर्शाया गया है ।

---

11. पूर्वोद्धृत, पृ0 13.

वृद्धि उल्लेखनीय हुई थी । मेरठ परिक्षेत्र में सन् 1981-82 में उल्लेखनीय कमी हुई लेकिन इसका कारण यह था कि इसमें से एक नया परिक्षेत्र गाजियाबाद बनाया गया । विभिन्न परिक्षेत्रों में बिक्री कर की राशि स्वाभाविक रूप से उस क्षेत्र में उद्योग एवं व्यापार के स्तर एवं मात्रा से प्रभावित होती है ।

5. जिलेवार बिक्री कर आगम

सन् 1971-72 और उसके बाद 1984-85 तक कुछ वर्षों के जिलेवार बिक्री राजस्व के आकड़े तालिका नं० 5.9 में दर्शाये गये हैं । सन् 1971-72 में सबसे अधिक बिक्री कर की प्राप्ति कानपुर जिले में (19.85 करोड़ रुपये) हुई थी । इसके पश्चात् क्रमशः लखनऊ (18.39 करोड़ रुपये), आगरा (15.58 करोड़ रुपये), और इलाहाबाद (12.58 करोड़ रुपये) का स्थान था । सन् 1984-85 में बिक्री कर राजस्व की दृष्टि से प्रथम 6 जिलों में क्रमशः लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, सहारनपुर तथा इलाहाबाद का स्थान था । विभिन्न जिलों में औद्योगिक विकास और व्यापारिक क्रियाओं का बिक्री कर राजस्व पर प्रभाव पड़ता है । इस सन्दर्भ में प्रस्तुत तालिका नं० 5.9 में जिले सन् 1984-85 के प्राप्त राजस्व के क्रम में दिये गये हैं जिसके अनुसार कुल 56 जिलों में 4 जिले 50 करोड़ रुपये वार्षिक से अधिक का अंशदान करते हैं, तीन जिले 20 करोड़ रुपये (प्रत्येक का) से अधिक अंशदान करते हैं, और 5 जिले 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपये तक का बिक्रीकर जुटाते हैं । 11 जिले 1 करोड़ रुपये वार्षिक से भी कम बिक्री कर एकत्रित कर पाते हैं और 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपये तक 15 जिले बिक्रीकर संग्रह करते हैं । यह भी उल्लेखनीय है कि मात्र 4 जिले (लखनऊ, कानपुर, आगरा और गाजियाबाद प्रान्त भर में कुल बिक्रीकर संग्रह का आधा से अधिक (55.96 प्रतिशत) भाग प्रदान करते हैं ।

6. बिक्री कर का वस्तुवार विश्लेषण

उत्तर प्रदेश में जिन वस्तुओं से बिक्री कर राजस्व की प्राप्ति होती है । उन्हें राज्य सरकार द्वारा 103 वस्तुओं में वर्गीकृत किया जाता है । अन्य वस्तुओं से बिक्री कर आगम को 104वीं मद में अन्य वस्तुओं के रूप में दिखाया जाता है । सन् 1978-79 से सन् 1984-85 तक इन वस्तुओं के सम्बन्ध में बिक्रीकर संग्रह के आकड़े उपलब्ध

तालिका नं0 5.9

बिक्री कर राजस्व प्राप्ति के जिलेवार आँकड़े[12]

(राशि लाख रुपयों में)

जिले का नाम	1971-72	1975-76	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. लखनऊ	839	2770	3782	4319	4564	6170	6581	7626	9497
2. कानपुर	985	2636	3479	3916	4358	5217	5582	6223	7069
3. आगरा	558	1809	1994	2297	2575	3153	4305	5626	6649
4. गाजियाबाद	-	-	-	3020	3846	4958	5184	5678	6344
5. सहारनपुर	162	907	1013	1103	1392	1598	1788	2118	2248
6. इलाहाबाद	258	730	820	921	1119	1649	2010	2078	2207
7. मेरठ	767	2421	3601	1076	1377	1615	1641	1959	2039
8. वाराणसी	215	613	835	902	1071	1213	1425	1579	1823
9. मिर्जापुर	220	399	502	615	699	1281	1376	1569	1625
10. अलीगढ़	147	406	539	623	755	995	1001	1166	1365
11. मुजफ्फरनगर	149	419	441	593	937	1015	935	1085	1270
12. बरेली	193	493	607	630	707	801	785	892	1038
13. देहरादून	161	338	394	424	526	678	729	730	852
14. मुरादाबाद	109	350	440	493	585	710	707	727	784

(राशि लाख रुपयों में)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15. नैनीताल	81	236	317	361	523	685	557	581	727
16. गोरखपुर	85	362	491	386	468	580	550	523	639
17. बुलन्दशहर	70	206	241	289	455	481	478	537	541
18. झांसी	48	121	173	203	285	313	364	443	466
19. मथुरा	41	110	155	159	199	222	236	316	309
20. गोन्डा	32	73	126	124	151	202	198	190	281
21. बिजनौर	43	140	163	170	213	215	205	226	270
22. शाहजहांपुर	30	101	136	140	191	228	207	255	257
23. रायबरेली	9	29	57	71	90	137	140	208	251
24. सीतापुर	43	125	159	172	181	230	219	196	246
25. रामपुर	24	59	83	99	124	146	161	184	221
26. उरई (जालौन)	19	77	97	111	127	174	182	182	220
27. मैनपुरी	38	104	125	143	158	193	192	212	219
28. उन्नाव	35	105	121	130	145	151	178	197	218
29. खीरी	42	93	156	164	198	200	187	171	212
30. इटावा	38	109	150	149	165	194	192	202	208
31. फैजाबाद	30	90	106	104	128	154	160	177	180

(राशि लाख रुपयों में)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. पीलीभीत	37	102	111	116	175	171	161	148	171
33. एटा	27	81	110	115	124	146	133	144	162
34. आजमगढ़	32	89	121	111	126	133	142	150	161
35. हमीरपुर	15	51	74	85	70	112	107	130	159
36. बांदा	24	42	74	74	56	119	124	136	156
37. बहराइच	24	83	124	129	129	166	157	156	154
38. फरुखाबाद	25	68	99	89	95	125	126	153	151
39. पौड़ी गढ़वाल	23	54	59	54	65	85	66	78	150
40. बस्ती	20	86	78	77	114	150	163	151	140
41. हरदोई	21	64	72	66	94	145	130	144	133
42. देवरिया	17	57	78	63	77	95	105	107	129
43. जौनपुर	14	42	51	57	73	96	112	120	126
44. बाराबंकी	15	47	62	68	88	106	108	122	125
45. बदायूं	25	68	88	88	108	130	100	127	114
46. गाजीपुर	16	31	130	181	105	59	88	102	99
47. बलिया	15	37	56	61	66	66	74	87	97
48. ललितपुर	-	22	25	37	45	49	56	78	69

।राशि लाख रूपयों में।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49. फतेहपुर	11	22	40	37	35	75	64	58	64
50. सुल्तानपुर	9	28	43	48	55	68	59	61	63
51. प्रतापगढ़	5	17	21	24	29	36	33	37	40
52. अल्मोड़ा	8	27	45	37	46	56	44	47	38
53. पिथौरागढ़	2	6	17	18	19	28	24	25	25
54. उत्तर काशी	1	7	15	8	16	19	16	13	17
55. टिहरी गढ़वाल	4	13	9	6	9	12	7	2	5
56. चमोली	2	6	11	6	14	6	4	2	1
योग : उत्तर प्रदेश	58.65	175.80	229.13	255.62	301.56	377.88	411.58	462.39	528.19

नोट : गाजियाबाद 1978-79 तक मेरठ में सम्मिलित था ।
ललितपुर 1971-72 तक झाँसी में सम्मिलित था ।

---

12. पूर्वोद्धृत, पृ0 12.

है । बिक्रीकर आगम की दृष्टि से तीस शीर्षस्थ वस्तुओं का विवरण तालिका नं० 5.10 में दर्शाया गया है ।

प्रस्तुत तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि राज्य में बिक्रीकर से सर्वाधिक प्राप्ति खाद्यान्न और दालों से होती है, जो कुल बिक्रीकर आगम के 8 से 9 प्रतिशत तक रहा है । इसी राशि में भी लगभग एक चौथाई से अधिक भाग अकेले "फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया, लखनऊ" से प्राप्त होता है । इसके पश्चात चार महत्वपूर्ण मदों में उर्वरक, वनस्पति घी, लोहा एवं स्पात तथा दवाइयाँ एवं कीटनाशक उल्लेखनीय हैं । इन मदों से प्राप्त आगम का मुख्य आधार इन मदों से सम्बन्धित बड़ी-बड़ी निर्माण इकाईयाँ हैं । रासायनिक उर्वरक में इफको फूलपुर, इलाहाबाद इण्डियन फार्म फर्टीलाइजर कं० लि० लखनऊ तथा फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया, लखनऊ, वनस्पति घी के क्षेत्र में हिन्दुस्तान लीवर लि० गाजियाबाद अमृत वनस्पति कं० लि०, गाजियाबाद, गणेश फ्लोर मिल कानपुर तथा प्राग आइल एण्ड आइल मिल्स, अलीगढ़ और औषधि तथा कीटनाशक क्षेत्र में डाबर (डा० एस०के० बर्मन) प्रा०लि०, हाथरस, अलीगढ़ उल्लेखनीय इकाईयाँ हैं । लोहा एवं स्पात के क्षेत्र में राज्य में कुछ मिनी स्पात संयन्त्र अवश्य हैं, लेकिन अधिकांश आय इसकी व्यापारिक क्रियाओं से प्राप्त होती है ।

तालिका नं० 5.10 से यह भी स्पष्ट है कि 104 वस्तु वर्गों में से मात्र 30 वस्तुओं से कुल बिक्रीकर आगम का लगभग दो-तिहाई भाग प्राप्त हो जाता है । विभिन्न वर्षों में विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त कर आगम के आनुपातिक प्रतिशतों में उच्चावचन होते रहे हैं, लेकिन तुलनात्मक स्थिति बहुत कुछ एक ही रही है ।

तालिका नं0 5.10

उत्तर प्रदेश में वस्तुवार एवं वर्षवार बिक्री कर संग्रह[13]

(राशि करोड़ रुपयों में)

वस्तु का नाम	1978-79		1979-80		1980-81		1981-82		1982-83		1983-84		1984-85	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
खाद्यान्न (अनाज एवं दालों सहित)	18.67	9.08	19.48	8.55	23.00	8.47	29.80	8.63	32.15	8.37	34.03	8.20	41.17	8.29
रासायनिक उर्वरक	10.08	4.91	9.06	3.97	11.87	4.37	19.20	5.56	21.55	5.60	21.75	5.24	24.16	4.86
वनस्पति (परिशोधित नारियल तेल सहित)	10.46	5.09	10.63	4.66	13.91	5.12	16.67	4.83	18.21	4.74	19.48	4.69	23.92	4.81
लोहा एवं इस्पात	5.06	2.46	5.83	2.56	8.30	3.06	14.65	4.25	16.07	4.19	14.82	3.57	22.93	4.61
दवाइयाँ एवं रसायन सम्बन्धी निर्मित पदार्थ (कीटाणुनाशकों एवं पैस्टीसाइड्स सहित)	7.59	3.69	8.52	3.74	10.35	3.81	12.89	3.74	12.22	3.18	13.83	3.34	21.56	4.34
मोटर गाड़ी (मोटर के टायर, पुर्जों एवं टायर ट्यूबों सहित)	7.60	3.70	6.27	2.75	8.44	3.11	13.89	4.03	15.69	4.09	13.58	3.27	17.71	3.56
विद्युत साज-सज्जा का सामान एवं बिजली मोटर, ऊर्जा के हस्तान्तरण, वितरण और उत्पादन में काम आने वाले संयन्त्र	5.89	2.86	6.76	2.97	3.74	1.38	8.51	2.47	10.69	2.78	14.22	3.42	16.50	3.32
सीमेन्ट	3.96	1.93	4.67	2.05	4.31	1.59	5.10	1.48	10.74	2.79	12.76	3.10	15.90	3.20
गुड़	5.11	2.49	8.45	3.71	11.44	4.21	10.54	3.05	7.06	1.84	11.86	2.85	13.30	2.68
मशीन और मशीन के पुर्जे	4.77	2.32	5.99	2.63	13.44	4.95	9.37	2.72	11.57	3.01	11.19	2.70	13.08	2.63
किरोसिन (मिट्टी का) तेल	4.65	2.26	5.18	2.27	6.24	2.30	8.46	2.45	9.27	2.41	11.15	2.69	11.71	2.36
किराना	6.25	3.04	6.36	2.79	5.95	2.19	7.30	2.12	6.95	1.81	8.03	1.94	9.72	1.96
बिजली के सभी सामान, यन्त्र, उपकरण, पंखे, बल्ब आदि	3.42	1.66	2.80	1.23	3.93	1.45	5.61	1.62	5.29	1.38	6.14	1.48	7.88	1.59

(राशि करोड़ रुपयों में)

क्र० सं०	वस्तु का नाम	1978-79		1979-80		1980-81		1981-82		1982-83		1983-84		1984-85	
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
14.	लकड़ी एवं सभी प्रकार की इमारती बांस-बल्ली सहित, लकड़ी के उत्पादन और जलाने की लकड़ी के अलावा	4.39	2.14	4.24	1.86	5.49	2.02	7.89	2.29	5.96	1.55	4.93	1.19	7.46	1.50
15.	ईंट	3.50	1.70	3.98	1.75	5.62	2.07	5.89	1.71	5.92	1.54	6.40	1.54	7.25	1.46
16.	एल्युमुनियम तार	2.34	1.14	2.77	1.21	3.17	1.17	5.19	1.51	5.87	1.53	5.94	1.43	6.81	1.37
17.	साईकिल, रिक्शा एवं बच्चों की गाड़ी एवं इनके सहायक और साईकिल टायर-ट्यूब	2.89	1.41	3.43	1.50	3.44	1.27	4.42	1.28	4.77	1.24	5.94	1.43	6.63	1.33
18.	कोयला	1.53	0.94	2.10	0.92	2.46	0.91	3.62	1.04	4.88	1.27	6.38	1.54	6.34	1.28
19.	मोटर साईकिल, मोटर स्कूटर, मोटर और इनके टायर-ट्यूब	3.27	1.59	4.60	2.02	7.07	2.60	8.19	2.37	9.56	2.49	5.48	1.32	6.33	1.27
20.	सभी प्रकार के जूते, चप्पल आदि	3.07	1.49	3.76	1.65	4.08	1.50	4.50	1.30	4.69	1.20	5.02	1.20	6.23	1.25
21.	चाय और काफी	2.14	1.04	2.64	1.16	2.86	1.05	2.88	0.84	4.08	1.06	4.90	1.18	6.09	1.23
22.	कपड़े धोने का साबुन एवं धोने में प्रयुक्त अन्य पदार्थ	3.16	1.54	2.94	1.29	1.78	0.66	2.14	0.62	2.81	0.73	3.20	0.77	5.85	1.18
23.	ट्रैक्टर, ट्रैक्टर पुर्जे और अन्य सहायक सामान	2.85	1.39	3.63	1.59	4.67	1.72	6.72	1.95	5.56	1.45	6.38	1.54	5.78	1.16
24.	सभी प्रकार के तेल	2.30	1.12	2.10	0.92	2.47	0.91	2.07	0.60	3.11	0.81	4.78	1.15	5.52	1.11
25.	सभी प्रकार के चिकनाईयुक्त पदार्थ	1.86	090	1.83	0.80	2.13	0.78	2.70	0.78	2.72	0.71	8.58	2.07	5.46	1.10

(राशि करोड़ रुपयों में)

क्र0 सं0	वस्तु का नाम	1978-79		1979-80		1980-81		1981-82		1982-83		1983-84		1984-85	
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
26.	सूती धागा	2.16	1.05	2.16	0.95	3.48	1.28	3.67	1.06	3.77	0.98	4.46	1.07	4.74	0.95
27.	सभी प्रकार के कागज	2.43	1.18	2.65	1.16	3.45	1.27	4.11	1.19	3.89	1.01	4.05	0.98	4.16	0.84
28.	सभी प्रकार के उर्वरक (ईंधन गैस सहित)	1.95	0.95	2.10	0.92	2.50	0.92	2.53	0.73	2.59	0.68	3.35	0.81	3.77	0.76
29.	स्प्रिट और सभी प्रकार के सुरासार युक्त, संशोधित स्प्रिट, कृत्रिम स्प्रिट, मिथायल अल्कोहल सहित, देशी पेय के अतिरिक्त	1.04	0.51	1.86	0.62	1.61	059	2.79	0.81	2.70	0.70	3.66	0.88	3.59	0.72
30.	रंग रोगन	0.93	0.45	1.19	0.48	1.39	0.51	1.45	0.42	2.53	0.66	2.81	0.68	3.39	0.68
	अन्य वस्तुएं	70.23	34.17	79.99	35.09	88.91	32.75	112.21	32.53	131.12	34.15	135.89	32.75	161.92	32.59
	104 वस्तुओं से कुल कर आगम	205.55	100	227.97	100	271.50	100	344.96	100	383.99	100	414.99	100	496.86	100
	पंजीयन, लाइसेन्स, बकाया तथा विविध से प्राप्तियां	25.68		29.92		32.04		35.64		30.35		49.62		34.68	
		231.23		257.89		303.54		380.60		414.34		464.61		531.54	
	कर वापसी	2.09		2.26		1.98		2.72		2.77		2.38		3.34	
	शुद्ध योग	229.14		255.63		301.56		377.88		411.57		462.23		528.20	

13. पूर्वोद्धृत, पृ0 25-30 पर आधारित ।

बिक्रीकर आगम की प्रवृत्तियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस आगम में निरन्तर और तीव्र गति से वृद्धि होती रही है और आज राज्य सरकार से कर आगम का लगभग आधा भाग बिक्रीकर से ही प्राप्त होता है, लेकिन यह भी स्वीकार करना होगा कि कर लागू होने के लगभग 38 वर्षों के बाद भी इस कर व्यवस्था में प्रशासनिक और व्यापारिक दोनों दृष्टिकोणों से अनेक समस्यायें विद्यमान हैं । प्रशासनिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या करापवंचन की समस्या है । यद्यपि प्रशासन इसके लिए व्यापारियों को उत्तरदायी ठहराता है, लेकिन व्यापारियों द्वारा रखे जाने वाले इस तथ्य में भी पर्याप्त सत्यता है कि बिक्रीकर विभाग में व्याप्त भ्रष्ट नीतियाँ और पद्धतियाँ इसके लिए बड़ी सीमा तक उत्तरदायी हैं । प्रशासनिक दृष्टि से जो अन्य समस्यायें अनुभव की जाती हैं उनमें अन्तर्राज्यीय व्यापार में प्रयुक्त प्रपत्र 31 के खोने, नष्ट होने और दुरुपयोग करने की समस्या, प्रपत्र "सी" के दुरुपयोग की समस्या, बिक्री कर विभाग में करदाताओं की पत्रावलियों की स्क्रूटनी कार्य में शिथिलता, बिक्री कर अधिकारियों द्वारा अभिगृहीत बहीखातों को निर्धारित अवधि से अधिक अवधि तक रखना, जिला स्तरीय मासिक बैठकों में बिक्रीकर अधिकारियों का अनुपस्थित रहना तथा बिक्री कर अवशेषों की धनराशि में निरन्तर वृद्धि उल्लेखनीय है । व्यापारी वर्ग भी कर की जटिलता, क्रियान्वयन की कठिनाइयों और बिक्री कर प्रशासन की भ्रष्ट नीतियों से बहुत निरुत्साहित है । व्यापारी वर्ग का यह आरोप है कि झूठी शिकायतों के आधार पर किये गये सर्वेक्षणों से व्यापार का उत्पीड़न होता है, जाँच-चौकी के विरुद्ध अधिकारियों की वादों के निस्तारण की प्रक्रिया में भिन्नता रहती है, अभिगृहीत माल के विरुद्ध अर्थदण्ड की कार्यवाही निर्धारित अवधि में पूरी नहीं हो पाती है, बिक्री कर नियमों का पालन करने के लिए आवश्यक विभिन्न फार्मों का कृत्रिम अभाव रहता है, अनेक बार अनावश्यक कारणों से बिक्री कर अधिकारियों द्वारा माल को रास्ते में रोक लिया जाता है, राज्य में बिक्री कर की दरें तुलनात्मक रूप से काफी अधिक हैं और उस पर भी अतिरिक्त बिक्री कर का अनुचित और अनावश्यक भार बढ़ा दिया गया है, स्वतः कर निर्धारण योजना का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाया है और पंजीयन में भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है । व्यापारियों का यह कहना भी है कि बिक्री कर प्रावधानों में समय-समय पर आकस्मिक परिवर्तन घोषित किये जाते रहते हैं जिनकी पूर्ण और

उचित जानकारी व्यापारियों को नहीं मिल पाती । सामान्य परिस्थितियों में सांख्यिकीय आकड़ों में व्यापक भिन्नताएं, जाँच चौकियों पर उचित व्यवस्था का अभाव अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय पर कार्यालय न पहुंच पाना, ट्रान्जिट पास (वहती) की समस्या, ट्रांसपोर्टरों को कर निर्धारण के समय पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर न मिलना, बिक्री कर अधिकारी और व्यापारी के मध्य समझौता हो जाने से कर निर्धारण से सम्बन्धित प्रथम स्तरीय अपीलों का कम होना तथा बिक्री कर प्रशासन में विद्यमान व्यापक भ्रष्टाचार उल्लेखनीय है ।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार ने मुख्यतया इस बात की ओर ध्यान दिया है कि इस कर से अधिकाधिक आगम किस प्रकार प्राप्त किया जाए । लेकिन कर व्यवस्था को सरल, व्यवस्थित, विवेकपूर्ण, प्रभावशाली तथा आधुनिक बनाने की ओर आवश्यक ध्यान नहीं दिया गया और यदि कुछ प्रयास राज्य सरकार द्वारा किये भी गये हैं तो प्रशासन की कमियों और व्यापारियों की होशियारी के कारण उन्हें प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जा सका । इन सभी परिप्रेक्ष्यों के सन्दर्भ में राज्य बिक्री कर व्यवस्था और प्रशासन में आवश्यक संशोधन एवं सुधार करने की महती आवश्यकता है।

---------::0::---------

अध्याय षष्ठम

बिक्रीकर : प्रशासनात्मक पक्ष एवं ढाँचा (उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में)

अध्याय-6

बिक्री कर : प्रशासनात्मक पहलू एवं ढाँचा
(उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में)

बिक्री कर प्रशासन की व्यवस्था को लेकर विभिन्न राज्यों में बिक्री कर आयुक्त के आधीन बिक्री कर विभाग का संगठन किया गया । बिक्री कर आयुक्त के आधीन उपायुक्त, सहायक आयुक्त, बिक्री कर अधिकारी एवं बिक्री कर निरीक्षक होते हैं । कुछ राज्यों में व्यापार तथा उद्योग के प्रतिनिधियों की एक सलाहकार समिति "बिक्री कर प्रशासन" तथा करदाताओं में एक सम्पर्क स्थापन का कार्य करती है । इस प्रकार उत्तर प्रदेश में बिक्री कर अधिनियम को व्यवहार में अपनाने हेतु विविध पदाधिकारियों की विस्तृत शृंखला स्थापित की गई है । सर्वोच्च स्तर पर बिक्री कर आयुक्त होता है । आयुक्त की सहायतार्थ राज्य सरकार अनेक अधिकारियों की नियुक्ति करती है । बिक्री कर अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार ने सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य को परिक्षेत्रों तथा क्षेत्रों में विभाजित किया है । प्रत्येक क्षेत्र मण्डल एवं उपमण्डल में बँटा होता है । प्रत्येक मण्डल एवं उपमण्डल बिक्री कर अधिकारी के नियन्त्रण में होते हैं ।

उत्तर प्रदेश में बिक्री कर प्रशासन के विभिन्न पहलुओं की दृष्टि से विस्तृत प्रशासनिक ढाँचा परिशिष्ट (अ) में दिखाया गया है ।

बिक्री कर व्यवस्था एवं प्रशासन के सम्पूर्ण ढाँचे को कार्य स्थान की दृष्टि से दो मुख्य समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है :-

1. मुख्यालय संगठन एवं
2. क्षेत्र संगठन ।

मुख्यालय संगठन

बिक्रीकर विभाग का मुख्यालय लखनऊ में है । आयुक्त बिक्रीकर विभागाध्यक्ष है और उन्हीं के सामान्य प्रशासनिक नियन्त्रण में विभाग का कार्य सम्पन्न होता है । आयुक्त को भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम स्केल के वेतनमान

पर नियुक्त किया जाता है । आयुक्त के बाद विभाग का दूसरा अधिकारी अपर-आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के सीनियर स्केल के वेतनमान पर नियुक्त किया जाता है । दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक उपायुक्त ।प्रशासन। होता है । विभागीय कार्यों की देख-रेख के लिये मुख्यालय पर एक उपायुक्त ।मुख्यालय। तथा एक उपायुक्त ।धारा 35। का पद होता है । करापवंचन की रोकथाम के लिए कार्यरत जाँच-चौकी एवं सचल दल स्कीम की देख-रेख के लिए उपायुक्त ।जाँच-चौकी एवं सचल दल। का पद भी है । राज्य वित्त एवं लेखा सेवा के लिए उपायुक्त ।संग्रह। तथा उपायुक्त ।लेखा। का एक-एक पद है ।

अन्य कार्यों की देख-रेख के लिए सहायक आयुक्त ।विधि।, सहायक आयुक्त ।वाद।, सहायक आयुक्त ।परिवाद।, सहायक आयुक्त ।विशेष अनुसन्धान शाखा। तथा सहायक आयुक्त ।स्थापना। के एक-एक पद हैं । साँख्यिकीय कार्यों के लिए उप निदेशक ।संख्या। का एक पद तथा संख्याधिकारी के दो पद हैं । लेखा बजट तथा आन्तरिक सम्प्रेक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिए वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी का एक पद है । इसके अतिरिक्त वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी के रूप में दो बिक्री कर अधिकारी तथा संग्रह कार्यों के लिए दो, विधि के लिए एक तथा शोध एवं कम्प्यूटर कार्यों हेतु दो-दो, न्याय के दो, वाद, परिवाद एवं स्थापना के लिए दो-दो तथा धारा 35 के लिए एक बिक्री कर अधिकारी का पद है । लेखा, बजट तथा आन्तरिक सम्प्रेक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिए सहायक लेखाधिकारी का भी एक पद है ।

उपायुक्त ।प्रशासन। का पद प्रान्तीय सिविल सर्विस अधिकारी का पद है । उपायुक्त के अधीन एक बिक्री कर अधिकारी होता है । उपायुक्त ।मुख्यालय। के अधीन राज्य प्रतिनिधि के रूप में उन्नीत बिक्री कर अधिकारी, हाईकोर्ट के लिए दो सहायक आयुक्त तथा एक बिक्रीकर अधिकारी, वाद के लिए एक सहायक आयुक्त तथा दो बिक्रीकर अधिकारी, साँख्यिकीय कार्यों के लिए एक उपनिदेशक ।संख्या। तथा दो संख्याधिकारी होते हैं । उपायुक्त संग्रह के अधीन दो बिक्रीकर अधिकारी होते हैं । इसी प्रकार उपायुक्त ।लेखा। के अधीन एक वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी तथा एक सहायक लेखाधिकारी होता है ।

सहायक आयुक्त (विधि) के अधीन दो बिक्री कर अधिकारी (विधि) तथा बिक्री कर अधिकारी (शोध) होते हैं। सहायक आयुक्त (परिवाद) तथा सहायक आयुक्त (स्थापना) के अधीन भी दो-दो बिक्री कर अधिकारी होते हैं।

क्षेत्र संगठन

उत्तर प्रदेश में बिक्री कर निर्धारण, एकत्रण एवं प्रशासनिक दृष्टि से क्षेत्र कार्य को करने के लिए प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से प्रदेश को परिक्षेत्र, क्षेत्र, मण्डल, उपमण्डल और खण्ड में विभक्त किया गया है। प्रदेश से कुल मिलाकर 12 परिक्षेत्रों में रखा गया है और प्रत्येक परिक्षेत्र के नियन्त्रण के लिए एक उपायुक्त (प्रशासकीय) नियुक्त किया गया है। मेरठ और गाजियाबाद परिक्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी परिक्षेत्रों को दो-दो क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। इस प्रकार प्रदेश में 22 क्षेत्र हैं और प्रत्येक क्षेत्र में एक-एक सहायक आयुक्त (प्रशासकीय) कार्यरत है। सन् 1984-85 में उत्तर प्रदेश में कुल 99 मण्डल, 8 उपमण्डल कार्यरत रहे। 44 बहुखण्डीय मण्डल कार्यालयों को 176 खण्डों में विभक्त किया गया। मण्डल/उपमण्डल/खण्डों में कार्यभार के अनुसार प्रदेश में कुल मिलाकर सन् 1984-85 में बिक्री कर अधिकारी के स्वीकृत पद 759 थे जिसमें से केवल 672 पदों पर बिक्रीकर अधिकारी कार्यरत रहे। इसी प्रकार कुल बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी-2 के स्वीकृत पद 642 थे जिनमें से केवल 409 पदों पर बिक्री कर अधिकारी श्रेणी-2 कार्यरत रहें। प्रदेश में बिक्री कर के परिक्षेत्र, क्षेत्र, मण्डल, उपमण्डल तथा खण्डों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट ब में दर्शाया गया है।

बिक्री कर प्रशासन व्यवस्था में न्यायिक व्यवस्था भी की गयी है। यदि व्यापारी "कर निर्धारण अधिकारी" द्वारा दिये गये किसी आदेश या निर्णय से सन्तुष्ट नहीं है तो वह ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। बिक्री कर विभाग की सम्पूर्ण न्यायिक व्यवस्था को निम्न स्तरों में विभाजित किया जा सकता है :

(अ) सहायक आयुक्त (न्याय)

बिक्री कर अधिकारी तथा बिक्री कर अधिकारी श्रेणी-2 के कर निर्धारण

आदेशों के विरुद्ध दायर की गई अपीलों की सुनवायी सहायक आयुक्त ।न्याय। बिक्री कर करते हैं ।

।ब। उपायुक्त ।अपील।

सहायक आयुक्त ।कर निर्धारण। द्वारा पारित कर निर्धारण आदेशों के विरुद्ध दायर अपीलों की सुनवायी उपायुक्त ।अपील। द्वारा की जाती है ।

।स। बिक्री-कर न्यायाधिकरण ।ट्रिब्यूनल।

यदि कोई व्यक्ति सहायक आयुक्त ।न्याय। या उपायुक्त ।अपील।, पुनर्विचार करने वाले अधिकारी ।बिक्रीकर आयुक्त। अथवा विवादास्पद प्रश्न पर आयुक्त के आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह ऐसे आदेश के विरुद्ध बिक्री कर न्यायाधिकरण ।ट्रिब्यूनल। को अपील कर सकता है ।

।द। उच्च न्यायालय ।कार्य।

उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा लखनऊ में आवश्यकतानुसार विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिये सहायक आयुक्त ।उच्च न्यायालय कार्य।, बिक्री कर अधिकारी तथा बिक्री कर अधिकारी श्रेणी-2 कार्यरत हैं ।

बिक्री कर पदाधिकारी : कार्यक्षेत्र, अधिकार एवं कर्त्तव्य

बिक्री कर प्रशासन से सम्बन्धित विभिन्न पदाधिकारियों के कार्यक्षेत्र, अधिकार एवं उनके कर्त्तव्यों का विस्तृत विवरण निम्नवत् है :-

बिक्री कर आयुक्त

बिक्री कर आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है । आयुक्त के कार्यक्षेत्र, तथा मुख्य अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :

1. आयुक्त का कार्य-क्षेत्र सम्पूर्ण राज्य है और वह बिक्री कर अधिनियम

के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार अपने अधिकारों का प्रयोग एवं कर्त्तव्यों का पालन करता है। अधिनियम को लागू करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में बिक्रीकर अधिनियम एवं नियमों के अधीन निर्देश जारी कर सकता है तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों (अपीलेट अधिकारियों को छोड़कर) को प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर सकता है।

2. यदि किसी एक क्षेत्र में एक से अधिक सहायक आयुक्त (शासकीय) या सहायक आयुक्त (न्याय) होते हैं तो आयुक्त उस क्षेत्र में उनके अधिकार क्षेत्र का बँटवारा करता है। इसी प्रकार जब किसी मण्डल में एक से अधिक बिक्रीकर अधिकारी होते हैं तो आयुक्त उस मण्डल में उनके अधिकार-क्षेत्र का बँटवारा करता है। यह बँटवारा निर्धारित व्यापारियों के वर्ग के आधार पर होता है। सामान्यतः किसी सहायक आयुक्त या बिक्री कर अधिकारी का स्थानान्तरण होने पर उनके स्थान पर आने वाले अधिकारी का अधिकार क्षेत्र वही होता है, जो जाने वाले अधिकारी का था, लेकिन यदि आयुक्त चाहें तो उनके अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है।

3. आयुक्त किसी भी मामले को या मामले के वर्ग को एक मण्डल में एक निर्धारण अधिकारी से दूसरे कर-निर्धारण अधिकारी को हस्तान्तरित कर सकता है।

4. अपील की सुनवायी प्रारम्भ होने से पूर्व आयुक्त किसी अपील को स्वेच्छा से या व्यापारी द्वारा प्रार्थना करने पर किसी मामले या मामले के वर्ग को किसी एक उपायुक्त (अपील) से दूसरे उपायुक्त (अपील) या किसी एक सहायक आयुक्त (न्याय) से दूसरे सहायक आयुक्त (न्याय) या उपायुक्त (अपील) को हस्तान्तरित कर सकता है।

5. आयुक्त किसी व्यापारी या अन्य किसी व्यक्ति को जिस पर बिक्री कर अर्थदण्ड या अन्य राशि को एक लाख रुपये से अधिक बकाया है, अधिकतम 12 मासिक किस्तों में भुगतान की स्वीकृति दे सकता है। ऐसे व्यापारी या व्यक्ति को ऐसी स्वीकृति के 60 दिन में अथवा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बढ़ाये गये समय में उचित प्रतिभूति प्रस्तुत कर देनी चाहिए अथवा ऐसी स्वीकृति या आदेश रद्द समझा जायेगा।

<u>अपर आयुक्त बिक्रीकर</u>

अपर आयुक्त से आशय उस पदाधिकारी से है जो राज्य सरकार द्वारा

अतिरिक्त आयुक्त के अधिकारों का प्रयोग करने तथा कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया हो । यह आयुक्त के सामान्य नियन्त्रण में काम करता है । तथा आयुक्त को प्राप्त अधिकारों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करता है । इसका कार्यक्षेत्र भी पूरा राज्य होता है । अपर आयुक्त बिक्रीकर को अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त आयुक्त के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है ।

<u>बिक्री कर उपायुक्त</u>

उप-आयुक्त अपना कार्य आयुक्त के सामान्य नियन्त्रण में करते हैं । ये बिक्रीकर अधिनियम तथा इसके नियमों द्वारा एवं आयुक्त द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके अपने कर्त्तव्यों का पालन करते हैं । इनका कार्यक्षेत्र एक परिक्षेत्र होता है । कार्य संचालन के विशिष्टीकरण की दृष्टि से उपायुक्त स्तर के पदों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है : उपायुक्त ।शासकीय।, उपायुक्त ।अपील।, उपायुक्त ।विशेष अनुसंधान शाखा।, उपायुक्त ।प्रशासन।, उपायुक्त ।जाँच चौकी। तथा उपायुक्त ।संग्रह। ।

।अ। <u>उपायुक्त ।शासकीय।</u> : वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में उपायुक्त ।शासकीय। के 12 पद हैं । प्रत्येक उपायुक्त ।शासकीय। के नियन्त्रण में एक-एक परिक्षेत्र आता है । इनके कार्य-क्षेत्र, अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है[1] :-

परिक्षेत्र में उपायुक्त ।शासकीय। आयुक्त बिक्री-कर के प्रतिनिधि की तरह से कार्य करते हैं : व्यापारियों, निर्माताओं तथा अधिवक्ताओं की समस्यायें सुनना तथा हल करना ; अपने अधीनस्थ सहायक आयुक्त ।शासकीय । पर नियन्त्रण रखना; सहायक आयुक्तों के कार्यालयों का वर्ष में कम से कम एक बार तथा संग्रह कार्यालयों का दो बार निरीक्षण करना; सहायक आयुक्त ।कर निर्धारण। के कार्यालय का निरीक्षण करना ; सहायक आयुक्त ।जाँच-चौकी एवं सचल दल। के कार्यालय का निरीक्षण करना ; कम्प्यूटर इकाई का वर्ष में एक बार विस्तृत निरीक्षण करना ;

---

1. मैनुअल-5/1984, पत्र संख्या-मैनु0 कार्य विभाजन-3/30/5/84-85-25 मुख्यालय दिनांक जुलाई 10, 1984.

कर संग्रह को बढ़ाये जाने हेतु बड़े-बड़े बकायादारों के मामलों (5 से 10 लाख रुपये तक बकाया राशि होने पर) में मानीटरिंग करना; कोषागार, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक, मण्डलायुक्त तथा मुख्यालय से सम्पर्क स्थापित करना; परिक्षेत्र के सभी अधिकारियों तथा अपने कार्यालय में कार्यरत स्टाफ के व्यक्तिगत अभिलेखों को नियमानुसार रखवाना, शासन और आयुक्त के आदेशों का नियमानुसार पालन करना, बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी-2 को एक खण्ड से दूसरे खण्ड में तैनात करना, परिक्षेत्र के करदाताओं को पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदान करना, द्वितीय अपील करने या न करने का अन्तिम निर्णय लेना, 5000 रुपये तक वसूल न होने वाली राशि को बट्टे खाते में डालना, 40,000 रुपये तक वापसी योग्य धनराशि को वापिस करना, 10,000 रुपये से अधिक देय राशि को किश्तों में बाँटना, आडिट आपत्तियों के निराकरण में ध्यान देना, कर निर्धारण में सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) को परामर्श देना इत्यादि अधिकार एवं कर्त्तव्य हैं । कुल मिलाकर उपायुक्त (प्र०) का यह कर्त्तव्य होता है कि वह अपने परिक्षेत्र में पूरी तरह प्रभावशाली नियन्त्रण रखे ।

(ख) <u>उपायुक्त (अपील)</u> : सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) द्वारा पारित कर निर्धारण आदेशों के विरुद्ध दायर अपीलों की सुनवाई उपायुक्त (अपील) द्वारा की जाती है । इस प्रकार की अपीलों की सुनवाई के उद्देश्य से प्रदेश को 6 भागों में विभक्त किया गया है । ये भाग है : इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, बरेली, मेरठ तथा गाजियाबाद । प्रत्येक भाग में एक उपायुक्त (अपील) और कुल मिलाकर राज्य भर में 6 उपायुक्त (अपील) हैं ।

तालिका नं० 6.1 में उपायुक्त (अपील) के कार्यक्षेत्र की प्रगति को प्रस्तुत किया गया है । तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि मामूली उच्चावचनों को छोड़कर प्रतिवर्ष उपायुक्त (अपील) के सम्मुख दायर की गई अपीलों की संख्या बढ़ती गयी है । सन् 1976-77 में मात्र 182 अपीलें दायर की गयी थीं, जिनकी संख्या 1984-85 में सर्वाधिक 1771 हो गयी । सन् 1980-81 तक दायर की गई अपीलों

तालिका नं0 6.1

उपायुक्त (अपील) बिक्री कर के अधिष्ठान की अपीलों की स्थिति

वर्ष	1 अप्रैल को अवशेष अपीलों की संख्या	वर्ष में दायर की गयी अपील	अपीलों की कुल संख्या	निस्तारित अपीलों की संख्या	31 मार्च को अवशेष अपीलों की संख्या
1976-77	-	182	182	56	126
1977-78	126	649	775	188	587
1978-79	587	731	1318	340	978
1979-80	978	828	1806	328	1478
1980-81	1478	742	2220	384	1836
1981-82	1836	1062	2898	1320	1578
1982-83	1578	940	2518	1189	1329
1983-84	1329	1479	2808	1975	833
1984-85	833	1771* (228)	2832	1079	1753

स्रोत : आयुक्त बिक्री कर (उ0प्र0) : सांख्यिकीय अनुभाग, बिक्रीकर विभाग का सामान्य वार्षिक प्रतिवेदन 1984-85, लखनऊ, पृ0 39.

की संख्या की तुलना में निस्तारित अपीलों की संख्या काफी कम रही। जिससे प्रत्येक वर्ष के अन्त में अवशेष अपीलों की संख्या निरन्तर बढ़ती गई लेकिन उसके पश्चात् से निस्तारण में तेजी आने के कारण अवशेष अपीलों की संख्या में गिरावट हुई है, परन्तु सन् 1984-85 में केवल 1079 अपीलों का निस्तारण किया गया जिसके फलस्वरूप सन् 1984-85 के अन्त में अवशेष अपीलों की संख्या 1753 हो गयी। दाखिला (दायर) व निस्तारण के आँकड़ों के अनुसार दाखिला गत दो वर्षों से बढ़ा है। इसका कारण सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) के पदों में वृद्धि व उनके द्वारा पारित वादों का अधिक संख्या में अपीलों में जाना है।

* सन् 1984-85 में 228 अपीलें सहायक आयुक्त (न्याय) की पत्रावली से हस्तान्तरित होकर प्राप्त हुयी।

निस्तारण कार्य में वृद्धि की दृष्टि से उपायुक्त (अपील) के पदों की संख्या तथा उनके द्वारा निस्तारित की जाने वाली कोटों की संख्या में वृद्धि करना उल्लेखनीय रहा है । तालिका नं0 6.2 सम्बन्धित स्थिति को स्पष्ट करता है :-

तालिका नं0 6.2

निस्तारित अपीलों का वर्षवार प्रति अधिकारी प्रति/कार्य दिवस औसत निस्तारण

वर्ष	वर्ष में निस्तारित अपीलें	कार्यशील दिवस	प्रगति कार्यशील दिवस औसत निस्तारण	कार्यरत अधिकारियों की संख्या (31 मार्च)
1976-77	56	-	-	1
1977-78	188	195	0.96	1
1978-79	340	255	1.33	1
1979-80	328	218	1.50	1
1980-81	384	228	1.68	3
1981-82	1320	671	1.96	3
1982-83	1189	654	1.81	6
1983-84	1975	1243	1.58	4
1984-85	1079	648	1.66	3

स्रोत : आयुक्त बिक्री कर (उत्तर प्रदेश) : सांख्यिकीय अनुभाग, बिक्रीकर विभाग का सामान्य वार्षिक प्रतिवेदन 1984-85, लखनऊ, पृ0 39.

टिप्पणी : (1) दिसम्बर 1980 तक एक तथा जनवरी 1981 से दो और उपायुक्त (अपील) मेरठ तथा इलाहाबाद ने कार्य प्रारम्भ किया ।

(2) वर्ष 1977-78 तथा उससे पहले एक अपील प्रतिदिन का निस्तारण कोटा था ।

(3) 1.7.78 से 31.1.1979 तक तीन अपील प्रतिदिन निस्तारण का कोटा था ।

(4) 1.2.79 से वर्तमान में 1.5 अपील प्रतिदिन निस्तारण का कोटा है ।

तालिका नं0 6.2 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 31 जनवरी 1979 तक औसत निस्तारण निर्धारित निस्तारण कोटा से कम था लेकिन इसके पश्चात् से औसत निस्तारण सदैव निर्धारित निस्तारण कोटा से अधिक रहा है। यद्यपि सन् 1983-84 में उपायुक्त (अपील) के 6 पद थे लेकिन केवल 4 कार्यरत रहे। इसी प्रकार 1984-85 में भी 6 पद थे, परन्तु केवल 3 उपायुक्त (अपील) कार्यरत रहे।

उपायुक्त अपील द्वारा निस्तारित बिक्रीकर अपीलों की कर राशि में किये गये संशोधनों का विवरण तालिका नं0 6.3 में दर्शाया गया है।

तालिका नं0 6.3

निस्तारित बिक्रीकर की अपीलों के वर्षवार परिणाम तथा घटाई गई/बढ़ाई गई/ विवादित कर की धनराशि के आँकड़े

वर्ष	अपीलों के परिणाम				कुल निस्तारित अपीलें	राशि (लाख रुपयों में)		
	खारिज अपीलें	संशोधित अपीलें	स्वीकृत अपीलें	प्रतिप्रेषित अपीलें		घटाया गया कर	बढ़ाया गया कर	विवादग्रस्त कर
1976-77	22 (39.4)	12 (21.4)	11 (19.6)	11 (19.6)	56	4.88	-	72.50
1977-78	43 (22.9)	62 (33.0)	42 (22.3)	41 (21.8)	188	14.32	-	375.85
1978-79	75 (22.1)	140 (41.2)	63 (18.5)	62 (18.2)	340	47.86	0.07	405.77
1979-80	78 (23.8)	109 (33.2)	73 (21.9)	65 (21.1)	328	47.35	-	302.73
1980-81	118 (30.7)	149 (38.8)	71 (18.5)	46 (12.0)	384	105.16	-	552.65
1981-82	426 (32.3)	504 (38.2)	239 (18.1)	151 (11.4)	1320	521.06	0.01	3497.52
1982-83	280 (23.5)	474 (39.9)	283 (23.8)	152 (12.8)	1189	754.55	-	1305.46
1983-84	630 (31.9)	539 (27.3)	469 (23.7)	337 (17.1)	1975	873.91	0.44	7557.16
1984-85	312 (28.9)	274 (25.4)	242 (22.4)	251 (23.3)	1079	202.36	0.06	3257.34

स्त्रोत : पूर्वोद्धृत, पृ0 44.

नोट : कोष्टक में प्रतिशत के आँकड़े दर्शाये गये हैं।

तालिका नं0 6.3 से स्पष्ट है कि सामान्यतः करों की राशि में कमी ही की गई है, लेकिन अवशेष अपीलों की संख्या एवं विवादग्रस्त कर राशि (सन् 1982-83 को छोड़कर) निरन्तर बढ़ती रही है । सन् 1984-85 में भी विवादग्रस्त कर राशि 32.57 करोड़ रुपये हैं ।

(स) <u>उपायुक्त (विशेष अनुसन्धान शाखा)</u>

करापवंचन की रोकथाम के उद्देश्य से प्रदेश को तीन क्षेत्र-पूर्वी, मध्य और पश्चिमी में विभक्त किया गया है, जिनके मुख्यालय क्रमशः वाराणसी, कानपुर और मेरठ में हैं । प्रत्येक क्षेत्र से एक और राज्य में कुल मिलाकर तीन उपायुक्त (वि0 अनु0शा0) कार्यरत हैं । वाराणसी क्षेत्र के अन्तर्गत वाराणसी (प्रथम), वाराणसी (द्वितीय), गोरखपुर, लखनऊ, सीतापुर, इलाहाबाद तथा कानपुर क्षेत्र में कानपुर (प्रथम), कानपुर (द्वितीय), आगरा (प्रथम), आगरा (द्वितीय), अलीगढ़, झाँसी और मेरठ क्षेत्र में मेरठ, गाजियाबाद (प्रथम), गाजियाबाद (द्वितीय), सहारनपुर बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद आते हैं । उपायुक्तों (विशेष अनुसन्धान शाखा) के प्रशासनिक नियन्त्रण में विशेष अनुसन्धान शाखा की 19 इकाईयाँ कार्यरत हैं । ये इकाइयाँ बिक्रीकर अधिनियम अधिकारी (प्रभारी) की देखरेख में चलती हैं । वारा-णसी क्षेत्र (पूर्वी क्षेत्र) में 6 इकाइयाँ, कानपुर क्षेत्र (मध्य क्षेत्र) में 6 इकाईयाँ, मेरठ क्षेत्र (पश्चिमी क्षेत्र) में 7 इकाइयाँ आती हैं । इस शाखा की कार्य प्रगति के सन्दर्भ में समंकों को तालिका संख्या 6.4 में दिखाया गया है ।

तालिका नं0 6.4 से स्पष्ट है कि विशेष अनुसन्धान शाखा अपने कार्य क्षेत्र में निरन्तर सक्रिय रही है । इस शाखा द्वारा सन् 1979-80, 1983-84 और 1984-85 को छोड़कर प्रतिवर्ष 4000 से ऊपर सर्वेक्षण किये गये और इस शाखा के कार्य के कारण सन् 1976-77 में 3.18 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बिक्री कर एकत्रित किया गया । यह राशि सन् 1977-78 में बढ़कर 9.94 करोड़ रुपये हो गयी । बाद के वर्षों में यह राशि इस प्रकार रही है । 1978-79 (4.06 करोड़), 1979-80 (43.73 करोड़), 1980-81 (3.97 करोड़), 1981-82 (5.76 करोड़),

तालिका नं0 6.4

करापवंचन की रोकथाम

विशेष अनुसंधान शाखा की प्रगति

क्र0 सं0	सर्वेक्षण	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
1.	सामान्य सर्वेक्षण	556	1383	836	746	766	753	711	449	1259
2.	प्रतिकूल सर्वेक्षण	2342	2263	2176	1729	2025	2460	2099	1632	1767
3.	सर्वेक्षण जिनमें माल आदि अभिग्रहीत किये गये	1429	1279	1503	1168	1317	1561	1528	1188	915
	कुल सर्वेक्षण	4327	4925	4515	3643	4108	4774	4338	3269	3941
4.	निर्धारित विक्रय कर (करोड़ रुपये में)	3.18	9.94	4.06	3.73	3.97	5.76	5.47	8.06	7.62

स्त्रोत : आयुक्त बिक्री कर उ0 प्र0 : सांख्यिकीय अनुभाग, बिक्रीकर विभाग का सामान्य वार्षिक प्रतिवेदन 1984-85, लखनऊ, पृ0 46.

1982-83 (5.47 करोड़), 1983-84 (8.06 करोड़), 1984-85 (7.62 करोड़) थी ।

(द) <u>उपायुक्त (जाँच)</u>

करापवंचन की रोकथाम के लिए जाँच चौकी एवं सचल दल स्कीम की देख-रेख के लिए उपायुक्त (चेक पोस्ट एवं सचल दल) का एक पद है । उपायुक्त (चेक पोस्ट एवं सचल दल) का यह पद मुख्यालय लखनऊ में है । इनका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश है । इनकी सहायता के लिए क्षेत्र में 4 सहायक आयुक्त (जाँच चौकी एवं सचल दल) के पद हैं ।

(य) <u>उपायुक्त (संग्रह)</u>

कर संग्रह योजना के लिए उपायुक्त (संग्रह) का एक पद है । उपायुक्त (संग्रह) का यह पद मुख्यालय लखनऊ में है । इनका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य है । इनकी सहायता के लिए क्षेत्र में 15 डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) के पद हैं ।

(र) <u>उपायुक्त (प्रशासन)</u>

उपायुक्त (प्रशासन) से आशय उस व्यक्ति से है जो राज्य सरकार द्वारा उपायुक्त (प्रशासन) के अधिकारों को प्रयोग करने तथा कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया हो । दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक उपायुक्त (प्रशासन) का पद होता है । यह पद मुख्यालय लखनऊ में है । उपायुक्त (प्रशासन) एक प्रान्तीय सिविल सर्विस का अधिकारी होता है ।

4. <u>सहायक आयुक्त</u>

सहायक आयुक्त भी आयुक्त के सामान्य नियन्त्रण में काम करते हैं । अधि-नियम, नियमों एवं आयुक्त द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके अपने कर्त्तव्यों का पालन करते हैं । इन कार्यक्षेत्र एक क्षेत्र होता है । सहायक आयुक्त स्तरीय पदों को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है - सहायक आयुक्त (कार्यालय), सहायक आयुक्त

(न्याय), सहायक आयुक्त (जाँच चौकी एवं सचल दल), सहायक आयुक्त (कर-निर्धारण), सहायक आयुक्त (प्रशासन) तथा सहायक आयुक्त (वाद-मुकदमा) ।

(3) सहायक आयुक्त (शासकीय)

प्रदेश में बिक्री कर प्रशासन की दृष्टि से कुल 22 क्षेत्र हैं । प्रत्येक क्षेत्र में एक सहायक आयुक्त (शा0) के आधार पर कुल 22 सहायक आयुक्त (शा0) हैं । सहायक आयुक्त (शा0) का पद एक निरीक्षक अधिकारी के नाते बहुत ही महत्वपूर्ण पद है । सहायक आयुक्त (शा0) के मुख्य अधिकार, कर्त्तव्य एवं दायित्व अधीनस्थ मण्डल/उपमण्डल/खण्ड के बिक्रीकर अधिकारी तथा बिक्री कर अधिकारी श्रेणी-2 के प्रतिदिन के कार्यों को देख-रेख करना तथा उच्चाधिकारियों के आदेश/निर्देशों का पालन करना है। क्षेत्र के सहायक आयुक्त (शा0) अपने कार्य के लिए परिक्षेत्र के उपायुक्त (शा0) के माध्यम से आयुक्त के प्रति उत्तरदायी है । इनके प्रमुख अधिकार एवं कर्त्तव्य[2] : अधीनस्थ कार्यालयों का प्रभावशाली निरीक्षण करना; प्रत्येक विशेष अनुसन्धान शाखा की इकाई का वर्ष में दो बार निरीक्षण करना, कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत फार्मों को ठीक से भरवाना एवं कम्प्यूटर इकाई को समय से उपलब्ध कराना ; क्षेत्र के मुख्यालय पर व्यापारियों तथा बार एसोसियेशन आदि की समस्याओं को सुनना तथा उनका समाधान करना ; क्षेत्र का संग्रह पूरा कराना, 5000 रुपये तक के वादों में द्वितीय अपील करने या न करने का निर्णय लेना; 2500 रुपये तक वसूल न होने वाली राशि को बट्टे खाते में डालना, आडिट आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही पर नियन्त्रण रखना ; तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति करना, व्यापारियों एवं कार्यालय प्रयोग से सम्बन्धित फार्मों को उपलब्ध कराना, 1 लाख रुपये वार्षिक से अधिक कर देने वाले व्यापारियों की मानीटरिंग करना, 1 लाख से 5 लाख तक की बकाया राशि के सम्बन्ध में कार्यवाही करना, क्षेत्र के बड़े-बड़े व्यापारियों पर विशेष दृष्टि रखना, अधीनस्थ अधिकारियों को अधिनियम के प्राविधानों में संशोधनों तथा उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय

---

2. मैनुअल-5/1984, पत्र संख्या-मैनु0-कार्य विभाजन-3/30-5/84-85-23/मुख्यालय-लखनऊ : जुलाई 10, 1984 पर आधारित ।

के निर्णयों से अवगत कराना, क्षेत्र के चैक पोस्टों का निरीक्षण करना, व्यापारियों और मोटर-वाहनों के मालिकों के उत्पीड़न के मामलों पर उचित कार्यवाही करना, चैकों के भुगतान की व्यवस्था देखना, अपने कार्यालय का वर्ष में दो बार निरीक्षण करना, 5000 रुपये से अधिक मूल्य का माल आयात करने हेतु फार्म-32 वितरित करना, नये व्यापारियों को पंजीयन देने का अनुमोदन करना, क्षेत्र के एक कर - निर्धारण से दूसरे कर-निर्धारण अधिकारी को वादों का हस्तान्तरण करना, सरेण्डर किये गये प्रपत्रों को जलाकर नष्ट करना और इसका प्रमाण रजिस्टर में अंकित करना, खण्डाधिकारी को कर-निर्धारण आदेश पारित करने में परामर्श देना, शासन और आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देशानुसार बिक्री कर अधिकारी श्रेणी-2 के अधिकारों का नियमानुसार प्रयोग करना है । इनके अतिरिक्त क्षेत्र के सभी कार्यों का सुचारु संचालन कराने तथा उच्च अधिकारियों के निर्देशों का समय से पालन कराने, अधिनियम के प्रावधानों का सही उपयोग कराने, राजस्व के संग्रह की वृद्धि हेतु तथा विभाग की छवि को उज्ज्वल बनाये रखने हेतु यह अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उचित मार्गदर्शन करते हुए निर्देश दे सकते हैं ।

।ब। सहायक आयुक्त ।न्याय।

सहायक आयुक्त ।न्याय। बिक्रीकर, बिक्रीकर अधिकारी तथा बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी-2 के कर निर्धारण आदेशों के विरुद्ध की गई अपीलों की सुनवायी करते हैं । वर्तमान में प्रदेश 24 न्यायिक क्षेत्रों में विभाजित कर रखा है जिनमें 54 सहायक आयुक्त ।न्याय। के पद हैं लेकिन सन् 1984-85 में 45 सहायक आयुक्त।न्याय। ही कार्यरत थे ।

सहायक आयुक्त ।न्याय। कर निर्धारण के आदेश अथवा अर्थदण्ड के आदेश को सम्पुष्ट, कम, वृद्धि अथवा रद्द कर सकता है या आदेश को रद्द करके कर-निर्धारण अधिकारी को विशिष्ट जाँच पड़ताल करके पुनः आदेश देने का निर्देश दे सकता है या आदेश में निर्दिष्ट बातों की जाँच पड़ताल करके निर्धारित समय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कह सकता है । सहायक आयुक्त ।न्याय। रिपोर्ट प्राप्त होने पर और

निर्धारित अवधि में प्राप्त न होने पर प्रावधानों के अनुसार निर्णय दे सकता है ।

सहायक आयुक्तों ।न्याय। द्वारा किये गये कार्य-निपटारों को तालिका नं0 6.5 में दर्शाया गया है ।

तालिका नं0 6.5

उत्तर प्रदेश में सहायक आयुक्त ।न्याय। बिक्री कर से सम्बन्धित अपीलों की विभिन्न वर्षों की स्थिति

वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में अवशेष अपीलों की संख्या ।अप्रैल । को।	वर्ष में दायर की गई अपीलों की संख्या	निस्तारणार्थ कुल अपीलों की संख्या	वर्ष में निस्तारित अपीलों की संख्या	वर्ष के अन्त में अवशेष अपीलों की संख्या ।31 मार्च को।
1970-71	80,141	54,405	1,34,546	55,085	79,461
1971-72	79,461	54,928	1,34,389	73,606	60,783
1972-73	60,783	60,341	1,21,124	69,486	51,638
1973-74	51,638	67,521	1,19,159	60,105	59,054
1974-75	59,054	74,656	1,33,710	66,084	67,662
1975-76	67,662	81,066	1,48,728	69,009	79,719
1976-77	79,719	84,247	1,63,966	64,039	99,927
1977-78	99,927	82,076	1,82,003	62,619	1,19,384
1978-79	1,19,384	70,489	1,89,873	79,234	1,10,639
1979-80	1,10,639	71,488	1,82,127	79,928	99,831
				2,368	
1980-81	99,831	71,762	1,71,593	71,798	99,795
1981-82	99,795	59,151	1,58,946	63,306 204	95,436
1982-83	95,436	59,667	1,55,103	63,004 269	91,830
1983-84	91,830	53,500	1,45,330	71,806 103	73,421
1984-85	73,421	38,110	1,11,531	69,414 185 228	41,704

स्रोत : पूर्वोद्धृत, पृष्ठ 38.

तालिका नं0 6.5 के विश्लेषण से स्पष्ट है सन् 1976-77 तक सहायक आयुक्त ।न्याय। के सम्मुख दायर की गई अपीलों की संख्या निरन्तर बढ़ती गई है, परन्तु इसके पश्चात् दायर की गई अपीलों की संख्या कम होती गई है । जिसके कारण है,

।1। अधिकारियों द्वारा पारित कर निर्धारण आदेशों में गुणात्मक स्तर का सुधार होना ;

।2। सहायक आयुक्त ।कर निर्धारण। की संख्या में वृद्धि होना तथा

।3। सर्वेक्षणों का बन्द होना ।

सन् 1970-71 में जहाँ 54,405 अपीलें दायर की गई थी, जिनकी संख्या सन् 1976-77 में सर्वाधिक 84,247 थी, लेकिन सन् 1984-85 में घटकर केवल 38,110 ही रह गयी । सन् 1972-73 तक दायर की गई अपीलों की संख्या की तुलना में निस्तारित अपीलों की संख्या अधिक रही जिससे अवशेष अपीलों की संख्या कम होती गई, परन्तु सन् 1973-74 से सन् 1977-78 तक अवशेष अपीलों की संख्या निरन्तर बढ़ती गई, लेकिन इसके पश्चात् दायर अपीलों से निस्तारित अपीलों की संख्या अधिक होने से अवशेष अपीलों की संख्या निरन्तर कम होती गई । सन् 1984-85 में मात्र 41,704 अपीलें अवशेष थी ।

सहायक आयुक्त ।न्याय। द्वारा निस्तारित बिक्रीकर की अपीलों की कर राशि में किये गये संशोधनों का विवरण तालिका नं0 6.6 में दर्शाया गया है । इस तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि निस्तारित अपीलों की कुल संख्या के 30 प्रतिशत से अधिक अपीलें प्रतिवर्ष ।सन् 1973-74 को छोड़कर। खारिज कर दी जाती है । सामान्यतः करों की राशि में कमी ही की गई है लेकिन विवादग्रस्त कर राशि सामान्य रूप से बढ़ती रही है । सन् 1983-84 में सर्वाधिक विवादग्रस्त कर राशि 38.23 करोड़ रूपये थी जो सन् 1984-85 में 35.20 करोड़ रूपये रह गयी ।

तालिका नं० 6.6

निस्तारित बिक्रीकर की अपीलों के वर्षवार परिणाम तथा घटाई गई/बढ़ाई गई/विवादित कर राशि

वर्ष	खारिज की गई अपीलों की संख्या	संशोधित अपीलों की संख्या	स्वीकृत की गई अपीलों की संख्या	प्रति प्रेषित अपीलों की संख्या	निस्तारित अपीलों की संख्या	घटाया गया कर (लाख रु० में)	बढ़ाया गया कर (लाख रु० में)	विवादित कर (लाख रु० में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1970-71	18,279 (33.2)	19,841 (35.8)	9,085 (16.5)	7,980 (14.5)	55,085	182.86	अप्राप्य	अप्राप्य
1971-72	22,693 (30.8)	26,883 (36.5)	13,141 (17.9)	10,889 (14.8)	73,606	247.79	अप्राप्य	अप्राप्य
1972-73	21,077 (30.3)	25,453 (36.6)	12,050 (17.4)	10,906 (15.7)	69,486	262.93	अप्राप्य	अप्राप्य
1973-74	17,737 (29.5)	21,664 (36.0)	10,517 (17.5)	10,187 (17.0)	60,105	265.50	0.58	1170.58
1974-75	20,171 (30.5)	23,621 (35.7)	13,015 (19.7)	9,241 (14.1)	66,048	390.90	0.59	1441.06
1975-76	23,297 (33.7)	26,141 (37.9)	13,833 (20.1)	5,738 (08.3)	69,009	427.38	0.37	1618.04
1976-77	22,427 (35.0)	25,036 (39.1)	13,292 (20.8)	3,284 (05.1)	64,039	654.36	1.06	2156.84
1977-78	19,802 (31.6)	25,792 (41.2)	14,281 (22.8)	2,744 (04.4)	62,619	817.54	0.57	2556.62
1978-79	26,750 (33.8)	30,294 (38.2)	19,635 (24.8)	2,555 (03.2)	79,234	801.54	1.10	2416.65

क्रमशः अगले पृष्ठ पर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1979-80	30,624 (38.3)	28,605 (35.8)	18,178 (22.8)	2,523 (3.1)	79,928	725.83	2.21	2436.09
1980-81	27,343 (38.1)	24,594 (34.3)	17,105 (23.8)	2,756 (3.8)	71,798	805.91	0.66	2913.22
1981-82	22,602 (35.7)	22,938 (36.2)	14,411 (22.8)	3,355 (5.3)	63,306	932.29	1.39	3543.18
1982-83	21,215 (33.7)	21,752 (34.5)	15,958 (25.3)	4,079 (6.5)	63,004	940.74	0.75	3419.45
1983-84	25,020 (34.8)	22,315 (31.1)	20,041 (27.9)	4,430 (6.2)	71,806	1166.69	2.49	3822.59
1984-85	26,111 (37.6)	19,393 (27.9)	19,281 (27.8)	4,629 (6.7)	69,414	1090.60	3.30	3520.14

स्रोत - आयुक्त बिक्री कर उत्तर प्रदेश : सांख्यिकीय अनुभाग, बिक्रीकर विभाग का सामान्य वार्षिक प्रतिवेदन 1984-85, लखनऊ, पृ0 43.

टिप्पणी : कोष्ठक में प्रतिशत के आँकड़े दर्शाये गये हैं ।

(ग) सहायक आयुक्त (जाँच चौकी एवं सचल दल)

उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 28 के अनुसार राज्य के बाहर से मँगाये गये माल की बिक्री पर देय कर अथवा अन्य राशि की चोरी को रोकने के लिए राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके चैक पोस्ट या बैरियर की स्थापना का निर्देश दे सकती है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य में सहायक आयुक्त (जाँच चौकी एवं सचल दल) के 4 पद हैं जिनमें से सहायक आयुक्त (जाँच चौकी) एवं सहायक आयुक्त (सचल दल) प्रत्येक के दो-दो पद हैं। एक सहायक आयुक्त (जाँच चौकी) तथा (सचल दल) का क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र है। जिसका मुख्यालय गाजियाबाद में है तथा दूसरे सहायक आयुक्त (जाँच चौकी) तथा (सचल दल) का क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र है जिसका मुख्यालय वाराणसी में है। सहायक आयुक्त (जाँच चौकी) के अधीन 46 जाँच चौकियाँ तथा सहायक आयुक्त (सचल दल) के अधीन 32 इकाईयाँ सचल दल की कार्यरत हैं। ये जाँच-चौकियाँ एवं सचल दल (बिक्री) से बिक्री कर अधिकारी (अपर) के नियन्त्रण में होती है। चैक पोस्ट या बैरियर अधिकारी को वाहन एवं माल के सम्बन्ध में विभिन्न प्रपत्रों को देखने, माल का निरीक्षण करने तथा माल जब्त करने का आदेश देने का अधिकार होता है। प्रदेश में 31 मार्च 1985 को कार्यरत जाँच चौकियों एवं सचल दल इकाइयों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'द' में दर्शाया गया है।

प्रदेश में बिक्रीकर जाँच-चौकियों द्वारा की गई कार्य प्रगति को निम्नलिखित तालिका नं० 6.7 में दर्शाया गया है।

तालिका नं० 6.7 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि इन चौकियों पर वाहनों की चैकिंग व्यवस्था के कारण अनाधिकृत माल पर जमानत एवं अर्थदण्ड के रूप में वसूल होने वाली राशि में उल्लेखनीय प्रगति हो रही है। यह राशि सन् 1978-79 में मात्र 93.29 लाख रुपये थी जो सन् 1984-85 में बढ़कर 480.02 लाख रुपये हो गयी।

बिक्री कर में चोरी की रोकथाम की दृष्टि से सचल दलों की प्रगति भी

तालिका नं0 6.7

बिक्री कर जाँच चौकियों की कार्य प्रगति

क्र0 सं0	मद का नाम	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
1.	जाँच चौकियों की संख्या	28	28	30	38	39	42	46
2.	कुल वाहनों की संख्या जो जाँच चौकियों से गुजरे	1487642	1712868	1811482	1890757	2431324	2541525	2227092
3.	वाहन जो कर योग्य माल के साथ गुजरे	941542	1219993	1314698	1372721	1773159	1870260	1614473
4.	वाहन जो कार्य के साथ गुजरे	874509	1158787	859252	917530	1090657	1304621	1417490
5.	अनाधिकृत माल लाने वाले वाहनों की संख्या	67037	61206	52446	39661	59395	81465	105186
6.	वसूल की गई जमानत/अर्थदण्ड की धनराशि (लाख रु0 में)	93.29	119.61	144.30	160.74	221.29	270.63	480.02

स्रोत : आयुक्त बिक्री कर (उत्तर प्रदेश) : सांख्यिकीय अनुभाग, बिक्रीकर विभाग का सामान्य वार्षिक प्रतिवेदन 1984-85 लखनऊ, पृ0 47.

सन्तोषजनक रही है और इनके द्वारा जमानत एवं अर्थदण्ड के रूप में वसूल की गई धनराशि सन् 1978-79 में केवल 37.35 लाख रुपये से बढ़कर सन् 1984-85 में 237.73 लाख रुपये हो गयी । सचल दलों की कार्यप्रगति को विस्तार से तालिका नं0 6.8 में दर्शाया गया है ।

।द। सहायक आयुक्त ।कर-निर्धारण।

बड़ी-बड़ी कम्पनियों, फर्मों तथा बड़े-बड़े करदाताओं के कर निर्धारण का कार्य सहायक आयुक्त ।कर निर्धारण। करते हैं । सन् 1975-76 में 6 सहायक आयुक्त ।कर निर्धारण। के पद थे जो 1983-84 में बढ़कर 34 तथा सन् 1984-85 में बढ़कर 35 हो गये ।

सहायक आयुक्त ।कर निर्धारण। का कार्यक्षेत्र उनको हस्तान्तरित व्यापारियों तक सीमित रहेगा । वह उन व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत रूप-पत्रों के परीक्षण, चैकों के सामयिक प्रस्तुतीकरण, विभिन्न प्रपत्र जारी करने, सामयिक एवं प्रभावी सर्वेक्षण, वापिसी के सभी मामले, फार्म-31 की चैक पोस्ट से प्राप्त प्रतियों की अभिलेखों में प्रविष्टि, डिलिक्वेन्सी रजिस्टर का रख-रखाव, बकाया वसूली की मानीटरिंग, धारा-15 ए, धारा-22, धारा-30, के वादों के निस्तारण, अधिवक्ताओं/करदाताओं की समस्याओं का समाधान, आडिट आपत्तियों के अनुपालन के विषय में उसी प्रकार उत्तरदायी होंगे/कार्यवाही करेंगे जिस प्रकार खण्डाधिकारी अपने खण्ड के अन्य व्यापारियों के सम्बन्ध में इन निर्देशों के अनुसार करेंगे/होंगे । इस प्रकार सहायक आयुक्त कर निर्धारण के समस्त कार्य एवं उत्तरदायित्व खण्ड अधिकारी की भाँति ही होंगे, केवल वे स्वतः कर-निर्धारण का कार्य नहीं करेंगे । सहायक आयुक्तों ।कर-निर्धारण। द्वारा की गई कार्य प्रगति को तालिका नं0 6.9 में दर्शाया गया है ।

तालिका नं0 6.9 में 1 अप्रैल 1977 को सहायक आयुक्त ।कर-निर्धारण। के यहाँ 980 अनिस्तारित कर निर्धारण वाद थे जो 31 मार्च 1985 को बढ़कर 7767 हो गये । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वादों के निस्तारण में तीव्र वृद्धि होते हुए भी अनिस्तारित वादों की संख्या इतनी बढ़ गयी । सन् 1977-78 में 1619 कर-

तालिका नं0 6.8

बिक्री कर सचल दलों की प्रगति

क्र0 सं0	मद का नाम	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
1.	सचल दल इकाइयों की संख्या	20	20	20	24	31	33	32
2.	कुल वाहनों की संख्या जिनकी जाँच की गई	34172	21548	30460	50985	60597	70021	69413
3.	दोषी पाये गये वाहनों की संख्या	2293	2920	4521	6414	8072	6800	7085
4.	ट्रान्सपोर्ट कम्पनियाँ जिनकी जाँच की गई	2363	1638	1344	1656	2146	2234	1066
5.	दोषी पाई गई ट्रान्सपोर्ट कम्पनियों की संख्या	430	547	754	1067	1309	1465	664
6.	रेलवे गोदाम/व्यक्तियों की संख्या जिनकी जाँच की गई	8982	5796	3821	5448	4974	5999	4983
7.	दोषी पाये गये रेलवे गोदाम/व्यक्ति की संख्या	3999	2018	1527	2103	2100	2038	1632
8.	वसूल की गई जमानत/अर्थदण्ड की धनराशि (लाख रु0 में)	37.35	43.83	68.44	116.60	145.84	188.44	237.73

स्रोत : आयुक्त बिक्री कर (उत्तर प्रदेश) : सांख्यिकीय अनुभाग, बिक्रीकर विभाग का सामान्य वार्षिक प्रतिवेदन 1984-85, लखनऊ, पृष्ठ 47.

तालिका नं0 6.9

सहायक आयुक्त (कर-निर्धारण) बिक्री कर, उत्तर प्रदेश द्वारा बिक्रीकर से सम्बन्धित कर निर्धारण वादों की स्थिति

क्र0 सं0	वादों की स्थिति	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-1985
1.	प्रारम्भ में निस्तारणार्थ वाद	980	2372	3069	3149	3813	4061	5246	6330
2.	वर्ष में निस्तारित हेतु वाद	3011	2618	2473	3692	2994	4263	6674	7472
3.	कुल वादों की संख्या	3991	4990	5542	6841	6807	8324	11920	13802
4.	वर्ष में निस्तारित वाद	1619	1921	2393	3028	2746	3078	5590	6035
5.	अन्त में अनिस्तारित वाद	2372	3069	3149	3813	4061	5246	6330	7767
6.	कार्यरत स0आ0 (कर-निर्धारण) की संख्या	16	20	20	20	20	32	34	35

स्रोत : आयुक्त बिक्री कर (उत्तर प्रदेश) : सांख्यिकीय अनुभाग, बिक्रीकर विभाग का सामान्य वार्षिक प्रतिवेदन 1984-85, लखनऊ, पृष्ठ 33.

निर्धारण वादों का निपटारा किया गया जिनकी संख्या सन् 1984-85 में 6035 हो गई । अनिस्तारित कर निर्धारण वादों की संख्या में वृद्धि होने का कारण यह है कि प्रत्येक वर्ष में जितने नये कर निर्धारण वाद बढ़ते हैं उतने वादों का निस्तारण नहीं हो पाता । यद्यपि सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) के क्षेत्रों में बढ़ते हुए वादों को ध्यान में रखते हुए इनके पदों की संख्या सन् 1977-78 में 16 से बढ़कर सन् 1984-85 में 35 कर दी गई ।

5. <u>कर निर्धारण अधिकारी</u>

कर निर्धारण अधिकारी से अभिप्राय उस अधिकारी से है जो बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत कर-निर्धारण की कोई भी कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार अथवा बिक्री कर आयुक्त द्वारा नियुक्त किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश में कर निर्धारण अधिकारी के रूप में विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है : (अ) सहायक आयुक्त (कर - निर्धारण), (ब) बिक्री कर अधिकारी (खण्डाधिकारी), (स) अतिरिक्त बिक्री कर अधिकारी (अपर बिक्री कर अधिकारी), (द) बिक्री कर अधिकारी श्रेणी - 2 (सहायक बिक्री कर अधिकारी) ।

<u>बिक्री कर अधिकारी</u> : बिक्री कर अधिकारी से आशय राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये बिक्रीकर अधिकारी से है । इसका कार्यक्षेत्र एक खण्ड होता है, जो उस खण्ड में कर निर्धारण अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करता है । बिक्रीकर अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में व्यापार करने वाले व्यापारियों के लिए कर-निर्धारण अधिकारी होता है । इस प्रकार वह व्यापारियों का कर निर्धारण करता है । बिक्रीकर अधिकारी में वह सहायक आयुक्त भी शामिल है जो (जिसे) कर-निर्धारण अधिकारी का काम करने के लिए अधिकार दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त इसमें बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी-2 भी शामिल है जिन्हें बिक्रीकर आयुक्त ने कर निर्धारण अधिकारी का काम करने के लिए नियुक्त किया है । सन् 1984-85 में 415 बिक्रीकर

अधिकारी और 62 बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी-2 प्रदेश में कर निर्धारण में कार्यरत थे ।

खण्ड के बिक्रीकर अधिकारी को "खण्डाधिकारी" कहा जाता है । ये अपने खण्ड से सम्बन्धित निम्न कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं :

खण्डाधिकारी रूप-पत्र प्रस्तुत करने के बाद अस्थायी कर निर्धारण आदेश पारित की कार्यवाही करते हैं । रूप-पत्रों का परीक्षण करते समय कर की दर, कर मुक्ति के दावे, प्रदर्शित विक्रय धन आदि की जाँच करते हैं । करदाताओं से प्राप्त चैकों को दूसरे दिन बैंक में प्रस्तुत करना, चैक रजिस्टर की मानीटरिंग करना, चैक के भुगतान में विलम्ब होने पर स्टेट बैंक एवं सम्बन्धित बैंक अधिकारी से सम्पर्क स्थापित करना, अनादरित चैकों के सम्बन्ध में कार्यवाही करना आदि के सम्बन्ध में खण्डाधिकारी ही उत्तरदायी होता है । विक्रय योग्य फार्मों को सुरक्षित रखने का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व सम्बन्धित मण्डल/खण्ड के बिक्रीकर अधिकारी का होता है। खण्ड के बिक्रीकर अधिकारी ही करदाताओं को विभिन्न प्रपत्र जारी करते हैं । करदाताओं का सामयिक तथा प्रभावी सर्वेक्षण करना, व्यापारियों को पंजीयन देना, पंजीयन के लिए संस्तुति करना, चैक पोस्ट से प्राप्त हुये फार्म-31 की प्रविष्टि विभागीय अभिलेखों में लिपिक से करवाना तथा फार्मों को पत्रावलियों में रखवाना, बकाया वसूली प्रमाण-पत्रों की जाँच करना, निर्गमित कराना तथा समय-समय पर मानीटरिंग करना, निस्तारित वादों के मामलों की जानकारी के लिए कार्यालय का निरीक्षण करना, पुनरीक्षित स्वतः कर-निर्धारण योजना के सभी मामलों का निस्तारण करना, दस लाख रुपये तथा उससे अधिक कर योग्य विक्रय धन वाले वादों में कर-निर्धारण करना, अधिवक्ताओं तथा करदाताओं की समस्यायें सुनना एवं उनका समाधान करना, आडिट आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण करना और उनसे सम्बन्धित अनुपालन आख्या भिजवाना ।

कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत निर्धारित सभी फार्मों को ठीक से भरवाकर निर्धारित समय सारिणी से कम्प्यूटर इकाई को उपलब्ध कराना, कम्प्यूटर इकाई

3. पत्र संख्या-रैकुल/क०नि०/कार्य विधि-3/30/4/84-85-22 मुख्यालय लखनऊ, जुलाई 10, 1984 पर आधारित ।

से प्राप्त रिपोर्टों पर तत्परता से कार्यवाही करना आदि के सम्बन्ध में खण्डाधिकारी का दायित्व होता है ।

(स) <u>उपर विक्रीकर अधिकारी</u> : खण्ड के साथ सम्बद्ध उपर विक्रीकर अधिकारी के निम्न कार्य, अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व होते हैं : दस लाख रुपये तक के कर योग्य विक्रय धन वाले समस्त सम्मिलित वादों में कर निर्धारण तथा रूप-पत्रों की जाँच करना, पारित कर निर्धारण आदेशों की प्रविष्टि रजिस्टर में कराना, कर-निर्धारण आदेशों की तामीली समय से करना, निस्तारण मामलों से सम्बन्धित प्रार्थना पत्रों का नियमानुसार निस्तारण करना, हस्तान्तरित वादों के सम्बन्ध में प्राप्त अपीलीय आदेशों का परीक्षण करना, किसी वाद में द्वितीय अपील किये जाने की दशा में निर्धारित प्रारूप में अपनी आख्या के साथ पत्रावली निर्धारित समय के अन्दर सहायक आयुक्त (वादकीय) को भेजना, सम्बन्धित कर निर्धारण वादों के सम्बन्ध में आडिट आपत्ति होने पर नियमानुसार निराकरण करके अनुपालन आख्या सहायक आयुक्त (वादकीय) और आडिट दल को भेजना, प्रतिमाह 50 शुद्ध वादों का कर निर्धारण करना इत्यादि ।

जिन मण्डल/उपमण्डल/खण्ड में विक्रीकर अधिकारी श्रेणी-2 तैनात नहीं हैं, वहाँ पर तैनात अतिरिक्त विक्रीकर अधिकारी अपने कार्यों के अतिरिक्त चालानों को प्रमाणित करने, चेकों को बैंक भेजने, आशुलिपिकों के कार्यों का निरीक्षण, जिला स्तर की मीटिंग में प्रतिनिधित्व करने, द्वितीय अपील दायर करने के साथ-साथ दस लाख से ऊपर के वादों की अपीलों में सहायक आयुक्त (न्याय) के समक्ष विभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

(द) <u>विक्रीकर अधिकारी श्रेणी-2</u> : खण्ड में तैनात विक्रीकर अधिकारी श्रेणी-2 खण्डाधिकारियों के सभी कार्यों में उनकी सहायता करते हैं । वे खण्डाधिकारी द्वारा दिये गये विभिन्न निर्देशों का भी पालन करते हैं और विशेष रूप से चेकों के सही समय पर बैंक भिजवाने, वापसी के मामलों में परीक्षण करके रिपोर्ट बनाने, वसूली प्रमाणपत्र को सही समय पर जारी करने, रोस्टर बनाकर खण्डों के विभिन्न पत्रों

का नियमित निरीक्षण करने, दाखिल किये गये प्रतिभूति बान्ड की जाँच करने तथा पंजीकरण के सम्बन्ध में स्थानिक जाँच करना एवं अपवंचन का संग्रह करना इत्यादि के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार मुख्य कार्य बाजारों का सर्वेक्षण करके सूचना प्राप्त करने तथा नये करदाताओं का पता लगाने की दृष्टि से बिक्रीकर निरीक्षक भी नियुक्त किये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर कर निर्धारण से सम्बन्धित कुछ वादों के विवरण को तालिका नं० 6.10 में दर्शाया गया है।

तालिका नं० 6.10

उत्तर प्रदेश में बिक्रीकर से सम्बन्धित समस्त कर निर्धारण के वादों की प्रगति

वर्ष	वादों की संख्या लाखों में					कर निर्धारण में कार्यरत अधिकारी		
	1 अप्रैल को अनिस्तारित कर निर्धारण वादों की संख्या	वर्ष में प्राप्त वादों की संख्या	निस्तारण हेतु कुल वादों की संख्या	वर्ष में निस्तारित वादों की संख्या	वर्ष के अन्त में अनिस्तारित कुल निर्धारण वादों की संख्या 31 मार्च को।	बिक्री कर अधिकारी	बिक्री कर अधिकारी श्रेणी-2	सहायक आयुक्त (कर निर्धारण)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1970-71	1.57	2.01	3.58	1.57	2.01	87	111	-
1971-72	2.01	2.21	4.22	1.61	2.61	118	115	-
1972-73	2.61	2.34	4.95	1.92	3.03	119	172	-
1973-74	3.08	2.38	5.41	2.17	3.24	119	260	-
1974-75	3.24	2.62	5.86	2.30	3.56	185	204	-
1975-76	3.56	3.07	6.63	2.43	4.20	202	198	6
1976-77	4.20	2.86	7.06	2.81	4.25	221	241	20
1977-78	4.25	3.45	7.70	3.12	4.58	233	226	16
1978-79	4.58	3.48	8.06	3.68	4.38	275	195	20
1979-80	4.38	2.95	7.33	3.67	3.66	418	221	20
1980-81	3.66	3.07	6.73	3.17	3.56	401	231	20

क्रमशः अगले पृष्ठ पर।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1981-82	3.56	3.05	6.61	2.90	3.71	396	212	20
1982-83	3.71	3.07	6.78	3.03	3.75	404	217	32
1983-84	3.75	2.98	6.73	2.56	4.17	377	187	34
1984-85	4.17	2.87	7.04	1.75	5.29	415	62	35

स्त्रोत : पूर्वोद्धृत, पृष्ठ 31.

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 1 अप्रैल 1970 को अनिस्तारित कर निर्धारण वादों की संख्या 1.57 लाख थी जो 31 मार्च 1985 को बढ़कर 5.29 लाख हो गई। 1 अप्रैल 1978 तक अनिस्तारित कर निर्धारण वादों की संख्या लगातार बढ़ती रही, लेकिन इसके बाद 31 मार्च, 1981 तक अनिस्तारित कर निर्धारण वादों की संख्या में निरन्तर कमी होती गई। इसके पश्चात् पुनः 1 अप्रैल, 1981 के बाद से इनमें वृद्धि होने लगी। सन् 1978-79 के वर्ष में वादों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई। जहाँ सन् 1970-71 में वादों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि 2.01 लाख वादों की हुई वहीं सन् 1984-85 में 2.87 लाख वादों की वृद्धि हुई। जबकि 1978-79 में 3.48 लाख वादों की संख्या बढ़ी थी। जहाँ सन् 1970-71 में 3.58 लाख वादों का निस्तारण किया जाना था, वहीं सन् 1984-85 में 7.04 लाख वादों का निस्तारण होना था, लेकिन सन् 1970-71 में सिर्फ 1.57 लाख वादों का ही निस्तारण किया गया जबकि सन् 1984-85 में 1.75 लाख वादों का निस्तारण किया गया। सन् 1978-79 में सबसे अधिक 3.68 लाख वादों को निपटाया गया।

उपरोक्त तालिका से यह भी स्पष्ट है कि जहाँ सन् 1970-71 में 87 बिक्री-कर अधिकारी एवं 111 बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी-2 कार्यरत रहे, वहाँ सन् 1984-85 में 415 बिक्री कर अधिकारी एवं 62 बिक्री कर अधिकारी श्रेणी-2 कार्यरत रहें। सन् 1975-76 में सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) नाम का नया पद सृजित किया और इसके 6 पद थे। राजस्व में वृद्धि लाने की दृष्टि से शासन ने 1976-77 में 14 नये

पदों का सृजन किया, परन्तु 1977-78 में 16 सहायक आयुक्त (कर-निर्धारण) कार्यरत रहे । वर्ष 1978-79 से वर्ष 1981-82 तक 20, वर्ष 1982-83 में 32, वर्ष 1983-84 में 34 तथा वर्ष 1984-85 में 35 सहायक आयुक्त (कर-निर्धारण) कार्यरत रहे ।

<u>बिक्रीकर न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल)</u>

यदि कोई व्यक्ति सहायक आयुक्त (न्याय) या उपायुक्त (अपील), पुनर्विचार करने वाले अधिकारी अथवा विवादास्पद प्रश्न पर आयुक्त के आदेश से सन्तुष्ट नहीं होता तो वह ऐसे आदेश के विरुद्ध बिक्रीकर न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) से अपील कर सकता है । बिक्रीकर मामलों की अपील के लिए राज्य सरकार ने एक बिक्रीकर ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की है जिसका एक अध्यक्ष तथा आवश्यकतानुसार सदस्य होते हैं । उन व्यक्तियों में से सदस्यों की नियुक्ति की जाती है जो कि उच्च न्यायालय में जज की नियुक्ति की योग्यता रखते हैं अथवा उत्तर प्रदेश के बिक्रीकर विभाग में कम से कम उप-आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं या रह चुके हैं । ट्रिब्यूनल अपीलकर्ता को सुनवायी देकर अपील खारिज कर सकता है या आदेश को सम्पुष्ट (पुष्टी), रद्द या परिवर्तित कर सकता है या आदेश को रद्द करके यह आदेश दे सकता है कि अधिकारी मामले की पुनः जाँच करके नया आदेश दे या अधिक वसूल की गयी राशि वापिस करें । 3 अक्तूबर वर्ष 1980 से बिक्रीकर ट्रिब्यूनल की स्थापना के फलस्वरूप अब द्वितीय अपीलों का निस्तारण बिक्रीकर ट्रिब्यूनल में किया जाने लगा है । प्रदेश में ट्रिब्यूनल की कुल 16 पीठें हैं और इन पीठों के 25 सदस्य हैं । अध्यक्ष न्यायाधिकरण की पीठें लखनऊ में हैं । बिक्रीकर न्यायाधिकरण की विभिन्न पीठों में सदस्यों की संख्या 25 है ।

बिक्रीकर न्यायाधिकरण की कार्य प्रगति को तालिका नं0 6.11 में दर्शाया गया है ।

तालिका नं0 6.11 से स्पष्ट है कि न्यायाधिकरण द्वारा निस्तारित अपीलों की संख्या निरन्तर कम होती जा रही है, लेकिन दायर अपीलों का अनुपात तुलनात्मक रूप से अधिक होने के कारण अवशेष रह जाने वाली अपीलों की संख्या वर्ष 1980-81 के अन्त में 31518 से बढ़कर वर्ष 1984-85 में 52595 हो गयी ।

तालिका नं0 6.11

बिक्रीकर न्यायाधिकरण द्वारा द्वितीय अपीलों की प्रगति

वर्ष	1 अप्रैल को अवशेष रिवीजनों की संख्या	वर्ष में दायर अपीलों की संख्या	कुल अपीलों की संख्या	वर्ष में निस्तारित अपीलों की संख्या	31 मार्च को अवशेष अपीलों की संख्या	कार्यरत अधिकारियों की संख्या
1980-81 (13.10.80) से	28157	12986	41143	9625	31518	14
1981-82	31518	19413	50931	16654	34277	15
1982-83	34277	23206	57483	16371	41112	11
1983-84	41112	19987	61099	15691	45408	16
1984-85	45408	21398	66806	14211	52595	15

स्त्रोत : पूर्वोद्धृत, पृ0 45.

बिक्रीकर के सम्बन्ध में राज्य सरकार के अधिकार

बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार को अनेक अधिकार दिये गये हैं जो कि निम्न प्रकार हैं :

1. नियम बनाने का अधिकार

राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निम्न विषयों के सम्बन्ध में नियम बना सकती है : ॥अ॥ वे सभी मामले जिनके सम्बन्ध में अधिनियम में कहा गया है कि "ऐसा निर्धारित कर दिया जाय" ; ॥ब॥ माल के क्रेता या विक्रेताओं के लिए आढ़तों, आढ़त फीस तथा इससे सम्बन्धित दरों ; ॥स॥ अधिनियम के अन्तर्गत कर के निर्धारण हेतु पण्यावर्त ॥टर्न ओवर॥ का निर्धारण ; ॥द॥ विवरण दाखिल करने, किसी व्यक्ति को स्वयं उपस्थित होने के लिए बाध्य करना

तथा समय दिखाकर बयान लेना ; (य) अधिनियम के संचालन हेतु अधिकारियों की नियुक्ति, उनके अधिकार एवं कर्तव्य ; (र) अधिनियम के अधीन की जाने वाली कार्यवाही की क्रिया विधि एवं अपनाये जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में ; (ल) धारा 29 (ए) (1) के अधीन जमा करायी गयी रकम की वापसी, इसके लिए अवधि एवं क्रिया विधि ; (व) धारा 13 (ए) (4) के अन्तर्गत सील करने का ढंग, सील लगे माल, पुस्तकों व अन्य सम्पत्ति के रक्षण का ढंग, सील किये गये माल को हटाने का ढंग तथा इसे हटाने वाला व्यक्ति ; (श) धारा 13 (ए) के अधीन जब्त किये गये माल का रक्षण ; (ष) वे मामले जो निर्धारित कर दिये जायें ।

इस प्रकार बनाये गये नियम इन्हें लागू करने की तिथि से कम से कम 4 सप्ताह पूर्व गजट में प्रकाशित किये जायेंगे । यदि राज्य सरकार विद्यमान परिस्थितियों में ऐसा करना आवश्यक समझे तो वह किसी नियम को बिना पूर्व प्रकाशन के तुरन्त लागू कर सकती है । इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक नियम बनाने के बाद यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष सत्रकाल में कुल मिलाकर कम से कम 14 दिन के लिये रखा जायेगा । विधान सभा नियम में परिवर्तन कर सकती है । परिवर्तन किये जाने पर परिवर्तित नियम ही लागू होगा ।[4]

2. <u>अधिसूचना जारी करने का अधिकार</u>

राज्य सरकार जनहित में ऐसा करना उचित समझे तो वह धारा 3 ए, 3एए, 3 डी, 4 अथवा 4 बी के अधीन अधिसूचना जारी कर सकता है ।[5] यह अधिसूचना इसे जारी करने की तिथि के कम से कम 6 माह बाद लागू होगी । किसी व्यापारी का कर दायित्व बढ़ाने वाली अधिसूचना पिछली तिथि से लागू नहीं हो सकती है ।[6]

---

4. Added by Section 24 of U.P. Act 1 of 1973.

5. As per Section 25 of U.P. Sales Tax.

6. Ins. by U.P. Act 2 of 1980, S.9 and deemed to have been inserted on 1.1.1979.

3. <u>परिक्षेत्र, क्षेत्र तथा मण्डल बनाने का अधिकार</u>

राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा (क) एक उपायुक्त (प्रशासकीय) अथवा एक उपायुक्त (अपील) के परिक्षेत्र को समाप्त कर सकती है या परिक्षेत्र बना सकती है तथा परिक्षेत्र में शामिल मण्डल और उपमण्डल को अधिसूचित कर सकती है। (ख) एक सहायक आयुक्त (प्रशासकीय) अथवा सहायक आयुक्त (न्यायिक) के क्षेत्र को बना सकती है या समाप्त कर सकती है तथा क्षेत्र में शामिल मण्डल और उपमण्डल को अधिसूचित कर सकती है । (ग) नया मण्डल या उपमण्डल बना सकती है अथवा समाप्त कर सकती है तथा इनकी सीमा का निर्धारण या पुनः निर्धारण कर सकती है ।[7]

उत्तर प्रदेश में बिक्रीकर प्रशासन के विस्तृत ढाँचे का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में बिक्रीकर जैसे कठिन कर को लगाने, एकत्रित करने, करापवंचन को रोकने तथा करारोपण में न्यायिक व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से व्यापक व्यवस्था की गई है और समय के साथ बढ़ती हुई आवश्यकता तथा उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए नये पदों का सृजन किया गया है और विद्यमान पदों पर अधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई है, लेकिन विभिन्न पदों एवं स्तरों की दृष्टि से क्षेत्रों को अलग-अलग बाँटकर प्रशासनिक ढाँचे में जटिलता तथा कुछ भ्रम उत्पन्न कर दिया गया है । अतः आवश्यकता इस बात की है कि प्रदेश को सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार ही तहसील, जिला और कमिश्नरी स्तर पर बिक्रीकर निर्धारण, संग्रहण तथा न्याय व्यवस्था को गठित किया जाय । प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से महत्वपूर्ण और लगभग समान भार के पदों की दृष्टि से क्षेत्र समान ही रखे जाये । उदाहरण के लिए जब उपायुक्त (प्रशासकीय) के 12 पद हैं तो उपायुक्त (अपील) के भी 12 पद होने चाहिए । इसी प्रकार कुछ अन्य समानतायें भी बनायी जा सकती है । बिक्री कर के सम्बन्ध में जनता को आवश्यक जानकारी प्रदान करने,

---

6.
7. Subs. by Notfn.No.ST-11-255/X 900(17)-69, dt. 6.5.81 (w.e.f. 6.5.81)

जनता की समस्याओं एवं शंकाओं को हल करने तथा करदाताओं में कर भुगतान के प्रति ईमानदारी को विकसित करने के लिए बिक्रीकर प्रशासन में जनसम्पर्क की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही कर प्रशासन को सुव्यवस्थित और प्रभावशाली बनाये रखने के लिए यह भी आवश्यक है कि स्वीकृत पदों के अनुसार अधिकारियों की व्यवस्था हो। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1983-84 और 1984-85 में बिक्रीकर अधिकारी स्तर के 750 पद और बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी-2 स्तर के 642 पद स्वीकृत थे जबकि उन पर कार्यरत अधिकारियों की संख्या वर्ष 1983-84 में 674 तथा 428 और वर्ष 1984-85 में 672 तथा 409 थी। इसी प्रकार वर्ष 1984-85 में उपायुक्त बिक्रीकर के 26 पदों में से 22 पदों पर उपायुक्त नियुक्त थे। वर्ष 1983-84 में सहायक आयुक्त बिक्रीकर के 149 पदों में 120 पदों पर और वर्ष 1984-85 में 150 पदों में 116 पदों पर सहायक आयुक्त नियुक्त थे। पिछले दो वर्षों से आर्थिक सलाहकार, उपनिदेशक (संख्या), लेखा परीक्षा अधिकारी के पद खाली पड़े हुए हैं। प्रशासनिक कार्यकुशलता मात्र अधिकारियों पर ही नहीं वरन् निम्न स्तर के कर्मचारियों की पर्याप्तता व कुशलता पर निर्भर करती है। लेकिन चिन्ता का विषय है कि 31 मार्च 1984 को बिक्रीकर प्रशासन में तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 6899 तथा 4292 थी लेकिन वास्तव में केवल 6325 तथा 3625 व्यक्ति ही इन पदों पर कार्यरत थे। यद्यपि वर्ष 1984-85 में इनके स्वीकृत पदों की संख्या में वृद्धि हुई, लेकिन 31 मार्च, 1985 को इनके स्वीकृत पदों की संख्या 6960 तथा 4337 में से केवल 5993 और 3486 व्यक्ति ही कार्यरत थे। इस प्रकार वर्ष 1984-85 में स्वीकृत पदों में वृद्धि होने के बावजूद भी वर्ष 1983-84 की तुलना में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या में कमी हुई है।

बिक्रीकर निर्धारण में शीघ्रता तथा कुशलता लाने के लिए और विवादग्रस्त कर राशि का उचित समय में निपटारा करने की दृष्टि से यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि सभी कर-निर्धारण पर अन्तिम निर्णय सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष में ही हो जाना चाहिये तथा अपील पर निर्णय कर-निर्धारण वर्ष से ठीक अगले वर्ष पूरा हो जाना चाहिए अर्थात् यह प्रयास किया जाना चाहिए कि प्रशासन में कुशलता और सक्रियता लाकर अनिस्तारित वादों और अपीलों की संख्या को निरन्तर घटाने का प्रयास किया जाए।

सप्तम अध्याय

त्रिपिटक आगम : तुलनात्मक विवेचन

अध्याय-7

बिक्री कर आगम : तुलनात्मक विश्लेषण

प्रस्तुत अध्याय में बिक्रीकर के आगम से सम्बन्धित तथ्यों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। प्रारम्भ में बिक्रीकर से सम्बन्धित मदानुसार नियोजित आँकड़े उपलब्ध न होने के कारण बिक्रीकर आगम का विश्लेषण करना कठिन कार्य था परन्तु जैसे-जैसे बिक्रीकर का महत्व एवं आगम बढ़ता गया वैसे ही बिक्रीकर के कुल आगम को वर्ष 1967-68 में निम्न चार मदों में विभाजित किया गया।

1. बिक्रीकर ;
2. केन्द्रीय बिक्रीकर ;
3. मोटर स्प्रिट पर बिक्रीकर ;
4. गन्ने पर क्रय कर।

बिक्रीकर से प्राप्त आँकड़ों से ऐसा अनुमान लगाया गया कि वर्ष 1938-39 में इससे प्राप्त आगम मात्र 1 लाख रुपये थी जो वर्ष 1939-40 में 600% से बढ़ गई। इस वर्ष बिक्रीकर से कुल आगम 6 लाख रुपये थी। अन्य राज्यों द्वारा बिक्रीकर के अपनाये जाने के कारण बिक्रीकर की राशि में निरन्तर वृद्धि होने लगी और सन् 1943-44 में बिक्रीकर से 8 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। स्वतन्त्रता के पश्चात् के बिक्रीकर आगम की प्रवृत्ति को निम्न तालिका नं० 7.1 में स्पष्ट किया गया है।

तालिका नं० 7.1

विविध वर्षों में बिक्री कर आगम

(राशि लाख रुपयों में)

वर्ष	सामान्य बिक्रीकर	केन्द्रीय बिक्री कर	मोटर स्प्रिट पर बिक्रीकर	गन्ने पर क्रय कर	कुल बिक्रीकर	वृद्धि प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7
1947-48	-	-	-	-	1703	-
1948-49	-	-	-	-	3845	125.78

1	2	3	4	5	6	7
1949-50	-	-	-	-	5139	33.65
1950-51	-	-	-	-	5685	10.62
1951-52	5440	-	453	-	5893	3.65
1952-53	5121	-	599	-	5720	-2.93
1953-54	5833	-	735	-	6568	14.83
1954-55	6641	-	725	-	7366	12.15
1955-56	8010	-	150	-	8160	10.78
1956-57	9660	-	100	-	9760	19.61
1957-58	10737	-	975	-	11712	20.00
1958-59	11170	-	1219	-	12389	5.78
1958-60	12437	-	1246	-	13683	10.44
1960-61	14245	-	1633	-	15878	16.04
1961-62	16314	-	1830	-	18144	14.27
1962-63	18752	-	2135	-	20887	15.12
1963-64	24541	-	2290	-	26831	28.46
1964-65	27053	-	2700	-	29753	10.89
1965-66	33857	-	2922	-	36779	23.61
1966-67	40685	-	3584	-	44269	20.36
1967-68	37400	10136	3374	908	51819	17.05
1968-69	43709	10007	3529	1170 821	66796 58076	12.07
1969-70	49079	12692	3855	1170	66796	15.01
1970-71	56155	14722	4634	1110	76621	14.78
1971-72	63617	14130	4893	1298	83938	9.55
1972-73	76566	13440	2797	1846	97649	16.35
1973-74	84448	21221	6770	1843	114282	17.03

1	2	3	4	5	6	7
1974-75	113064	30078	8866	3030	155038	35.66
1975-76	142815	37470	9487	4598	194370	25.37
1976-77	165005	46519	10915	4600	227039	16.80
1977-78	178019	47420	11401	4589	241429	6.39
1978-79	206246	54750	12178	4157	277331	14.87
1979-80	240729	61306	14131	4943	321109	15.78
1980-81	297014	72004	15447	4293	388758	21.07
1981-82	366912	97041	20274	5061	489288	25.86
1982-83	421050	101402	21221	5933	549606	12.33
1983-84	486507	104708	27358	7533	626106	13.92
1984-85	543565	128707	29030	5163	706465	12.83
1985-86 (बजट)	607173	142399	33879	5043	788494	11.61

स्रोत : रिजर्व बैंक आफ इण्डिया बुलेटिन 1951 से 1985.

टिप्पणी : 1. सन् 1947-48 से सन् 1950-51 के कुल बिक्रीकर में सामान्य बिक्रीकर एवं मोटर-स्पिट पर बिक्रीकर की राशि शामिल है ।

2. सन् 1957-58 से सन् 1966-67 की सामान्य बिक्रीकर की राशि में केन्द्रीय बिक्रीकर की राशि भी सम्मिलित है ।

कुल बिक्रीकर के आंकड़ों से स्पष्ट है कि वर्ष 1947-48 में इस कर से मात्र 1703 लाख रुपये की आगम प्राप्त हुई थी, वह वर्ष 1983-84 में 626106 लाख रुपये हो गयी और वर्ष 1985-86 के बजट अनुमान के अनुसार 788494 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है । प्रारम्भ में कुल बिक्रीकर की राशि में वृद्धि की दर काफी धीमी थी लेकिन वर्ष 1973-74 के पश्चात् से इसमें तेजी से वृद्धि हुई है । वर्ष 1974-75 और

1975-76 में लगभग 40000 लाख रुपये वार्षिक की वृद्धि हुई जो वर्ष 1976-77 में लगभग 33000 लाख रुपये और वर्ष 1977-78 में 14400 लाख रुपये रह गयी, लेकिन इसके पश्चात् वर्ष 1978-79 में 36000 लाख रुपये और वर्ष 1979-80 में लगभग 44000 लाख रुपये की वृद्धि हुई। इसके बाद आगम में वृद्धि की गति और भी तीव्र हुई और वर्ष 1980-81 में लगभग 67000 लाख रुपये की वृद्धि हुई। वृद्धि की सर्वोच्च राशि वर्ष 1981-82 में हुई जब इस वर्ष बिक्रीकर के कुल आगम में लगभग 100000 लाख रुपये की वृद्धि हुई। इसके पश्चात् वर्ष 1982-83 में लगभग 600000 लाख रुपये की वृद्धि हुई तथा इसके बाद तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष लगभग 80000 लाख रुपये की वृद्धि हुई।

सामान्य बिक्रीकर की प्रवृत्ति और बिक्रीकर की कुल आगम की प्रवृत्ति लगभग एक सी रही है, क्योंकि कुल बिक्रीकर का एक बड़ा भाग सामान्य बिक्री से ही प्राप्त होता है। वर्ष 1951-52 में सामान्य बिक्रीकर से प्राप्त आगम 5440 लाख रुपये थी जो प्रथम योजना के अन्त में (1955-56) 8010 लाख रुपये, द्वितीय योजना के अन्त में (1960-61) 14245 लाख रुपये और तृतीय योजना के अन्त में (1965-66) 33857 लाख रुपये हो गयी। इस तरह पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में सामान्य बिक्रीकर से आगम 6 गुना हुआ लेकिन इसके बाद के बीस वर्षों में सामान्य बिक्रीकर से आगम लगभग 18 गुना हो गया। कुछ संशोधन एवं रियायत किये जाने के कारण इस कर से आगम में वर्ष 1952-53 में मामूली गिरावट भी आयी। वर्ष 1957-58 से 1966-67 तक केन्द्रीय बिक्रीकर की राशि भी सामान्य बिक्रीकर में शामिल की जाती थी लेकिन वर्ष 1967-68 में सामान्य बिक्रीकर की राशि कम होने का कारण केन्द्रीय बिक्रीकर की राशि को अलग से दिखाया जाना था। इसी प्रकार 1972-73 में कुछ राज्यों (बिहार, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु) के सामान्य बिक्रीकर के समंक उपलब्ध न होने से सामान्य बिक्रीकर की राशि कम दिखायी गयी थी। अन्यथा इस कर से आगम में निरन्तर वृद्धि ही हुई है। वर्ष 1980-81 से 60000 से 70000 लाख रुपये तक की वृद्धि का क्रम बना हुआ है। यद्यपि केन्द्रीय बिक्रीकर का आरोपण वर्ष 1957-58 में ही हो गया था, लेकिन इसके पृथक और विस्तृत समंक वर्ष 1967-68 से ही उपलब्ध है। प्रारम्भ में केन्द्रीय बिक्रीकर से आगम

में स्थिर और धीमी गति की वृद्धि की स्थिति रही लेकिन सामान्य बिक्रीकर की भाँति ही वर्ष 1979-80 से वृद्धि दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है ।

मोटर स्प्रिट पर बिक्रीकर और गन्ने पर क्रय कर से आगम में तुलनात्मक रूप से धीमी गति से वृद्धि हुई है । मोटर स्प्रिट पर बिक्रीकर की राशि वर्ष 1951-52 में 453 लाख रुपये थी जो वर्ष 1956-66 में 2922 लाख रुपये हो गयी । इन 15 वर्षों में इस कर से आगम में लगभग $6\frac{1}{2}$ गुनी वृद्धि हुई । यद्यपि वर्ष 1955-56 और 1956-57 में काफी गिरावट आयी थी । वर्ष 1965-66 के पश्चात् इसमें धीमी गति से वृद्धि होती गयी जो वर्ष 1983-84 में बढ़कर 27358 लाख रुपये हो गयी जो वर्ष 1965-66 की तुलना में लगभग $9\frac{1}{2}$ गुनी थी । यद्यपि वर्ष 1967-68 में इसमें मामूली गिरावट भी आयी थी । गन्ने पर क्रय कर की राशि वर्ष 1975-76 से वर्ष 1981-82 तक बहुत कुछ स्थिर बनी रही और वर्ष 1982-83 और 1983-84 में उसमें सुधार हुआ, लेकिन 1984-85 और 1985-86 में आगम राशि पूर्व स्तर पर आ क गई ।

कुल मिलाकर बिक्रीकर से आगम में दीर्घकालीन प्रवृत्ति बढ़ती हुई दर से वृद्धि की रही है । इसमें यह तथ्य उल्लेखनीय है कि इसमें देश में निरन्तर बढ़ती हुई बिक्री तथा समय-समय पर बिक्रीकर की दरों में वृद्धि महत्वपूर्ण उत्तरदायी घटक रहे हैं । जब तक केन्द्रीय बिक्रीकर नहीं था कुल बिक्रीकर का लगभग 98 प्रतिशत भाग सामान्य बिक्रीकर से प्राप्त होता था लेकिन केन्द्रीय बिक्रीकर के पश्चात् बिक्रीकर के कुल आगम में सामान्य बिक्रीकर के भाग में कमी आयी है । वर्ष 1967-68 में कुल बिक्रीकर में सामान्य बिक्रीकर का भाग लगभग 72 प्रतिशत था जो वर्ष 1979-80 में 75, वर्ष 1983-84 में 78 और वर्ष 1985-86 में 77 प्रतिशत था ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय देश के विभिन्न राज्य तीन वर्गों में विभाजित थे । "अ" वर्ग में 9 राज्य थे, जिनमें असम, बिहार, मध्यप्रदेश, बम्बई, उड़ीसा, पंजाब, मद्रास, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल शामिल थे । इनमें असम और उत्तर प्रदेश को छोड़कर यह कर अन्य राज्यों में पहले से ही आरोपित था । "ब" वर्ग के राज्यों में 7 राज्य - हैदराबाद, मध्यभारत, मैसूर, पेप्सू, राजस्थान, सौराष्ट्र और

ट्रावनकोर-कोचीन शामिल थे । "स" वर्ग के राज्यों में अजमेर, भोपाल, कुर्ग, देहली, हिमाचल प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश तथा जम्मू व कश्मीर आदि आते थे । वर्ष 1947-48 में ब और स वर्ग के अधिकांश राज्यों में बिक्रीकर नहीं था । देश में स्वतन्त्रताप्राप्ति और नियोजन-प्रारम्भ के मध्य की अवधि (सन् 1947-48 से 1950-51 तक) में बिक्री कर आगम को तालिका नं० 7.2 में दर्शाया गया है ।

तालिका नं० 7.2

राज्यों की बिक्रीकर-आगम (1947-48 से 1950-51)

(लाख रुपयों में)

राज्य का नाम		1947-48	1948-49	1949-50	1950-51
1		2	3	4	5
"अ" वर्ग के राज्य					
1.	आसाम	-	24	49	56
2.	बिहार	106	233	258	440
3.	मध्य प्रदेश	62	143	199	235
4.	बम्बई (महाराष्ट्र)	466	676	1323	1518
5.	उड़ीसा	6	30	62	80
6.	पंजाब	21	27	139	178
7.	मद्रास (तमिलनाडु)	831	1303	1524	1587
8.	उत्तर प्रदेश	-	427	612	521
9.	पं० बंगाल	211	432	464	520
	"अ" वर्ग का योग	1703	3295	4630	5135
"ब" वर्ग के राज्य					
1.	हैदराबाद	-	-	-	73
2.	मध्य भारत	-	-	-	42

1		2	3	4	5
3.	मैसूर	-	-	-	140
4.	पैप्सू	-	-	-	30
5.	राजस्थान	-	-	-	-
6.	सौराष्ट्र	-	-	-	6
7.	ट्रावन कोर कोचीन	-	-	-	259
	"ब" वर्ग का योग	-	550	509	550
"स" वर्ग के राज्य		-	-	-	-
कुल योग (अ + ब)		1703	3845	5139	5685

स्रोत : "रिजर्व बैंक आफ इण्डिया बुलेटिन", अप्रैल 1952.

टिप्पणी : कुल बिक्रीकर में सामान्य बिक्रीकर एवं मोटर स्प्रिट पर बिक्रीकर की राशि शामिल है ।

तालिका नं0 7.2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुल मिलाकर वर्ष 1947-48 में बिक्रीकर से 1703 लाख रुपये की आगम हुई जिसमें से लगभग 49 प्रतिशत राशि अकेले मद्रास राज्य को प्राप्त हुई थी और 27 प्रतिशत राशि बम्बई राज्य को मिली थी । इस तरह देश में बिक्रीकर आगम का 76 प्रतिशत भाग केवल दो राज्यों को ही अपनी व्यापारिक सम्पन्नता के कारण प्राप्त हो रहा था । वर्ष 1948-49 में बिक्रीकर से कुल आगम 3845 लाख रुपये था जिसमें से 3295 लाख रुपये "अ" वर्ग के राज्यों और 550 लाख रुपये "ब" वर्ग के राज्यों को प्राप्त हुए । वर्ष 1949-50 में बिक्रीकर आगम में पर्याप्त वृद्धि होकर आगम राशि 5139 लाख रुपये हो गयी जिसमें 4630 लाख रुपये अ वर्ग के राज्यों को और 509 लाख रुपये ब वर्ग के राज्यों को प्राप्त हुई।

वर्ष 1950-51 में बिक्री कर आगम की कुल 5685 लाख रुपये की राशि में अ और ब वर्ग के राज्यों की राशि क्रमशः 5135 लाख रुपये और 550 लाख रुपये थी । स्पष्ट है कि नियोजन से पूर्व के चार वर्षों में बिक्रीकर से आगम में निरन्तर वृद्धि हुई । इसमें ब वर्ग के राज्यों की बिक्रीकर से आगम लगभग स्थिर रही लेकिन अ वर्ग के राज्यों को बिक्रीकर आगम से निरन्तर बढ़ती हुई राशि प्राप्त हुई । इस राशि में वर्ष वार और राज्य वार दोनों ही दृष्टि से वृद्धि हुई । इन चारों ही वर्षों में देश में बिक्रीकर आगम में प्रथम और द्वितीय स्थान लगातार क्रमशः मद्रास और बम्बई का बना रहा । यह उल्लेखनीय है कि बम्बई का प्रारम्भ से दूसरा स्थान रहा लेकिन तुलनात्मक रूप से इसकी राशि में सर्वाधिक वृद्धि हुई । वर्ष 1947-48 में देश में बिक्रीकर आगम में मद्रास और बम्बई का भाग क्रमशः 49 और 27 प्रतिशत था जो वर्ष 1950-51 में क्रमशः 28 और 27 प्रतिशत हो गया । अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल को इस कर से प्रशंसनीय आगम प्राप्त हुई ।

<u>बिक्रीकर आगम नियोजन काल में</u>

वर्ष 1957 में राज्यों के पुनर्गठन से पूर्व तक देश के सभी राज्यों में यह कर लागू किया जा चुका था । इस अवधि में सामान्य बिक्रीकर और मोटर स्पिट पर बिक्री कर की पृथक-पृथक राशियाँ उपलब्ध थी । वर्ष 1951-52 में सामान्य बिक्रीकर से कुल कर आगम 5440 लाख रुपये था जो 1956-57 में 7069 लाख रुपये हो गया । इस अवधि में मोटर स्पिट पर बिक्रीकर से आगम 453 लाख रुपये श से बढ़कर 870 लाख रुपये हो गया और इस प्रकार बिक्रीकर से कुल आगम 5893 लाख रुपये से बढ़कर 7939 लाख रुपये हो गया । इन समंकों को विस्तृत रूप में तालिका नं0 7.3 में दर्शाया गया है ।

तालिका नं0 7.3 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि वर्ष 1951-52 से 1956-57 की अवधि में केवल वर्ष 1952-53 में सामान्य बिक्रीकर में अवश्य कमी हुई लेकिन उसके पश्चात् निरन्तर वृद्धि की प्रवृत्ति रही । यह उल्लेखनीय रहा कि वर्ष 1952-53 में अ वर्ग के जिन राज्यों में यह कर लगा हुआ था उनमें केवल तीन राज्यों असम,

तालिका सं० 7.3

नियोजन काल में राज्यों के पुनर्गठन से पूर्व बिक्रीकर से आगम

(लाख रुपयों में)

राज्य का नाम	1951-52 सामान्य बिक्रीकर	1951-52 मोटर स्पिरिट पर बिक्रीकर	1951-52 कुल बिक्रीकर	1952-53 सामान्य बिक्रीकर	1952-53 मोटर स्पिरिट पर बिक्रीकर	1952-53 कुल बिक्रीकर	1953-54 सामान्य बिक्रीकर	1953-54 मोटर स्पिरिट पर बिक्रीकर	1953-54 कुल बिक्रीकर	1954-55 सामान्य बिक्रीकर	1954-55 मोटर स्पिरिट पर बिक्रीकर	1954-55 कुल बिक्रीकर	1955-56 (संशो०) सामान्य बिक्रीकर	1955-56 (संशो०) मोटर स्पिरिट पर बिक्रीकर	1955-56 (संशो०) कुल बिक्रीकर	1956-57 (बजट) सामान्य बिक्रीकर	1956-57 (बजट) मोटर स्पिरिट पर बिक्रीकर	1956-57 (बजट) कुल बिक्रीकर
(अ) वर्ग के राज्य																		
आन्ध्र प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281	48	329	314	50	364	366	52	418
असम	77	22	99	83	23	106	81	24	155	94	27	121	96	27	123	106	39	145
बिहार	409	-	409	371	41	412	342	44	386	337	48	385	301	45	346	305	45	350
मध्य प्रदेश	236	33	269	214	40	254	215	43	258	270	43	313	268	45	313	301	46	347
बम्बई	1189	70	1259	1064	123	1187	1495	171	1666	2085	176	2261	2037	176	2213	1887	175	2062
उड़ीसा	111	15	126	112	16	128	112	17	129	133	19	152	120	20	140	151	20	171
पंजाब	169	22	191	172	22	194	215	23	238	251	21	272	249	26	275	269	28	297
मद्रास	1559	129	1688	1323	170	1493	1400	185	1585	898	113	1011	950	110	1060	990	140	1130
उत्तर प्रदेश	481	25	560	447	26	473	512	25	537	570	27	597	578	26	604	535	26	561
प० बंगाल	563	108	671	524	105	629	530	122	652	627	131	758	663	150	813	677	150	827
(ब) वर्ग के राज्य																		
हैदराबाद	106	-	106	187	02	189	212	16	228	269	16	285	305	25	330	365	25	390
मध्य भारत	92	-	92	101	-	101	117	-	117	124	04	128	136	13	149	158	14	172
मैसूर	142	18	160	120	18	138	130	25	155	149	27	176	170	26	196	165	26	191
पेप्सू	46	04	50	46	04	50	51	05	56	60	05	65	60	06	66	60	06	66
राजस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	09	-	09	117	25	142	180	26	206
सौराष्ट्र	16	07	23	14	09	23	75	10	85	89	16	105	97	18	115	125	18	143
ट्रावनकोर कोचीन	244	-	244	224	-	224	212	12	236	234	04	238	201	39	240	226	34	260
(स) वर्ग के राज्य	-	-	-	119	-	119	134	-	134	161	-	161	169	-	169	203	-	203
योग	5440	453	5893	5121	599	5720	2533	735	6568	6641	725	7366	6831	327	7658	7069	870	7939

स्रोत : रिजर्व बैंक आफ इण्डिया बुलेटिन, मई 1956, पृष्ठ 492 एवं 494.

टिप्पणी : "स" वर्ग के राज्यों के सामान्य बिक्रीकर में मोटर स्पिरिट पर बिक्रीकर भी सम्मिलित है ।

उड़ीसा और पंजाब को छोड़कर अन्य 6 राज्यों में सामान्य बिक्रीकर से आगम में गिरावट आयी । वर्ष 1951-52 में बिक्रीकर आगम में प्रथम स्थान मद्रास राज्य का था जिसकी बिक्रीकर से कुल आगम 1688 लाख रुपये थी जो देश के कुल बिक्रीकर आगम का 28.64 प्रतिशत थी । दूसरा स्थान बम्बई राज्य का था जिसकी आगम 1259 लाख रुपये (21.36 प्रतिशत)थी । वर्ष 1954-55 में बम्बई राज्य का प्रथम स्थान हो गया और मद्रास राज्य द्वितीय स्थान पर आ गया । इसका मुख्य कारण वर्ष 1954-55 में मद्रास राज्य में से आन्ध्र प्रदेश का अलग हो जाना था । यही स्थिति वर्ष 1956-57 में रही । इतना ही नहीं वरन् इस अवधि में जहाँ बम्बई राज्य का आगम 1259 लाख रुपये से बढ़कर 2062 लाख रुपये हो गया । वहाँ मद्रास राज्य का आगम 1688 लाख रुपये से घटकर 1130 लाख रुपये ही रह गया । यह अवधि अधिकांश राज्यों में बिक्रीकर आरोपण की प्रारम्भिक अवधि थी । अतः बम्बई राज्य को छोड़कर अधिकांश राज्यों में इस कर से आगम में वृद्धि की गति धीमी रही और बिहार राज्य में आगम की राशि वर्ष 1951-52 में 409 लाख रुपये से घटकर वर्ष 1956-57 में 350 लाख रुपये ही रह गयी ।

इस अवधि में ब वर्ग के अनेक राज्यों में बिक्रीकर पहली बार लगा और कुल मिलाकर इस वर्ग के राज्यों में बिक्रीकर आगम में तेजी से वृद्धि हुई । वर्ष 1951-52 में ब वर्ग के 7 राज्यों में राजस्थान को छोड़कर अन्य 6 राज्यों में यह कर लगा हुआ था और उनमें आय की दृष्टि से प्रथम तीन स्थान क्रमशः ट्रावन कोर कोचीन (244 लाख रुपये), मैसूर (142 लाख रुपये) और हैदराबाद (106 लाख रुपये) के थे । वर्ष 1956-57 में प्रथम तीन राज्यों में क्रमशः हैदराबाद, ट्रावन कोर कोचीन और राजस्थान शामिल थे । स वर्ग के राज्यों में वर्ष 1951-52 में बिक्रीकर आगम नगण्य था जो क्रमशः बढ़ता चला गया व और वर्ष 1956-57 में 203 लाख रुपये हो गया ।

<u>राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात् द्वितीय पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1957-58 से 1960-61 तक) में बिक्रीकर से आगम</u>

वर्ष 1957 में राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात् देश में 14 राज्य हो गये और वर्ष

1960 में गुजरात राज्य के गठन के पश्चात् राज्यों की संख्या बढ़कर 15 हो गयी । इस अवधि में यद्यपि केन्द्रीय बिक्रीकर लग गया था लेकिन राज्यवार उसके पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और इसकी राशि को सामान्य बिक्रीकर की राशि में जोड़कर ही तालिका नं0 7.4 में दर्शाया गया है ।

तालिका नं0 7.4 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि कुल मिलाकर राज्यवार और वर्षवार सामान्य प्रवृत्ति बिक्रीकर आगम में वृद्धि की रही है । आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 1958-59 में सामान्य बिक्रीकर में गिरावट आयी लेकिन बाद के वर्षों में निरन्तर महत्वपूर्ण वृद्धि होती रही । असम में वर्ष 1957-58 में बिक्रीकर से कुल आगम 239 लाख रुपये थी जो वर्ष 1958-59 में बढ़कर 273 लाख रुपये हो गयी लेकिन वर्ष 1959-60 में सामान्य बिक्रीकर से आगम में भारी गिरावट होने के कारण बिक्रीकर से कुल आगम 227 लाख रुपये ही रह गया । लेकिन वर्ष 1960-61 में बढ़कर 282 लाख रुपये पहुँच गया । बिहार राज्य में इन चार वर्षों की अवधि में बिक्रीकर से आगम लगभग दुगुना हो गया । मैसूर राज्य को प्राप्त बिक्रीकर की राशि 497 लाख रुपये से बढ़ कर 813 लाख रुपये, केरल राज्य की राशि 492 लाख रुपये से बढ़कर 920 लाख रुपये और मध्य प्रदेश की राशि 502 लाख रुपये से बढ़कर 720 लाख रुपये हो गई । बम्बई राज्य के पुनर्गठन के कारण इस राज्य की बिक्रीकर आगम की राशि में कमी आई । यदि उसमें से विभक्त गुजरात राज्य की राशि को मिला दिया जाए तो स्पष्ट है कि वर्ष 1957-58 में प्राप्त आगम 3769 लाख रुपये से बढ़कर वर्ष 1960-61 में 4269 लाख रुपये हो गया । इन चार वर्षों की अवधि में उड़ीसा और पंजाब राज्यों में बिक्रीकर से आगम लगभग डेढ़ गुना हो गया । राजस्थान में आगम की स्थिति में मामूली सुधार हुआ, लेकिन मद्रास राज्य का आगम 1382 लाख रुपये से बढ़कर 1912 लाख रुपये, उत्तर प्रदेश का आगम 1046 लाख रुपये से बढ़कर 1216 लाख रुपये हो गया । निरपेक्ष राशि के रूप में सबसे अधिक वृद्धि पश्चिमी बंगाल में हुई जहाँ वर्ष 1957-58 में बिक्रीकर का आगम 1253 लाख रुपये था जो बढ़कर वर्ष 1960-61 में 1973 लाख रुपये हो गया अर्थात् 720 लाख रुपये की उल्लेखनीय वृद्धि हुई । वर्ष 1958-

तालिका नं० 7.4

राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात् द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बिक्रीकर से आगम

(राशि लाख रुपयों में)

राज्य का नाम	1957-58			1958-59			1959-60			1960-61		
	सामान्य बिक्रीकर	मोटरस्पिरिट पर बिक्रीकर	कुल बिक्रीकर	सामान्य बिक्रीकर	मोटरस्पिरिट पर बिक्रीकर	कुल बिक्रीकर	सामान्य बिक्रीकर	मोटरस्पिरिट पर बिक्रीकर	कुल बिक्रीकर	सामान्य बिक्रीकर	मोटरस्पिरिट पर बिक्रीकर	कुल बिक्रीकर
1. आन्ध्र प्रदेश	893	69	962	846	75	921	1081	85	1166	1190	93	1283
2. असम	186	53	239	206	67	273	156	71	227	182	100	282
3. बिहार	480	66	546	784	65	849	850	75	925	956	98	1054
4. गुजरात	-	-	-	-	-	-	-	-	-	971	82	1053 (अ)
5. जम्मू व काश्मीर	-	-	-	2	13	15	13	-	13	22	-	22
6. मैसूर (कर्नाटक)	455	42	497	637	69	706	692	27	719	703	110	813
7. केरल	460	32	492	562	55	617	703	41	744	820	82	902
8. मध्य प्रदेश	446	56	502	380	57	437	539	66	605	642	78	720
9. बम्बई (महाराष्ट्र)	3527	242	3769	3236	250	3486	3318	322	3640	2936	279	3215 (ब)
10. उड़ीसा	166	33	199	186	27	213	213	29	242	286	28	314
11. पंजाब	453	50	503	490	57	547	599	69	668	668	81	749
12. राजस्थान	289	33	322	270	27	297	282	27	309	342	28	370
13. मद्रास (तमिलनाडु)	1277	105	1382	1296	207	1503	1471	204	1675	1657	255	1912
14. उत्तर प्रदेश	999	47	1046	827	58	885	990	49	1039	1170	46	1216
15. पं० बंगाल	1106	147	1253	1473	192	1665	1530	181	1711	1700	273	1913
योग	10733	975	11712	11170	1219	12389	12437	1246	13683	14245	1633	15878

स्रोत : रिजर्व बैंक आफ इण्डिया बुलेटिन जून 1959, मई 1960, जून 1961 तथा अक्टूबर 1962.

टिप्पणी : (अ) गुजरात राज्य के सन् 1960-61 में मई 1960 से मार्च 1961 तक के ग्यारह माह के आंकड़े हैं।
(ब) महाराष्ट्र राज्य के सन् 1960-61 के समंकों में गुजरात राज्य के अप्रैल 1960 का राजस्व शामिल है।

59 और 1959-60 में उत्तर प्रदेश में बिक्रीकर आगम में गिरावट का कारण चीनी और वस्त्र पर बिक्रीकर के स्थान पर केन्द्रीय उत्पादन कर लगाना था ।

<u>तृतीय पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1961-62 से 1965-66 तक) में बिक्रीकर से आगम</u>

तृतीय पंचवर्षीय योजना में बिक्रीकर आगम में तेजी से वृद्धि हुई और इन पाँच वर्षों में बिक्रीकर से कुल आगम 18144 लाख रुपये से बढ़कर 36779 लाख रुपये अर्थात् दुगुने से भी अधिक हो गया । इस अवधि में कर आगम प्रवृत्ति को तालिका नं0 7.5 में दर्शाया गया है ।

तालिका नं0 7.5 से स्पष्ट है कि इस अवधि में केवल जम्मू और कश्मीर के अपवाद को छोड़कर शेष सभी राज्यों में प्रतिवर्ष बिक्रीकर आगम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इस अवधि में जिन राज्यों में बिक्रीकर आगम दुगुने से भी अधिक हो गया, उनमें असम, जम्मू व कश्मीर, मैसूर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल शामिल हैं । राजस्थान में इस अवधि में बिक्रीकर से आगम तीन गुने से भी अधिक हो गया । निरपेक्ष राशि के रूप में सबसे अधिक वृद्धि पश्चिमी बंगाल में हुई जहाँ वर्ष 1961-62 में 2145 लाख रुपये से बढ़कर वर्ष 1965-66 में 4538 लाख रुपये हो गयी ।

<u>तीन वार्षिक योजनाओं (वर्ष 1966-67 से 1968-69) की अवधि में बिक्रीकर से आगम</u>

तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वर्षों में योजना अवकाश रहा । इस अवधि में बिक्रीकर से आगम को तालिका नं0 7.6 में दर्शाया गया है ।

तालिका नं0 7.6 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 1966-67 की तुलना में वर्ष 1967-68 में कुल बिक्रीकर आगम में 7550 लाख रुपये की वृद्धि हुई और वर्ष 1968-69 में 6250 लाख रुपये से अधिक की वृद्धि हुई । इस अवधि में राज्यवार विश्लेषण की दृष्टि से दो नये राज्यों हरियाणा और नागालैण्ड का प्रवेश हुआ । विगत वर्षों की

तालिका नं0 7.5

तृतीय पंचवर्षीय योजना में बिक्रीकर से आगम

(राशि लाख रुपयों में)

राज्य का नाम	1961-62			1962-63			1963-64			1965-66			1966-67		
	सामान्य बिक्रीकर	मोटर स्पिरिट बिक्रीकर	कुल बिक्रीकर	सामान्य बिक्रीकर	मोटर स्पिरिट बिक्रीकर	कुल बिक्रीकर	सामान्य बिक्रीकर	मोटर स्पिरिट बिक्रीकर	कुल बिक्रीकर	सामान्य बिक्रीकर	मोटर स्पिरिट बिक्रीकर	कुल बिक्रीकर	सामान्य बिक्रीकर	मोटर स्पिरिट बिक्रीकर	कुल बिक्रीकर
आन्ध्र प्रदेश	1337	144	1481	1397	139	1536	1743	160	1903	1856	196	2052	2232	227	2459
असम	198	146	344	215	200	415	266	275	541	315	318	633	509	290	799
बिहार	1024	110	1134	1132	113	1245	1549	126	1675	1611	140	1751	1990	153	2143
गुजरात	1288	94	1382	1562	135	1697	1848	112	1960	2015	122	2127	2548	150	2698
जम्मू व कश्मीर	28		28	41		41	54	32	76	51	32	83	50	26	76
मैसूर (कर्नाटक)	944	02	946	1118	04	1122	1350	02	1352	1435	150	1585	1939	15	1954
केरल	939	117	1056	1080	121	1201	1427	25	1452	1527	135	1662	1804	26	1830
मध्य प्रदेश	726	81	807	876	82	958	1164	101	1265	1480	115	1595	1855	142	1997
महाराष्ट्र	3201	302	3503	3646	410	4056	5003	487	5490	5492	511	6003	6556	603	7059
उड़ीसा	356	46	402	497	53	550	679	65	744	722	65	787	930	63	993
पंजाब	799	92	891	897	100	997	1297	109	1406	1584	116	1700	1858	131	1989
राजस्थान	432	30	462	605	40	645	883	94	977	1075		1075	1417		1417
मद्रास (तमिलनाडु)	1849	277	2126	2190	290	2480	2494	208	2702	2836	300	3136	3710	385	4095
उत्तर प्रदेश	1302	135	1437	1463	171	1634	1868	202	2070	1953	210	2163	2485	247	2732
पश्चिम बंगाल	1891	254	2145	2163	305	2468	2926	292	3218	3101	300	3401	4074	464	4538
कुल योग	16314	1830	18144	18752	2135	20887	24541	2290	26831	27053	2700	29753	33857	2922	36779

स्रोत : रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, बुलेटिन अप्रैल 1963, मई 1964, मई 1965 तथा अगस्त 1967.

टिप्पणी : वर्ष 1964-65 तथा 1965-66 के राजस्थान के सामान्यबि0क0 में मो0स्पि0 बि0कर की राशि सम्मिलित है। सामान्य बिक्रीकर की राशि में केन्द्रीय बिक्रीकर की राशि भी शामिल है।

तालिका नं0 7.6

तीन वार्षिक योजनाओं में बिक्रीकर से आगम

(राशि लाख रुपयों में)

राज्य का नाम	1966-67 सामान्य बिक्रीकर	1966-67 मोटरस्पिट पर बिक्रीकर	1966-67 कुल बिक्रीकर	1967-68 सामान्य बिक्रीकर	1967-68 केन्द्रीय बिक्रीकर	1967-68 मोटरस्पिट पर बिक्रीकर	1967-68 गन्ने पर क्रय कर	1967-68 कुल बिक्रीकर	1968-69 सामान्य बिक्रीकर	1968-69 केन्द्रीय बिक्रीकर	1968-69 मोटरस्पिट पर बिक्रीकर	1968-69 गन्ने पर क्रय कर	1968-69 कुल बिक्रीकर
आन्ध्र प्रदेश	2823	186	3009	3008	436	32		3476	3868	216	52		4136
असम	444	395	839	571	51	399		1021	648	50	479		1177
बिहार	2426	239	2665	2494	740	220	20	3474	3303			51	3354
गुजरात	3295	219	3514	2926	764	232		3922	3399	934	256		4589
हरियाणा	323	23	346	954				954	1284				1284
जम्मू व कश्मीर	66	43	109	85		46		131	119		66		185
मैसूर	2478	165	2643	2580	244	1		2825	2998	409	13		3420
केरल	2278		2278	2366	262			2628	2641	246			2887
मध्यप्रदेश	2199	154	2353	1902	766	160		2828	2134	809	177		3120
महाराष्ट्र	8125	622	8747	6510	2418	681	276	9885	7334	2545	766	329	10974
नागालैण्ड									02	03			05
उड़ीसा	1012	85	1097	738	422	96		1256	876	450			1306
पंजाब	1872	119	1991	1252	437	117		1806	1643	680	162		2485
राजस्थान	1591		1591	1720	256			1976	2004	247			2251
तमिलनाडु	4398	479	4877	4118	1016	514		5648	4522	1036	544		6112
उत्तरप्रदेश	3013	332	3345	3448	356	343	612	4759	3848	347	456	451	5102
प0 बंगाल	4342	523	4865	2729	1968	533		5230	3086	2055	548		5689
योग	40685	3584	44269	37400	10136	3374	908	51819	43709	10007	3529	831	58076

स्त्रोत : रिजर्व बैंक आफ इण्डिया बुलेटिन मई 1968, जून 1969, तथा अगस्त 1970.

टिप्पणी : सन् 1967-68 तथा 1968-69 में हरियाणा के सामान्यबि0क0में के0बि0कर एवं मो0स्पिट पर बि0कर सम्मिलित है ।
सन् 1968-69 में बिहार के सामान्य बिक्रीकर में केन्द्रीय बिक्रीकर एवं मोटरस्पिट पर बिक्रीकर सम्मिलित है ।

सामान्य प्रवृत्ति की भाँति ही महाराष्ट्र राज्य का स्थान बिक्रीकर आगम में प्रथम बना रहा और उसमें प्रत्येक वर्ष लगभग 10 लाख रुपये से अधिक की वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप वर्ष 1966-67 में महाराष्ट्र की बिक्रीकर से प्राप्ति 8747 लाख रुपये से बढ़कर वर्ष 1968-69 में 10974 लाख रुपये हो गयी । दूसरे स्थान पर तमिलनाडु की आय इस अवधि में 4877 लाख रुपये से बढ़कर 6112 लाख रुपये हो गयी । यद्यपि पश्चिमी बंगाल का तृतीय स्थान बना रहा लेकिन आगम में वृद्धि लगभग 4000लाख रुपये वार्षिक ही रही । उत्तर प्रदेश का बिक्रीकर आगम वर्ष 1966-67 में 3345 लाख रुपये से बढ़कर वर्ष 1968-69 में बढ़कर 5102 लाख रुपये हो गया । इस राशि में वृद्धि के सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि इस राज्य की गन्ने पर क्रय कर के रूप में पर्याप्त राशि को इन वर्षों के समंकों में बिक्रीकर आगम में शामिल किया गया है । इसी अवधि में हरियाणा की आगम 346 लाख रुपये से बढ़कर 1284 लाख रुपये हो गयी । इस अवधि में बिहार और पंजाब राज्यों में किसी वर्ष की गिरावट की प्रवृत्ति को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में बिक्रीकर आगम में निरन्तर वृद्धि की प्रवृत्ति रही ।

<u>चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल (वर्ष 1969-70 से 1973-74 तक) में बिक्रीकर से आगम</u>

इस अवधि के वर्षों के समंकों में बिक्रीकर के चारों उपभागों अर्थात् सामान्य बिक्रीकर, केन्द्रीय बिक्रीकर, मोटर स्पिट पर बिक्रीकर और गन्ने पर क्रय कर को अलग-अलग तालिका नं0 7.7 में दर्शाया गया है ।

तालिका नं0 7.7 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 1969-70 में गन्ने पर क्रय कर की राशि 1170 लाख रुपये थी जो वर्ष 1970-71 में घटकर 1110 लाख रुपये रह गयी । लेकिन इसके बाद के दो वर्षों में यह बढ़ती हुई क्रमशः 1298 लाख रुपये और 1846 लाख रुपये हो गयी । वर्ष 1973-74 में यह राशि 1843 लाख रुपये रही । वर्ष 1969-70 में यह कर केवल तीन राज्यों बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में लागू था । वर्ष 1971-72 में इसे मध्य प्रदेश, वर्ष 1972-73 में आन्ध्र प्रदेश तथा वर्ष 1973-74 में हरियाणा में भी लागू कर दिया तथा पि इसका महत्वपूर्ण भाग उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों को ही प्राप्त होता है ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में बिक्रीकर के आगम

(राशि लाख रुपयों में)

राज्य का नाम	1969-70 सामान्य बिक्रीकर	1969-70 केन्द्रीय बिक्रीकर	1969-70 मोटर स्पिरिट बिक्रीकर	1969-70 अन्य कर	1969-70 कुल बिक्रीकर	1970-71 सामान्य बिक्रीकर	1970-71 केन्द्रीय बिक्रीकर	1970-71 अन्य कर	1970-71 अन्य कर	1970-71 कुल बिक्रीकर	1971-72 सामान्य बिक्रीकर	1971-72 केन्द्रीय बिक्रीकर	1971-72 मोटर स्पिरिट बिक्रीकर	1971-72 अन्य कर	1971-72 कुल बिक्रीकर
1. आन्ध्र प्रदेश	3992	317	-	-	4309	4628	362	-	-	4990	-	-	-		5001
2. असम	671	58	495	-	1224	613	60	481	-	1154	1032	60	324	-	1416
3. बिहार	3570	-	-	67	3637	2300	998	319	197	3814	2844	786	380	217	4227
4. गुजरात	4057	1150	250	-	5457	4704	1290	389	-	6383	5386	1497	479	-	7362
5. हरियाणा	485	875	59	-	1419	-	-	-	-	1741					2162
6. हिमाचल प्रदेश						36	02	-	-	38	213	12	-	-	225
7. जम्मू व काश्मीर	201	-	21	-	222	226	-	23	-	249	237	-	23	-	260
8. कर्नाटक	3388	661	02	-	4051	4291	591	05	-	4887	4432	727	-	-	5159
9. केरल	2936	288	-	-	3224	3385	357	-	-	3742	3843	394	-	-	4237
10. मध्यप्रदेश	2537	1002	226	-	3765	2817	1064	216	-	4097	3095	1110	213	03	4421
11. महाराष्ट्र	8688	3041	805	425	12959	10893	3743	923	443	16002	10630	3957	1111	518	16216
12. मणिपुर										26					27
13. मेघालय						64				64	05				05
14. नागालैण्ड	07				07	14				14	28				28
15. उड़ीसा	851	497	102	-	1450	1008	635	111	-	1754					1748
16. पंजाब	2211	697	163	-	3071	2626	882	220	-	3728	2744	774	251	-	3769
17. राजस्थान	5291	1239	685	-	7215	6105	1379	701	-	8185	7394	1694	809	-	9897
18. उत्तर प्रदेश	4314	399	451	678	5842	4701	501	555	470	6227	5333	509	648	560	7050
19. तमिलनाडु	5291	1239	685	-	7215	6105	1379	701	-	8185	7394	1694	809	-	9897
20. प० बंगाल	3528	2207	596	-	6331	3577	2525	691	-	6793	4533	2330	655	-	7418
योग	49079	12692	3855	1170	66796	56155	14722	4634	1110	76685	63617	14130	4893	1298	83938

राज्यों के नाम	1972-73					1973-74				
	सामान्य बिक्रीकर	केन्द्रीय बिक्रीकर	मोटर स्पिरिट पर बिक्रीकर	गन्ने पर क्रय कर	कुल बिक्रीकर	सामान्य बिक्रीकर	केन्द्रीय बिक्रीकर	मोटर स्पिरिट पर बिक्रीकर	गन्ने पर क्रय कर	कुल बिक्रीकर
1. आन्ध्र प्रदेश	4978	491	-	191	5660	6429	957	-	-	7386
2. असम	794	128	555	-	1475	868	170	580	-	1618
3. बिहार					4916	4465	674	06	95	5240
4. गुजरात					8742	7005	1865	527	-	9397
5. हरियाणा					5220	1686	1245	120	54	3105
6. हिमाचल प्रदेश	237	08	29	-	274	266	14	10	-	290
7. जम्मू व कश्मीर	344	-	24	-	368	321	-	28	-	349
8. कर्नाटक	4691	1110	-	-	5801	5537	1285	-	-	6822
9. केरल	4149	465	-	-	4614	4879	501	-	-	5380
10. मध्य प्रदेश	3808	1398	58	02	5266	4284	1614	02	03	5903
11. महाराष्ट्र	12990	4476	-	767	18233	15078	5591	1703	743	23115
12. मणिपुर					39	50				50
13. मेघालय	31	05	19	-	55	50	03	25	-	78
14. नागालैण्ड	39	-	06	-	45	51				51
15. उड़ीसा	1237	714	170	-	2121	1660	832	172	-	2664
16. पंजाब	3388	871	350	-	4609	3911	1017	323	-	5251
17. राजस्थान	3234	471	-	-	3705	3901	587	-	-	4488
18. तमिलनाडु					11402	9808	2082	1335	-	13225
19. उत्तर प्रदेश	6412	628	754	886	8680	7791	527	852	948	10118
20. प० बंगाल	5615	2675	834	-	9124	6403	2507	1259	-	10169
योग	61947	13440	2797	1846	97649	84448	21221	6770	1843	114693

स्रोत : रिजर्व बैंक आफ इण्डिया बुलेटिन अगस्त 1971, सितम्बर 1972, जून 1973, सितम्बर 1974 तथा सितम्बर 1975.

टिप्पणी : 1. हिमालय प्रदेश के सन् 1970-71 में 25 जनवरी 1971 से 31 मार्च 1971 तक के आंकड़े हैं।
2. सन् 1969-70 में बिहार राज्य के सामान्य बिक्रीकर में केन्द्रीय बिक्रीकर तथा मोटर स्पिरिट पर बिक्रीकर शामिल है।
3. नागालैण्ड और राजस्थान के सामान्य बिक्रीकर में मोटर स्पिरिट पर बिक्रीकर की राशि शामिल है।

चतुर्थ योजना काल के पाँच वर्षों में कुल बिक्रीकर की राशि में 71.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इनमें सामान्य बिक्रीकर में लगभग 72 प्रतिशत, केन्द्रीय बिक्री कर में लगभग 67 प्रतिशत, मोटर स्प्रिट पर बिक्रीकर में 76 प्रतिशत और गन्ने पर क्रय कर में लगभग 58 प्रतिशत की वृद्धि हुई । राज्यवार क्रम की दृष्टि से वर्ष 1969 70 में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश और गुजरात क्रमशः पहले पाँच स्थानों पर थे और यही क्रम वर्ष 1974-75 में बना रहा । महाराष्ट्र में इन पाँच वर्षों में वृद्धि की दर भी पर्याप्त ऊँची अर्थात् 78.3 प्रतिशत थी और देश की कुल बिक्रीकर आगम में वर्ष 1973-74 में महाराष्ट्र का भाग लगभग 20 प्रतिशत था । इस योजनाकाल में राज्य सूचियों में प्रथम बार शामिल राज्यों में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर सरकारों को भी क्रमशः बढ़ती हुई राशि प्राप्त हुई । कुल मिलाकर इस अवधि में मामूली अपवादों को छोड़कर सभी राज्यों की बिक्रीकर आगम में निरन्तर वृद्धि होती रही है और अनेक राज्यों में इन पाँच वर्षों में आगम की वृद्धि दर राष्ट्रीय स्तर (71.72 प्रतिशत) से अधिक रही । इनमें उत्तर प्रदेश (73.2 प्रतिशत), तमिलनाडु (83.3 प्रतिशत) तथा उड़ीसा (83.7 प्रतिशत) के नाम उल्लेखनीय हैं ।

<u>पाँचवी पंचवर्षीय योजना एवं उसके पश्चात् छठवीं योजना से पूर्व अन्तराल की अवधि (सन् 1974-75 से 1979-80 तक) में बिक्रीकर से आगम</u>

1 अप्रैल वर्ष 1974 को पाँचवीं पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ हुई जो मूल रूप से 31 मार्च, 1979 को समाप्त होनी थी लेकिन केन्द्र में सरकार परिवर्तन के कारण इसे 31 मार्च, 1978 को ही समाप्त कर दिया गया और इसके पश्चात् दो वर्ष तक योजना अंतराल रहा । इस तरह चौथी और छठीं योजना के मध्य लगभग 6 वर्षों का अन्तराल रहा । इन 6 वर्षों में बिक्रीकर से आगम को तालिका नं0 7.8 में दर्शाया गया है ।

तालिका नं0 7.8 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि इन 6 वर्षों की अवधि में बिक्रीकर आगम में पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में तेजी से वृद्धि हुई है । वर्ष 1974-75 में बिक्रीकर से कुल आगम 155098 लाख रुपये था जिसमें वर्ष 1975-76 में 25.32 %

तालिका नं0 7.8

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना एवं छठवीं योजना के पूर्व बिक्रीकर से आगम

(लाख रुपयों में)

राज्य का नाम	1974-75					1975-76					1976-77				
	सामान्य बिक्रीकर	केन्द्रीय बिक्रीकर	मोटर स्पिरिट पर बिक्रीकर	गन्ना पर क्रय कर	कुल बिक्रीकर	सामान्य बिक्रीकर	केन्द्रीय बिक्रीकर	मोटर स्पिरिट पर बिक्रीकर	गन्ना पर क्रय कर	कुल बिक्रीकर	सामान्य बिक्रीकर	केन्द्रीय बिक्रीकर	मोटर स्पिरिट पर बिक्रीकर	गन्ना पर क्रय कर	कुल बिक्रीकर
आन्ध्र प्रदेश	9091	1936	-	372	11399	11328	2439	-	341	14108	12846	1990	-	428	15264
असम	1029	437		610	2076	1348	699	671	-	2718	1525	637	692	-	2854
बिहार	5920	1049	08	142	7119	7827	1420	23	221	9491	9829	1556	15	249	11649
गुजरात	9749	2787	916	-	13452	11204	3353	1028	-	15585	14025	4567	1243	-	19835
हरियाणा	2125	1463	217	94	3899	2804	1822	2004	120	4950	3283	2721	272	119	6395
हिमाचल प्रदेश	336	16	16	-	368	434	20	18	-	472	525	27	19	-	571
जम्मू व कश्मीर	399	-	23	-	422	616	-	41	-	657	557	-	93	-	650
कर्नाटक	7652	1712	-	-	9364	9482	2305	-	-	11787	10964	2766	-	-	13730
केरल	5900	632	-	-	7532	8974	818	-	-	9792	9792	1042	-	-	10760
मध्य प्रदेश	6254	2114	-	6	8374	8982	2743	-	13	11738	9528	3125	-	05	12658
महाराष्ट्र	20748	7101	2207	816	30872	24307	8598	2224	1875	37004	28412	11215	2503	1780	43910
मणिपुर					51					96					104
मेघालय	79	04	21		104	80	07	34		121	99	08	23		130
नागालैण्ड	51	01	10		62	76	01	06		83	77	01	05		83
उड़ीसा	1964	686	81		2731	2929	791	84		3804	3069	1549	89		4707
पंजाब	4021	1751	563		6335	5061	1700	555		7316	7147	1898	567		9612
राजस्थान	4944	810			5754	5672	1088			6760	7003	1426			8429
सिक्किम	13				13	23				23	37				37
तमिलनाडू	14044	2887	1857	287	19075	15594	3327	1972	234	21127	16506	4242	2186	121	23055
त्रिपुरा					47										42
उत्तर प्रदेश	9942	1055	1232	1313	13542	16024	1658	1350	1794	20826	18457	2347	1615	1898	24317
पश्चिम बंगाल	7765	3637	1105		12507	9554	4681	1277		15912	11252	5402	1593		18247
योग	113064	30078	8866	3030	155098	142815	37470	9487	4598	194370	165005	46519	10915	4600	227039

राज्य का नाम	1977-78					1978-79					1979-80				
	सामान्य बिक्रीकर	केन्द्रीय बिक्रीकर	मोटर स्पिरिट बिक्रीकर	क्रय कर	कुल बिक्रीकर	सामान्य बिक्रीकर	केन्द्रीय बिक्रीकर	[illegible] मोटर स्पिरिट बिक्रीकर	क्रय कर	कुल बिक्रीकर	सामान्य बिक्रीकर	केन्द्रीय बिक्रीकर	मोटर स्पिरिट बिक्रीकर	क्रय कर	कुल बिक्रीकर
आन्ध्र प्रदेश	14255	1671		345	16271	16274	1870		349	18493	19610	2131		281	22022
असम	1520	655	669		2844	3432				3432	3009	251	248		3508
गुजरात	14907	4997	1289		21193	16576	5571	1379	~~1379~~	23526	20652	6851	1434		28937
बिहार	9624	2340		201	12165	*11150	1756	04	153	13063	15226	273		47	15546
हरियाणा	3839	2723	350	50	6962	4423	3103	394	48	7968	4697	3682	433	193	9005
हिमाचल प्र०	610	32	25		667	720	37	44		801	994	72	47		1113
जम्मू-कश्मीर					886	1049				1049	1280				1280
कर्नाटक	12099	3010			15109	12474	3975			16449	16225	3753			19978
केरल	10769	1105			11874	13285	1404			14689	14762	1502			16264
मध्य प्रदेश	9862	2810		02	12672	10874	3533			14407	12234	3870			16104
महाराष्ट्र	30193	11137	2749	2006	46085	35576	13845	2903	1403	53727	40983	15836	3605	2219	62643
मणिपुर	105				105	107				107					128
मेघालय	102	14	28		144	09	112	38		159	143	14	40		197
नागालैण्ड	101	01	04		106					120	140	03	07		150
उड़ीसा	2778	1690	245		4713	3899	1618	01		5518	4642	1953			6595
पंजाब	7434	2680	637		10751	9630	2458	843		11931	9275	2939	765		12979
राजस्थान	8562	1463			10025	9662	1706			11368	11818	1768			13586
सिक्किम	47				47	44				44	54				54
तमिलनाडु	17680	4290	2216	118	24304	21736	4984	2632	66	29418	23412	6245	2820	29	32506
त्रिपुरा	99				99	117				117	155				155
उत्तर प्रदेश	19123	1935	1678	1867	24603	20707	2301	2079	2138	27225	23495	2197	2386	2174	30252
प० बंगाल	13424	4867	1511		19802	15382	6477	1861		23720	17795	7966	2346		28107
योग	178019	47420	11401	4589	241429	206246	54750	12178	4157	277331	240729	61306	14131	4943	321109

स्रोत : रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, बुलेटिन सितम्बर 1976, सितम्बर 1978, सितम्बर-अक्टूबर 1979, अक्टूबर 1980 तथा अगस्त 1981.

टिप्पणी : सन् 1978-79 में असम के सामान्य बिक्रीकर में केन्द्रीयबिक्रीकर एवं मोटरस्पिरिटबिक्रीकर की राशि शामिल है।
सन् 1978-79 और 1979-80 में जम्मू-कश्मीर के सामान्यबिक्रीकर में मोटरस्पिरिटबिक्रीकर की राशि शामिल है।
कुछ राज्यों की कुल बिक्रीकर की राशि ज्ञात है लेकिन उनका अलग विवरण उपलब्ध नहीं है।

की वृद्धि हुई और यह 194370 लाख रुपये हो गया । इस कुल कर आगम में वर्ष 1976-77 में 16.80 प्रतिशत, वर्ष 1977-78 में 6.34 प्रतिशत, सन् 1978-79 में 14.9 प्रतिशत और वर्ष 1979-80 में 15.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई और कुल मिलाकर इन 6 वर्षों की अवधि में बिक्रीकर आगम दुगुने से अधिक हो गया । वर्ष 1977-78 में बिक्रीकर आगम में धीमी प्रगति का कारण आपातकालीन स्थिति के पश्चात् केन्द्र में सत्ता परिवर्तन और विभिन्न राज्यों में आम चुनाव के कारण करारोपण और उसकी वसूलयाबी में धीमी गति रही ।

इस अवधि में लगभग सभी महत्वपूर्ण राज्यों में बिक्रीकर से आगम दुगुने से अधिक हो गया । इस सन्दर्भ में कुल बिक्रीकर आगम की दृष्टि से महाराष्ट्र में 103 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 123 प्रतिशत, पश्चिमी बंगाल में 125 प्रतिशत, राजस्थान में 136 प्रतिशत और गुजरात में 115 प्रतिशत की वृद्धि हुई । देश के कुल बिक्रीकर आगम में वर्ष 1974-75 में प्रथम पाँच स्थान क्रमशः महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिमी बंगाल के थे । वर्ष 1979-80 के अन्त में भी यही स्थिति बनी रही ।

<u>छठवीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1980-81 से वर्ष 1984-85 तक) में बिक्रीकर से आगम</u>

इस योजना में राज्यवार बिक्रीकर की प्रवृत्ति और सातवीं योजना के प्रथम वर्ष सन् 1985-86 के बजट अनुमानों को तालिका नं0 7.9 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका नं0 7.9 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस योजनाकाल में भी पूर्ववर्ती प्रवृत्ति के अनुसार लगभग सभी राज्यों में बिक्रीकर आगम में वृद्धि होती रही है । वर्ष 1980-81 में बिक्रीकर से कुल आगम 388758 लाख रुपये था जो वर्ष 1984-85 में संशोधित अनुमानों के अनुसार 706465 लाख रुपये हो गया । इस अवधि में विभिन्न राज्यों की तुलनात्मक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है । वर्ष 1984-85 में यद्यपि प्रथम दो स्थानों पर महाराष्ट्र और तमिलनाडु रहे लेकिन तीसरे स्थान पर गुजरात राज्य आ गया तथा चतुर्थ स्थान पर आन्ध्र प्रदेश की स्थिति बन गयी ।

तालिका नं० 7.9

छठवीं पंचवर्षीय योजना में बिक्रीकर से आगम

(लाख रुपयों में)

राज्य का नाम	1980-81					1981-82					1982-83				
	सामान्य बिक्रीकर	केन्द्रीय बिक्रीकर	मोटर स्पिरिट पर बिक्रीकर	गन्ना पर क्रय कर	कुल बिक्रीकर	सामान्य बिक्रीकर	केन्द्रीय बिक्रीकर	मोटर स्पिरिट पर बिक्रीकर	गन्ना पर क्रय कर	कुल बिक्रीकर	सामान्य बिक्रीकर	केन्द्रीय बिक्रीकर	मोटर स्पिरिट पर बिक्रीकर	गन्ना पर क्रय कर	कुल बिक्रीकर
आन्ध्र प्रदेश	24566	3313		347	28226	26549	7618		395	34562	33549	6639		447	40635
असम					3149					5326	3348	1776	2420		7544
बिहार	16981	2192		203	19376	24008				24008	21014	5101		260	26375
गुजरात	23714	9240	2431		35385	31892	10519	3830		46241	34941	11112	4348		50401
हरियाणा	10483			117	10600	7730	5546	561		13837	9143	6122	661	122	16048
हिमाचल प्र०	1230	79	47		1356	1575	117	53		1745	1662	144	55		1861
जम्मू-कश्मीर	1788				1788	2289				2289	2367				2367
कर्नाटक	19075	4661			23736	24020	7866			31886	27116	7362			34478
केरल	18251	2143			20394	22414	2135			24549	25609	1911			27520
मध्य प्रदेश	15575	4425			20000	19627	6469			26096	24981	5784			30765
महाराष्ट्र	49442	18937	4804	1776	74959	60098	22486	7662	2165	92411	68789	23313	7786	2806	102694
मणिपुर					135					192	167				167
मेघालय	165	35	31		231	220	22	29		271	281	38	33		352
नागालैण्ड					187	295				295					337
उड़ीसा	5637	2026			7663	6815	2614			9429	7870	2335			10205
पंजाब	11384	3414	795		15593	14032	4296	854		19182					21993
राजस्थान	13109	1622			14731	16514	2107			18621	19879	2344			22223
सिक्किम	50				50	71				71					84
तमिलनाडु	34264	8559	2865	275	45963	44622	9547	190	374	54733	55218	10159	05	167	65549
त्रिपुरा	196				196	305				305					347
उत्तरप्रदेश	27455	2819	3236	1575	35088	33454	4448	5306	2127	45335	35847	5227	5493	2131	48698
प० बंगाल	20178	8539	1238		29955	24864	11251	1789		37904	26508	12035	420		38963
योग	297014	72004	15447	4293	388758	366912	97071	20274	5061	489288	421050	101402	21221	5933	549606

राज्य का नाम	1983-84					1984-85 (संशोधित अनुमान)					1985-86 (बजट अनुमान)				
	सामान्य बिक्रीकर	केन्द्रीय बिक्रीकर	मोटर स्पिरिट पर बिक्रीकर	गन्ने पर क्रयकर	कुल बिक्रीकर	सामान्य बिक्रीकर	केन्द्रीय बिक्रीकर	मोटर स्पिरिट पर बिक्रीकर	गन्ने पर क्रयकर	कुल बिक्रीकर	सामान्य बिक्रीकर	केन्द्रीय बिक्रीकर	मोटर स्पिरिट पर बिक्रीकर	गन्ने पर क्रयकर	कुल बिक्रीकर
आन्ध्र प्रदेश	42467	7207		664	50338	52500	8500		574	61574	63750	10000		605	74355
असम	3469	2919	3001		9389	3480	2920	3198		9598	3724	3029	3357		10110
बिहार	29701			140	29841	24760	8760		140	33660	27068	9636		140	36844
गुजरात	37763	11301	6423		55487	43982	12891	5127		62000	44741	13500	7994		66235
हरियाणा	9154	6629	868	95	16746	10025	7500	1125	120	18770	12772	8295	1301	270	22638
हिमाचल प्र०	1980	146	99		2225	2570	127	108		2805	2877	169	126		3172
जम्मू-कश्मीर	2360		290		2650	2615		300		2915	2941		315		3256
कर्नाटक	32525	7404			39930	40900	8300			49200	4580	9300			55100
केरल	28327	2334			30661	31470	3530			35000	34661	4039			38500
मध्यप्रदेश	27887	7391			35278	29878	8900			38778	33036	9612			42668
महाराष्ट्र	81863	24316	9631	3861	119671	84036	26494	11127	1800	123457	91022	28688	12240	1910	133860
मणिपुर					169					140					170
मेघालय	312	91	86		489	312	60	41		413	323	77	42		442
नागालैण्ड					527					495					530
उड़ीसा	8947	2453			11400	9598	3104			12702	11439	3957			15396
पंजाब					25533					25000					32113
राजस्थान	22723	2275			24998	25042	2758			27800	29475	3075			32550
सिक्किम					92					100					107
तमिलनाडु	58317	11835			70115	73360	12700			86060	82279	14022			96301
त्रिपुरा					410					461					485
उत्तरप्रदेश	40576	5437	6328	2773	55114	45341	6163	6504	2529	60537	47041	6500	7004	2118	62663
प०बंगाल	31404	12970	632		45806	37500	16000	1500		55000	41000	18500	1500		61000
योग	486507	104708	27358	7533	626106	543565	128707	29030	5163	706465	617173	142399	33879	5043	788494

स्रोत : रिजर्व बैंक आफ इण्डिया बुलेटिन सितम्बर 1982, अक्टूबर 1983, अक्टूबर 1984 तथा नवम्बर 1985.

टिप्पणी : कुछ राज्यों के कुल बिक्रीकर के आँकड़े उपलब्ध हैं लेकिन बिक्रीकर का विवरण उपलब्ध नहीं है।
बिहार के सन् 1981-82 के सामान्य बिक्रीकर में केन्द्रीय बिक्रीकर एवं गन्ने पर क्रयकर तथा सन् 1983-84 के सामान्य बिक्रीकर में केन्द्रीय बिक्रीकर की राशि शामिल है।
हरियाणा के वर्ष 1980-81 के सा०बि०कर में के०बि०कर एवं मो०स्प्रि०पर बि०कर तथा 1981-82 के सा०बि०में गन्ने पर क्रय कर शामिल है।
जम्मू व कश्मीर के सामान्य बिक्रीकर में मोटरस्प्रिट पर बिक्रीकर की राशि सम्मिलित है।

पाँचवाँ और छठवाँ स्थान क्रमशः उत्तर प्रदेश और पश्चमी बंगाल का था । इस अवधि में असम राज्य में शान्ति व्यवस्था स्थापित होने से उसकी निरपेक्ष राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई । वर्ष 1980-81 में बिक्रीकर से आगम असम राज्य में 3149 लाख रुपया था जो वर्ष 1984-85 में तीन गुने से अधिक 9598 लाख रुपये हो गया ।

राज्यों की विविध वर्षों में बिक्रीकर से आगम -

देश में वर्ष 1957 में राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात् बिक्रीकर के कुल आगम और कुल आगम में राज्य बिक्री के प्रतिशत की राज्यवार और वर्षवार स्थिति को तालिका नं0 7.10 में दर्शाया गया है ।

तालिका नं0 7.10 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 1957-58 में बिक्रीकर आगम में प्रथम स्थान तत्कालीन बम्बई राज्य का था जिसे देश के बिक्रीकर आगम का 32.18 प्रतिशत प्राप्त होता था । यद्यपि इस प्रतिशत में कमी होती गयी है लेकिन आज भी प्रथम स्थान इसी राज्य का है । वर्ष 1983-84 में देश में बिक्रीकर के कुल भाग का 19.11 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ था । निरपेक्ष राशि की दृष्टि से गुजरात के अलग होने के पश्चात् वर्ष 1960-61 में महाराष्ट्र राज्य को 3215 लाख रुपये प्राप्त हुआ था जो वर्ष 1983-84 में 119671 लाख रुपये हो गया और वर्ष 1985-86 में 133860 लाख रुपये हो जाने का बजट अनुमान है । बम्बई के पश्चात् दूसरा स्थान तमिलनाडु का था जिसे वर्ष 1957-58 में 1382 लाख रुपये (11.80 प्रतिशत) बिक्री कर से प्राप्त हुए । विभिन्न वर्षों में तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल में द्वितीय एवं तृतीय स्थान का पारस्परिक प्रतिस्थान होता रहा है लेकिन वर्ष 1983-84 में दूसरा स्थान तमिलनाडु का ही था जिसे 70152 लाख रुपये (11.20 प्रतिशत) बिक्रीकर से प्राप्त हुए । वर्ष 1957-58 में पश्चिमी बंगाल को 1253 लाख रुपये बिक्रीकर से प्राप्त हुए जो देश के कुल बिक्रीकर आगम का 10.70 प्रतिशत था तथा सापेक्ष रूप से यह भाग वर्ष 1958-59 में 13.44 प्रतिशत तक पहुँच गया था लेकिन उसके पश्चात् इस भाग में कमी होती रही और वर्ष 1982-83 में कुल बिक्रीकर आगम में पश्चिमी बंगाल का भाग 7.09 प्रतिशत रह गया । वर्ष 1984-85 में पश्चिमी बंगाल को बिक्री कर

तालिका सं० 7.10

कुल बिक्रीकर आगम की राज्यवार और वर्षवार स्थिति

(लाख रुपयों में)

राज्य का नाम	1957-58 राशि	1957-58 प्रतिशत	1958-59 राशि	1958-59 प्रतिशत	1959-60 राशि	1959-60 प्रतिशत	1960-61 राशि	1960-61 प्रतिशत	1961-62 राशि	1961-62 प्रतिशत	1962-63 राशि	1962-63 प्रतिशत	1963-64 राशि	1963-64 प्रतिशत	1964-65 राशि	1964-65 प्रतिशत
आन्ध्र प्रदेश	962	8.21	921	7.43	1166	8.52	1283	7.83	1481	8.16	1536	7.35	1903	7.09	2052	6.90
असम	239	2.04	273	2.20	227	1.66	282	1.72	344	1.90	415	1.99	541	2.02	633	2.13
बिहार	546	4.66	849	6.85	925	6.76	1138	6.94	1134	6.25	1245	5.96	1675	6.24	1751	5.89
गुजरात							1053	6.43	1382	7.62	1697	8.13	1960	7.31	2127	7.15
हरियाणा																
हिमाचल प्रदेश																
जम्मू व कश्मीर			15	0.12	13	0.09	22	0.13	28	0.15	41	0.20	76	0.28	83	0.28
कर्नाटक (मैसूर)	497	4.24	706	5.70	719	5.26	813	4.98	946	5.21	1122	5.37	1352	5.04	1585	5.33
केरल	492	4.20	617	4.98	774	5.44	903	5.50	1056	5.82	1201	5.75	1452	5.41	1662	5.59
मध्य प्रदेश	502	4.29	437	3.53	605	4.42	720	4.39	807	4.45	958	4.59	1265	4.72	1595	5.36
महाराष्ट्र (बंबई)	3769	32.18	3486	28.14	3640	26.60	3215	19.62	3503	19.31	4056	19.42	5490	20.46	6003	20.18
मणिपुर																
मेघालय																
नागालैण्ड																
उड़ीसा	199	1.70	213	1.72	242	1.77	314	1.92	402	2.22	550	2.63	744	2.77	787	2.65
पंजाब	503	4.30	547	4.42	668	4.88	719	4.57	891	4.91	997	4.77	1406	5.24	1700	5.71
राजस्थान	322	2.75	297	2.40	309	2.26	370	2.26	462	2.55	645	3.09	977	3.64	1075	3.61
सिक्किम																
तमिलनाडु (मद्रास)	1382	11.80	1503	12.13	1675	12.24	1912	11.67	2126	11.72	2480	11.87	2702	10.07	3136	10.54
त्रिपुरा																
उत्तर प्रदेश	1046	8.93	885	7.14	1039	7.59	1642	10.02	1437	7.92	1634	7.82	2070	7.72	2163	7.72
पश्चिम बंगाल	1253	10.70	1665	13.44	1711	12.51	1973	12.04	2145	11.82	2468	11.82	3218	11.99	3401	11.43
योग	11712	100	12389	100	13683	100	16388	100	18144	100	20887	100	26831	100	29753	100

राज्य का नाम	1965-66		1966-67		1967-68		1968-69		1969-70		1970-71		1971-72		1972-73	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
आन्ध्र प्रदेश	2459	6.69	3009	6.80	3476	6.71	4136	7.12	4309	6.45	4990	6.51	5001	5.96	5660	5.80
असम	799	2.17	839	1.90	1021	1.97	1177	2.03	1224	1.83	1154	1.50	1416	1.69	1475	1.51
बिहार	2143	5.83	2665	6.02	3474	6.70	3354	5.78	3637	5.44	3814	4.97	4227	5.04	4916	5.03
गुजरात	2698	7.34	3514	7.94	3922	7.57	4589	7.90	5457	8.17	6383	8.32	7362	8.77	8742	8.95
हरियाणा			346	0.78	954	1.84	1284	2.21	1419	2.12	1741	2.27	2162	2.58	2520	2.58
हिमाचल प्रदेश											38	0.04	225	0.27	274	0.28
जम्मू व कश्मीर	76	0.21	109	0.25	131	0.25	125	0.32	222	0.33	249	0.32	260	0.31	368	0.38
कर्नाटक (मैसूर)	1954	5.31	2643	5.97	2825	5.45	3420	5.89	4051	6.06	4887	6.37	5159	6.15	5801	5.94
केरल	1830	4.98	2278	5.15	2628	5.07	2887	4.97	3224	4.83	3742	4.88	4237	5.05	4614	4.73
मध्य प्रदेश	1997	5.43	2353	5.32	2828	5.46	3120	5.37	3765	5.64	4097	5.34	4421	5.27	5266	5.39
महाराष्ट्र (बंबई)	17059	19.19	8747	19.76	9885	19.08	10974	18.90	12959	19.40	16002	20.87	16216	19.32	18233	18.67
मणिपुर											26	0.03	27	0.03	39	0.04
मेघालय											64	0.08	05	0.01	55	0.06
नागालैण्ड							05	0.01	07	0.01	14	0.01	28	0.03	45	0.05
उड़ीसा	993	2.70	1097	2.48	1256	2.42	1306	2.25	1450	0.17	1754	2.29	1748	2.08	2121	0.17
पंजाब	1989	5.41	1991	4.50	1806	3.49	2485	4.28	3071	4.60	3728	4.86	3769	4.49	4609	4.72
राजस्थान	1417	3.85	1551	3.59	1976	3.81	2251	3.88	2613	3.91	2797	3.65	3310	3.94	3705	3.79
सिक्किम																
तमिलनाडु (मद्रास)	4095	11.13	4877	11.02	5648	10.90	6112	10.52	7215	10.80	8185	10.67	9897	11.79	1402	11.68
त्रिपुरा																
उत्तर प्रदेश	2732	7.43	3345	7.56	4759	9.18	5102	8.79	5842	8.75	6227	8.12	7050	8.40	8680	8.89
प० बंगाल	4538	12.33	4865	10.99	5230	10.09	5689	9.80	6331	9.48	6793	8.86	7418	8.84	9124	9.34
योग	36779	100	44269	100	51819	100	58076	100	66796	100	76685	100	83938	100	97649	100

(लाखों रुपयों में)

राज्य का नाम	1973-74 राशि	1973-74 प्रतिशत	1974-75 राशि	1974-75 प्रतिशत	1975-76 राशि	1975-76 प्रतिशत	1976-77 राशि	1976-77 प्रतिशत	1977-78 राशि	1977-78 प्रतिशत	1978-79 राशि	1978-79 प्रतिशत	1979-80 राशि	1979-80 प्रतिशत
1. आन्ध्र प्रदेश	7386	6.44	11399	7.35	14108	7.26	15264	6.72	16271	6.74	18493	6.67	22022	6.86
2. असम	1618	1.41	2076	1.34	2718	1.40	2854	1.26	2844	1.19	3432	1.24	5508	1.09
3. बिहार	5440	4.57	7119	4.59	9491	4.88	11649	5.13	12165	5.04	13063	4.71	15546	4.84
4. हरियाणा	3105	2.71	3899	2.51	4950	2.55	6395	2.82	6962	2.88	7968	2.87	9005	2.80
5. गुजरात	9397	8.19	13452	8.67	15585	8.02	19835	8.74	21193	8.78	23526	8.48	28937	9.01
6. हिमाचल प्रदेश	290	0.25	368	0.24	412	0.84	571	0.25	667	0.28	801	0.29	1113	0.35
7. जम्मू व कश्मीर	349	0.30	422	0.27	657	0.34	650	0.29	886	0.37	1049	0.38	1280	0.40
8. कर्नाटक	6822	5.95	9364	6.04	11787	6.06	13730	6.05	15109	6.26	16449	5.93	19978	6.22
9. केरल	5380	4.69	7532	4.86	9792	5.04	10760	4.74	11874	4.92	14689	5.30	16264	5.06
10. मध्य प्रदेश	5903	5.15	8374	5.40	11738	6.04	12658	5.58	12674	5.25	14407	5.19	16104	5.02
12. महाराष्ट्र	23115	20.15	30872	19.90	37004	19.04	43910	19.34	46085	19.09	53727	19.37	62643	19.51
12. मणिपुर	50	0.04	51	0.03	96	0.05	104	0.05	105	0.04	107	0.04	128	0.04
13. मेघालय	78	0.07	104	0.07	121	0.06	130	0.06	144	0.06	159	0.06	197	0.06
14. नागालैण्ड	51	0.04	62	0.04	83	0.04	83	0.04	106	0.04	120	0.04	150	0.05
15. उड़ीसा	2664	2.32	2731	1.76	3804	1.96	4704	2.07	4713	1.95	5518	1.99	6595	2.05
16. पंजाब	5251	4.58	6335	4.08	7316	3.76	9612	4.23	10751	4.45	11931	4.30	12979	4.04
17. राजस्थान	4488	3.91	5754	3.71	6760	3.48	8429	3.71	10025	4.15	11368	4.10	13586	4.23
18. सिक्किम	-	-	13	0.01	23	0.01	37	0.02	47	0.02	44	0.02	54	0.02
19. तमिलनाडु	13225	11.53	19075	12.30	21127	10.87	23055	10.15	24304	10.07	29418	10.61	32506	10.12
20. त्रिपुरा	-	-	47	0.03	-	-	42	0.02	99	0.04	117	0.04	155	0.04
21. उत्तर प्रदेश	10118	8.82	13542	8.73	20826	10.71	24317	10.71	24603	10.19	27225	9.82	30252	10.04
22. पश्चिम बंगाल	10169	8.87	12560	8.06	15912	8.19	18247	8.04	19802	8.20	23720	8.55	28107	8.75
योग	114699	100	155098	100	194370	100	227039	100	241429	100	277331	100	321109	100

(लाख रुपयों में)

राज्य का नाम	1980-81		1981-82		1982-83		1983-84		1984-85 (संशो०)		1985-86 (बजट)	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
आन्ध्र प्रदेश	28226	7.26	34562	7.06	40635	7.39	50338	8.04	61574	8.72	74355	9.43
असम	4149	0.81	5326	1.09	7544	1.37	9389	1.50	9598	1.36	10110	1.28
बिहार	19376	4.98	24008	4.91	26375	4.80	29841	4.77	33660	4.76	36844	4.67
गुजरात	35385	9.10	46241	9.45	50401	9.17	55487	8.86	62000	8.78	66235	8.40
हरियाणा	10600	2.73	13837	2.82	16048	2.92	16746	2.67	18770	2.66	22638	2.87
हिमाचल प्रदेश	1356	0.35	1745	0.36	1861	0.34	2225	0.36	2805	0.40	3172	0.40
जम्मू व कश्मीर	1788	0.46	2289	0.47	2367	0.43	2650	0.42	2915	0.41	3256	0.41
कर्नाटक	23736	6.11	31886	6.52	34478	6.27	39930	6.38	49200	6.96	55100	6.99
केरल	20394	5.25	24549	5.02	27520	5.01	30661	4.90	35000	4.95	38500	4.88
मध्य प्रदेश	20000	5.14	26096	5.14	30765	5.60	35278	5.63	38778	5.49	42648	5.41
महाराष्ट्र	74959	19.28	92411	18.89	102694	18.69	119671	19.11	123457	17.47	133860	16.98
मणिपुर	135	0.03	192	0.04	167	0.03	169	0.03	140	0.02	170	0.02
मेघालय	231	0.06	271	0.06	352	0.06	489	0.08	413	0.06	442	0.06
नागालैण्ड	187	0.05	295	0.06	337	0.06	527	0.08	527	0.07	530	0.07
उड़ीसा	7663	1.96	9429	1.93	10205	1.86	11400	1.82	12702	1.80	15396	1.95
पंजाब	15593	4.01	19182	3.92	21993	4.00	25533	4.08	25000	3.54	32132	4.08
राजस्थान	14731	3.79	18621	3.81	22223	4.04	24998	3.99	27800	3.94	32550	4.13
सिक्किम	50	0.01	71	0.01	84	0.02	92	0.01	100	0.01	107	0.01
तमिलनाडु	45963	11.82	54733	11.19	65549	11.93	70152	11.20	86060	12.18	96301	12.21
त्रिपुरा	196	0.05	305	0.06	347	0.06	410	0.07	461	0.06	485	0.06
उत्तर प्रदेश	35085	9.02	45335	9.27	48698	8.86	35114	8.80	60537	8.57	62663	7.95
पश्चिम बंगाल	29995	7.71	37904	7.75	38963	7.06	45006	7.19	55000	7.79	61000	7.74
योग	388758	100	489288	100	549606	100	626106	100	706465	100	788494	100

स्रोत : रिजर्व बैंक आफ इण्डिया बुलेटिन 1957-58 से 1985-86

टिप्पणी: प्रतिशत की गणना सम्बन्धित वर्ष में बिक्रीकर आगम के योग्य में विभिन्न राज्यों की राशियों के आधार पर की गयी है।

से कुल 55000 लाख रुपये की आय प्राप्त होने का अनुमान था जो देश में बिक्रीकर आगम का 7.79 प्रतिशत थी। यह उल्लेखनीय है कि पश्चिमी बंगाल की तुलना में उत्तर प्रदेश में बिक्रीकर आगम में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्ष 1957-58 में उत्तर प्रदेश में बिक्रीकर से कुल आगम 1046 लाख रुपये (8.93 प्रतिशत) था जो वर्ष 1984-1985 में 60537 लाख रुपये (8.57 प्रतिशत) हो गया।

महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश के पश्चात् वर्ष 1957-58 में बिक्रीकर आगम में पाँचवाँ स्थान आन्ध्र प्रदेश का था जिसकी आगम 962 लाख रुपये (8.21 प्रतिशत) थी। इस राज्य के तुलनात्मक भाग में बीच में कुछ कमी हुई लेकिन वर्ष 1984-85 में देश में बिक्रीकर आगम में आन्ध्र प्रदेश का भाग 8.72 प्रतिशत (छठवाँ स्थान) था। सन् 1984-85 में पाँचवाँ स्थान गुजरात राज्य का था जिसकी आगम 62000 लाख रुपये (8.78 प्रतिशत) थी।

<u>बिक्रीकर आगम में राज्यों की स्थिति</u>

देश के विभिन्न राज्यों के आँकड़े वर्ष 1974-75 से उपलब्ध हो सके हैं और इस सन्दर्भ में देश में बिक्रीकर के कुल आगम में विभिन्न राज्यों की तुलनात्मक स्थिति को तालिका नं0 7.11 में दर्शाया गया है।

<u>तालिका नं0 7.11</u>

बिक्रीकर आगम : विविध राज्यों की तुलनात्मक स्थिति

राज्य	देश के बिक्रीकर आगम में राज्य का प्रतिशत 1974-75	1984-85
1	2	3
1. महाराष्ट्र	19.04	17.47
2. तमिलनाडु	10.87	12.18
3. उत्तर प्रदेश	10.71	8.57
4. पश्चिम बंगाल	8.19	7.79
5. गुजरात	8.02	8.78

1	2	3
6. आन्ध्र प्रदेश	7.26	8.72
7. कर्नाटक	6.06	6.96
8. मध्य प्रदेश	6.04	5.49
9. केरल	5.04	4.95
10. बिहार	4.88	4.76
11. पंजाब	3.76	3.54
12. राजस्थान	3.48	3.94
13. हरियाणा	2.55	2.66
14. उड़ीसा	1.96	1.80
15. असम	1.40	1.36
16. जम्मू व कश्मीर	0.34	0.41
17. हिमाचल प्रदेश	0.24	0.40
18. मेघालय	0.06	0.06
19. मणिपुर	0.05	0.02
20. नागालैण्ड	0.04	0.07
21. त्रिपुरा	0.00	0.06
22. सिक्किम	0.01	0.01
योग	100.00	100.00

स्त्रोत : ।पूर्वोद्धृत।

तालिका नं0 7.11 के अवलोकन से स्पष्ट है कि देश के बिक्रीकर आगम में पहले दोनों स्थानों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन गुजरात, वर्ष 1974-75 में पाँचवें स्थान पर था वह वर्ष 1984-85 में तीसरे स्थान पर आ गया

और आन्ध्र प्रदेश छठवें स्थान से उठकर चौथे स्थान पर आ गया । इसके विपरीत उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल जिनका वर्ष 1974-75 में तीसरा और चौथा स्थान था, वर्ष 1984-85 में पाँचवां और छठवां स्थान हो गया । कुल बिक्रीकर आगम में राज्यों के क्रम में 7 से लेकर 10 तक और 13 से लेकर 17 स्थान तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ । लेकिन वर्ष 1974-75 में पंजाब में बिक्रीकर आगम राजस्थान से अधिक था जबकि 1984-85 में राजस्थान की कर आगम पंजाब से अधिक थी । इसका मुख्य कारण पंजाब में अशान्ति की स्थिति से वहाँ के उद्योगों और व्यापारों पर पड़ने वाला प्रतिकूल प्रभाव था । 18 से 22 तक क्रम स्थिति में भी परिवर्तन हुआ लेकिन उन राज्यों में बिक्रीकर आगम इतना कम है कि वह परिवर्तन विशेष महत्वपूर्ण नहीं है।

<u>राज्यों की आगम में बिक्रीकर की स्थिति</u>

वर्ष 1948-49 से लेकर वर्ष 1985-86 तक विभिन्न वर्षों में बिक्रीकर की राशि और आगम के विभिन्न पहलुओं की दृष्टि से उनमें बिक्रीकर के भाग को तालिका नं0 7.12 में दर्शाया गया है ।

तालिका नं0 7.12 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभिन्न वर्षों में बिक्रीकर आगम की निरपेक्ष राशि में ही वृद्धि की प्रवृत्ति नहीं रही है बल्कि उनकी तुलनात्मक स्थिति भी सुदृढ़ होती गयी है । वर्ष 1951-52 में राज्य सरकारों द्वारा स्वयं लगाये जाने वाले करों में बिक्रीकर का भाग 25.88 प्रतिशत था जो अल्पकालीन उच्चावचनों के साथ निरन्तर बढ़ता हुआ वर्ष 1981-82 में अपने सर्वोच्च स्तर 59.42 प्रतिशत पर पहुँच गया । इसके पश्चात् इस स्थिति में मामूली गिरावट हुई । वर्ष 1984-85 में संशोधित अनुमानों के अनुसार राज्यों के कर आगम में बिक्रीकर का भाग 57.72 प्रतिशत था और सन् 1985-86 में जिसका 54.74 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है । कुल मिलाकर प्रवृत्ति को निष्कर्ष रूप में इस प्रकार रखा जा सकता है कि नियोजन काल के प्रारम्भ में राज्यों के करों में बिक्रीकर का भाग लगभग 25 प्रतिशत था जो पिछले 10 वर्षों में 54 से 60 प्रतिशत के मध्य उच्चावचित होता रहा है । इस प्रकार यह कर-आगम में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुका है ।

तालिका नं० 7.12

राज्य की कर आगम, कुल कर आगम, कुल आगम एवं कुल प्राप्ति में बिक्री कर का भाग

(राशि लाख रु० में)

वर्ष	बिक्रीकर	राज्य की कर आगम	केन्द्रीय कर आगम में भाग	कुल कर आगम 3 + 4	अ-कर आगम	राज्य कुल आगम 5 + 6	केन्द्रीय प्राप्ति	कुल प्राप्ति 7 + 8	बिक्रीकर का राज्य की कर आगम में प्रतिशत	बिक्रीकर का कुल कर आगम में प्रतिशत	बिक्रीकर का कुल आगम में प्रतिशत	बिक्रीकर का कुल प्राप्ति में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1948-49	3845	अनु०	अनु०	25520	9639	35159	अनु०	अनु०	-	15.07	10.94	-
1949-50	5139	अनु०	अनु०	27998	10799	38797	अनु०	अनु०	-	18.35	13.25	-
1950-51	5685	अनु०	अनु०	29211	10853	40064	अनु०	अनु०	-	19.46	14.19	-
1951-52	5893	22770	5335	28105	12435	40540	16360	56900	25.88	20.97	14.54	10.36
1952-53	5720	23169	7323	30492	12757	43249	16630	59879	24.69	18.76	13.23	9.55
1953-54	6568	25736	7294	33030	13864	46894	17370	64264	25.52	19.89	14.01	10.22
1955-56 लेखा चित्र	7566	26561	7161	33722	13804	47526	23490	71016	27.73	21.84	15.50	10.37
1956-57 बजट	7939	29380	7293	36673	21025	57698	46970	104668	27.02	21.64	13.76	7.58
1957-58	11712	35601	11597	47198	23973	71171	40000	111171	32.90	24.81	16.46	10.54
1958-59	12389	38586	15120	53706	27553	81259	44150	125409	32.11	23.07	15.25	9.87
1959-60	13683	अनु०	अनु०	57742	32957	90699	48200	138899	-	23.70	15.09	9.85
1960-61	16388	43093	18237	61330	40111	101441	57110	158551	38.03	26.72	16.16	10.34
1961-62	18144	48400	17900	66300	41100	107400	70000	177400	37.49	27.37	16.89	10.23
1962-63	20887	57000	22400	79400	49000	128400	77800	206200	36.64	26.31	16.27	10.13
1963-64	26831	68100	25800	93900	55100	149000	86500	235500	29.40	28.58	18.01	11.39
1964-65 लेखा चित्र	29753	72200	26200	98400	63100	161500	108700	270200	41.21	30.24	18.42	11.01
1965-66	36779	84200	36800	111800	73200	185000	130900	315900	43.68	32.90	19.88	11.64
1966-67	44269	93800	36800	130600	82900	213500	122400	335900	47.20	33.90	20.73	13.18
1967-68	51819	106552	40724	147276	85192	232468	134800	367268	48.63	35.18	22.29	14.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1969-70	58076	120500	48720	169220	97780	267000	159300	426300	48.20	34.32	21.75	13.62
1970-71	66796	135600	62500	198100	107200	305300	183600	488900	49.26	33.72	21.88	13.66
1970-71	76685	152785	75565	228350	108699	337049	170000	507049	50.19	33.58	22.75	15.12
1971-72	83938	169528	94222	263750	140722	404472	182800	587272	49.51	31.82	20.75	14.29
1972-73	97649	192800	106100	298900	192300	491200	287500	787700	50.65	32.67	19.88	12.54
1974-75	114282	230500	116300	346800	208400	555200	248300	803500	49.58	32.95	20.58	14.22
1974-75	155038	288100	122800	410900	232300	643200	217100	860300	53.81	37.73	24.10	18.02
1975-76	194370	354600	159900	514500	279300	793800	259400	1053200	54.81	37.78	24.49	18.46
1976-77	227039	403300	168000	571300	332400	903700	288300	1192000	56.29	39.74	25.12	19.05
1977-78	241429	434900	180600	615500	377600	993100	319800	1312900	55.51	39.22	24.31	18.39
1978-79	277331	497000	195300	692300	472400	1164700	514100	1678800	55.80	40.06	23.81	16.52
1979-80	321109	566900	340800	907700	455200	1362900	427300	1790200	56.64	35.38	23.56	17.94
1980-81	388788	661600	378900	1040500	588800	1629300	558000	2187300	58.76	37.36	23.86	17.77
1982-83	489288	823400	426000	1249400	596100	1845500	609600	2455100	59.42	39.16	26.51	19.93
1982-83	549606	948600	463200	1411800	700700	2112500	715100	2827600	57.94	38.93	26.02	19.44
1983-84	626106	1075300	500800	1576100	825300	2401400	909300	3310700	58.23	39.73	26.07	18.91
1984-85 (संशोधित)	706465	1223900	573800	1797700	969700	1104600	3872000	3872000	57.72	39.30	25.53	18.25
1985-86 (बजट)	788494	1440500	668600	2109100	1110800	3219900	1026400	4246300	54.74	37.39	24.49	18.57

स्त्रोत : रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, बुलेटिन, 1948-49 से 1985-86.

टिप्पणी : केन्द्रीय कर आगम में भाग का अर्थ है आयकर, सम्पत्तिकर और संघीय उत्पादन शुल्क में भाग ।

यदि राज्यों के कर आगम में केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये गये करों में राज्यों को मिलने वाले हिस्सों को भी शामिल कर लिया जाए तो स्पष्ट है कि राज्य सरकारों के कुल कर आगम में बिक्रीकर का भाग 20.97 प्रतिशत था । मामूली उच्चावचनों के साथ क्रमशः बढ़ता हुआ वर्ष 1978-79 में अपने सर्वोच्च स्तर पर 40.06 प्रतिशत हो गया और उसके बाद विभिन्न वर्षों में 35 से 40 प्रतिशत के मध्य उच्चावचित होता रहा है ।

यदि राज्यों के कर आगम में गैर कर आगम को जोड़कर बिक्रीकर की स्थिति का अवलोकन किया जाए तो स्पष्ट होगा कि वर्ष 1951-52 में राज्यों के कुल आगम में बिक्रीकर का भाग 14.54 प्रतिशत था जो क्रमशः बढ़ता हुआ वर्ष 1981-82 में 26.51 प्रतिशत हो गया । वर्ष 1984-85 में यह भाग 25.53 प्रतिशत था । स्पष्ट है कि राज्य सरकारों के कुल आगम का 1/4 भाग बिक्रीकर से ही प्राप्त होता है ।

यदि राज्य सरकारों की आगम में पूँजीगत प्राप्तियों को भी जोड़ दिया जाए तो उस दृष्टि से भी बिक्रीकर के भाग में पर्याप्त प्रगति हुई है । वर्ष 1951-52 में राज्य सरकारों की कुल प्राप्तियों में बिक्रीकर का भाग 10.36 प्रतिशत था जो वर्ष 1981-82 में 19.93 प्रतिशत हो गया । वर्ष 1984-85 में यह 18.25 प्रतिशत था।

कुल मिलाकर स्पष्ट है कि राज्य सरकार के सभी पहलुओं की दृष्टि से बिक्रीकर के प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बिक्रीकर हटाने की माँग और राजनीतिक वायदों के कारण बिक्रीकर के अनुपात में वृद्धि की प्रवृत्ति में स्थिरता आयी है, जो राज्य सरकारों के कर संरचना एवं आगम के विभिन्न स्रोतों के सन्तुलन की दृष्टि से एक अच्छा संकेत है ।

<u>राज्य सरकारों की कर आगम में बिक्रीकर का भाग</u>

वर्ष 1973-74 से लेकर वर्ष 1985-86 के बजट अनुमानों सहित विभिन्न राज्य सरकारों की निजी कर आगम में बिक्रीकर के भाग को तालिका नं0 7.13 में दर्शाया गया है ।

तालिका नं0 7.13

राज्य सरकारों की कर आगम में बिक्रीकर का भाग

(राशि लाख रुपयों में)

राज्य का नाम	1973-74 कर आगम	1973-74 बिक्री कर	1973-74 प्रतिशत	1974-75 कर आगम	1974-75 बिक्री कर	1974-75 प्रतिशत	1975-76 कर आगम	1975-76 बिक्री कर	1975-76 प्रतिशत	1976-77 कर आगम	1976-77 बिक्री कर	1976-77 प्रतिशत	1977-78 कर आगम	1977-78 बिक्री कर	1977-78 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. आन्ध्र प्रदेश	2013	7386	36.69	2518	11399	45.27	3255	14108	43.34	3428	15264	44.53	3682	16271	44.19
2. असम	335	1618	48.30	444	2076	46.76	593	2718	45.84	632	2854	45.16	786	2844	36.18
3. बिहार	1152	5240	45.49	1442	7119	49.37	1864	9491	50.92	2085	11649	55.87	2140	12165	56.85
4. गुजरात	1512	9397	62.15	2012	13452	66.86	2360	15585	60.04	2982	19835	66.52	3293	21193	64.36
5. हरियाणा	761	3105	40.80	991	3899	39.34	1170	4950	42.31	1381	6395	46.30	1477	6902	47.14
6. हिमाचल प्रदेश	110	290	26.36	138	368	26.67	157	472	30.06	190	571	30.05	208	667	32.07
7. जम्मू व कश्मीर	118	349	29.58	134	422	31.49	177	657	37.12	187	650	34.76	306	886	28.95
8. कर्नाटक	1504	6822	45.36	1986	9364	47.15	2367	11787	49.80	2692	13730	51.00	2973	15109	50.82
9. केरल	955	5380	56.34	1236	7532	60.94	1597	9792	61.32	1865	10760	57.69	2134	11874	55.64
10. मध्य प्रदेश	1284	5903	45.97	1728	8374	48.46	2315	11738	50.70	2496	12658	50.71	2603	12674	48.69
11. महाराष्ट्र	3823	23115	60.46	4979	30872	62.00	5860	37004	63.15	6800	43910	64.57	7128	46085	64.65
12. मणिपुर	10	50	50.00	12	51	42.50	19	96	50.53	20	104	52.00	22	105	47.72
13. मेघालय	15	78	52.00	19	104	54.74	22	121	55.00	25	130	52.00	28	144	51.43
14. नागालैण्ड	16	51	31.88	15	62	41.83	22	83	37.73	20	83	41.50	23	106	46.08
15. उड़ीसा	422	2664	63.13	504	2731	54.19	684	3804	55.45	808	4707	58.25	838	4713	56.25
16. पंजाब	1231	5251	42.66	1516	6335	41.79	1728	7316	42.34	2020	9612	47.58	2351	10751	45.73
17. राजस्थान	907	4488	49.48	1061	5754	54.23	1308	6760	51.68	1517	8429	55.56	1727	10025	58.05
18. सिक्किम	अनु0	अनु0	-	अनु0	113	-	11	23	20.91	14	37	26.43	19	47	24.74
19. तमिलनाडु	2731	13225	48.43	3057	19075	62.40	3191	21127	66.21	3463	23055	66.57	3614	24304	67.25
20. त्रिपुरा	8	[illegible]	[illegible]	11	47	43.73	18	-	-	20	42	21.00	22	99	45.00
21. उत्तर प्रदेश	2256	10118	44.85	2760	13542	49.07	3934	20826	52.94	4547	24317	53.48	4673	24603	52.65
22. पश्चिमी बंगाल	1892	10169	53.75	2243	12507	55.76	2810	15912	56.63	3142	18297	58.23	3446	19802	57.46
योग	23055	114282	49.57	28806	155038	53.82	35462	194370	54.81	40334	222039	56.29	43493	241429	55.50

राज्य का नाम	1978-79			1979-80			1980-81			1981-82		
	कर आगम	बिक्रीकर	प्रतिशत	कर आगम	बिक्रीकर	प्रतिशत	कर आगम	बिक्रीकर	प्रतिशत	कर आगम	बिक्रीकर	प्रतिशत
1. आन्ध्र प्रदेश	4209	18493	43.94	4927	22022	44.70	5821	28226	48.49	7029	34562	49.17
2. असम	886	3432	38.73	720	3508	48.72	658	3149	47.86	903	5326	58.98
3. बिहार	2039	13063	64.06	2336	15546	66.55	2765	19376	70.08	3381	24008	71.01
4. गुजरात	3726	23526	63.14	4480	28937	64.59	5310	35385	66.64	6606	46241	70.00
5. हरियाणा	1706	7968	46.70	1973	9005	45.64	2339	10600	45.32	2906	13837	46.62
6. हिमाचल प्रदेश	240	801	33.37	287	1113	38.78	339	1356	40.00	415	1745	42.05
7. जम्मू व कश्मीर	346	1049	30.32	290	1280	44.14	378	1788	47.30	603	2289	37.96
8. कर्नाटक	3340	16449	49.25	4049	19978	49.34	4747	23736	50.00	6070	31886	52.53
9. केरल	2542	14689	57.78	2908	16264	55.93	3365	20394	60.61	3742	24549	65.60
10. मध्य प्रदेश	2876	14407	50.09	3203	16104	50.28	3859	20000	51.83	4759	26096	54.84
11. महाराष्ट्र	8508	53727	63.15	9808	62643	63.87	11303	74959	66.32	13837	92411	66.78
12. मणिपुर	105	4772	46.52	26	128	49.23	26	135	51.92	39	192	49.23
13. मेघालय	34	159	46.76	40	197	49.25	49	231	47.14	62	271	43.71
14. नागालैण्ड	27	120	44.40	34	150	44.12	43	187	43.49	55	295	53.64
15. उड़ीसा	984	5518	56007	1121	6595	58.83	1321	7663	58.01	1597	9429	59.04
16. पंजाब	2671	11931	44.67	3090	12979	42.00	3489	15593	44.69	4322	19182	44.38
17. राजस्थान	1975	11368	57.56	2168	13586	62.67	2302	14731	63.99	3120	18621	59.68
18. सिक्किम	21	44	20.95	25	54	21.60	26	50	19.23	31	71	22.90
19. तमिलनाडु	4474	29418	65.75	4864	32506	66.83	6391	45963	71.92	8424	54733	64.97
20. त्रिपुरा	26	117	45.00	32	155	48.44	38	196	51.58	53	305	57.55
21. उत्तर प्रदेश	5082	23720	59.79	5623	30252	53.80	6452	35085	54.38	8228	45335	55.10
22. पश्चिमी बंगाल	8968	23720	59.79	4678	28107	60.08	5141	29955	58.27	6161	37904	61.52
योग	49703	277331	55.80	56691	321109	56.64	66162	388758	58.76	82343	489288	59.42

राज्य का नाम	1982-83			1983-84			1984-85 (संशोधित)			1985-86 (बजट)		
	कर आगम	बिक्रीकर	प्रतिशत	कर आगम	बिक्रीकर	प्रतिशत	कर आगम	बिक्रीकर	प्रतिशत	कर आगम	बिक्रीकर	प्रतिशत
1. आन्ध्र प्रदेश	8084	40635	50.27	9654	50338	52.14	11729	61574	52.50	15376	74355	48.36
2. असम	1083	7544	69.66	1357	9389	69.19	1425	9598	67.35	1505	10110	67.18
3. बिहार	3815	26375	69.13	4415	29841	67.59	4879	33660	68.99	5397	36844	68.27
4. गुजरात	7630	50401	66.06	8790	55487	63.13	9906	62000	62.59	11056	66235	59.91
5. हरियाणा	3367	16048	47.66	3659	16746	45.77	4119	18770	45.57	5666	22638	39.95
6. हिमाचल प्रदेश	479	1861	38.85	542	2225	41.05	641	2805	43.76	740	3172	42.86
7. जम्मू व कश्मीर	619	2367	38.24	714	2650	37.11	789	2915	36.95	901	3256	36.14
8. कर्नाटक	6741	34478	51.15	7595	39930	52.57	9414	49200	52.26	11214	55100	49.14
9. केरल	4383	27520	62.79	4868	30661	62.98	5732	35000	61.06	6608	38500	58.26
10. मध्य प्रदेश	5583	30765	55.10	6430	35278	54.86	7309	38778	53.06	8561	42648	49.82
11. महाराष्ट्र	16480	102694	62.31	18225	119671	65.66	19453	123457	63.46	22069	133860	60.66
12. मणिपुर	41	167	40.76	49	169	34.49	49	140	28.57	55	170	30.91
13. मेघालय	74	352	47.57	95	489	51.47	85	413	48.59	222	442	19.91
14. नागालैण्ड	65	337	51.85	95	527	55.47	87	495	58.24	94	530	56.38
15. उड़ीसा	1736	10205	58.78	2009	11400	56.74	2256	12702	56.30	3423	15396	44.98
16. पंजाब	4905	21993	44.84	5441	25533	46.93	5285	25000	47.30	6936	32132	46.33
17. राजस्थान	3895	22223	57.06	4412	24998	56.66	4902	27800	56.71	5878	32550	55.38
18. सिक्किम	33	84	25.45	38	92	24.21	41	100	24.39	43	107	24.88
19. तमिलनाडु	10115	65549	64.80	11452	70152	61.26	13506	86060	63.72	15175	96301	63.54
20. त्रिपुरा	61	347	56.89	84	410	48.81	73	461	63.15	78	485	62.18
21. उत्तर प्रदेश	9293	48698	52.40	9921	55114	55.55	11074	60537	54.67	12092	62663	51.82
22. पश्चिम बंगाल	6379	38963	61.08	7686	45006	58.56	9637	55000	57.07	10981	61008	55.55
योग	94861	549606	57.94	107531	626106	58.23	122391	706465	57.72	144052	788494	54.74

स्रोत : रिजर्व बैंक आफ इण्डिया बुलेटिन, नवम्बर 1985.

टिप्पणी : प्रतिशत की गणना सम्बन्धित वर्ष में राज्य सरकारों की निजी कर आगम में बिक्रीकर की राशियों के आधार पर की गयी है।

तालिका नं0 7.13 के अवलोकन से स्पष्ट है कि यद्यपि विभिन्न राज्यों की कर आगम में बिक्रीकर के भाग में व्यापक भिन्नतायें हैं। सामान्यतया इसकी प्रवृत्ति यह रही है कि लगभग सभी राज्यों के बिक्रीकर के भाग में वृद्धि हुई है। यद्यपि इस वृद्धि की दर में भी व्यापक भिन्नता है। वर्ष 1973-74 में जिन राज्यों के कर आगम में बिक्रीकर का भाग 60 प्रतिशत से अधिक था उनमें गुजरात 162.15 प्रतिशत। महाराष्ट्र 160.46 प्रतिशत। और उड़ीसा 163.13 प्रतिशत। राज्य शामिल थे। वर्ष 1984-85 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 7 राज्य ऐसे हैं जिनके निजी कर आगम में बिक्रीकर का भाग 60 प्रतिशत से अधिक है, इनमें असम, बिहार, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और त्रिपुरा शामिल है। बिहार में राज्य के कर आगम का लगभग 69 प्रतिशत बिक्रीकर से ही प्राप्त होता है। जबकि असम में यह प्रतिशत 67.35 था, शेष चार राज्यों में राज्य सरकारों के कर आगम में बिक्रीकर का भाग लगभग 63 प्रतिशत था।

वर्ष 1973-74 में राज्यों के कर आगम में बिक्रीकर का भाग 50 से 60 प्रतिशत के बीच के राज्यों में चार राज्य केरल, पश्चिमी बंगाल, मेघालय और मणिपुर राज्य थे। वर्ष 1984-85 में इस वर्ग के राज्यों की संख्या बढ़कर 8 हो गई जिनमें आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल शामिल थे। वर्ष 1973-74 में बिक्रीकर के न्यूनतम भाग की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश था जिसका अपने करों में बिक्रीकर भाग 26.36 प्रतिशत था।

--------::0::--------

अध्याय अष्टम

विभिन्न राज्यों में विद्युत व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन एवं उनकी समस्यायें

अध्याय-8

विभिन्न राज्यों में बिक्री-कर व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन एवम् उनकी समस्यायें

भारत में बिक्री कर से आगम एवम् उनके तुलनात्मक विश्लेषणों से अब स्पष्ट हो चुका है कि राज्य सरकारों के कर आगमों में बिक्रीकर का महत्वपूर्ण स्थान है। कर व्यवस्था के विविध पहलुओं की विवेचना के सन्दर्भ में यह उपयुक्त होगा कि विभिन्न राज्यों में बिक्रीकर व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन किया जाय। अतः इस आशय से कुछ राज्यों का चयन करके उनकी स्थिति को स्पष्ट किया गया है।

1. कर योग्य विक्रय-अवधारणा

कर योग्य बिक्री की राशि की गणना करने के लिये प्रायः सभी राज्यों में विक्रय की कुल राशि में निम्न मदों को घटा दिया जाता है - सम्बन्धित राज्य के बिक्री कर अधिनियम के अनुसार कर मुक्त वस्तुओं की बिक्री, जिन वस्तुओं पर विक्रय के किसी पूर्व स्तर पर विक्रय कर दिया जा चुका है तथा अन्तर्राज्यीय अथवा निर्यात बिक्री। इनके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में कुछ विशिष्ट प्रावधान भी किये गये हैं। उदाहरणार्थ, राजस्थान में ऐसी बिक्री की राशि को भी घटा दिया जाता है, जिस पर अन्तिम बिन्दु पर कर देय हो माल को क्रेता से निर्धारित घोषणा-पत्र लेकर बेचा गया हो। हरियाणा में जनता को विद्युत शक्ति वितरित करने वाले तथा भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 के अधीन लाइसेन्स प्राप्त अथवा स्वीकृति प्राप्त प्रतिष्ठानों को ऐसे माल की विक्रय राशि जो बिजली के निर्माण अथवा प्रेषण अथवा वितरण में काम आता है तथा कर मुक्त घोषित सहकारी समितियों अथवा अन्य संस्थानों को किये गये विक्रय को भी घटा दिया जाता है।

केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली में किसी मान्यता प्राप्त स्कूल तथा दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय को वैज्ञानिक उपकरणों की बिक्री एवं भारतीय पर्यटन विकास निगम को पालम हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क फ्री दुकान से की गयी बिक्री को भी घटा दिया जाता है। पंजाब में एक बिजली कम्पनी द्वारा बेची गयी बिजली शक्ति की लागत या इसी प्रकार की कम्पनी द्वारा बेचे गये अन्य माल की बिक्री भी घटा दी जाती है।

उत्तर प्रदेश में किसी ग्राहक की सुविधा के लिए यदि कोई व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी से माल मँगाकर (जो उसके स्वयं के स्टॉक में नहीं है) बिना लाभ लिये तुरन्त उसे बेच देता है और अपने खातों में इस बिक्री को उस समय ही लिख देता है और उस व्यापारी का नाम भी लिख लेता है जिससे माल खरीदा है तो यह विक्रय राशि घटा दी जाती है ।

इसके अतिरिक्त प्रायः सभी अधिनियमों में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार किसी अन्य बिक्री को भी इस प्रकार की कटौती के लिये अधिसूचित कर सकती है ।

2. बिक्री कर पदाधिकारी

बिक्रीकर व्यवस्था को क्रियान्वित रूप देने के लिये सभी राज्यों में बिक्री कर पदाधिकारियों की विस्तृत शृंखला बनायी गयी है । राजस्थान राज्य में बिक्री कर संगठन को दो भागों में विभक्त किया गया है - प्रशासनिक पदाधिकारी एवं न्यायिक पदाधिकारी । प्रशासनिक पदाधिकारियों में आयुक्त, उप-आयुक्त(प्रशासन), वाणिज्य कर अधिकारी, सहायक वाणिज्य कर अधिकारी और निरीक्षक प्रमुख पदाधिकारी है । न्यायिक पदाधिकारियों में उच्च-न्यायालय, राजस्व मण्डल, आयुक्त, उप-आयुक्त (अपील), वाणिज्य कर अधिकारी और सहायक वाणिज्य कर अधिकारी और मुख्य पदाधिकारी है ।[1]

हरियाणा में बिक्री कर प्रशासन में सर्वोच्च अधिकारी के रूप में आयुक्त की नियुक्ति की जाती है । इसकी सहायता के लिए "सहायक" अथवा "संयुक्त आबकारी एवं करारोपण कमिश्नर" कार्य करते हैं । निम्न स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी के रूप में आबकारी एवं करारोपण अधिकारी कार्य करता है । यह बिक्री कर की दृष्टि से जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है और अपने जिले में कर निर्धारण करता है । इनमें "अतिरिक्त आबकारी एवं करारोपण अधिकारी" भी शामिल होते हैं । आबकारी

---

1. बाफना, गुप्त एवं नाहर : राजस्थान बिक्री कर परिचय, पृ. 183-186.

एवं करारोपण अधिकारी की सहायता के लिए सहायक आबकारी एवं करारोपण अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं। बाजार का सर्वेक्षण करके नये करदाताओं का पता लगाने की दृष्टि से करारोपण निरीक्षक और उप-निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है। बीस हजार रुपये तक बिक्री होने पर करारोपण निरीक्षक और पांच लाख रुपये तक बिक्री होने पर सहायक आबकारी एवं करारोपण अधिकारी को कर निर्धारण का अधिकार होता है। बिक्री कर अधिनियम को न्यायपूर्ण ढंग से लागू करने के लिये न्याय सम्बन्धी उच्च सत्ता के रूप में "न्यायाधिकरण" का प्रावधान है। न्यायाधिकरण में एक सदस्य होता है। न्यायाधिकरण" राज्य सरकार द्वारा एवं अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके निर्दिष्ट कार्य करता है।[2] पंजाब में बिक्री कर संगठन एवं पदाधिकारियों की व्यवस्था हरियाणा की तरह है।[3]

तमिलनाडु में बिक्रीकर के प्रशासनिक ढांचे में उपायुक्त वाणिज्यिक कर, सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर तथा वाणिज्यिक कर अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। न्यायिक दृष्टि से अपील ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है और उसके नीचे विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है।[4]

मध्य प्रदेश में भी बिक्री कर संगठन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है- प्रशासनिक और न्यायिक। प्रशासनिक व्यवस्था में आयुक्त, अपर विक्रय कर आयुक्त उपायुक्त या अपर आयुक्त, क्षेत्रीय सहायक आयुक्त या अपर क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, सहायक आयुक्त या अपर सहायक आयुक्त, विक्रय कर अधिकारी अथवा अपर विक्रय कर अधिकारी, सहायक विक्रय कर अधिकारी और विक्रय कर निरीक्षक होते

---

2. गोयल, के०पी० : हरियाणा बिक्रीकर, पृ० 13-14.

3. गौड़, बी०पी० एवं नारंग, डी०पी० : पंजाब सामान्य बिक्रीकर अधिनियम-1948, पृ० 16.

4. श्रीनिवासचारी, एम० : तमिलनाडु जनरल सेल्स टैक्स (मद्रास अधिनियम)पृ०3-4.

हैं । विक्रय कर आयुक्त तथा अपर विक्रय कर आयुक्त राज्य शासन द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और अन्य अधिकारी राज्य शासन या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, जिसे वह निर्देश दें । न्यायिक व्यवस्था में न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है । यह सर्वोच्च सत्ता मानी जाती है । इसके अतिरिक्त न्यायिक व्यवस्था में अन्य अधिकारी भी होते हैं ।[5]

उत्तर-प्रदेश में बिक्रीकर संगठन की दृष्टि से बिक्री कर आयुक्त सर्वोच्च अधिकारी होता है । इसके अधीनस्थ अतिरिक्त अथवा संयुक्त आयुक्त, उप-आयुक्त एवं सहायक आयुक्त होते हैं । जिले स्तर पर बिक्री-कर अधिकारी, सहायक बिक्री-कर अधिकारी एवं बिक्री कर निरीक्षक भी होते हैं ।[5]

कुल मिलाकर स्थिति यह है कि यद्यपि विभिन्न राज्यों में बिक्रीकर पदाधिकारियों के नाम में अन्तर अवश्य है लेकिन प्रायः अधिकांश राज्यों में बिक्रीकर पदाधिकारियों की व्यवस्था को प्रशासनिक एवं न्यायिक दो मुख्य भागों में विभक्त किया गया है ।

2. बिक्रीकर का बिन्दु

बिक्री कर आरोपण की दृष्टि से बिक्रीकर प्रावधानों में उल्लेखनीय विशेषता यह होती है कि बिक्रीकर किसे और किस बिन्दु पर लगाया जायेगा । इस संदर्भ में बिक्री कर एक बिन्दु के आधार पर, दो बिन्दु के आधार पर तथा बहु बिन्दु के आधार पर लगाया जा सकता है । यह भी उल्लेखनीय है कि एक बिन्दु कर में भी यह निश्चित करना होता है कि विक्रय व्यवहार के किस बिन्दु पर बिक्री कर आरोपित किया जायेगा अर्थात् इसे विक्रय व्यवहार के प्रथम बिन्दु पर लगाया जायेगा या अन्तिम बिन्दु पर ।

भारत में विभिन्न राज्यों में बिक्रीकर के बिन्दुओं में केवल विविधता ही नहीं है वरन् एक ही राज्य में विभिन्न बिन्दुओं पर कर आरोपण का मिश्रण पाया जाता

---

5. ढींगरा, डब्लू०सी०: मध्य प्रदेश सामान्य विक्रय-कर अधिनियम, 1958, पृ० 23.

है अर्थात् ऐसे अनेक राज्य है जिनमें कुछ वस्तुओं पर एक बिन्दु कर और कुछ वस्तुओं पर बहु बिन्दु कर लगाया जाता है जिन वस्तुओं पर एक बिन्दु कर लगाया जाता है उनमें से कुछ पर प्रथम बिन्दु पर और कुछ पर अन्तिम बिन्दु पर लगाया जाता है । विभिन्न प्रकार के बिन्दुओं पर करारोपण के सन्दर्भ में सामान्य प्रवृत्ति यह है कि देश के अधिकांश राज्यों में अधिकांश वस्तुओं पर एक बिन्दु बिक्रीकर को अपनाया गया है । इन राज्यों में असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, उत्तर प्रदेश, मेघालय नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और दिल्ली प्रमुख हैं । यह उल्लेखनीय है कि इनमें से कुछ राज्यों में कुछ वस्तुओं पर एक से अधिक बिन्दुओं पर भी बिक्री कर लगाया जाता है ।[6]

विस्तृत विवेचना की दृष्टि से राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत मुख्यतया माल के क्रय-विक्रय पर एक बिन्दु कर लगाने की व्यवस्था है । इसके अन्तर्गत अधिकांश मालों पर प्रथम बिन्दु पर तथा कुछ मालों पर अन्तिम बिन्दु पर बिक्री कर लगाया गया है । अपवाद-स्वरूप कुछ मालों पर बहु-बिन्दु कर लगाने की भी व्यवस्था है । यद्यपि राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी माल पर बहु बिन्दु बिक्री कर लगा सकती है । लेकिन केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 15 के अनुसार घोषित मालों पर राज्य सरकारों को बहु बिन्दु कर लगाने का अधिकार नहीं है ।[7]

<u>उत्तर प्रदेश</u> में प्रारम्भ में बहु बिन्दु बिक्री-कर लगाया गया था लेकिन 1 दिसम्बर 1973 से इसे मुख्य रूप से एक बिन्दु बिक्रीकर में परिवर्तित कर दिया गया है जिसके अन्तर्गत या तो राज्य के उत्पादक को या राज्य के बाहर से मंगाये गये सामान पर

---

6. Ministry of Finance (Government of India) : Report on Indirect Taxation Enquiry Committee, 1978 (Vol. II) Page 61.

7. धाकड़, गुप्ता एवं नाहर : राजस्थान बिक्री कर परिचय, पृ0 241-244.

बिक्री कर देना होता है । राज्य में अधिकांश वस्तुओं पर बिक्री के प्रथम स्तर पर ही कर लगाने का प्रावधान है लेकिन कुछ वस्तुओं पर बिक्री के प्रथम स्तर पर ही कर लगाने का प्रावधान है लेकिन कुछ वस्तुओं पर जैसे पत्थर के सामान, बताशा, अफीम, गांजा, चरस, पके हुए भोज्य पदार्थ, जूते इत्यादि पर बिक्री के अन्तिम बिन्दु पर कर लगाया जाता है ।[8] मध्यप्रदेश में भी एक बिन्दु कर में अधिकांश वस्तुओं पर प्रथम बिन्दु पर बिक्री कर लगाया जाता है ।

हरियाणा में राज्य सरकार बिक्रीकर अधिनियम की अनुसूची सी तथा डी में वर्णित वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी करके अधिसूचना में वर्णित वस्तुओं पर निर्दिष्ट तिथि से उनकी प्रथम बिक्री पर बिक्री कर लगाने का निर्देश दे सकती है । वर्तमान में अनेक वस्तुओं के ऊपर बिक्री के प्रथम स्तर पर कर लगाया जाता है जैसे सीमेन्ट, साईकिल, माचिस आदि । विक्रय के प्रथम स्तर पर कर योग्य वस्तु की बाद की बिक्रीकर से मुक्त होती है किन्तु यह बिक्रीकर से मुक्त तभी होती है जबकि बाद की बिक्री करने वाले व्यापारी द्वारा नियत ढंग से इस आशय का प्रमाण पत्र कर निर्धारण अधिकारी के यहाँ दाखिल कर दिया जाए कि ऐसी वस्तुओं के प्रथम विक्रय पर कर चुका दिया गया है ।[9] दिल्ली में वस्तुओं की प्रथम स्तर की बिक्री पर ही कर लगाने की व्यवस्था है ।[10]

महाराष्ट्र और गुजरात ने द्विबिन्दु बिक्रीकर अपनाया है । आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में औपचारिक रूप से बहु बिन्दु बिक्री कर अपनाया है लेकिन इन राज्यों में भी बिक्री कर आगम का अधिकांश भाग ऐसी वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन पर एक बिन्दु बिक्रीकर का प्रावधान है । तमिलनाडु में

8. गोयल, राधेश्याम:उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 के अधीन करयोग्य वस्तुओं की दरें, पृ0 1.
9. गोयल, के0पी0 : हरियाणा बिक्रीकर, पृ0 22.
10. गोयल, के0पी0 : दिल्ली बिक्रीकर, पृ0 14-15.

4 मार्च, 1974 से अधिकांश वस्तुओं को एक बिन्दु बिक्री कर के अन्तर्गत लिया गया है। जम्मू और काश्मीर तथा राजस्थान को छोड़कर प्रारम्भ में एक बिन्दु बिक्री-कर लगाने वाले अधिकांश राज्यों ने बिक्री के अन्तिम बिन्दु पर कर लगाने की व्यवस्था की थी लेकिन करवंचन को रोकने की दृष्टि से यह परिवर्तन किया गया कि अधिकांश राज्यों में अधिकांश वस्तुओं पर बिक्री के प्रथम स्तर पर ही कर लगाया जाता है।[11]

3. <u>बिक्रीकर की दरें</u>

विभिन्न राज्यों में बिक्रीकर की दरों में व्यापक विभिन्नतायें हैं। जिन राज्यों में बहु बिन्दु बिक्रीकर है उनमें (आन्ध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु) कर की दरें 4 प्रतिशत रही है। बिहार में यह दर कुछ नीची रही है। यदि यह मान लिया जाए कि एक वस्तु विक्रय व्यवहार में सामान्यतः दो या तीन स्तरों से गुजरती है तो यह दर व्यावहारिक रूप से 8 से 12 प्रतिशत तक प्रभावित होती है। इन राज्यों में जिन वस्तुओं पर एक बिन्दु बिक्रीकर अपनाया गया है उनमें विलासिता की वस्तुयें प्रमुख हैं जिनमें बिक्री के प्रथम स्तर पर 12 से 15 प्रतिशत तक बिक्रीकर लगाया गया है। विलासिता की इन वस्तुओं में मोटरगाड़ी, अस्त्र, रेफ्रीजरेटर, वातानुकूलित संयन्त्र, रेडियो, ग्रामोफोन, कैमरा और फिल्म, घड़ियां, लोहे की तिजोरी इत्यादि उल्लेखनीय रहे हैं। एक बिन्दु बिक्रीकर की अन्य वस्तुओं में सामान्य प्रयोग की वस्तुओं को रखा जाता रहा है जिन पर सामान्यतः 1 से 10 प्रतिशत तक कर लगाया जाता रहा है इन वस्तुओं में साइकिल और साईकिल के पुर्जे, खाद्य तेल और मिट्टी का तेल, चाय, खाद्यान्न, औषधियां इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है। कुछ राज्यों में इस वर्ग में सीमेन्ट और उर्वरक को भी शामिल किया गया है। एक बिन्दु बिक्री कर वाले राज्यों में बिक्रीकर की दरें 4 से 7 प्रतिशत थी, लेकिन वर्तमान में यह दरें अनेक वस्तुओं पर 20 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है।[12]

---

11. **Ministry of Finance (Government of India) : Report on Indirect Taxation Enquiry Committee, 1978 (Vol.II) Page 61.**

12. **<u>Ibid</u>, Page 61-62.**

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विभिन्न वस्तुओं पर बिक्रीकर की दरें 2 प्रतिशत से लेकर 15 प्रतिशत तक है । तमिलनाडु में वर्तमान में बिक्रीकर की सामान्य दरें 2 प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिशत तक हैं । 2 प्रतिशत की दर गेहूं के उत्पादकों जैसे आटा, सूजी, कच्ची अन इत्यादि पर लागू होती है । अधिकांश वस्तुओं पर कर की दर 4 से 10 प्रतिशत तक है, लेकिन टाइपराइटर, टेलीप्रिन्टर, घड़ी, मोटर-कार, फ्रिज, फोटो सामान इत्यादि वस्तुओं पर कर की दरें 15 प्रतिशत है । शराब पदार्थों पर बिक्री कर की दरें 50 प्रतिशत है ।[13]

मध्य प्रदेश में शराब पर 20 प्रतिशत, कोयला पर 2 प्रतिशत, तिलहन पर 3 प्रतिशत, प्लास्टिक के सामान पर 7 प्रतिशत, ऊनी तथा रेशमी सामान पर 8 प्रतिशत, मोटर गाड़ियों पर 11 प्रतिशत, रेफ्रीजरेटर पर 15 प्रतिशत, धातु फर्नीचर, फोटोग्राफ के सामान, टेलीफोन, लाउड स्पीकर, पंखे, कालीन, हाथी दांत के सामान, स्टील की वस्तुओं इत्यादि पर 12 प्रतिशत है ।[14] राजस्थान में भी विभिन्न वस्तुओं पर कर की विभिन्न दरें हैं । अधिनियम में घोषित वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर कर लगाने की सीमा के सम्बन्ध में 60 प्रतिशत का उल्लेख है । यद्यपि व्यवहार में अन्य राज्यों की तरह मादक पदार्थों को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर कर की दरें 4 से 20 प्रतिशत है ।[15]

हरियाणा में करों की दर की दृष्टि से माल को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है । कर मुक्त माल, विलासितापूर्ण माल और साधारण माल । प्रतिशत सामान्यतः साधारण माल पर कर की दर 7 प्रतिशत और विलासितापूर्ण माल पर कर की दर 10 प्रतिशत रखी गयी है ।[16] दिल्ली में बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत

---

13. श्रीनिवासाचारी एम0 : पूर्वोद्धृत, पृ0 45-68.
14. ढींगरा, डब्ल्यू0सी0 : मध्य प्रदेश सामान्य बिक्रीकर अधिनियम, 1958, पृ0152.
15. बाफना, गुप्ता एवं नाहर : राजस्थान बिक्री कर परिचय, पृ0 241.
16. गोयल, के0पी0 : हरियाणा बिक्री कर, पृ0 21.

कर की दरों की दृष्टि से वस्तुओं को तीन अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। पहली अनुसूची में विलासिता की वस्तुओं को रखा गया है जिन पर कर की अधिकतम दर 12 प्रतिशत रखी गयी है किन्तु व्यवहार में इन वस्तुओं पर 10 प्रतिशत की दर से कर लगाया गया है। दूसरी अनुसूची में जन साधारण द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं को रखा गया है जिन पर कर की अधिकतम दर 4 प्रतिशत है तीसरी अनुसूची में कर मुक्त वस्तुओं को रखा गया है। इसके अतिरिक्त सभी वस्तुओं पर की अधिकतम दर 5 प्रतिशत है लेकिन किसी होटल या जलपानगृह में कैबरे या अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों (जलपानगृह में कव्वाली प्रोग्राम को छोड़कर) के साथ परोसे जाने वाले भोज्य तथा पेय पदार्थों पर कर की दर 40 प्रतिशत है। कुछ विशिष्ट वस्तुओं पर कर की रियायती दरें भी घोषित की गयी है और उन पर कर की सामान्य 7 प्रतिशत की दर लागू नहीं होती है।[17]

कुछ राज्यों में एक निश्चित सीमा से अधिक बिक्री होने पर "अतिरिक्त बिक्री कर" और बिक्री कर पर सरचार्ज का प्रावधान भी है।

4. <u>बिक्रीकर से मुक्त वस्तुएं</u>

प्रायः सभी राज्यों में कुछ वस्तुएं बिक्रीकर से मुक्त रखी गई हैं लेकिन इनमें समानता नहीं है। बिक्रीकर से मुक्त वस्तुओं में सामान्यतः नमक, फल, सब्जियाँ और दस्तकारी के सामान को शामिल किया गया है। कुछ राज्यों में जिन वस्तुओं को बिक्रीकर से मुक्त रखा गया है उन्हीं पर अन्य कुछ राज्यों में अत्यन्त रियायती दर से कर लगाया गया है।

<u>हरियाणा</u> बिक्रीकर अधिनियम में वस्तुओं के 16 वर्ग बिक्रीकर से मुक्त है। इनमें सब्जियाँ, बिना पैकिंग के मांस, मछली, अण्डे, दूध, नमक, ताजा फल, फूल, पेन, पेंसिल, पुस्तकें, हाथकरघा या शक्ति करघा पर बने सामान, विद्युत शक्ति,

---

17. गोयल, पी0पी0 : दिल्ली बिक्रीकर, पृ0 8-14.

मोटर स्प्रिट, कृषियन्त्र, चरखा, खाद, मिट्टी के बर्तन, देशी शराब, भारतीय रेड क्रास सोसायटी को बेचा गया माल, अदालती एवं गैर अदालती स्टाम्प, रेवड़ी, बताशा, गजक, मिश्री, सब्जियों के बीज, मुर्गियों का दाना इत्यादि उल्लेखनीय है ।[18]

<u>दिल्ली</u> बिक्रीकर अधिनियम में 36 प्रकार के वस्तु सौदों को बिक्रीकर से मुक्त रखा गया है । जिसमें अन्य सामान्य कर मुक्त वस्तुओं के अतिरिक्त सभी अनाज, दालें, आटा, मैदा, बेसन तथा सूजी, चीनी, उर्वरक, तम्बाकू, विद्युतशक्ति, पान के पत्ते, अचार और मुरब्बा, पौधरक्षण के लिए कीटनाशक दवाएं, पौधरक्षण यन्त्र, सूती गद्दियां, गाय, भैंस, भेड़, बकरा, बकरी, घोड़ा, कुक्कुट आदि उल्लेखनीय हैं ।[19]

<u>पंजाब</u> बिक्रीकर अधिनियम में ताजी सब्जी, फल, दूध, मांस, मछली, अण्डा, नमक, फूल, चीनी, पेन, पेन्सिल, पुस्तकों, पत्रिकाएं, तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी, सिगार, मिठाई, कृषि उपकरणों को शामिल किया गया है ।[20]

<u>उत्तर प्रदेश</u> बिक्रीकर अधिनियम में कर मुक्त वस्तुओं की सूची में 57 वस्तुयें शामिल की गई है ।[21] इन वस्तुओं में पानी, दूध, नमक, समाचार पत्र, मोटर स्प्रिट तथा डीजल तेल, एल्कोहल, कृषक यन्त्र, चोट, घाव आदि पर बांधी जाने वाली पट्टियां, बारदाना तथा डिब्बे, पुस्तकें तथा मैगजीन, गन्ने के बीज, देशी शराब, पशु मुरब्बा आदि उल्लेखनीय है ।[22]

<u>मध्य प्रदेश</u> बिक्रीकर की धारा 10 के अन्तर्गत 23 वस्तुओं को बिक्रीकर से

---

18. गोयल जे०पी० : हरियाणा बिक्रीकर, पृ० 8-9.
19. गोयल जे०पी० : दिल्ली बिक्रीकर, पृ० 8-10.
20. नारंग गौड : पंजाब सामान्य बिक्रीकर अधिनियम, 1948, पृ० 7.
21. वस्तुओं का विवरण परिशिष्ट 'स' में उद्धृत है ।
22. मेहरोत्रा एच०सी० एवं गोयल डी०पी०: उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, पृ०43-45.

मुक्त रखा गया है, जो इस प्रकार है - कृषि उपकरण, पुस्तकें, पावरलूम व करघों पर तैयार किया गया कपड़ा, डबलरोटी, चौं, मिट्टी के बर्तन, अण्डे, विद्युतशक्ति, अभ्यास पुस्तिकाएं, पशु आहार, मछलियां, माँस, सब्जियां, ताजा दूध व दही, हाथ के बने कम्बल व कागज, कुनैन, शक्कर, तम्बाकू, नमक, खादी सिल्क, परिवार नियोजन साधन, सूखे मेवे, बैलगाड़ी व पहिए आदि ।[23]

राजस्थान बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत कर मुक्त वस्तुओं को चार मुख्य भागों में विभक्त किया गया है ।अ। ऐसे माल जो व्यापारी के पंजीयन प्रमाण पत्र में उल्लिखित होने पर ही कर मुक्त है । ।ब। ऐसे माल जिनके लिए व्यापारी के द्वारा 10 रुपये की निर्धारित फीस चुका कर कर मुक्ति का प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है । ।स। ऐसे माल जिनके लिए व्यापारी के द्वारा विक्रय राशि पर आधारित फीस चुका कर कर-मुक्ति का प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है । ।द। ऐसे माल जिनके लिए व्यापारी के द्वारा बिना कोई फीस चुकाए कर मुक्ति का प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है । प्रथम वर्ग में 31 प्रकार की वस्तुओं का उल्लेख किया गया है इसमें कुछ कृषि यन्त्र, लाख की चूड़ियां, पत्थर व संगमरमर की मूर्तियां, हस्तनिर्मित और अखबारी कागज, कुंकुम, सिन्दूर तथा मेंहदी, कुछ विशिष्ट प्रकार की ओढ़नियां एवं साड़ियां शामिल है । द्वितीय वर्ग में कुछ ऐसी वस्तुएं शामिल हैं जिन्हें विक्रेता स्वयं बनाकर विक्रय करता है और निर्माण कार्य में भाड़े के श्रम या शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है । इनमें जूते, मीनाकारी की वस्तुएं, हाथ से बने चित्र तथा साबुन उल्लेखनीय हैं । तीसरे वर्ग में हलवाइयों, होटलों, अल्पाहार गृहों एवं चाय की दुकानों इत्यादियों को छूट दी गई है । यदि इनकी बिक्री 30,000 रुपये तक हो तो इन्हें कर की मुक्ति के लिए कोई फीस नहीं देनी होती । लेकिन यदि बिक्री 30,000 रुपये से अधिक हो तो उसके बाद प्रत्येक 5,000 रुपये पर 250 रुपये की फीस चुकानी होती है । चतुर्थ वर्ग में 34 प्रकार की वस्तुएं शामिल की गई है । इनमें हाथी दाँत की बनी वस्तुएं, अभ्यास पुस्तिकायें, पतंग, हैण्डलूम की सूती दरियां, सभी प्रकार के खिलौने इत्यादि प्रमुख हैं ।[24] प्रायः सभी राज्यों

23. डीगरा डब्ल्यू०सी० : मध्य प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1958, पृ0 37.
24. बापना, गुप्त एवं नाहर : राजस्थान बिक्रीकर परिचय, पृ0 218-226.

में परिवार नियोजन से सम्बन्धित साधनों और उपकरणों को बिक्री कर से मुक्त रखा गया है ।

6. कर योग्य सीमा

कर योग्य सीमा से आशय उस राशि से है जिससे अधिक बिक्री होने पर व्यापारी कर चुकाने के लिए दायी होता है । विभिन्न दशाओं में व्यापारी के लिये कर योग्य सीमा अलग-अलग निर्धारित की गई है । भारत में विभिन्न राज्यों में कर योग्य सीमायें भिन्न-भिन्न निर्धारित की गयी है ।

दिल्ली में व्यापारी के लिए विभिन्न दशाओं में कर योग्य सीमा निम्नलिखित निर्धारित की गई है : ।अ। ऐसे व्यापारी के लिए जो दिल्ली के बाहर से ।दिल्ली में माल बेचने के लिए। माल आयात करता है कोई कर नहीं लगेगा । ।ब। केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कर दायी या पंजीकृत व्यापारी पर कोई कर नहीं लगेगा । ।स। ऐसे व्यापारी के लिए जो विक्रय के लिए माल का निर्माण करता है, चाहे निर्मित माल का मूल्य कितना ही हो, 30,000 रुपये से अधिक बिक्री होने पर कर लगेगा । ।द। अन्य व्यापारियों की दशा में 1,00,000 रुपये से अधिक बिक्री होने पर कर लगेगा । अधिनियम के अन्तर्गत यह प्रावधान भी है कि यदि बिक्री कर प्रशासक यह समझता है कि उपर्युक्त ।स। में वर्णित निर्माता व्यापारी को हिसाब-किताब रखने में कठिनाई होगी अथवा किसी अन्य वैध कारण से ऐसे व्यापारी की कर योग्य सीमा बढ़ा दी जाए तो वह अधिसूचना द्वारा इस कर योग्य सीमा को एक लाख रुपये तक बढ़ा सकता है ।[25]

हरियाणा में धारा 7 के अधीन, विभिन्न प्रकार के व्यापारियों के लिए निम्न कर योग्य सीमा है : ।अ। ऐसे व्यापारी पर, जो राज्य में विक्रय तथा निर्माण में प्रयोग के लिए किसी वस्तु का बाहर से आयात करता है, बिक्री कर नहीं लगेगा ।ब। ऐसे व्यापारी पर, जो किसी वस्तु का निर्यात करता है, बिक्री कर

25. घोषण बेन्सीo : दिल्ली बिक्रीकर, पृ0 7-8.

नहीं लेगेगा । ।स। ऐसे व्यापारी के लिए जो विक्रय के लिए स्वयं किसी वस्तु का निर्माण अथवा उत्पादन करता है, 10,000 रुपये से अधिक बिक्री होने पर बिक्रीकर लगेगा । ।द। ऐसे व्यापारी के लिये जो तंदूर, ढाबा, होटल, जलपानगृह, हलवाई की दुकान, बेकरी या अन्य इसी प्रकार का प्रतिष्ठान चलाते हैं, जिनमें भारतीय खाद्य पदार्थ एवं चाय मिलती है, 25,000 रुपये से अधिक बिक्री होने पर बिक्री कर लगेगा । ।य। किसी विशेष श्रेणी के व्यापारियों की दशा में जो उक्त ।अ। ।ब। ।स। एवं ।द। की श्रेणी में नहीं आते, ऐसी राशि जो निर्धारित कर दी जाए । ।र। अन्य किसी व्यापारी की दशा में 40,000 रुपये से अधिक बिक्री होने पर ।[26]

<u>राजस्थान</u> बिक्री कर अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के व्यापारियों के लिए विक्रय राशि तथा कर योग्य बिक्री की सीमायें निम्न प्रकार है : ।अ। एक ऐसा व्यापारी जो माल का आयात करता है तथा जिसकी विक्रय राशि 10,000 रुपये या इससे अधिक होने पर ।ब। एक ऐसा व्यापारी जो किसी भी माल का निर्माण करता है ।इनमें पकाये हुए भोजन के निर्माणकर्ता व्यापारी शामिल नहीं है, किन्तु बेकरी उत्पादों के निर्माणकर्ता व्यापारी शामिल है।जिसकी विक्रय राशि 25,000 रुपये या इससे अधिक होने पर । ।स। एक ऐसी सहकारी समिति जो सम्बन्धित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत समिति ह है तथा जो स्वयं के द्वारा उत्पादित एवं निर्मित मालों का ही व्यापार करती है तथा जो उन मालों के उत्पादन या निर्माण कार्य में किसी भी स्तर पर भाड़े के श्रम का उपयोग नहीं करती है जिसकी बिक्री 50,000 रुपये या इससे अधिक होने पर ।द। अन्य सभी प्रकार के व्यापारियों के लिए 75,000 रुपये या इससे अधिक बिक्री होने पर ।[27]

<u>उत्तर प्रदेश</u> में प्रत्येक व्यापारी, जो ऐसी वस्तुओं में व्यापार करता है, जिन पर उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत बिक्री कर लगता है और जिसकी विक्रय राशि कर निर्धारण वर्ष के लिए कर योग्य सीमा से अधिक है, बिक्री कर देने

---

26. गोयल वेoपीo : हरियाणा बिक्रीकर, पृ0 21.

27. बाफना,गुप्ता एवं नाहर : राजस्थान बिक्रीकर परिचय, पृ0 210-211.

के लिए दायी है। यदि किसी व्यापारी का कर-निर्धारण वर्ष के लिए निम्न का योग उत्पादक की दशा में 50,000 रुपये तथा किसी अन्य व्यापारी की दशा में 1,00,000 रुपये या राज्य सरकार द्वारा इससे अधिक अधिसूचित राशि से ज्यादा है तो उस पर बिक्री कर लगेगा : ।अ। धारा 3 द के अन्तर्गत अधिसूचित माल का क्रय मूल्य ।ब। अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत कर योग्य खरीद दारियाँ ।स। धारा 3 द के अन्तर्गत अधिसूचित माल की बिक्री जहाँ ऐसा माल राज्य में ही न खरीदा गया हो ।द। धारा 3 द में अधिसूचित माल के अतिरिक्त अन्य सभी माल की बिक्रियाँ, चाहे ऐसा माल प्रत्यक्ष रूप से व्यापारी द्वारा अथवा उसके एजेन्ट, शाखा या डिपो द्वारा राज्य के अन्दर, अन्तर्राज्यीय व्यापार में अथवा राज्य के बाहर बेचा जाता है।[28]

पंजाब में न्यूनतम कर योग्य बिक्री की राशि के सम्बन्ध में वर्तमान में निम्न दशायें हैं ।अ। ऐसे प्रत्येक व्यापारी के लिए जो पंजाब में किसी माल के निर्माण में या बिक्री के लिए आयात करता है बिक्री कर नहीं लगेगा ।ब। ऐसे प्रत्येक व्यापारी के लिए जो स्वयं निर्माण या उत्पादन करके माल का विक्रय करता है अथवा ऐसे व्यापारी के लिए जो तन्दूर, ढाबा, होटल, जलपानगृह, हलवाई की दुकान, बेकरी या अन्य इसी प्रकार का प्रतिष्ठान चलाते हैं जिनमें भारतीय खाद्य पदार्थ एवं चाय मिलती है 40,000 रुपये से अधिक बिक्री होने पर बिक्री कर लगेगा। ।स। किसी विशेष श्रेणी के व्यापारियों की दशा में जो उक्त ।अ। और ।ब। की श्रेणी में नहीं आते ऐसी राशि जो निर्धारित कर दी जाए। ।द। अन्य किसी व्यापारी की दशा में 1,00,000 रुपये से अधिक बिक्री होने पर कर लगता है।[29] स्पष्ट है कि विभिन्न राज्यों में बिक्रीकर मुक्ति की सीमायें अलग-अलग निर्धारित की गई है और समय-समय पर मूल्यवृद्धि तथा सरकारी नीतियों के अनुरूप इनमें परिवर्तन किया जाता रहा है।

---

28. गोयल जे०पी० : उत्तर प्रदेश बिक्रीकर, पृ० 10.
29. गोड नारंग : पंजाब सामान्य बिक्रीकर अधिनियम, 1948, पृ० 13.

7. <u>व्यापारियों का पंजीकरण</u>

प्रत्येक व्यापारी माल बेचते समय ग्राहकों से बिक्री कर वसूल नहीं कर सकता है अर्थात् केवल वे व्यापारी ही माल बेचते समय ग्राहकों से बिक्री कर वसूल कर सकते हैं। जो बिक्री कर व्यवस्था के अन्तर्गत पंजीकृत हों। इसके साथ ही पंजीकृत व्यापारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट वस्तुओं को बिक्री कर चुकाये बिना खरीद सकता है यदि वह माल निर्माण कार्य या पुनः विक्रय के लिए खरीदा जाता है। यह उल्लेखनीय है कि एक ऐसा पंजीकृत व्यापारी जिसे बिक्रीकर के स्थान पर एक मुश्त राशि का भुगतान करने की अनुमति प्रदान की गई है, ग्राहकों से बिक्री कर वसूल नहीं कर सकता है।

<u>दिल्ली</u> में व्यापारियों का पंजीकरण चार प्रकार का होता है। अनिवार्य, ऐच्छिक, अस्थायी एवं विशेष। अनिवार्य पंजीकरण केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन कर चुकाने के लिए दायी व्यापारी एवं निर्धारित कर योग्य सीमा से अधिक कुल पण्यावर्त होने की दशा में व्यापारी के लिए होता है। ऐच्छिक पंजीकरण 25,000 रुपये से अधिक लेकिन कर योग्य सीमा से कम बिक्री वाले व्यापारियों के लिए होता है। अस्थायी पंजीकरण दिल्ली राज्य में एक वर्ष के अन्दर 30,000 रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुएं निर्मित करने के लिए व्यवसाय स्थापित करने वाले व्यापारियों के लिए होता है। विशेष पंजीकरण उस समय किया जाता है जब किसी व्यापारी की त्रुटि पर उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है और फिर उसी वर्ष में या आगामी किसी वर्ष में किसी तिथि को उसकी कुल पण्यावर्त सर्वप्रथम कर योग्य सीमा से अधिक हो जाता है।[30]

<u>राजस्थान</u> में व्यापारियों के लिए अनिवार्य, ऐच्छिक तथा अस्थाई पंजीयन की व्यवस्था है। वैसे प्रत्येक व्यापारी के लिए जो अधिनियम के अन्तर्गत अपनी कर-योग्य बिक्री पर कर चुकाने के लिए दायी है एवं जिसकी विक्रय राशि निर्दिष्ट

---

30. गोयल केoपीo : दिल्ली बिक्री कर, पृo 22-27.

सीमाओं से अधिक है पंजीयन करवाना अनिवार्य है । यदि कोई व्यापारी बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत कर के लिए दायी न हो किन्तु उसकी विक्रय राशि निर्दिष्ट सीमा से अधिक होने की सम्भावना हो तो वह अपना पंजीयन (ऐच्छिक रूप से) करवा सकता है । ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान में कोई उद्योग स्थापित करने का इरादा रखते हैं और उसके लिए मशीन व कच्चा माल खरीदते समय करों में रियायत का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं अथवा कोई व्यक्ति राजस्थान राज्य में कोई व्यवसाय स्थापित करना चाहे और उस व्यवसाय का उद्देश्य प्रतिवर्ष 10,000 रुपये से अधिक मूल्य का माल निर्माण करना हो तो वे अपना अस्थाई पंजीयन करवा सकते हैं ।[31]

हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम के अधीन कर चुकाने के लिए दायी प्रत्येक व्यापारी को अनिवार्य रूप से अपने आपको पंजीकृत करना होता है । ऐसा व्यापारी जिसकी एक वर्ष के दौरान कुल पण्यावर्त 15,000 रुपये से अधिक है, कर चुकाने के लिए दायी न होने पर भी ऐच्छिक पंजीकरण के लिए आवेदनपत्र दे सकता है । यदि कोई व्यक्ति हरियाणा प्रान्त में विक्रय के लिए एक वर्ष में दस हजार रुपये मूल्य से अधिक की वस्तुएं निर्मित करने के लिए व्यवसाय स्थापित करना चाहता है तो वह अस्थायी पंजीकरण के लिए कर निर्धारण अधिकारी को आवेदन कर सकता है ।[32]

उत्तर प्रदेश में पंजीयन दो प्रकार का होता है : अनिवार्य पंजीयन और अस्थायी पंजीयन । ऐसे प्रत्येक व्यापारी के लिए अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है । जो (अ) राज्य के बाहर से माल का आयात करके बेचता है और बिक्री कर अधिनियम की धारा 3 अ(1) के अन्तर्गत कर दायी है । (ब) इस अधिनियम के अन्य किसी प्रावधान के अधीन कर दायी है (स) भविष्य में कर दायी होगा यदि उत्पादक की दशा में वास्तविक या अनुमानित बिक्री 50,000 रुपये एवं अन्य किसी व्यापारी की दशा में 1,00,000 रुपये या उससे अधिक है जो धारा 3(2) के अधीन

---

31. गोयल के0पी0 : हरियाणा बिक्रीकर, पृ0 23-29.
32. मेहरोत्रा, गोयल : उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, पृ0 52-59.

हैं तथा (द) ऐसा प्रत्येक व्यापारी जिसने कर-निर्धारण वर्ष के बीच में कभी अपना व्यापार प्रारम्भ किया हो और उसकी अनुमानित औसत मासिक बिक्री या किसी माह की वास्तविक बिक्री उत्पादक की दशा में 50,000 रुपये है के 1/12 भाग या अन्य व्यापारी की दशा में 1,00,000 रुपये के 1/12 भाग से कम नहीं है या उससे अधिक है जो धारा 3(2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाए। कोई भी निर्माणकर्ता जो किसी भी वर्ष में बिक्री के लिए 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के माल का निर्माण करने के लिए उत्तर प्रदेश में अपना व्यापार स्थापित करना चाहे तो वह अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र निर्धारित फार्म पर दे सकता है।[33]

निष्कर्ष रूप में प्रायः सभी राज्यों में अनिवार्य, ऐच्छिक एवं अस्थायी पंजीयन की व्यवस्था है और पंजीयन के लिए निर्धारित शुल्क भी जमा करना होता है।

8. <u>विक्रय राशि का अर्थ</u>

<u>राजस्थान</u> बिक्रीकर अधिनियम के अनुसार विक्रय राशि का अर्थ किसी व्यापारी द्वारा गत वर्ष में की गई माल की बिक्री या पूर्ति के सम्बन्ध में प्राप्त मूल्यों के योग से है। चाहे वह राशि प्राप्त हो चुकी हो या न हुई हो अर्थात् उधार बिक्री को भी इसमें शामिल किया जाता है लेकिन नगद छूट को घटा दिया जाता है। यदि किसी ग्राहक विशेष की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी से माल मँगाकर तुरन्त ही उस ग्राहक को बेच देता है तो उस माल का विक्रय मूल्य उस व्यापारी की विक्रय राशि में शामिल किया जाता है। जिसके यहाँ से माल मँगाया गया है। ठेके पर माल की पूर्ति के सम्बन्ध में विक्रय राशि का आशय उस राशि से होता है जो ठेके के लिए प्राप्त या प्राप्य राशि में से श्रम की लागत घटाने पर प्राप्त होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ शर्तें पूरा करने पर क्रय मूल्य में 10 प्रतिशत जोड़कर भी विक्रय राशि की गणना कर ली जाती है।

---

33. गोपाल मेहरोत्रा : उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, पृ0 52-59.

हरियाणा में विक्रय राशि से आशय एक व्यापारी द्वारा प्रधान अथवा एजेन्ट अथवा अन्य किसी हैसियत से निर्धारित समय के अन्दर की गयी बिक्री तथा खरीद की राशियों के योग में से व्यापारिक चलन के अनुसार स्वीकृत कोई नगद बट्टा घटाकर शेष बची हुई राशि से है । यदि व्यापारी माल की सुपुर्दगी से पहले अथवा सुपुर्दगी के समय माल के सम्बन्ध में किये गये किसी कार्य के लिये कोई राशि प्राप्त करता है तो इसे भी विक्रय राशि में शामिल कर लिया जाता है । किसी व्यापारी की भावी अनुबन्धों के सम्बन्ध में विक्रय को कराधान के लिये विक्रय राशि में शामिल नहीं किया जायेगा, जिनके लिये अभी माल की वास्तविक सुपुर्दगी नहीं हुई है । ऐसे माल की विक्रय राशि को जिसे क्रय करने पर इस अधिनियम के अधीन कर देय है तथा ऐसे माल के क्रय मूल्य को जिसका विक्रय करने पर इस अधि-नियम के अधीन कर देय है, विक्रय राशि ।पण्यावर्त। में शामिल नहीं किया जायेगा लेकिन कर योग्य माल का क्रय मूल्य विक्रय राशि में शामिल किया जायेगा ।

दिल्ली में विक्रय राशि से आशय किसी अवधि में विक्रय मूल्य के योग अथवा प्राप्त विक्रय मूल्यों के भागों के योग अथवा व्यापारी की इच्छा पर उस अवधि में वास्तव में प्राप्त रकम के योग से है । इस योग में से उस अवधि के अन्दर वापस लौटाये गये माल के सम्बन्ध में चुकायी राशि को घटा दिया जाता है शेष बची रकम ही पण्यावर्त कहलाती है । सामान्यतः उक्त अवधि तीन माह की होती है ।

उत्तर प्रदेश में विक्रय राशि से आशय उस कुल राशि से है जितने में कि,एक व्यापारी द्वारा सीधे अथवा अन्य किसी व्यक्ति के माध्यम से अपने हिसाब में अथवा अन्य किसी व्यक्ति के हिसाब में नगद अथवा स्थगित भुगतान अथवा अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए, माल बेचा जाता है । पर्तो कि किसी व्यक्ति द्वारा कृषि अथवा बागवानी उपज, जो उसने स्वयं बोयी हो अथवा किसी ऐसी भूमि पर बोयी हो जिसमें उसका हित स्वामी अथवा किरायेदार की हैसियत से हो, अथवा कुक्कुट पालन, अथवा डेरी का उत्पाद, जो उसकी रखी हुई मुर्गियों अथवा पशुओं से उदय हुआ हो,बेचने से जो विक्रय राशि प्राप्त हुई हो,वह विक्रय धन में शामिल नहीं होगी ।

पंजाब में विक्रय राशि का अर्थ है किसी व्यापारी द्वारा निर्धारित समय के दौरान की गई विक्रय और क्रय अथवा विक्रय और क्रय राशि के भाग से है जिसमें सामान्य रूप से व्यापारिक रीति के अनुसार व्यापारिक एवं नकद छूट को घटा दिया जाता है लेकिन इसमें ऐसी राशि शामिल की जाती है जो माल की सुपुर्दगी देते समय या माल की सुपुर्दगी से पहले प्राप्त कर ली जाती है ।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि विक्रय राशि का निर्धारण करने में सामान्यतः नकद और उधार दोनों विक्रियों को जोड़ लिया जाता है और उसमें से व्यापारिक चलन के अनुसार दी जाने वाली छूट को घटा दिया जाता है ।

9. कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पादों के सम्बन्ध में विशिष्ट प्रावधान

यद्यपि सैद्धान्तिक रूप से बिक्री कर लगाने में उपभोक्ता वस्तुओं और कच्चे मालों में कोई अन्तर नहीं होता, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से कच्चे माल पर बिक्री कर लगाने पर उसका प्रभाव लगभग उत्पादन शुल्क जैसा हो जाता है और तैयार माल के मूल्य को प्रभावित करता है । इस कारण विभिन्न राज्यों में कच्ची सामग्री और मध्यवर्ती वस्तुओं पर बिक्री कर के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की रियायतें दी गई हैं ।

कुछ राज्यों में उत्पादकों को बेचे जाने वाले कच्चे माल पर बिक्रीकर से पूर्ण मुक्ति की व्यवस्था है, इनमें गुजरात, हरियाणा और पंजाब उल्लेखनीय हैं, लेकिन यह कर मुक्ति निर्धारित शर्तों के अधीन ही दी जाती है । गुजरात में यह कर मुक्ति केवल ऐसे कच्चे माल के विक्रयों पर दी जाती है जो कर योग्य निर्मित माल में प्रयोग होता है । पंजाब और हरियाणा में इस प्रकार की छूट उस परिस्थिति में मिलती है जबकि निर्मित माल राज्य में ही बेचा जाता है ।[34]

अधिकांश राज्यों में कच्चे माल पर पूर्ण कर मुक्ति के स्थान पर रियायती

---

34. अनुत्पादक कर जाँच आयोग प्रतिवेदन, जनवरी 1978, पृ0 62.

कर प्रणाली को प्राथमिकता दी गई है । राजस्थान बिक्रीकर अधिनियम के अनुसार यदि किसी पंजीकृत व्यापारी द्वारा कोई माल खरीदा जाये और क्रेता व्यापारी का उद्देश्य उस माल को कच्चे माल के रूप में लेकर राजस्थान के भीतर ही कर मुक्त माल के अतिरिक्त अन्य किसी माल का निर्माण करना हो तो इस प्रकार के कच्चे माल पर विक्रय कर की दर 2 प्रतिशत ही होती है । केरल में कच्चे माल और मशीनों के कल पुर्जे या हिस्से के विक्रय पर छूट के अलग प्रावधान हैं । कच्चे माल की बिक्री पर कर की छूट उसी समय मिलती है जबकि तैयार माल राज्य में विक्रय होने पर कर योग्य है । जबकि मशीनों के हिस्सों इत्यादि पर कर की रियायत उस समय भी मिलती है जबकि उनसे बना हुआ सामान कर योग्य न हो । उत्तर प्रदेश में कच्चे माल की कर सम्बन्धी रियायतों को इस प्रकार बनाया गया है, जिससे नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रेरणा मिले । सन् 1974 के पश्चात् से राज्य में नवीन औद्योगिक इकाईयाँ एक निर्धारित समयावधि तक 35 अधिसूचित वस्तुओं के निर्माण के सन्दर्भ में क्रय किये जाने वाले माल और मध्यवर्ती सामानों के क्रय पर पूरी छूट प्राप्त करते हैं । इन वस्तुओं में साईकिल, रेडियो, टेलीविजन, ट्रांसिस्टर तथा विद्युत सामान उल्लेखनीय है । कर छूट की निर्धारित अवधि पिछड़े जिलों में 5 वर्ष और अन्य जिलों में 3 वर्ष है । इस निर्धारित अवधि के पूरा होने के पश्चात् कच्चे माल और मध्यवर्ती सामान के ऊपर बिक्रीकर की रियायती दर लागू होती है । 35 घोषित वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का निर्माण करने वाली नवीन इकाइयाँ उक्त निर्धारित अवधि तक रियायती बिक्रीकर की दरों पर कच्चे माल इत्यादि का क्रय कर सकती है, लेकिन इस अवधि के पश्चात् पूरी दर से बिक्री कर देना होगा ।

महाराष्ट्र में निर्माताओं को बेचे जाने वाले कच्चे पदार्थों पर रियायती बिक्री कर का प्रावधान है । अधिनियम के अनुसार कोई भी निर्माता, जो पंजीकृत व्यापारी हैं, कुछ निश्चित वस्तुओं को 3 प्रतिशत की रियायती दर से भुगतान करके क्रय कर सकता है जो उत्पादन देश के बाहर निर्यात किया जाता है उसके लिये क्रय किये गये कच्चे माल पर चुकाया गया बिक्रीकर राज्य सरकार द्वारा लौटा दिया

जाता है । पश्चिमी बंगाल में रियायती बिक्रीकर की दर कुछ विशिष्ट वस्तुओं के सम्बन्ध में 1 प्रतिशत और अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में 2 प्रतिशत है । लेकिन यह छूट तभी मिलती है जबकि विक्रेता और निर्यातकर्त्ता दोनों ही पंजीकृत व्यापारी हों । आन्ध्र प्रदेश में बिक्रीकर की रियायती दर 3 प्रतिशत है । मध्य प्रदेश में या अन्त-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में या निर्यात में विक्रय हेतु अन्य माल के विनिर्माण हेतु किसी कच्चे माल के, जो तेंदू पत्तों से भिन्न हो, विक्रय या क्रय दर, जो किसी पंजीकृत व्यापारी द्वारा किया गया हो, देयकर ऐसे कच्चे माल की विक्रय कीमत या क्रय कीमत के तीन प्रतिशत की दर से लागू किया जाता है, परन्तु जब ऐसे कच्चे माल के क्रय या विक्रय पर देयकर दो प्रतिशत से कम दर पर देय हो, तब देयकर की गणना ऐसी कम दर से ही की जावेगी ।

कुल मिलाकर स्थिति यह है कि यद्यपि अधिकांश राज्यों में कच्ची सामग्री और मध्यवर्ती वस्तुओं पर बिक्रीकर की छूट या बिक्रीकर की रियायती दरों का प्रावधान है लेकिन यह छूट उसी परिस्थिति में मिलती है जबकि कच्चे माल का विक्रय राज्य में ही तैयार माल बनाने के उद्देश्य से किया गया हो । कुछ परिस्थितियों में यह शर्त अवश्य लगा दी गयी है कि तैयार माल बिक्रीकर योग्य मालों में आता हो । कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं पर कर छूट और रियायत का उद्देश्य राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहित करना, पिछड़े क्षेत्र में औद्योगिक स्थानीयकरण को प्रेरित करना तथा उपभोक्ता की दृष्टि से मध्यवर्ती मालों पर लगने वाले बिक्रीकर के विप-रीत प्रभावों को रोकना होता है ।

10. वर्ष एवं कर निर्धारण के समय की सीमा

बिक्रीकर का निर्धारण सामान्यतः वार्षिक आधार पर होता है । यद्यपि अधिकांश राज्यों में इसके लिए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च को आधार बनाया गया है, लेकिन कुछ राज्यों में इसमें विकल्प भी दिये गये हैं । उदाहरणार्थ, गुजरात और महाराष्ट्र में नियमित रूप से लेखे रखने वाले करदाताओं को यह विकल्प दिया गया है कि अपने लेखे वर्ष के आधार पर वित्तीय वर्ष के अतिरिक्त, कैलेन्डर वर्ष, सम्वत् वर्ष, रामनवमी वर्ष इत्यादि को भी अपना सकते हैं ।

यहाँ यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि प्रारम्भ में अधिकांश राज्यों में इस सन्दर्भ में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी कि करदाता द्वारा रिटर्न जमा किये जाने के कितने समय के अन्दर कर निर्धारण हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ राज्यों में निकट के वर्षों में इस सम्बन्ध में प्रावधान किये गये हैं। गुजरात बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि सामान्यतः तीन वर्षों के अन्दर कर निर्धारण हो जाना चाहिए लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में और विशेष रूप से कम कर निर्धारण हो जाने पर पुनः कर निर्धारण की दशा में 4 वर्ष से 8 वर्ष तक हो सकती है।[42]

दिल्ली केन्द्रशासित क्षेत्र में यह अवधि 4 वर्ष से 6 वर्ष तक है। राजस्थान बिक्रीकर अधिनियम में बिक्री के नक्शे, साक्ष्य या सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर कर निर्धारण सम्बन्धित वर्ष के पश्चात् 5 वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसे मामलों में यह अवधि 8 वर्ष है जिनमें कर के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या व्यापारी ने अपना पंजीयन न कराया हो या अपना बिक्री का विवरण दाखिल न किया हो।

11. कर निर्धारण की प्रक्रिया

कर निर्धारण की प्रक्रिया लगभग सभी राज्यों में एक सी है। इसके लिए सामान्य रूप से पंजीकृत व्यापारी को अपना बिक्री का विवरण बिक्री कर कार्यालय में प्रस्तुत करना पड़ता है। लेकिन इसके लिए विभिन्न राज्यों में अन्तर अवश्य है।

दिल्ली में प्रत्येक पंजीकृत व्यापारी को तिमाही की समाप्ति के बाद 45 दिन के अन्दर अपना बिक्री विवरण दाखिल करना होता है। कर निर्धारण अधिकारी कारणों का लिखित रूप में उल्लेख करके किसी व्यापारी को प्रतिमाह बिक्री विवरण दाखिल करने का आदेश दे सकता है। मासिक बिक्री विवरण आगामी महीने की 15 तारीख तक दाखिल कर दिया जाना चाहिये।

हरियाणा में प्रत्येक पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत व्यापारी को अपने क्षेत्र के कर निर्धारण अधिकारी के यहाँ प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर 30 दिन के भीतर अपना बिक्री विवरण दाखिल करना होता है।

<u>राजस्थान</u> में भी बिक्री विवरण को, जिस तिमाही से वह सम्बन्धित है, उसकी अन्तिम तारीख से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए । लेकिन यदि किसी व्यापारी की किसी गत वर्ष में कर-योग्य बिक्री उसकी सकल-विक्रय राशि के 10 प्रतिशत से अधिक न हो तो वह कर निर्धारण अधिकारी की स्वीकृति लेकर लेखा वर्ष समाप्त होने से 60 दिन के भीतर बिक्री विवरण पेश कर सकता है ।

<u>उत्तर प्रदेश</u> अधिनियम के अन्तर्गत कर योग्य प्रत्येक ऐसे व्यापारी को जिसकी किसी कर-निर्धारण वर्ष में बिक्री दो लाख रूपये से अधिक है, अपनी मासिक बिक्री का विवरण प्रत्येक माह का उससे अगले माह की समाप्ति से पूर्व बिक्री-कर अधिकारी के यहाँ दाखिल करना होता है, परन्तु माह फरवरी का विवरण 20 मार्च तक दाखिल करना होता है ।

उपरोक्त मुख्य प्रावधानों के अतिरिक्त बिक्रीकर अधिनियमों में खाता पुस्तकों के रख-रखाव, खातों के निरीक्षण, कर की वापसी, भूल सुधार, अपराध एवं अर्थदण्ड, अपील तथा पुनर्विचार, चैक पोस्ट की स्थापना इत्यादि के सम्बन्ध में भी प्रावधान होते हैं । इनमें मौलिक रूप से लगभग समानता की स्थिति है, लेकिन अर्थदण्ड की राशि, अपील की समय अवधि इत्यादि में कुछ व्यावहारिक अन्तर अवश्य है ।

देश के कुछ राज्यों में बिक्रीकर से सम्बन्धित मुख्य प्रावधानों की विवेचना के पश्चात् निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि बिक्री कर के करारोपण के उद्देश्य एवं प्रक्रिया लगभग एक सी है लेकिन बिक्रीकर की प्रशासनिक व्यवस्था, कर की दरें, कर का बिन्दु, कर मुक्ति की सीमा, कर से मुक्त वस्तुएँ इत्यादि में व्यापक विभिन्नताएँ हैं, जिनके सन्दर्भ में उचित एकरूपता और समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है ।

बिक्रीकर की प्रमुख समस्यायें

यद्यपि बिक्रीकर आगम तथा उनकी प्रवृत्तियों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि यह राजकीय आय के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, फिर भी इसके प्रावधानों, प्रक्रियाओं और कार्यव्यवस्थाओं का सूक्ष्म अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि इस कर के प्रावधानों में विविधता, कार्य पद्धति में कठिनता एवम् इसके कार्यव्यवस्था में अनेक कमियाँ देखने को मिलती हैं। यही कारण है कि यह अप्रत्यक्ष कर का यह स्वरूप विचारकों, उद्योगपतियों और व्यापारियों द्वारा आलोचना का विषय रहा है। इस अध्याय के अन्तर्गत बिक्रीकर की विभिन्न समस्याओं और कठिनाइयों को लेकर उन पर प्रकाश डाला गया है तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बिक्री कर व्यवस्था की सामान्य समीक्षा करते हुये उत्तर प्रदेश के विशिष्ट सन्दर्भ में इस कर की समस्याओं और कठिनाइयों का विश्लेषण निम्नांकित पृष्ठों में किया गया है :

1. विविध कर प्रावधान

जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि देश के विभिन्न राज्यों में बिक्रीकर के प्रारम्भ में समयावधि का अन्तर ही नहीं है, वरन् बिक्रीकर प्रावधानों में भी पर्याप्त एवं व्यापक भिन्नतायें हैं। इनमें बिक्रीकर के बिन्दु, बिक्रीकर से मुक्त वस्तुओं की सूची; बिक्रीकर के प्रशासन; पंजीयन की आवश्यकता, प्रकार एवं विधि; विक्रय राशि और कर योग्य बिक्री का अर्थ; कच्चे माल के सम्बन्ध में कर प्रावधान तथा कर निर्धारण समय की सीमा इत्यादि के सम्बन्ध में भिन्नतायें उल्लेखनीय हैं। विभिन्न राज्यों के अधिनियमों में प्रयुक्त विभिन्न तकनीकी शब्द और धारणाओं का न्यायिक निर्वचन भी भिन्न-भिन्न हुआ है। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों में कर प्रावधानों का पालन करने हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले विभिन्न फार्मों में भी अन्तर रहा है। इन सभी तथ्यों से कर की प्रभावशीलता में कमी आती है तथा कर प्रावधानों में कम सुविधा वाले राज्यों में व्यापारिक क्रियायें अन्तरित होने लगती हैं जिन राज्यों में कर प्रावधानों में अधिक सुविधायें दी गई हैं। विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रावधान व्यापारियों को यह अवसर भी प्रदान करते हैं कि वे अन्य राज्यों की तुलना के आधार पर अपने राज्य के कर प्रावधानों की जटिलता,

अधिकता और रियायतों की आलोचना कर सकें । यह ठीक है कि विभिन्न राज्यों में विकास की स्थिति, व्यापारिक क्रियाओं का स्तर, विभिन्न वस्तुओं के महत्व इत्यादि में अन्तर के कारण कर प्रावधानों में कुछ अन्तर रहना स्वाभाविक है,लेकिन बिक्रीकर अधिनियम में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों, धारणाओं, प्रपत्रों, वस्तुओं के वर्गीकरण, कर की अधिकांश दरों, पंजीयन, कर-निर्धारण, अर्थदण्ड इत्यादि की व्यवस्थाओं में पर्याप्त एकरूपता बनाई जा सकती है । इसके लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक "आदर्श बिक्री कर अधिनियम" का प्रारूप तैयार किया जाए और उसे क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित एवं समायोजित करके विभिन्न राज्य सरकारें अपना लें ।

2. बिक्रीकर की दरों में अन्तर

विभिन्न राज्यों में बिक्रीकर के प्रावधानों व व्यवस्थाओं में ही अन्तर नहीं है, वरन् बिक्रीकर की दरों में भी व्यापक अन्तर देखने को मिलता है, जैसे घड़ियों पर तमिलनाडू में बिक्री के प्रथम बिन्दु पर 15 प्रतिशत बिक्रीकर लगता है जबकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में 10 प्रतिशत तथा मध्य प्रदेश में 12 प्रतिशत बिक्रीकर लगता है । लोहा एवं इस्पात पर तमिलनाडू में 15 प्रतिशत, मध्यप्रदेश में 3 प्रतिशत तथा उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में 4 प्रतिशत कर लगता है । किराने पर मध्य प्रदेश तथा हरियाणा में 4 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 8 प्रतिशत तथा दिल्ली में 3 प्रतिशत कर है । इसी प्रकार कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो कुछ राज्यों में कर से पूर्णतः मुक्त हैं जबकि अन्य कुछ राज्यों में कर योग्य हैं । उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश में डबल रोटी पर 15 प्रतिशत कर लगाया जाता है जबकि दिल्ली और हरियाणा में यह कर-मुक्त है । दिल्ली में सभी अनाज तथा दालें कर मुक्त हैं जबकि हरियाणा में 4 प्रतिशत कर लगाया जाता है । इस प्रकार बिक्री कर की दरों में भिन्नताएं जहां स्वयं में इस कर व्यवस्था के अविवेकपूर्ण होने का आधार बनती हैं, वहां दूसरी ओर इससे सरकार की उस नीति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके अन्तर्गत सरकार आवश्यक, आधारभूत एवं जनोपयोगी वस्तुओं के सन्दर्भ में समान मूल्य बनाये रखना चाहती है । उदाहरण के लिए वनस्पति घी, औषधियां, उर्वरक इत्यादि के

सन्दर्भ में सरकार की यह नीति रही है कि देश भर में समान मूल्य हों, लेकिन बिक्री कर की दरों में भिन्नता के कारण ऐसी वस्तुओं के निर्धारित मूल्य तथा अंकित मूल्यों में <u>बिक्रीकर अतिरिक्त</u> शब्द जुड़ा रहता है। इसके कारण जहाँ एक ओर सरकार द्वारा समान मूल्य बनाये रखने का औचित्य नष्ट हो जाता है, वहाँ दूसरी ओर उत्पादक या विक्रेता बिक्रीकर अतिरिक्त के नाम पर उपभोक्ता से मनमानी मूल्य प्राप्त करने का अवसर पा लेता है।

अतः यह कहना उपयुक्त होगा कि ऐसी वस्तुओं के सन्दर्भ में राज्यों में कर की दर समान रहनी चाहिए, जिनके सन्दर्भ में केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय स्तर पर समान मूल्य स्तर बनाये रखने का प्रयास करती है। मेरे विचार में राष्ट्रीय स्तर पर कर की दर में एकरूपता बनाये रखने के लिए देश को कुछ क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाए तथा सम्बद्ध और निकटवर्ती राज्यों में एक सी दर रखी जाए। इस सन्दर्भ में यह महत्त्वपूर्ण है कि अक्टूबर, 1985 में नई दिल्ली में राज्य सरकारों एवं केन्द्रशासित क्षेत्रों के वरिष्ठ आबकारी एवं बिक्रीकर अधिकारियों की बैठक में बिक्री कर से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया था और उसमें केन्द्र सरकार ने इस बात पर जोर दिया था कि बिक्रीकर दरों में एकरूपता बनाये रखने का प्रयास करना चाहिए।[35]

बिक्रीकर की दरों के सन्दर्भ में केवल यही समस्या नहीं है कि विभिन्न राज्यों में बिक्रीकर की दर भिन्न है, वरन् एक व्यावहारिक समस्या यह भी है कि एक ही राज्य में बिक्रीकर की दरों के अनेक स्तर विद्यमान हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में न्यूनतम 2 प्रतिशत की दर से लेकर अधिकतम 15 प्रतिशत की दर तक के मध्य 8 दरें विद्यमान हैं। इसी प्रकार तमिलनाडु में 2 प्रतिशत की दर से लेकर अधिकतम 20 प्रतिशत की दर के मध्य 12 दरें हैं। कर दरों की इतनी विविधताओं से कर निर्धारण कठिन होता है तथा करापवंचन के लिए वस्तुओं के नाम बदलकर बीजक

---

35. हिन्दुस्तान टाइम्स, 4 अक्टूबर, 1985.

बनाये जाते हैं । अतः यह उचित होगा कि वस्तुओं को चार या पाँच मुख्य वर्गों में विभाजित कर दिया जाए और इस तरह कर की दरों को भी चार या पाँच वर्गों तक ही सीमित रखा जाए । इस सन्दर्भ में दिल्ली का उल्लेख किया जा सकता है, जहाँ कुल वस्तुओं को कर की दर की दृष्टि से पाँच वर्गों (कर से मुक्त माल, जन साधारण द्वारा प्रयुक्त वस्तुएँ, विलासी वस्तुएँ, घटी हुई दर वाली वस्तुएँ तथा होटल या जलपान गृह में खाने-पीने वाले पदार्थ) में विभाजित किया गया है । इसी प्रकार हरियाणा में भी वस्तुओं को चार वर्गों (कर मुक्त माल, साधारण कर योग्य माल, विलासिता की वस्तुएँ तथा घोषित माल) में विभाजित किया गया है ।

3. कर मुक्ति की सीमा का निर्धारण

राज्यों में एक निश्चित वार्षिक बिक्री से अधिक की बिक्री पर ही यह कर लगाया जाता है अर्थात् एक निश्चित सीमा तक की बिक्री कर से मुक्त होती है । यद्यपि कर मुक्ति की सीमा को समय-समय पर बढ़ाया गया है लेकिन इस सीमा में वृद्धि देश में मूल्य स्तर में वृद्धि के अनुरूप नहीं रहती है और राज्यों में इस कर की मुक्ति सीमाओं में भी पर्याप्त भिन्नताएँ हैं । अतः एकरूपता की दृष्टि से यह आवश्यक होगा कि विभिन्न राज्यों में कर-मुक्ति की सीमा यथा सम्भव समान रखी जाए और इस सीमा को परिवर्तित करते समय मूल्य वृद्धि के निर्देशांक को ध्यान में रखा जाए ।

4. राज्य सीमाओं पर माल के निरीक्षण की समस्या

अन्तर्राज्यीय व्यवहारों में सीमा पर स्थित चैक-पोस्टों पर माल का निरीक्षण किया जाता है । यदि माल के विवरण और वास्तविक माल में अन्तर हो तो माल को रोका जा सकता है और अर्थदण्ड लगाया जा सकता है । सैद्धा-न्तिक रूप से यह व्यवस्था औचित्यपूर्ण है लेकिन भारत में जहाँ लगभग सम्पूर्ण प्रशास-निक व्यवस्था "सुविधा शुल्क" अर्जित करने की अभ्यस्त हो चुकी हो और दूसरी ओर प्रभावशाली व्यापारी वर्ग सुविधा शुल्क के बदले सुविधा उठाने का आदी हो चुका

हो, वहाँ इन चेक पोस्टों पर होने वाली अनियमितताओं और छोटे-छोटे तथा ईमानदार व्यापारियों को होने वाली कठिनाइयों का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है ।

5. कच्चे माल पर कर निर्धारण की समस्या

राज्यों में निर्मित मालों में प्रयोग होने वाले कच्चे पदार्थों और आगतों के प्रयोग के सम्बन्ध में बिक्रीकर की छूट अथवा बिक्रीकर में रियायत के प्रावधान है फिर भी यह पदार्थ पूरी तरह कर मुक्त नहीं है । यह व्यवस्था देश में लघु उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के विपरीत है क्योंकि उत्पादक कच्चे पदार्थ और आगतों पर बिक्रीकर बचाने के लिए संयोजन बनाना प्रारम्भ कर देते हैं या अपने आकार को बढ़ाकर उस वस्तु का स्वयं उत्पादन करना प्रारम्भ कर देते हैं । अतः इस सन्दर्भ में भी बिक्रीकर व्यवस्था को सन्तुलित बनाने की आवश्यकता है ।

सामान्यतः जब उत्पादन शुल्क और बिक्रीकर की तुलना की जाती है तो यह समझा जाता है कि उत्पादन कर, उत्पादन के बिन्दु पर लगाया जाता है जबकि बिक्रीकर उपभोग से पहले बिक्री के स्तर पर लगाया जाता है । दूसरे शब्दों में, बिक्रीकर मुख्य रूप से उपभोग स्तर का कर है, लेकिन व्यवहार में अनेक प्रावधान इसके विपरीत हैं । जिन राज्यों में बहु बिन्दु कर या द्विबिन्दु कर लगता है, उनमें उत्पादन से लेकर उपभोग तक एक से अधिक बिन्दुओं पर बिक्री कर लग जाता है । इसी प्रकार अन्तर्राज्यीय व्यवहारों में निर्यातक और आयातक दोनों ही राज्य बिक्रीकर लगाने का प्रयास करते हैं अर्थात् उत्पादक राज्य और उपभोक्ता राज्य दोनों ही बिक्रीकर लगाते हैं जबकि बिक्रीकर की भावना और धारणा के अनुसार उपभोक्ता राज्य को ही कर लगाना चाहिए । इसी प्रकार यह तर्क दिया जाता है कि उत्पादक राज्य को भी बिक्रीकर में कुछ हिस्सा मिलना चाहिए और इस आधार पर प्रारम्भ में केन्द्रीय बिक्रीकर की दर मात्र एक प्रतिशत रखी गई थी, लेकिन धीरे-धीरे इस भावना को भुला दिया गया । केन्द्रीय बिक्रीकर को आगम का एक महत्वपूर्ण स्रोत मानकर इस कर की दर क्रमिक रूप से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दी गई और इस प्रकार इस व्यवस्था से उपभोक्ता पर अनावश्यक कर भार की स्थिति उत्पन्न हो गई है ।

उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में बिक्रीकर की समस्यायें

उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में बिक्रीकर की समस्याओं को प्रायः तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है : (अ) प्रशासनिक समस्यायें (ब) व्यवहारिक समस्यायें (स) अन्य समस्यायें ।

प्रशासनिक समस्यायें

इसके अन्तर्गत उन समस्याओं को रखा गया है जिनके सम्बन्ध में सरकार या बिक्रीकर विभाग के उच्चाधिकारी यह अनुभव करते हैं कि बिक्रीकर विभाग अथवा व्यापारियों की कार्यपद्धति के कारण यह समस्यायें उत्पन्न होती हैं और बिक्रीकर विभाग की शिथिलता को कम करके तथा प्रशासन को सुदृढ़ करके इन समस्याओं का हल हो सकता है । इस प्रकार की समस्याओं के निम्न कई स्वरूप देखने को मिलते हैं ।

1. करापवंचन

करापवंचन

राज्य स्तरीय करों में बिक्रीकर में करापवंचन की समस्या सर्वाधिक है । उत्तर प्रदेश में बिक्रीकर प्रथम बिक्रेता पर लगाया जाता है । इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु का निर्माता है तो उसके द्वारा उत्पादित वस्तु का विक्रय करने पर बिक्रीकर देय होता है । इस तरह उत्पादन क्रिया में लगी हुई समस्त फैक्ट्रियाँ बिक्रीकर की देनदार हैं । इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बाहर से कोई माल लाया जाता है और पहली बार उसको प्रदेश के अन्दर बेचा जाता है तो उस पर भी बिक्रीकर लगता है । संक्षेप में निर्माताओं और आयातकर्ताओं पर बिक्री कर लगता है, लेकिन दोनों ही बिन्दुओं पर करापवंचन होता है । प्रदेश में सबसे अधिक करापवंचन अन्य राज्यों से आयातित माल पर हो रहा है । राज्यों में

आयात मुख्य रूप से सड़क अथवा रेल परिवहन के माध्यम से होता है। अनेक व्यापारियों द्वारा अपने द्वारा आयातित माल की सूचना को छिपाने का प्रयास किया जाता है और इसके लिए व्यापारी द्वारा डुप्लीकेट बही खाते रखे जाते हैं। यद्यपि इसके लिए बिक्रीकर विभाग ने प्रान्त की सीमाओं पर जाँच चौकियों की स्थापना की है लेकिन फिर भी करापवंचन होता रहा है क्योंकि आयातकर्ता सीमा पर गलत कागजात दिखाकर किसी अन्य व्यापारी के नाम पर आयात को दिखाने की चेष्टाएँ करता रहा है। इस समस्या के समाधान के लिये बिक्रीकर विभाग ने फार्म-31 की व्यवस्था की तथा उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए फार्म 31 को अंकित कागज पर जारी करने की व्यवस्था की है। ये फार्म केवल पंजीकृत व्यक्तियों को दिये जाते हैं। इस सन्दर्भ में फर्जी नामों से पंजीयन कराने की प्रवृत्ति विकसित होने लगी जिसके लिए सरकार ने पंजीयन व्यवस्था को कठोर बनाने के लिए कदम उठाये हैं। सड़क परिवहन के माध्यम से आयातित माल पर करापवंचन की एक अन्य विधि भी प्रचलित है, जैसे-कोई ट्रक दिल्ली से उत्तर प्रदेश की सीमा पर आता है और यह घोषणा करता है कि माल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, बल्कि बिहार या किसी अन्य प्रदेश के लिए ले जाया जा रहा है और उन्हें उत्तर-प्रदेश के अन्दर से गुजरने की अनुमति दी जाए, उस पर बिक्रीकर विभाग का कोई अधिकार नहीं बनता और उत्तर-प्रदेश से निकलने हेतु उन्हें "ट्रांजिट पास" (फार्म-34) दिया जाता है, लेकिन अनेक ट्रान्सपोर्टर इस ट्रांजिट पास का दुरुपयोग करके माल को उत्तर प्रदेश के अन्दर ही उतार देते हैं और इस प्रकार समस्त माल बिक्री कर विभाग के अभिलेखों से छूट जाता है।

वर्तमान में आयातित माल पर अत्यधिक कर-अपवंचन रेल के माध्यम से आयातित माल के द्वारा होता है। यद्यपि रेलवे से माल आयात करने वाले आयातकर्ता का यह दायित्व है कि वह बिक्रीकर कार्यालय में जाकर उसकी सूचना दे। मगर अधिकांश व्यापारी अपने नाम से माल न मंगाकर अस्तित्वहीन व्यक्ति के नाम से माल मंगाते हैं और उस पर बिक्रीकर का भुगतान नहीं करते तथा उसे खातों में भी नहीं लिखते। यह भी उल्लेखनीय है कि बिक्रीकर अधिकारी सूचना मिलने पर भी रेलवे स्टेशन पर ऐसे अनाधिकृत माल को अभिग्रहीत नहीं कर सकते। परिणामस्वरूप विभाग

के अधिकारी को रेलवे स्टेशन के बाहर इन्तजार करना पड़ता है। इससे बचने के लिए व्यापारी या तो माल को रात्रि में निकालते हैं या ऐसे रास्ते से ले जाते हैं जहाँ विभाग के अधिकारी नहीं होते हैं। यदि ज्यादा खतरा दिखाई देता है तो माल छुपाने के लिए उसे अन्य स्टेशन के लिए "रि-बुक" कर दिया जाता है। कुछ आयातकर्ता कर से बचने के लिए बड़े रेलवे स्टेशनों के स्थान पर छोटे स्टेशनों पर माल मंगाते हैं। रेलवे द्वारा बिक्रीकर-वंचन की एक विधि यह भी है कि कुछ लोग सामान की बुकिंग न कराके अपने साथ ले जाते हैं, जिसका रेलवे में अभिलेख नहीं होता। कुछ लोगों ने तो इस तरह सामान लाना ही अपना धन्धा बना लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार रेल द्वारा माल मंगाने से 100 करोड़ रुपये वार्षिक का करापवंचन हो रहा है।[36]

जहाँ तक राज्य सड़क परिवहन निगम के माध्यम से माल के आयात का प्रश्न है, निगम ने अपनी यात्री बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के सामान की बुकिंग प्रारम्भ कर दी है और इसके बुक काउन्टर भी खोले गये हैं, लेकिन फिर भी कुछ कन्डक्टरों द्वारा यात्रीरहित व्यापारिक माल स्वयं बसों में लाद लिया जाता है। यद्यपि निगम द्वारा यात्रीरहित सामान को न ले जाने के कड़े निर्देश दिये हैं और इन निर्देशों का उल्लंघन न हो, इसके लिए सघन जाँच भी निगम द्वारा कराई जा रही है, किन्तु फिर भी यह अनुभव किया गया है कि कन्डक्टरों की उक्त विधि-प्रतिकूल कार्य पूर्ण रूप से बन्द नहीं हुआ है, जिससे बिक्रीकर राजस्व की हानि हो रही है।

आयातित माल के अतिरिक्त उत्पादन प्रक्रिया में भी पर्याप्त कर-वंचन किया जाता है। इसके लिए उत्पादन क्रिया में संलग्न व्यापारी क्रय और विक्रय के सभी व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में नहीं दिखाते हैं और अधिकांश दशाओं में हिसाब किताब के सम्बन्ध में डुप्लीकेट खाते रखे जाते हैं। जिन वस्तुओं पर राज्य स्तरीय कर की दरें अन्तर्राज्यीय बिक्रीकर की दरों से अधिक है, वहाँ कभी अन्तर्राज्यीय बिक्री द्वारा करापवंचन का प्रयास किया जाता है। उदाहरण के लिये

---

36. श्रीवास्तव, पंकज : दैनिक जागरण, 21 मई, 1986.

सरसों, लाहा एवं दूआ के तेल निर्माता यदि उत्तर प्रदेश में तेल बेचते हैं तो उन पर 4 प्रतिशत कर लगता है और अन्तर्राज्यीय व्यापार के दौरान विक्रय पर एक प्रतिशत कर लगता है । अतः कुछ व्यापारी वास्तव में उत्तर प्रदेश के अन्दर बिक्री करके अन्तर्राज्यीय फर्जी बिक्री दिखाते हैं जिससे करापवंचन होता है । इसी प्रकार गन्ना क्रेशर्स द्वारा बड़ी मात्रा में गुड़ एवं खांड प्रान्त के आढ़तियों के माध्यम से अन्तर्राज्यीय व्यापार के दौरान बेची जाती है, किन्तु ऐसे माल को क्रेता व्यापारी प्रान्त बाहर आढ़त पर बिक्री दिखाकर कर मुक्ति ले लेते हैं । अनेक संस्थानों द्वारा अपने कारखाने में बने हुए माल को दिल्ली व अन्य स्थानों पर अपने डिपो को चालान करना दिखाया जाता है और उसी माल को अन्य नगरों में बिक्री के लिए भेजकर करापवंचन किया जाता है । बहुत से व्यापारी माल का विक्रय करते समय जितने का माल बेचते हैं, उससे कम मूल्य का बीजक या बिल बनाकर भी करापवंचन करते हैं । प्रान्त में उच्च अधिकारियों द्वारा किये गये सर्वेक्षणों से यह भी स्पष्ट होता है कि अनेक शीत भण्डारण गृहों में फर्जी नामों में माल रखे जाने के कारण भी करापवंचन होता है ।

अतः इस प्रकार स्पष्ट है कि बिक्रीकर में करापवंचन की महत्वपूर्ण और गम्भीर समस्या है । यद्यपि राज्य सरकार ने अपनी औपचारिक घोषणाओं और प्रयासों के रूप में करापवंचन रोकने के लिए अनेक कदम उठाये हैं, लेकिन उनका प्रभाव काफी नगण्य रहा है । यद्यपि करापवंचन के विवेचन से यह दिखाई देता है कि इस सबके लिए व्यापारी दोषी है, लेकिन वास्तविकता यह है कि बिक्रीकर प्रशासन में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार भी इसके लिए कम उत्तरदायी नहीं है । करापवंचन कितना भी कुशल क्यों न हो । यदि कर प्रशासक ईमानदार, निष्ठावान, सुयोग्य और दृढ़ हो तो करापवंचन को एक बड़ी सीमा तक नियन्त्रित किया जा सकता है। करापवंचन को नियन्त्रित करने के लिए व्यापक जनसम्पर्क और जन चेतना कार्यक्रमों से व्यापारी वर्ग में ईमानदारी की भावना को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए वहाँ दूसरी ओर कर प्रावधानों को सरल और एक रूप बनाने के साथ ही कर प्रशासन को सुप्रशिक्षित और प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए । करापवंचन के मामले में

दोषी व्यापारी पर ही दण्ड का प्रावधान नहीं होना चाहिए, वरन् बिक्रीकर विभाग के उन अधिकारियों के विरुद्ध भी दण्डात्मक कार्यवाही की व्यवस्था होनी चाहिए जिनकी शिथिलता, उदासीनता, अयोग्यता तथा मिली भगत के कारण करापवंचन होता है। अन्ततोगत्वा करापवंचन की समस्या राष्ट्रीय चारित्रिक समस्या से सम्बन्धित है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक वातावरण और व्यवस्था के लिए प्रयास करना होगा। प्रान्तीय स्तर पर करापवंचन की उन विधियों को सरलता से रोका जा सकता है, जो कर प्रावधानों की अपर्याप्तता, जटिलता अथवा व्याख्यात्मक भिन्नता के कारण उत्पन्न होते हैं।

2. <u>प्रपत्र 31 का दुरुपयोग</u> :

विगत कुछ वर्षों में अन्तर्राज्यीय व्यापार में व्यवहार के लिए प्रयुक्त प्रपत्र 31 तथा सी-फार्मों के खोने तथा नष्ट होने की संख्या में कुछ अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो रही है। उत्तर प्रदेश बिक्री कर आयुक्त द्वारा जून, 1985 में जारी किये गये परिपत्र में भी इस सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की गई है, क्योंकि खोये हुए अथवा नष्ट हुए दिखाये जाने वाले प्रपत्रों के दुरुपयोग से राजस्व की भारी हानि की सम्भावना बनी रहती है। व्यवहारिक दृष्टि से यह माना जा सकता है कि फार्मों का खोना या नष्ट होना असम्भव नहीं है लेकिन ऐसी व्यवस्था की जा सकती है जिससे द्वारा जानबूझकर खोये अथवा नष्ट हुए प्रपत्रों को प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति को नियंत्रित किया जा सके। इस सन्दर्भ में ऐसे करदाताओं के गत 5 वर्षों में खोये अथवा नष्ट हुए प्रपत्र-31 तथा सी-फार्म का विवरण तैयार किया जाना चाहिए और जिन व्यापारियों के फार्मों के खोने की पुनरावृत्ति हुई हो या पुनरावृत्ति न हुई हो लेकिन एक बार में ही भारी संख्या में प्रपत्र खोये या नष्ट प्रदर्शित किये गये हों, उनसे भविष्य में ऐसे प्रपत्रों के जारी करने के लिए प्रतिभूति के रूप में समुचित धनराशि की बैंक गारन्टी प्राप्त की ली जाए ताकि भविष्य में इन प्रपत्रों के दुरुपयोग का पता लगने पर राजस्व की हानि को रोका जा सके।

प्रपत्र 31 के प्रयोग के सम्बन्ध में एक समस्या यह भी रही है कि यद्यपि आयुक्त बिक्रीकर द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को यह निर्देश दिये गये हैं कि इस

कर योग्य वाली वस्तुओं के आयात के लिए फार्म पर अलग से उस वस्तु के नाम की मोहर लगायी जायेगी । इन वस्तुओं में बालू, कोयला, मिट्टी, पत्थर इत्यादि को शामिल किया गया है, लेकिन सम्बन्धित अधिकारियों की कार्य शिथिलता के कारण यह पाया गया है कि या तो फार्म पर इस तरह की मुहर लगायी नहीं जाती या इन सभी वस्तुओं की एक सामान्य मोहर लगा दी जाती है । इससे व्यापारी इन प्रपत्रों के आधार पर अन्य वस्तुओं को आयात करके राजस्व को हानि पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं अतः विभागीय स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रपत्र 31 पर वस्तुओं के नाम की मोहर उचित प्रकार से लगाई जाए ।

3. <u>प्रपत्र "सी" का दुरूपयोग</u>

यह पाया गया है कि उत्तर-प्रदेश के विभिन्न करदाताओं द्वारा प्रपत्र-सी के विरुद्ध भारी धनराशियों का "अन्तर्प्रदेशीय विक्रय" अन्य राज्यों को प्रदर्शित करके केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा 8(1)(ब) के अन्तर्गत बिक्रीकर की रियायती दर का दावा किया जाता है । किसी विपरीत तथ्य के अभाव में विभाग द्वारा सामान्यतः उपर्युक्त दावा स्वीकार भी कर लिया जाता है, इससे राज्य सरकार को राजस्व की हानि होती है । वास्तविकता यह है कि अभी तक प्रपत्र सी के सत्यापन की कोई व्यवस्था नहीं है और इस कारण प्रपत्र सी के आवरण में करापवंचन की सम्भावना रहती है । अतः प्रपत्र-सी के आवरण में करापवंचन की सम्भावना के प्रकाश में इन प्रपत्रों के आधार पर व्यवहारों के सत्यापन कराने की उचित व्यवस्था प्रारम्भ की जानी चाहिए । यह उल्लेखनीय है इस दृष्टि से अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्तर्प्रदेशीय सूचना सत्यापन प्रकोष्ठ" बनाया है।

4. <u>स्क्रूटनी कार्य में शिथिलता</u>

बिक्रीकर विभाग में करदाताओं की पत्रावलियों के स्क्रूटनी करने का प्रावधान है, लेकिन उच्चाधिकारियों[37] का यह अनुभव है कि सामान्यतः इस कार्य में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा आवश्यक रुचि नहीं ली जाती और अधिकांश कार्य

---

37. आयुक्त बिक्रीकर (उत्तर प्रदेश) : महत्वपूर्ण आदेश एवं परिपत्रों की हैण्डबुक, 1985 द्वितीय त्रैमास (अप्रैल-जून), पृ० 4.

में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा आवश्यक रुचि नहीं ली जाती और अधिकांश कार्य लिपिकों पर ही पूरी तरह छोड़ दिया जाता है। यह भी पाया गया है कि स्क्रूटनी में जो कमी निकलती है, अनेक परिस्थितियों में उनके उचित समाधान करने पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। इसका प्रभाव यह होता है कि एक ओर स्क्रूटनी के नाम पर कर्मचारी व अधिकारी अपना काफी समय लगा हुआ दिखाते हैं, लेकिन दूसरी ओर स्क्रूटनी का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। अतः आवश्यकता इस बात की है कि विभिन्न स्तरों पर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थों में स्क्रूटनी कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न की जाये और स्वयं निरीक्षण एवं भ्रमण करके यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाये कि स्क्रूटनी कार्य उचित रूप में और उचित समय में पूरा किया जाता है तथा स्क्रूटनी में पाये जाने वाली कमियों के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाये जाते हैं।

5. <u>बहीं खातों को निर्धारित अवधि के बाद भी रोके रखना</u>

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि बिक्रीकर अधिकारियों द्वारा अभिगृहीत बही खातों की जाँच के पश्चात् उन्हें 90 दिन के अन्दर व्यापारी को वापिस कर दिया जाये, लेकिन उच्च प्रशासन का यह अनुभव है[38] कि अधिकारियों द्वारा अभिग्रहण मामलों में 90 दिन से अधिक समय लगवाना एक सामान्य प्रक्रिया बना ली गयी है। ऐसा करने से व्यापारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने में विलम्ब होने के साथ-साथ व्यापारी को फर्जी स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य जुटाने का भी समय मिल जाता है। कर-निर्धारण कार्यवाही और अर्थदण्ड कार्यवाही में विलम्ब होने पर कभी-कभी व्यापारी व्यापार बन्द कर लापता भी हो जाते हैं। अतः कर वसूली भी सम्भव नहीं रह जाती है, जिससे राजस्व की हानि होती है।

इस सम्बन्ध में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि हिसाब-किताब अभिगृहीत

---

38. पूर्वोद्धृत, 1985, तृतीय त्रैमास (जुलाई-सितम्बर), पृ० 35.

होने पर 90 दिन के अन्दर जाँच कार्यवाही पूर्ण कर हिसाब-किताब लौटाये जाने के हर सम्भव प्रयास होने चाहिए । यदि अपरिहार्य कारणों से हिसाब-किताब 90 दिन के बाद रोकना आवश्यक समझा जाये, तो उपायुक्त बिक्रीकर से कारणों का उल्लेख करते हुए समय बढ़ाये जाने का अनुरोध किया जाये । उपायुक्त (का0) तथा उपायुक्त (वि0 अनु0शा0) को भी यह चाहिए कि केवल आवश्यक मामलों में ही समय बढ़ाने सम्बन्धी आदेश जारी करें । सहायक आयुक्त (का0) भी अपने निरीक्षणों के समय इस मामले को अवश्य जाँच करें ।

6. <u>जिलास्तरीय अधिकारियों की मासिक बैठकों में अनुपस्थित होना</u>

आर्थिक अपराधों एवं करापवंचन को रोकने हेतु जनपदों में अपर जिलाधिकारी (वि0 एवं रा0) की अध्यक्षता में वन, मनोरंजनकर, आपूर्ति, बिक्रीकर, आबकारी, उद्योग एवं परिवहन विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों की मासिक बैठकों का आयोजन की व्यवस्था है । आयुक्त बिक्रीकर द्वारा प्रकाशित हैण्डबुक[39] के अवलोकन से स्पष्ट है कि बिक्री कर विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी बिना किसी सूचना के बैठक में अनुपस्थित रहते हैं और अपने विभाग से सम्बन्धित सूचनायें भी उपलब्ध नहीं कराते हैं । इस सन्दर्भ में सम्बन्धित अधिकारियों को यह सुनिश्चित आदेश दिये जाने चाहिये कि वे अथवा उनके प्रतिनिधि आवश्यक तथ्यों एवं सूचनाओं सहित मीटिंग में भाग लें ।

7. <u>बकाये बिक्रीकर राशि में निरन्तर वृद्धि</u>

प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह चिन्ता का विषय है कि बिक्रीकर धनराशि के अवशेषों में निरन्तर वृद्धि हो रही है । 1 अप्रैल, 1976 को बिक्रीकर अवशेष की धनराशि 67.12 करोड़ रुपये थी जो बढ़कर 31 मार्च, 1981 को 194.07 करोड़ रुपये और 31 मार्च, 1985 को 358.44 करोड़ रुपये हो गयी । यह उल्लेखनीय है कि बिक्रीकर अवशेष की राशि में निरपेक्ष रूप से ही वृद्धि नहीं हो रही वरन् तुलनात्मक बिक्रीकर संग्रह में कर अवशेष के प्रतिशत में भी वृद्धि हुई है । यह प्रतिशत सन्

---

39. पूर्वोद्धृत, 1985 द्वितीय त्रैमास (अप्रैल-जून), पृ0 108.

1976-77 में 6.6 प्रतिशत था तथा जो सन् 1984-85 में 9.2 प्रतिशत हो गया ।[40]

अतः यह आवश्यक है कि बिक्रीकर अवशेषों को तत्परता से वसूल किया जाये । बकाया वसूली तथा संयुक्त जाँच के मामलों को निपटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाये, जिसमें संयुक्त जाँच के पुराने व बड़े मामलों को शीघ्रता के साथ निपटाने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए । सम्बन्धित अधिकारियों को संयुक्त जाँच के मामलों की समीक्षा करके यह देखना चाहिए कि सभी मामलों में अपेक्षित कार्यवाही शीघ्रतापूर्वक सम्पादित हो रही है । प्रदेश के जो बड़े बकायेदार हैं उनसे वसूली के प्रभावी प्रयास किये जाने चाहिए ।

व्यावसायिक समस्यायें

व्यावहारिक दृष्टि से बिक्रीकर प्रशासन की कमियाँ और भ्रष्ट रीतियों से व्यापारी वर्ग को अनेकानेक कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उसी के कारण बिक्रीकर उन्मूलन जैसे विषय को व्यापक रूप से प्रचलित होने का अवसर मिलता है । व्यापारी वर्ग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में बिक्रीकर की प्रमुख समस्याओं को निम्न प्रकार रखा जा सकता है :

1. निराधार सर्वेक्षणों से व्यापारी वर्ग का उत्पीड़न

व्यक्तिगत द्वेष अथवा व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण बिक्री कर विभाग में प्रतियोगी या विरोधी व्यापारी के प्रति करापवंचन की शिकायतें प्रेषित की जाती हैं । अतः निराधार सर्वेक्षण करने पर यदि कोई विपरीत तथ्य न पाया जाये तो व्यापारी का उत्पीड़न तो होता ही है, साथ ही बिक्रीकर विभाग की छवि भी धूमिल होती है । अतः इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी भी व्यापारी के विरुद्ध करापवंचन की शिकायत प्राप्त होने पर विशेष अनुसन्धान शाखा के अधिकारियों को व्यापार स्थल का सर्वेक्षण न करके पहले अन्य तरीकों से प्राप्त

---

40. आयुक्त बिक्रीकर उत्तर प्रदेश (सांख्यिकीय अनुभाग) : बिक्रीकर विभाग का सामान्य वार्षिक प्रतिवेदन 1984-85, लखनऊ, पृ0 37.

शिकायत अथवा सूचना की सत्यता की जाँच करनी चाहिए तथा ऐसी जाँच के परिणामस्वरूप यदि वे शिकायत अथवा सूचना को प्रथम दृष्टि से सही पाते हैं तथा अग्रतर जाँच हेतु सर्वेक्षण आवश्यक समझें, तभी सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। यदि किसी सर्वेक्षण में व्यापारी के विरुद्ध कोई तथ्य नहीं पाया जाता है तो शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही की व्यवस्था होनी चाहिए।

2. <u>जाँच चौकी के शिफ्ट अधिकारियों की वादों के निस्तारण की प्रक्रिया में भिन्नता</u>

बिक्रीकर की चोरी को रोकने तथा अन्तर्राज्यीय व्यापार की सही सूचनायें एकत्रित करने के लिये विभिन्न स्थानों पर जाँच चौकियों की स्थापना की गई है। यदि जाँच करते समय कुछ त्रुटियाँ पायी जाती हैं तो माल को विस्तृत पड़ताल के लिये रोक लिया जाता है। इस सन्दर्भ में जानकारी प्राप्त करने पर यह ज्ञात हुआ कि किसी एक शिफ्ट द्वारा अभिगृहीत किये गये माल से सम्बन्धित वादों के निस्तारण की अलग-अलग प्रक्रिया जाँच-चौकी अधिकारियों द्वारा अपनाई जा रही है। किन्हीं जाँच चौकियों (चेक पोस्टों) पर ऐसा हो रहा है कि प्रत्येक शिफ्ट अधिकारी द्वारा अपनी शिफ्ट के दौरान अभिगृहीत मामलों से सम्बन्धित पत्रावलियों एवं पंजी - 5 स्वयं अपने पास रखते हुए उनका निस्तारण स्वयं अपनी ही शिफ्ट के कार्यकाल के दौरान किया जाता है तथा किन्हीं चेक पोस्टों पर सभी शिफ्ट अधिकारियों द्वारा अभिगृहीत माल से सम्बन्धित केवल एक पंजी-5 ही रखी गई है जिसके आधार पर मामलों का निस्तारण किसी भी शिफ्ट में कार्यरत अधिकारियों द्वारा कर दिया जाता है। जहाँ शिफ्ट अधिकारियों द्वारा स्वयं अपनी ड्यूटी में ही मामलों का निस्तारण किया जाता है, वहाँ ऐसी समस्या हो जाती है कि शिफ्ट अधिकारी के उपस्थित न होने पर अथवा शिफ्ट के रेस्ट पर जाने के दो-तीन दिन तक रोके गये/अभिगृहीत मामलों पर कोई कार्यवाही अन्य शिफ्ट के अधिकारी द्वारा किया जाना सम्भव नहीं हो पाता जिससे सम्बन्धित ट्रान्सपोर्टर्स/व्यापारियों को कठिनाई होती है। यह भी देखा गया है कि शिफ्ट अधिकारियों द्वारा रोके गये/अभिगृहीत मामलों से सम्बन्धित कागजात/जानकारी दूसरे शिफ्ट के अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किये जाते, जिससे माल का निस्तारण उचित ढंग से किया जाना सम्भव नहीं हो पाता जिसके फलस्वरूप राजस्व की हानि होने की सम्भावना बनी रहती है।

एकरूपता बनाये रखने के उद्देश्य से सभी शिफ्ट अधिकारियों द्वारा डिटैंशन/अधिग्रहण से सम्बन्धित मामलों की प्रविष्टि चैक पोस्ट पर रखी जाने वाली एक ही पंजी-5 में की जानी चाहिए तथा शिफ्ट वार अलग-अलग पंजी-5 नहीं रखी जानी चाहिए। प्रत्येक शिफ्ट की समाप्ति पर पंजी-5 अनुवर्ती शिफ्ट अधिकारी को हस्तान्तरित करते हुये, इसका उल्लेख अपनी शिफ्ट के दौरान रोके गये/अभिगृहीत मामलों से सम्बन्धित अभिलेख व विवरण रजिस्टर के अनुसार अगली शिफ्ट के अधिकारी को हस्तान्तरित किया जाना चाहिए। पंजी-5 में अंकित ऐसे मामलों में जिनका निस्तारण अपनी शिफ्ट के दौरान कर दिया गया है, उनके सम्बन्ध में पंजी-5 में प्रविष्टि कराना, शिफ्ट समाप्ति पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे किसी शिफ्ट के दौरान अनिस्तारित मामलों की सही जानकारी उपलब्ध हो सके। किसी भी दशा में चल रही शिफ्ट के अधिकारी द्वारा यह कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए कि उनके पूर्व के किसी शिफ्ट द्वारा ऐसे मामलों के निस्तारण का कोई उल्लेख पंजी-5 में नहीं किया गया है या उससे सम्बन्धित पत्रावली उनके पास किन्हीं कारणों से उपलब्ध नहीं हैं। यह उत्तरदायित्व कार्यरत शिफ्ट अधिकारी का ही होना चाहिए कि उनके पूर्व में कार्यरत अधिकारी द्वारा पंजी-5 की प्रविष्टि का इन्द्राज कर लिया गया है अथवा अनिस्तारित मामलों की पत्रावली प्राप्त करा दी गई है।

3. <u>अभिगृहीत माल के विरुद्ध अर्थदण्ड की कार्यवाही निर्धारित अवधि में नहीं</u>

व्यापारियों की ओर से एक शिकायत यह भी रही है कि जाँच चौकियों और सचल दल इकाईयों द्वारा पंजीकृत व्यापारियों के मामलों में जहाँ विभिन्न कारणों से माल अभिगृहीत करते हुए जमानत वसूल की जाती है, उनके विरुद्ध अर्थदण्ड की कार्यवाही सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि में नहीं की जाती हैं। अर्थदण्ड की कार्यवाही उचित समय में न किये जाने के कारण जहाँ एक ओर ईमानदार व्यापारियों से वसूल की गई जमानत का समायोजन उनके द्वारा टैक्स में नहीं किया जाता है, वहीं करापवंचक व्यापारियों के विरुद्ध अर्थदण्ड आरोपित न किये जाने के कारण ऐसी जमानत की धनराशि को विवरण पत्रों में टैक्स

कर दिये जाने पर भी उन्हें मजबूर किया जाता है कि वह जमानती धनराशि जमा कर दें तथा अगले माह में देयकर में समायोजित कर लें । यहाँ यह समझना होगा कि अनावश्यक अथवा अपर्याप्त कारणों से माल रोकना तथा जमानत वसूलना राजस्व हित में नहीं रहता और साथ ही व्यापारी का उत्पीड़न भी होता है तथा बिक्रीकर विभाग की छवि धूमिल होती है । अतः यदि यह सिद्ध हो जाये कि किसी बिक्री कर अधिकारी द्वारा बिना कारण माल रोका जाता है, व्यापारी की शिकायत पर उसके विरुद्ध कार्यवाही की व्यवस्था होनी चाहिए ।

6. <u>कर समायोजन में कठिनाई</u> :

व्यापारियों द्वारा यह शिकायत की जाती है कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम की धारा 29-बी के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि यदि केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत उल्लिखित वस्तुओं पर प्रान्तीय कर लग गया है और उसी वस्तु की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री की जाती है तो जो प्रान्तीय कर लगाया है, उसके बराबर धनराशि अन्तर्प्रान्तीय बिक्री करने वाले को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जायेगी, लेकिन अनेक दशाओं में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

7. <u>अतिरिक्त बिक्रीकर का अनुचित एवं अनावश्यक भार</u>

व्यापारियों द्वारा यह समस्या भी रखी गयी है कि उत्तर प्रदेश में बिक्री कर की दरें ही काफी ऊँची हैं और उस पर भी अतिरिक्त बिक्री कर का प्रावधान करके व्यापारियों एवं सामान्य जनता पर बिक्रीकर का अनुचित एवं अनावश्यक भार डाला जा रहा है । अतिरिक्त बिक्रीकर की व्यवस्थाओं और दरों में समय-समय पर परिवर्तन होते रहे हैं । वर्तमान में दस लाख रुपये वार्षिक से अधिक टर्नओवर पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त बिक्रीकर का प्रावधान है । इससे कर की जटिलता बढ़ती है और व्यापारी अपना टर्नओवर घटाकर दिखाने के लिये प्रेरित होते हैं । जब केन्द्रीय सरकार ने आयकर पर सरचार्ज समाप्त कर दिया है तो राज्य सरकार को बिक्रीकर पर अतिरिक्त बिक्रीकर की व्यवस्था को भी समाप्त कर देना चाहिये ।

8. <u>स्वतः कर निर्धारण योजना का सही प्रयोग नहीं</u>

छोटे व्यापारियों की सुविधा को दृष्टि में रखते हुए । जनवरी, 1978 से स्वतः कर निर्धारण योजना लागू की गयी है । इसके अन्तर्गत छोटे करदाताओं को बिक्रीकर कार्यालय नहीं बुलाये जाने की व्यवस्था है, लेकिन छोटे व्यापारियों की यह आम शिकायत है कि इस योजना का पूर्णतः पालन न करने के कारण उनको निरर्थक कठिनाई उठानी पड़ती है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सन् 1984-85 में 36230 व्यापारी स्वतः कर निर्धारण योजना के अन्तर्गत अभिलेख पर रहे । 43026 वाद निस्तारणार्थ थे जिनमें से 10913 वादों का निस्तारण किया गया और अन्त में 32113 वाद शेष रहे ।[41] इस प्रकार सन् 1984-85 में स्वतः कर निर्धारण योजना के अन्तर्गत योग्य मामलों में से केवल एक चौथाई मामलों को ही निस्तारित किया जा सका । इस प्रकार योजना की प्रभावशीलता एवं व्यापारियों की दृष्टि से सरलता एवं लाभ-दायकता में कमी आती है । इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिये कि स्वतः कर निर्धारण योजना में निस्तारणार्थ सभी मामलों को यथा-सम्भव उसी वर्ष निपटा दिया जाये ।

9. <u>बिक्रीकर अधिकरण की स्थापना का विशेष लाभ न होना</u>

बिक्रीकर अधिकरण की स्थापना का ध्येय यह था कि यह स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रूप से कार्य करेगा, लेकिन वास्तव में इससे जो आशायें की गई थी, वह सब निरर्थक सिद्ध हुई है । सामान्यतः बिक्रीकर अधिकरण के सदस्य के रूप में बिक्रीकर उपायुक्तों को नियुक्त किया जाता रहा है, जो सदस्य अधिकरण बनने के पश्चात् भी अपने को आयुक्त बिक्रीकर के अधीन समझते हैं और कार्य में स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षता नहीं रह पाती । यह भी उल्लेखनीय है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बिक्रीकर अधिकरण के सदस्य के अनेक स्थान खाली पड़े हैं ।

---

41. आयुक्त बिक्री कर उत्तर प्रदेश (सांख्यिकीय अनुभाग) : बिक्रीकर विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन, 1984-85, लखनऊ, पृ० 6.

10. <u>पंजीकरण सम्बन्धी समस्यायें</u>

व्यापारियों का यह आरोप है कि उत्तर-प्रदेश के बिक्रीकर विभाग में पंजीयन कराने एवं फर्म के बदलने की प्रक्रिया भी काफी जटिल है, जैसे यदि एक फर्म पंजीयन चाहती है तो अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार आवेदन के 90 दिन के अन्दर पंजीयन मिल जाना चाहिए, किन्तु व्यवहार में इससे अधिक समय लग जाता है। पंजीकृत फर्म यदि अपना साझेदार बदलना चाहती है या नया साझेदार बनाना चाहती है, तो उन्हें नये सिरे से सभी क्रियायें दुबारा करनी पड़ती है, जबकि अन्य राज्यों में यही कार्य मात्र एक पत्र से हो जाता है।

11. <u>बिक्री कर की ऊँची दरें</u>

व्यापारियों की ओर से इस दृष्टि से भी गम्भीर चिन्ता प्रकट की जाती रही है कि प्रदेश में बिक्रीकर की दरें निकटवर्ती केन्द्रशासित क्षेत्र दिल्ली और अन्य राज्यों से ऊँची हैं जिससे राज्य के व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में डबलरोटी पर 15 प्रतिशत बिक्रीकर है, लेकिन दिल्ली और हरियाणा में इस पर कोई कर नहीं है। इसके कारण राज्य में बनी डबलरोटी अन्य राज्यों के लिए मंहगी सिद्ध होती है जबकि अन्य क्षेत्रों में से डबलरोटी के चोरी-छिपे आयात को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में मसालों पर बिक्रीकर की दर 8 प्रतिशत है, जबकि मध्यप्रदेश में 4 प्रतिशत और दिल्ली में 3 प्रतिशत है। इसी तरह की परिस्थिति अनेक वस्तुओं के सम्बन्ध में हैं और इसे निकटवर्ती क्षेत्रों के साथ समान दर ही बनाकर हल किया जा सकता है। यह भी ध्यान रहे कि कर की अधिक दरों से केवल व्यापार और उद्योग पर ही विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, वरन् करापवंचन को भी अनावश्यक प्रोत्साहन मिलता है।

12. <u>अत्यधिक कर प्रावधानों एवं दरों की घोषणा</u>

व्यापारियों एवं अधिवक्ताओं की ओर से बिक्री कर व्यवस्था के सन्दर्भ में यह आलोचना भी की जाती रही है कि सरकार समय-समय पर आकस्मिक रूप से बिक्री कर प्रावधानों एवं दरों में घोषणा करती रहती है जिससे एक ओर सभी संबंधित

वर्गों को उचित जानकारी नहीं मिल पाती वहाँ दूसरी ओर कर निर्धारण में कठि-नाइयाँ उत्पन्न होती हैं । उदाहरणार्थ यदि वित्तीय वर्ष के मध्य में कर की दरों में परिवर्तन कर दिया जाए तो व्यापारी और बिक्रीकर अधिकारी दोनों के लिये यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि कर परिवर्तन से पहले और बाद की बिक्री की अलग-अलग गणना की जाये । इसी प्रकार यदि व्यापारियों के पंजीयन नम्बर परि-वर्तित कर दिये जायें तो व्यापारी की सभी मुद्रित स्टेशनरी बेकार हो जाती है । यह ठीक है कि परिवर्तन और संशोधन स्वाभाविक व्यवस्थायें हैं लेकिन यदि यह ध्यान रखा जाए कि जो भी परिवर्तन किये जायें वे समग्र रूप से राज्य सरकार के वार्षिक बजट में रखे जायें और उनके सम्बन्ध में प्रान्तीय स्तर के समाचार पत्रों में विस्तृत विज्ञप्तियाँ प्रकाशित कराके अधिकारियों, अधिवक्ताओं और व्यापारियों को विस्तृत जानकारी प्रदान की जाए ।

अन्य समस्यायें

इस वर्ग में उन समस्याओं को रखा गया है जो या तो बिक्रीकर प्रशासन या व्यापारी दोनों वर्गों की समस्यायें हों अथवा आर्थिक विचारकों की दृष्टि से कर प्रावधान और क्रियान्वयन की सामान्य समस्यायें हों । इनमें से कुछ समस्यायें इस प्रकार हैं :

1. सांख्यिकीय आँकड़ों में व्यापक भिन्नतायें

यह आश्चर्य का विषय है कि बिक्रीकर आगम जैसे महत्वपूर्ण और वित्तीय तथ्य के बारे में आँकड़ों में व्यापक भिन्नतायें मिलती हैं, जिससे तथ्यों के उचित विश्लेषण में कठिनाई आती है । केन्द्रीय स्तर पर रिजर्व बैंक आफ इण्डिया बुलेटिन तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रकाशित समंकों में ही अन्तर नहीं मिलता, वरन् एक ही राज्य में विभिन्न स्रोतों द्वारा प्रकाशित समंकों में भी अन्तर मिलता है । उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में बिक्री कर विभाग के अतिरिक्त महालेखाकार के कार्यालय में भी बिक्री कर समंक एकत्र किये जाते हैं, लेकिन इनमें काफी अन्तर रहता है । इसकी पुष्टि मई, 1985 में उत्तर प्रदेश के अपर आयुक्त बिक्रीकर द्वारा बिक्री

कर अधिकारियों को भेजे गये परिपत्र में की गई है। इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए कि आँकड़ों की भिन्नताओं के कारणों का पता लगाकर उन्हें हल किया जाए और एक रूप आँकड़े एकत्रित और प्रकाशित हों।

2. जाँच चौकियों पर उचित व्यवस्था का अभाव

यद्यपि उत्तर प्रदेश में सन् 1986 के प्रारम्भ में बिक्रीकर के क्षेत्र में 86 जाँच चौकियाँ स्थापित थी, लेकिन अधिकांश जाँच चौकियों पर समुचित व्यवस्था का अभाव, अभिगृहीत माल को रखने के लिए उपयुक्त शेड या गोदाम की अनुपलब्धता, वाहनों के भौतिक सत्यापन के लिए माल को उतारने एवं चढ़ाने के लिए प्लेटफार्म का न होना, रात्रि के समय प्रकाश की समुचित व्यवस्था न होना, अभिलेखों को सुरक्षित रखने की पूर्ण व्यवस्था न होना तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए पृथक विश्राम कक्ष का न होना इत्यादि उल्लेखनीय है। साथ ही कहीं-कहीं बिक्रीकर बैरियर ऐसे स्थानों पर स्थापित हैं, जहाँ पर घनी आबादी है, जिसके परिणाम-स्वरूप सड़क पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है और दुर्घटनायें होती रहती हैं तथा नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन व्यवस्थाओं एवं अभावों से जाँच-चौकियों की कार्य प्रभावशीलता में कमी आती है। अतः इस ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

3. अधिकारियों का निर्धारित समय पर कार्यालय नहीं पहुँचना

अधिवक्ता संघों की ओर से यह शिकायत निरन्तर बनी रही है कि बिक्री कर कार्यालयों में अधिकांश अधिकारी निर्धारित समय पर कार्यालय नहीं पहुँचते और समय से पहले कार्यालय छोड़ देते हैं। इससे व्यापारियों को असुविधा होती है एवं उनका समय अनावश्यक रूप से नष्ट होता है। साथ ही विभाग के कार्य में भी वृद्धि होती है। इस सम्बन्ध में उपायुक्तों को अपने अधिकारियों पर पर्याप्त नियन्त्रण रखना चाहिए और समय-समय पर बिना पूर्व सूचना के आकस्मिक निरीक्षण करके यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिये कि अधिकारी समय पर कार्यालय पर उप-स्थित रहें।

4. <u>ट्रांसपोर्टरों को कर निर्धारण के समय पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं</u>

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम की धारा-28 के अन्तर्गत ट्रांसपोर्टरों के विरुद्ध काफी अधिक संख्या में कर निर्धारण कार्यवाही की जाती है । इनमें से अधिकांश केस एक पक्षीय रूप में पारित कर दिये जाते हैं । सामान्यतः समय कम रहने और अन्य कई कारणों से ट्रांसपोर्टरों को अपने पक्ष में तथ्य प्रस्तुत करने और विभागीय अभिलेखों पर उपलब्ध सूचना का सत्यापन अपने अभिलेखों से करके उत्तर देने का समुचित अवसर ही नहीं मिलता । अतः एकपक्षीय रूप से पारित किये जाने वाले केसों में ट्रांसपोर्टरों को एक और अवसर देना चाहिए तथा अधिकारियों को एकपक्षीय आदेशों को पुनः खोलकर ट्रांसपोर्टरों को समुचित अवसर देने के बाद कार्यवाही करनी चाहिए।

5. <u>ट्रान्जिट पास की समस्या</u>

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम की धारा 28 बी के अन्तर्गत एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त को ले जाये जा रहे माल के सम्बन्ध में प्रवेश जाँच-चौकी से ट्रांजिट पास प्राप्त करना आवश्यक है । यह फार्म बिक्रीकर विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है लेकिन आयातक अथवा ट्रांसपोर्टस इसे मुद्रित कराकर व भरकर प्रवेश जाँच चौकी के अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं । यह फार्म बहुत ही पतले व छोटे कागज पर मुद्रित होते हैं और असत्यापित फार्म-34 से सम्बन्धित कर-निर्धारण वादों का निस्तारण होने तक इनके नष्ट और क्षतिग्रस्त हो जाने की सम्भावना रहती है । साथ ही बिक्रीकर कार्यालय की टिप्पणी आदि के लिये इसमें कोई स्थान नहीं रहता। इसके लिए उचित किस्म तथा उचित आकार के कागज पर मुद्रित फार्म-34 पर ही ट्रांजिट पास जारी किया जाना चाहिए और एक तिहाई भाग में फार्म-34 का प्रारूप मुद्रित होना चाहिए और एक तिहाई भाग कार्यालय के प्रयोग के लिए खाली छोड़ा जाना चाहिए ।

6. <u>प्रथम स्तरीय अपीलों में कमी</u>

यदि सन् 1976-77 से उत्तर प्रदेश में दायर प्रथम अपीलों की संख्या । तालिका संख्या 5.81 का विश्लेषण किया जाए तो यह स्पष्ट होगा कि इनकी

संख्या में निरन्तर कमी हो रही है और इस प्रकार प्रथम स्तर की अपीलों में प्रशासनिक भार कम हुआ है । यद्यपि इससे यह निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है कि बिक्रीकर अधिकारियों द्वारा बिक्रीकर का निर्धारण उचित प्रकार से किया जा रहा है, लेकिन यदि व्यापारियों के साथ गोपनीय रूप से किये गये साक्षात्कारों को देखा जाय तो यह स्पष्ट होगा कि यह अपीलें इसलिए कम हो रही है कि बिक्रीकर का निर्धारण अधिकांश परिस्थितियों में बिक्रीकर अधिकारी और व्यापारी के मध्य सौदा तय करके किया जाता है और इस प्रकार व्यापारी में करापवंचन की प्रवृत्ति और बिक्रीकर अधिकारियों में सुविधा शुल्क के आधार पर कर-निर्धारण की प्रवृत्ति पनपी है । इससे राजस्व को उल्लेखनीय हानि हो रही है, जिसका समाधान बहुत कुछ कर-प्रशासन की सुदृढ़ता, कर्त्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी पर निर्भर है ।

7. <u>बिक्रीकर विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार</u>

यद्यपि भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी भारत में सरकारी कार्यालयों तथा प्रतिष्ठानों की कार्यशैली का सामान्य अंग बन गये हैं, लेकिन व्यक्तियों का अन्दाज है कि बिक्रीकर विभागों में ऐसा भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है । बिक्रीकर प्रशासन में भ्रष्टाचार के लिये कोई एक पक्ष नहीं वरन् चारों पक्ष-बिक्रीकर अधिकारी, व्यापारी, कर्मचारी एवं अधिवक्ता किसी न किसी सीमा तक उत्तरदायी है । बिक्रीकर विभाग की तुलना एक शिवालय (मन्दिर) से की जा सकती है । अधिकारी उस मन्दिर का पुजारी है जो तिलक लगाये बैठा है, द्वितीय व्यापारी श्रद्धालु भक्त है एवं अधिवक्ता उस मन्दिर के बाहर बैठा हुआ फूल बेचने वाला अथवा "पण्डा" है तथा कर्मचारी मन्दिर से बाहर निकलने पर लाइन में बैठे "फकीर" की स्थिति में है । तात्पर्य यह है कि चारों ही अपनी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं, परन्तु सभी एक दूसरे पर दोषारोपण करते पाये जाते हैं । इस समस्या की दृष्टि से यह आवश्यक है कि राज्य सरकारें अपने यहाँ इस विभाग पर कड़ी निगरानी रखें और इस तथाकथित दुधारू गाय के भ्रष्ट ग्वालों (अधिकारियों एवं कर्मचारियों) की स्वेच्छाचारिता एवं भ्रष्टाचार पर समुचित अंकुश लगाये । इसके लिए इस विभाग के कार्य कलापों पर गुप्तचर विभाग द्वारा ध्यान रखना चाहिए तथा बिक्री

कर अधिकारियों के वेतन तथा उनकी सम्पत्ति के मध्य सम्बन्धों की जाँच की व्यवस्था होनी चाहिये। जहाँ एक ओर सरकार ने बिक्रीकर चोरी को रोकने के लिए अनाधिकृत माल रेल से लाने की सूचना देने पर पुरस्कार देने की घोषणा की है। यह अच्छा होगा कि उन व्यक्तियों को भी पुरस्कृत किया जाये जो बिक्रीकर के भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़वाने में शासन का सहयोग करें।

इस प्रकार बिक्रीकर की समस्याओं के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण इस तथ्य की पुष्टि करता है कि इस कर व्यवस्था में राष्ट्रीय नीति और राज्य स्तरीय प्रशासन दोनों दृष्टिकोणों से अनेक समस्यायें विद्यमान हैं। यद्यपि इस कर के प्रतिस्थापन पर विचार चल रहा है लेकिन राज्य सरकारों के दृष्टिकोणों के सन्दर्भ में यह निकट भविष्य में सम्भव दिखाई नहीं देता, अतः मूल आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक आदर्श बिक्रीकर अधिनियम निर्मित किया जाए और विभिन्न राज्य सरकारें उसे आधार मानकर राज्य की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप उनमें आवश्यक समायोजन कर लें और ऐसी स्थायी व्यवस्था विकसित की जाये जिससे इस कर में वांछनीय एकरूपता और समन्वय की दृष्टि से सभी राज्यों में और केन्द्रशासित क्षेत्रों के मध्य निरन्तर सहयोग और सम्पर्क बना रहे। राज्य स्तर पर प्रशासन की दृष्टि से जो कमियाँ समझी जा रही हैं, व्यापारियों द्वारा जो कठिनाइयाँ अनुभव की जा रही हैं और सामान्य दृष्टि से जो अभाव पाये जा रहे हैं, उन सभी दृष्टिकोणों में राज्य सरकार को विस्तृत संशोधन और सुधार यथाशीघ्र करने होंगे, जिससे जन सामान्य और व्यापारियों को अनावश्यक कठिनाइयों और हतोत्साहनों के बिना कर से वांछनीय आगम प्राप्त होता रहे।

---------::0::---------

अध्याय नवम

निष्कर्ष का प्रतिस्थापन

अध्याय-9

बिक्रीकर का प्रतिस्थापन

भारत में बिक्रीकर की विवेचना से स्पष्ट है कि यद्यपि वर्तमान क्रम में इसको प्रारम्भ हुए 50 वर्ष हो गये हैं और इसे विस्तृत रूप से स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् ही अपनाया गया है लेकिन पिछले दो दशकों में यह कर राज्य सरकारों के लिए आय का महत्वपूर्ण स्त्रोत बन गया है। जहाँ एक ओर राज्य सरकारें इस कर को अपनी वित्त व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में प्रयोग करके कर की उत्पादकता और लोचकता का पूर्ण लाभ उठा रही है, वहाँ दूसरी ओर व्यापारी वर्ग इस कर के प्रभाव और क्रियान्वयन के प्रति सबल आलोचक के रूप में उभरता रहा है और समय-समय पर इसके सरलीकरण, प्रतिस्थापन अथवा उन्मूलन की माँग होती रही है। यह उल्लेखनीय है कि यह माँग केवल व्यापारी वर्ग द्वारा ही नहीं की जाती रही वरन् विभिन्न राजवित्त विशेषज्ञों द्वारा भी व्यापारियों की माँग का समर्थन किया जाता रहा है। अनेक राजनैतिक दल अपने चुनाव घोषणा पत्रों में इसका समर्थन करते रहे हैं और सरकार ने भी इस परिपेक्ष्य में विचार करने और निर्णय लेने के लिए समय-समय पर विभिन्न समितियाँ गठित की है तथा राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया है।

भारत में बिक्रीकर के प्रतिस्थापन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये राष्ट्रीय विकास परिषद् की एक बैठक सन् 1956 में आयोजित की गई। बैठक में विशेषज्ञों ने यह निर्णय लिया कि तीन महत्वपूर्ण उत्पादों (तम्बाकू, वस्त्र और चीनी) पर लगने वाले बिक्रीकर को समाप्त कर दिया जाए और इसके स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाकर राज्य सरकारों के आगम की हानि को पूरा किया जाए। इसे सन् 1957 से क्रियान्वित कर दिया गया। इसके पश्चात् केन्द्र और राज्य स्तर पर विभिन्न समितियों ने भी इस कर के विवेकीकरण और प्रतिस्थापन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किये। इनमें उत्तर प्रदेश कर जाँच आयोग 1974, बिक्रीकर जाँच समिति महाराष्ट्र 1975-76, केरल की वस्तु कर समिति 1976 तथा केन्द्र सरकार द्वारा श्री एल०के० झा की अध्यक्षता में गठित अप्रत्यक्ष कर जाँच समिति के प्रतिवेदन महत्वपूर्ण है। सन् 1977 में जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा

पत्र में यह आश्वासन दिया था कि वह बिक्रीकर को समाप्त करके उसके स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगायेगी, लेकिन वह अपने शासन काल में विभिन्न राज्य सरकारों को इसके लिए तैयार न कर सकी । इसके पश्चात् केन्द्र में कांग्रेस (आई) के सत्तारूढ़ होने पर पुनः यह प्रश्न उठा कि बिक्रीकर को किस तरह प्रतिस्थापित किया जाए और इस सन्दर्भ में सितम्बर सन् 1980 में तथा फरवरी सन् 1981 में केन्द्र ने राज्य के मुख्यमन्त्रियों के सम्मेलन आयोजित किये । फरवरी 1981 के सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर केन्द्र सरकार ने बिक्रीकर के प्रतिस्थापन के सन्दर्भ में एक विशेष समिति का गठन किया जैसे "त्रिपाठी समिति" के नाम से जाना जाता है और इस समिति ने जनवरी 1983 में अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की । 6 जनवरी सन् 1984 को नई दिल्ली में भारतीय व्यापार एवं उद्योग महासंघ द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने भी यह संकेत दिया था कि सरकार लगभग 40 वस्तुओं पर बिक्रीकर हटाकर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क को लगाने के विचार का विश्लेषण एवं मूल्यांकन कर रही है । स्पष्ट है कि बिक्रीकर के प्रतिस्थापन का प्रश्न एक महत्वपूर्ण राजकोषीय और राजनैतिक प्रश्न के रूप में विचारित होता रहा है ।

बिक्रीकर के उन्मूलन या प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष निकालने से पूर्व विभिन्न राज्य सरकारों के अधिकारीय दृष्टिकोणों को भी ध्यान में रखना होगा इस सम्बन्ध में इकनामिक टाइम्स द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें राज्य सरकारों के दृष्टिकोण निम्न प्रकार थे :-

बिहार

बिहार राज्य में बिक्रीकर से आगम सन् 1951-52 में मात्र 4.09 करोड़ रुपये था जो सन् 1960-61 में 10.54 करोड़ रुपये, सन् 1970-71 में 38.14 करोड़ रुपये, सन् 1980-81 में 193.76 करोड़ रुपये और सन् 1984-85 में 336.60 करोड़ रुपये हो गया । स्पष्ट है कि राज्य सरकार को प्राप्त बिक्रीकर में तेजी से वृद्धि हुई है । अतः राज्य सरकार अपनी आय के इतने महत्वपूर्ण स्रोत को खोना नहीं चाहती ।

राज्य सरकार का यह दृष्टिकोण भी रहा है कि यदि बिक्रीकर को अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से ही प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो इससे उत्पादन लागत में कोई कमी नहीं आयेगी और क्योंकि यह कर अखिल भारतीय आधार पर होगा । अतः उसमें राज्य के आय और उपभोग के ढाँचे को विशेष रूप से ध्यान में न रखा जा सकेगा ।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र देश के उन राज्यों में से एक है जो बिक्रीकर से अपने कुल कर आगम का एक महत्वपूर्ण भाग (60 प्रतिशत से अधिक) प्राप्त करता है । महाराष्ट्र सरकार के वित्त मन्त्रालय का स्पष्ट दृष्टिकोण यह रहा है कि जब तक केन्द्रीय सरकार कोई ऐसा विकल्प न निकाल ले जिससे राज्य सरकारों को बिक्रीकर से प्राप्त होने वाली राशि की क्षतिपूर्ति हो सके । राज्य सरकार बिक्रीकर समाप्त करने के किसी प्रस्ताव पर अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर स सकती ।

पश्चिमी बंगाल

पश्चिमी बंगाल सरकार का दृष्टिकोण भी यह रहा है कि वह केन्द्र सरकार के हाथों में वित्तीय संसाधनों का अधिक केन्द्रीयकरण नहीं चाहती । अतः वह भी बिक्रीकर समाप्ति के विरोध में रही है । पश्चिमी बंगाल में सन् 1951-52 में बिक्री कर से 6.70 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई थी जो सन् 1984-85 में 550 करोड़ रुपये हो गयी ।

तमिलनाडु

तमिलनाडु सरकार बिक्रीकर को अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से प्रतिस्थापित करने की पूर्ण विरोधी रही है । सरकार का मुख्य आधार यह रहा है कि ऐसा करने से राज्य सरकारों को उपलब्ध सीमित वित्तीय साधनों में क्षीणता आ जायेगी । सरकार का यह तर्क भी रहा है कि बिक्रीकर को प्रतिस्थापित करने से राज्य सरकार की राजकोषीय नीति की लोचता कम हो जायेगी । वास्तव में बिक्रीकर से पर्याप्त राजस्व ही प्राप्त नहीं होता वरन् यह कर व्यापार और उद्योगों को नियमित और नियन्त्रित करने के लिए महत्वपूर्ण राजकोषीय उपकरण के रूप में कार्य करता है ।

तमिलनाडु सरकार का यह कहना भी रहा है कि कर ढांचे को विवेकपूर्ण आधार पर बनाने के लिए भी बिक्रीकर को समाप्त करने या प्रतिस्थापित करने पर भी विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्य सरकार लगभग 150 वस्तुओं पर एक बिन्दु बिक्रीकर लगा कर राज्य में बिक्रीकर को काफी विवेकपूर्ण बना चुकी है और व्यापारियों को होने वाले कष्टों को दूर करने के लिए कर निर्धारण और कर वसूली की प्रक्रिया को काफी सरल कर चुकी है ।

गुजरात

गुजरात सरकार बिक्रीकर को पूरी तरह समाप्त करने के पक्ष में तो नहीं रही है लेकिन सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि यदि जनकल्याण की दृष्टि से कुछ जनोपयोगी एवं आवश्यक वस्तुओं पर बिक्रीकर समाप्त करने का प्रश्न हो तो विचार किया जा सकता है ।

जम्मू एवं काश्मीर

यद्यपि जम्मू-काश्मीर सरकार के कर आगम में बिक्रीकर का योगदान तुलनात्मक रूप से कम रहा है, लेकिन सरकार बिक्रीकर को समाप्त करने के पक्ष में नहीं है।

उड़ीसा

उड़ीसा सरकार के बजटों में लगभग हानि की स्थिति बनी रही है । अतः यह सरकार बिक्रीकर के स्त्रोत को खोना नहीं चाहती ।

राजस्थान

राजस्थान सरकार को सन् 1954-55 में मात्र 9 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई थी जो सन् 1984-85 में 278 करोड़ रुपये हो गयी । अतः इस सरकार का भी यह दृष्टिकोण रहा है कि जब तक इतने महत्वपूर्ण राजस्व स्त्रोत के विकल्प के रूप में कोई अन्य व्यवहारिक साधन या स्त्रोत उपलब्ध नहीं होता । सरकार इस कर को छोड़ने के बारे में सोच नहीं सकती ।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार भी बिक्री कर समाप्ति के पक्ष में नहीं है क्योंकि इस कर से राज्य के कुल कर आगम का 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्त होता है। राज्य सरकार का यह तर्क भी है कि बिक्रीकर में राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं के अनुकूल आवश्यक संशोधन और परिवर्तन किये जा सकते हैं जो वैकल्पिक उत्पादन शुल्क के लागू होने पर राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं होंगे।

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश सरकार का यह स्पष्ट दृष्टिकोण रहा है कि वह बिक्रीकर की समाप्ति के लिये तैयार नहीं होगी। वह व्यापारियों को होने वाली कठिनाइयों को कम करते हुए तथा भ्रष्टाचार की समस्या को हल करते हुए इस कर से राजस्व बढ़ाने का प्रयास करेगी।

बिक्रीकर को प्रतिस्थापित करने के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है जब सितम्बर 1980 में केन्द्रीय वित्तमन्त्री ने राज्य के मुख्यमन्त्रियों का सम्मेलन आयोजित किया था उसमें पश्चिमी बंगाल, केरल तथा जम्मू काश्मीर के मुख्यमन्त्रियों ने स्पष्ट रूप से इसका विरोध किया था। यद्यपि कुछ व्यक्तियों का यह कहना है कि गैर कांग्रेसी सरकारों ने इसका विरोध किया था, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। आठवें वित्त आयोग के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री श्रीपति मिश्र ने कहा था, कि "चीनी, सूती वस्त्र और तम्बाकू पर बिक्रीकर के प्रतिस्थापन से राज्य सरकारों को काफी हानि सहन करनी पड़ी है।" इसी आयोग के समक्ष प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश सरकार ने यह उल्लेख किया था कि "सैद्धान्तिक रूप से बिक्रीकर को अतिरिक्त उत्पादन शुल्क द्वारा प्रतिस्थापित करके अनेक अच्छे तर्क हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि इसमें व्यवहारिक दृष्टि से अनेक समस्यायें हैं।" अभी हाल में ही उत्तर क्षेत्रीय बिक्रीकर एवं आबकारी कर परिषद का उद्घाटन करते हुए राजस्थान के मुख्यमन्त्री श्री हरिदेव जोशी ने कहा है कि "अधिकांश राज्यों में बिक्री कर राजस्व आय का एक प्रमुख एवं बड़ा स्त्रोत है। अतः इसकी समाप्ति सम्भव नहीं

लगती । राजस्थान जैसे प्रदेश में बिक्रीकर समाप्त करना कतई सम्भव नहीं है क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है । राज्यों के वित्तीय स्त्रोत सीमित है जबकि प्रशासनिक कार्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है । इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना जरूरी है । बिक्रीकर राजस्व की आय के बिना विकास कार्यों को तेजी देने में कठिनाई आती है । राज्य अपने स्तर पर आय के नये स्त्रोत ढूंढने के प्रयास करते हैं, परन्तु अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते । कुछ वस्तुओं पर बिक्रीकर को बजाय उत्पादन शुल्क लगाने की प्रणाली के भी सुखद अनुभव नहीं रहे हैं क्योंकि इससे राज्यों को अपेक्षाकृत अधिक राजस्व से वंचित रहना पड़ा है ।

प्रतिस्थापन का औचित्य

बिक्री कर के प्रतिस्थापन के औचित्य के सन्दर्भ में निम्न तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं :

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपनाये गये बिक्रीकर की कार्यप्रणाली एवं दरों में काफी विषमतायें हैं । इससे विभिन्न क्षेत्रों में कर भार एवं अन्तर्राज्यीय व्यापार पर भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ते हैं जिनका समाधान करने के लिए किसी "एक रूप कर" से बिक्रीकर के प्रतिस्थापन की माँग की जाती है ।

विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्तरों पर बिक्रीकर लगने से ऐसे उत्पादकों के बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है जो विभिन्न राज्यों से अपने लिए कच्चे माल एवं आवश्यक उपकरणों का क्रय करते हैं और विभिन्न राज्यों में अपने तैयार माल का विक्रय करते हैं । भिन्न-भिन्न राज्यों में बिक्रीकर की प्रक्रिया, नियम और प्रयोग किये जाने वाले फार्म विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनकी कठिनाई एवं जटिलता से बचने के लिए बिक्रीकर प्रतिस्थापन का प्रश्न उठाया जाता है ।

यदि बिक्रीकर को प्रस्थापित करके केन्द्रीय स्तर पर कर (उत्पादन शुल्क) लगाया जाए तो उसमें एक साथ उपभोक्ता, उत्पादक और विनियोक्ताओं पर पड़ने वाले कर प्रभावों को ध्यान में रखा जा सकेगा और कर वसूली की लागत आदि भी कम हो जायेगी ।

व्यापारियों द्वारा और सामान्य जनता द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि इस कर में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है जो अप्रत्यक्ष रूप से काले धन को प्रोत्साहित करता है । यदि यह कर हटा दिया जाए तो व्यापारी वर्ग अपने लेखों को अधिक सही ढंग से रखने को प्रेरित होगा, जिससे जहाँ एक ओर काले धन को नियन्त्रित किया जा सकेगा, वहाँ दूसरी ओर प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को पर्याप्त सीमा तक नियन्त्रित किया जा सकेगा ।

बिक्रीकर के कारण लघु स्तरीय और कम पढ़े लिखे व्यापारियों को काफी कठिनाइयों और हतोत्साहनों का सामना करना पड़ता है जिसे एक मुश्त बिक्रीकर या किसी अन्य विकल्प के द्वारा हल किया जा सकता है ।

बिक्रीकर के कारण क्रेता या उपभोक्ता पर अतिरिक्त भार पड़ता है जिसे वह प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करता है क्योंकि प्रायः बिक्रीकर को बिल में जोड़कर दिखाया जाता है । इसके कारण वह अनेक बार विक्रेता से बिना बिल के माल देने के आधार पर व्यवहार करता है, लेकिन यदि यही कर उत्पादन शुल्क या एक मुश्त कर के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो यह समस्या भी हल हो जायेगी क्योंकि इस परिस्थिति में बिक्री-बिल में अलग से कर जुड़ा हुआ नहीं दिखाई देगा ।

एक ही राज्य में विभिन्न व्यवसायों की वस्तुओं पर ही नहीं वरन् एक ही व्यवसाय की विभिन्न वस्तुओं पर विभिन्न दरों से बिक्रीकर लगाया जाता है । इससे व्यापारियों को अपने विक्रय-विवरण और माल का स्टाक रखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इस दृष्टि से सरल या एक रूप व्यवस्था के द्वारा बिक्रीकर के प्रतिस्थापन के औचित्य को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि बिक्रीकर की विभिन्नताओं, जटिलताओं, व्यावहारिक कठिनाइयों और उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रभावों के आधार पर बिक्री कर में तत्काल संशोधन, मितव्ययीकरण, सरलीकरण और प्रतिस्थापन की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है ।

यदि देश में पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक वातावरण का अवलोकन किया जाये, तो स्पष्ट होगा कि व्यापारी वर्ग, अनेक राजनीतिक दलों एवं आर्थिक विचारकों का यह दृष्टिकोण रहा है कि बिक्री कर काफी जटिल और असुविधाजनक कर है। इससे समाज में भ्रष्टाचार तेजी से पनपा है, काले धन के सृजन को प्रोत्साहन मिला है और कर चोरी की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। अतः इस कर को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर इस दृष्टि से "अखिल भारतीय बिक्री कर उन्मूलन समिति" का गठन भी हुआ है। जिसने 12 नवम्बर, 1979 को देश के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री एन0 संजीव रेड्डी को प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन में यह कहा था, "अब बिना किसी सन्देह के यह अनुभव किया जाने लगा है कि बिक्रीकर एक बहुत बड़ा खतरा है। यह कर अकेला ही बहुत बड़ा उत्तरदायी घटक है जो काले धन के सृजन को प्रोत्साहित कर रहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति बिक्रीकर से बचना चाहता है। वास्तव में बिक्रीकर का प्रशासन इतना जटिल, विविधतापूर्ण, विस्तृत और परिवर्तनशील है कि उससे सम्बन्धित प्रत्येक वर्ग इसमें कठिनाइयाँ अनुभव करता है। कर के सरलीकरण के सभी प्रयासों के सभी प्रयासों से दर की जटिलता और बढ़ी है और एक ही विकल्प है कि बिक्रीकर का उन्मूलन कर दिया जाए।"

प्रतिस्थापन का स्वरूप

बिक्रीकर के स्थान पर किस प्रकार के कर का बदलाव किया जाय, यह एक विवादास्पद विषय रहा है। जब से बिक्रीकर उन्मूलन का प्रश्न उठा है, इस पहलू पर भी लगातार ध्यान दिया गया है कि यदि बिक्रीकर जैसे महत्त्वपूर्ण एवं लोचपूर्ण कर को समाप्त किया जाए तो इसका विकल्प क्या होगा। अर्थात् ऐसा कौन सा कर या व्यवस्था इसका प्रतिस्थापन कर सकती है जो इसकी कमियों एवं कठिनाइयों का समाधान कर सके, तथा राज्य सरकारों के लिए सतत् राजस्व का स्रोत बन सके। विकल्पों के सन्दर्भों में विभिन्न विचारकों और समितियों द्वारा जो दृष्टिकोण रखे गये हैं उनका समावेश करते हुए एक निष्कर्षात्मक प्रतिस्थापित स्वरूप रखने का प्रयास किया गया है।

॥।॥ अतिरिक्त उत्पादन शुल्क द्वारा प्रतिस्थापन

बिक्रीकर के प्रतिस्थापन के रूप में सर्वाधिक समर्थित विकल्प अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की व्यवस्था है अर्थात् केन्द्रीय सरकार अपने द्वारा लगाये जाने वाले सामान्य उत्पादन कर के अलावा अतिरिक्त उत्पादन शुल्क और लगाये, जो बिक्रीकर के प्रतिस्थापन का कार्य करें । इसके समर्थन में दिये जाने वाले तर्क अधोलिखित हैं :-

1. यदि एक ही उत्पादन पर केन्द्र और राज्य सरकारें द्वारा अलग-अलग कर लगाये जायें तो कर ढाँचा पूर्णतः विवेकपूर्ण नहीं बन सकता, लेकिन जब बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क केन्द्रीय सरकार द्वारा ही लगाया जायेगा, जो कि उन वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क भी लगाती है, तो उपभोग, उत्पादन और विनियोग इत्यादि सभी वस्तुओं पर पड़ने वाले प्रभावों को पूरी तरह ध्यान में रखा जा सकेगा ।

2. ऐसा करने से कर संग्रहण की लागत में पर्याप्त कमी आयेगी ।

3. विभिन्न राज्यों में बिक्रीकर की विभिन्न दरों से व्यापारिक क्रियाओं का जो अनार्थिक विचलन होता है, उसमें कमी आयेगी ।

4. विभिन्न राज्यों से कच्चा माल प्राप्त करने और विभिन्न राज्यों में अपने उत्पादित माल को बेचने वाले उत्पादकों को विभिन्न राज्यों के पृथक-पृथक नियमों, प्रक्रियाओं और कार्यों में भिन्नताओं के कारण जो कठिनाइयाँ आती हैं, उनका समाधान हो जायेगा ।

दूसरी ओर राज्य सरकारों का यह कहना है कि कैसी भी योजना क्यों न तैयार कर ली जाये, बिक्रीकर को अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से प्रतिस्थापित करने पर उनके राजस्व में निश्चित रूप से कमी आयेगी और अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से प्राप्त आय में लगभग स्थिरता की स्थिति आ जायेगी जैसे कि सूती वस्त्र, तम्बाकू तथा चीनी पर लगे अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के आवंटन में आ गयी थी । ऐसा होने से राज्य सरकारों की आर्थिक स्वायत्तता में कमी आयेगी और केन्द्र पर निर्भरता बढ़ जायेगी । जब राज्य सरकार अपने प्रयासों से कर एकत्रित करती है तो व्ययों में

अधिक वित्तीय अनुशासन रहता है, लेकिन जब केन्द्र से आगम प्राप्त करना हो तो सामान्यतः राज्यों के व्यय में वित्तीय अनुशासन कम हो जाता है। बिक्रीकर को पूर्णतः समाप्त कर उत्पादन शुल्क से प्रतिस्थापित करने में एक महत्वपूर्ण समस्या यह होगी कि अनेक वस्तुएं बिना किसी औचित्य के करारोपण से बच जायेंगी। उत्पादन शुल्क उत्पादन पर लगाया जाता है, लेकिन भारत में यह कर अधिकांशतः औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में लगाया जा रहा है। बिक्रीकर की समाप्ति के पश्चात् कृषिक्षेत्र में भी उत्पादन शुल्क लगाने का प्रश्न उठेगा और कृषि उत्पादों से उत्पादन शुल्क एकत्रित करना अनार्थिक और असम्भव हो जायेगा। इस सन्दर्भ में छोटे कृषकों को छूट देने की बात कही जा सकती है, लेकिन ऐसा होने पर बिक्रीकर की राशि के अनुकूल उत्पादन शुल्क एकत्रित करने में कठिनाई आयेगी। इसके अतिरिक्त लघु और असंगठित क्षेत्र में अनेक उत्पादन ऐसे हो रहे हैं जिन पर बिक्री कर लग रहा है, लेकिन उत्पादन शुल्क व्यवस्था में प्रशासनिक कारणों से उन्हें छोड़ना पड़ेगा। यह सर्वविदित तथ्य है कि विद्यमान बिक्रीकर व्यवस्था में राज्य सरकारों को अपने यहाँ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से कर की दरों में समायोजन करने की दृष्टि से पर्याप्त लोच एवं स्वतन्त्रता उपलब्ध है, लेकिन उत्पादन शुल्क के प्रतिस्थापन से यह विशिष्ट लाभ समाप्त हो जायेगा और इसी आधार पर "त्रिपाठी समिति" के एक सदस्य प्रधान एच० प्रसाद ने बिक्रीकर के प्रतिस्थापन के सन्दर्भ में अपनी असहमति प्रकट की थी।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि जहाँ एक ओर राज्य सरकारों द्वारा बिक्रीकर के प्रतिस्थापन का विरोध किया जाता रहा है, वहाँ दूसरी ओर केन्द्रीय सरकार अतिरिक्त उत्पादन शुल्क द्वारा प्रतिस्थापन पर जोर देती रही है। जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में यही प्रस्ताव रखा था कि, "बिक्रीकर के स्थान पर अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाया जाए और उससे होने वाली प्राप्तियों में से राज्य सरकारों को यथोचित हिस्सा दे दिया जाए।" अखिल भारतीय बिक्रीकर उन्मूलन समिति ने भी 12 नवम्बर, 1979 को राष्ट्रपति को दिये गये अपने प्रतिवेदन में यह स्पष्ट माँग की थी कि बिक्रीकर को समाप्त करके अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया जाए। काँग्रेस (आई) की सरकार पुनः स्थापित होने के बाद सितम्बर, 1980

में केन्द्रीय सरकार ने मुख्यमन्त्रियों की एक बैठक बुलाई थी जिसमें बिक्रीकर समाप्ति के प्रश्न पर विचार किया गया । यद्यपि अधिकांश मुख्यमन्त्रियों ने इसका विरोध किया, लेकिन अन्त में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि कुछ राज्यों के मुख्यमन्त्रियों की एक समिति बनाई जाए जो अन्य बातों के अतिरिक्त उन वस्तुओं की सूची तैयार करे जिन पर बिक्रीकर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया जा सके । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सन् 1957 में तीन वस्तुओं-सूती कपड़ा, तम्बाकू और चीनी पर बिक्रीकर समाप्त करके अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया जा चुका था । अतः इस तथ्य पर भी जोर दिया जाता रहा है कि जब तीन वस्तुओं के सन्दर्भ में यह हो सकता है तो अन्य वस्तुओं के सन्दर्भ में भी यह व्यवस्था अपनाई जा सकती है । इसी परिप्रेक्ष्य में फरवरी सन् 1981 में मुख्यमन्त्रियों की बैठक में पारित प्रस्ताव के आधार पर एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई । इस समिति को यह अध्ययन करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वनस्पति, औषधियाँ, सीमेन्ट, कागज व कागज गत्ता तथा पैट्रोलियम उत्पादन पर बिक्रीकर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने की सम्भावना का अध्ययन किया जाए । यह भी देखा जाए कि इसके क्या वित्तीय परिणाम होंगे और राज्यों के वित्तीय हितों को किस प्रकार सुरक्षित रखा जा सकता है ।

समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 1983 में भारत सरकार को प्रस्तुत की और सरकार ने 29 अप्रैल, 1983 को संसद के पटल पर रखा ।[1] समिति की सिफारिशों का निष्कर्ष यह था कि वनस्पति, औषधियाँ, सीमेन्ट, कागज व कागज गत्ता तथा पैट्रोलियम उत्पादन इन पाँच वस्तुओं पर बिक्रीकर समाप्त कर दिया जाए और उनके स्थान पर सन् 1984-85 से अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया जाए । समिति ने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्य सरकारों के व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार के हितों की रक्षा की जाए । आगे समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सन् 1981-82 को आधार वर्ष मानकर इन पाँच वस्तुओं के सम्बन्ध में बिक्रीकर से प्राप्त राशि का निर्धारण किया जाना चाहिए । इसके साथ ही एक ऐसा फार्मूला तैयार किया

---

1. The Economic Times, New Delhi, 30.4.83

जाना चाहिए । इसके साथ ही एक ऐसा फार्मूला तैयार किया जाना चाहिए, जो यथासम्भव उन सभी तत्वों को ध्यान में रखे जो इन वस्तुओं के बिक्रीकर राजस्व की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, जिससे अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने के पश्चात् राज्यों की प्राप्तियों में उचित वृद्धि होती रहे । समिति ने यह सुझाव भी दिया कि एक ऐसी योजना विकसित की जाए, जिससे केन्द्र और राज्य सरकारें प्रस्तावित योजना के सतत् निरीक्षण और समीक्षा में सहभागी बने रहे । समिति ने पाँच वस्तुओं को दो भागों में विभाजित किया । एक भाग में कागज व कागज गत्ता, वनस्पति और औषधियों को रखा गया, जिन पर अधिकांशतः स्वतन्त्र बाजार दशायें लागू होती है । दूसरे वर्ग में पैट्रोलियम उत्पादन तथा सीमेन्ट को रखा गया, जिनके बारे में अधिकांशतः स्वतन्त्र बाजार की स्थिति लागू नहीं होती । स्वतन्त्र बाजार की दशा वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में समिति ने यह सिफारिश की, कि अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के रूप में वसूल की जाने वाली राशि की वार्षिक वृद्धि दर को सभी राज्यों के बिक्री कर राजस्व में भविष्य में होने वाली वार्षिक वृद्धि दर से सम्बन्धित किया जाए । पैट्रोलियम उत्पादन और सीमेन्ट के सम्बन्ध में समिति का यह विचार था कि इनके उपभोग मूल्य तथा संग्रहित किये जाने वाले अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के मध्य आनुपातिक सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिए अर्थात् वर्तमान में इन वस्तुओं से बिक्रीकर राजस्व और इनके उपभोग मूल्य के मध्य प्रतिशत सम्बन्धों की गणना की जाए और फिर यह व्यवस्था बनाई जाये कि भविष्य में इन वस्तुओं के उपभोग मूल्य और अतिरिक्त शुल्क की राशि के मध्य यह प्रतिशत सम्बन्ध बना रहे ।

समिति ने इन पाँच वस्तुओं से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की राशि के बँटवारे के बारे में अपना विचार रखा और कहा कि वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को बाँटी जाने वाली राशि की वर्तमान प्रणाली को जारी रखा जाये । प्रारम्भ के पाँच वर्षों में अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से प्राप्त शुद्ध आय में से केन्द्र शासित क्षेत्रों का हिस्सा कम कर देने के पश्चात् राज्यों में धन-राशि का वितरण सन् 1979-80 से 1981-82 के तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य के बिक्री कर राजस्व के औसत अनुपात में किया जाना चाहिए । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि

डा० प्रधान एच० प्रसाद ने इस सम्बन्ध में अपनी असहमति प्रकट करते हुये लिखा है कि बिक्रीकर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से मूल्यों में वृद्धि होगी और राज्य सरकारों को पिछले संग्रहण के आधार पर बंटवारे में जो हिस्सा मिलेगा इससे असंगति हो सकती है क्योंकि भविष्य में विभिन्न राज्यों में इन वस्तुओं से सम्बद्ध विकास कारणों को किस प्रकार ध्यान में रखा जायेगा।

समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए 2 नवम्बर सन् 1983 को मुख्यमन्त्रियों का सम्मेलन हुआ, जिसमें कुछ मुख्यमन्त्रियों ने इस योजना को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रकट की और कुछ मुख्यमन्त्रियों ने सैद्धान्तिक रूप से इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन कुल मिलाकर यह निर्णय लिया गया कि राज्य केन्द्र सम्बन्धों का पुनरीक्षण "सरकारिया आयोग" कर रहा है। अतः उसकी रिपोर्ट आने तक इस विकल्प के सम्बन्ध में कोई प्रक्रिया न अपनाई जाए।

इस प्रकार पांच वस्तुओं के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने की संस्तुति पर वर्तमान में कोई निर्णय अवश्य स्थगित हो गया है, लेकिन सामान्य रूप से बिक्रीकर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने के प्रश्न पर सरकार निरन्तर विचार कर रही है। 6 जनवरी, 1984 को भारतीय व्यापार एवं उद्योग महासंघ द्वारा आयोजित "अखिल भारतीय व्यापारी संघ" का उद्घाटन करते हुए प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने कहा था कि केन्द्र सभी राज्यों को इस विकल्प के लिए तैयार कर रहा है कि बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया जाए और इस सम्बन्ध में मुख्यमन्त्रियों द्वारा दी गई 40 वस्तुओं की सूची पर विचार किया जा रहा है।

करारोपण और संग्रहण में समानता, मितव्ययिता और उत्पादकता के आधार पर अधिकांश पक्षों द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि बिक्रीकर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क एक अच्छा विकल्प है लेकिन राज्य सरकारों की आय में लोच और स्वायत्तता के सन्दर्भ में राज्य सरकारों द्वारा इसका तीव्र विरोध किया जाता है।

12. वार्षिक कर द्वारा प्रतिस्थापन

बिक्रीकर व्यवस्था की विविध कठिनाइयों, को हल करने तथा राज्य सरकारों की वित्तीय स्वायत्तता पर अनुकूल प्रभाव पड़े इस सम्बन्ध में विकल्प के रूप में यह सुझाव भी दिया जाता है कि बिक्रीकर का प्रतिस्थापन एक मुश्त वार्षिक कर से कर दिया जाये । इस दृष्टि से एक मुश्त वार्षिक कर के अन्तर्गत व्यापारी को विस्तृत हिसाब-किताब से मुक्ति मिलेगी । बिक्रीकर की विभिन्न औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं को पूरा करने से राहत होगी तथा व्यापारियों को अधिकारियों की ताना-शाही का शिकार नहीं होना पड़ेगा । इसके साथ ही इस प्रकार का कर माल बेचते समय बिल या बीजक में जोड़कर नहीं दिखाया जायेगा । इससे उपभोक्ता को भी कर भार के प्रभाव की भावना से मुक्ति मिलेगी । यद्यपि अप्रत्यक्ष रूप से यह कर उपभोक्ता पर ही पड़ेगा । एक मुश्त वार्षिक करके सन्दर्भ में यह प्रश्न भी उठता है कि क्या सभी व्यापारियों से समान वार्षिक कर लिया जाए या इसमें भिन्नता रखी जाए । यदि समान वार्षिक कर लिया जाता है तो बड़े व्यापारियों को लाभ होगा तथा छोटे एवं मध्यम व्यापारियों को कष्ट अनुभव होगा और यह करों में समता एवं न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होगा । अतः बिक्रीकर को एक मुश्त समान वार्षिक कर से प्रतिस्थापित करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

यदि व्यवहारिक दृष्टि से बिक्रीकर को एक मुश्त वार्षिक कर से प्रतिस्थापित करने पर कभी निर्णय लिया भी जाए तो इसके लिए बिक्री की विभिन्न श्रेणियाँ बनानी होंगी और इन विभिन्न श्रेणियों के लिए एक मुश्त वार्षिक कर की अलग-अलग राशियाँ निर्धारित करनी होंगी । किसी श्रेणी में किसी भी व्यापारी को रखने की दृष्टि से कोई एक आधार वर्ष मानना होगा और एक आधार वर्ष से ठीक पिछले तीन या पाँच वर्षों की बिक्री के औसत के आधार पर यह निश्चित किया जा सकता है कि व्यापारी को किस बिक्री श्रेणी में रखा जाए । यद्यपि इस प्रतिस्थापन से ऐसे व्यापारियों के सामने समस्या उत्पन्न हो सकती है जिनके व्यापार या बिक्री में गिरावट की स्थिति उत्पन्न हो जाये । अन्यथा इस व्यवस्था से अधिकांश व्यापारियों को सुविधा एवं सरलता मिलेगी तथा सरकार का कर प्रशासन व्यय भी कम हो सकेगा । एक मुश्त

वार्षिक कर के सन्दर्भ में कर आधार के औचित्य की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि यह एक तरह का लाइसेन्स-शुल्क जैसा लगेगा और इसका चालू उत्पादन या बिक्री से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रहेगा और सरकार भी मनमानी तरीके से एक मुश्त कर की राशि में चाहे जितना परिवर्तन कर सकती है । वस्तु विशेष के उत्पादन तथा उपभोग को प्रभावित करने की दृष्टि से भी एक मुश्त कर व्यवस्था में कोई प्रभावशीलता नहीं रह जाती । एक मुश्त वार्षिक कर के संशोधित रूप में अखिल भारतीय व्यापार संघ के उपाध्यक्ष श्री विशम्भर दयाल अग्रवाल ने यह सुझाव रखा है कि एक आधार वर्ष में या निश्चित आधार वर्षों में औसत रूप से जो बिक्री कर दिया हो उसमें प्रतिवर्ष एक निश्चित दर से वृद्धि करते हुए बिक्रीकर से लिया जाए । बिक्रीकर की सरलता की दृष्टि से यह सुझाव औचित्यपूर्ण लग सकता है और इसमें इस बात की सुरक्षा भी है कि सरकार का राजस्व भी निरन्तर बढ़ता रहेगा, लेकिन मूल प्रश्न यह रह जाता है कि आधार वर्ष या वर्षों का निर्धारण ही गलत हो या भ्रष्ट रीतियों के आधार पर बहुत कम कर लिये गये हों, तो सरकार कब तक उस आधार पर होने वाली हानि को सहन करेगी । इसके साथ ही ऐसे व्यापारियों के लिए क्या समाधान होगा, जिनके व्यापार में गिरावट आ रही है । यह भी उल्लेखनीय है कि बिक्रीकर वस्तु के मूल्य पर लगता है और वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर उच्चावचन होते रहते हैं । उनके प्रभावों को कैसे दूर किया जा सकेगा । वास्तव में बिक्रीकर के स्थान पर एक मुश्त वार्षिक कर का सुझाव सरलता के नाम पर ऐसा सुझाव है कि व्यक्ति से कपड़ों के पहनने की सरलता के नाम पर यह कहा जाए कि वह कोट, पैन्ट, टाई के स्थान पर एक गाउन पहन ले । हमें बिक्रीकर का प्रतिस्थापन बिक्रीकर के उद्देश्यों, प्रभावाओं और औचित्यों के सन्दर्भ में ढूंढना होगा । केवल सरलता या सुविधा के नाम पर प्रतिस्थापन के किसी सुझाव को औचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता ।

(3) मूल्य वृद्धि कर से प्रतिस्थापन

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में परम्परागत आवर्त कर या बिक्री कर को प्रतिस्थापित करके मूल्य वृद्धि कर को अपनाया गया है । प्रारम्भ में सन् 1954

से ही यह फ्रान्स में बिक्रीकर के विकल्प के रूप में स्वीकार किया गया था ।[2] इसकी विशेषताओं से प्रभावित होकर इस कर की ओर विशेष ध्यान दिया गया । सन् 1962 में "न्यूमार्क समिति" ने यह सुझाव दिया था कि यूरोपियन साझा बाजार के सभी देशों में इस कर को अपना लिया जाना चाहिए[3] और बाद में यूरोपीय आर्थिक समुदाय परिषद ने इस कर को सामान्य बिक्रीकर के विकल्प के रूप में स्वीकार करने के लिए सभी सम्बन्धित राज्यों को निर्देश दिये थे । जिसके आधार पर अधिकतर यूरोपीय राष्ट्रों में सन् 1967 में इसे लागू किया गया । इसके परिणामस्वरूप इस प्रकार की कर व्यवस्था में सम्पूर्ण विश्व की दिलचस्पी पैदा हो गयी । यह व्यवस्था सन् 1968 में उराग्वे में तथा सन् 1970 में इक्वेडोर में लागू की गई । यह कर प्रणाली सन् 1972 में ब्रिटेन में भी शुरू हो गयी और विरोध के बावजूद सन् 1973 में अमेरिका में चुने हुए स्थानों पर इसे शुरू किया गया । भारत में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पुनर्गठन समिति (1968) ने फ्रान्सीसी नमूने पर आधारित "वैट" के विस्तृत अध्ययन की सिफारिश की ताकि "अनुकूल" परिस्थितियों में उत्पादन शुल्क के ढाँचे को नया रूप देने के प्रश्न पर विचार किया जा सके ।[4] श्री एल०के० झा की अध्यक्षता में गठित अप्रत्यक्ष कर जाँच समिति, 1976 ने भी विभिन्न देशों में मूल्य वृद्धि कर का विस्तृत अध्ययन करके अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की । इस आधार पर कुछ देशों में ~~इस~~ इस कर द्वारा प्रतिस्थापित की गई कर व्यवस्था को दर्शाया गया है ।

---

2. Bhatia, H.L. , Public Finance 1983, p. 144.

3. अप्रत्यक्ष कर जाँच समिति प्रतिवेदन, 1978, भाग - II, पृ० 282.

4. पन्त जे०सी०, राजस्व, पृ० 593.

तालिका नं0 9-1

कुछ देशों द्वारा प्रतिस्थापित मूल्य वृद्धि कर[5]

देश का नाम	विविध वर्षों में	मूल्य वृद्धि कर द्वारा प्रतिस्थापितकर
अर्जेन्टाइना	1 जनवरी, 1975	बिक्रीकर
आस्ट्रिया	1 जनवरी, 1973	आवर्त्तन कर
बेल्जियम	1 जनवरी, 1971	क्रय कर
आयरलैण्ड	1 नवम्बर, 1972	आवर्त्तन कर
इटली	1 जनवरी, 1973	सामान्य विनिमय कर
लक्जमबर्ग	1 जनवरी, 1970	बहुस्तरीय आवर्त्तन कर
नीदर लैण्ड	1 जनवरी, 1969	बहुस्तरीय आवर्त्तन कर
पश्चिमी जर्मनी	1 जनवरी, 1968	बहुस्तरीय सकल आवर्त्तन कर

तालिका नं0 9.1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिकांश देशों में विक्रय या आवर्त्तन कर को मूल्य वृद्धि कर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। भारतीय सन्दर्भ में बिक्रीकर को मूल्य वृद्धि कर द्वारा स्थापित करने की सम्भाविकता का अध्ययन करने के लिए हम निम्न प्रश्नों का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे :

1. मूल्य वृद्धि कर क्या है ?
2. मूल्य वृद्धि कर से क्या लाभ और हानियाँ हैं ? तथा
3. इसके द्वारा बिक्रीकर को प्रतिस्थापित करने के कौन से पहलू विचारणी हैं ?

---

5. अप्रत्यक्ष कर जाँच समिति प्रेतिवेदन, जनवरी 1978 भाग 2।
पृष्ठ 709-710.

मूल्य वृद्धि कर क्या है ?

सामान्य भाषा में इसका अर्थ ऐसे कर से है जो किसी वस्तु या सेवा के व्यव-हार में विभिन्न स्तरों पर होने वाली मूल्य वृद्धि पर लगाया जाता है । अप्रत्यक्ष कर जाँच समिति के अनुसार, "अपने विस्तृत रूप में मूल्य वृद्धि कर एक ऐसे कर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो विशिष्ट रूप से मुक्त पदों या संस्थाओं को छोड़ कर वस्तुओं और सेवाओं के सभी विक्रेताओं द्वारा उनकी फर्म के माध्यम से वस्तु के मूल्य में की गई वृद्धि का चुकाया जाता है ।[6] इस आधार पर इसकी मुख्य विशेषतायें इस प्रकार हैं :

1. यह एक बहुस्तरीय कर है जो उत्पादन और वितरण के सभी स्तरों पर लगाया जाता है ;
2. यह चुनींदा न होकर विस्तृत कर होता है ।
3. इस कर की राशि ठीक उस राशि के बराबर होगी, जो अन्तिम खुदरा बिक्री पर मूल्य वृद्धि कर की दर से गणना करने पर आती है तथा
4. यह कर प्रत्येक आगत पर केवल एक बार ही लगता है ।

यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश देशों में इस कर की गणना को सरल बनाने के लिए किसी व्यापारी फर्म द्वारा टैक्स का हिसाब इस प्रकार लगाया जाता है - पहले उनकी कुल बिक्री पर लागू दर से कर लगाया जाता है और फर्म द्वारा मध्यवर्ती सामान की खरीद पर जो कर दिया जाता है उसे कुल बिक्री पर गणना किये गये कर में से घटा देते हैं ।

गुण एवं दोष

अन्य कर व्यवस्थाओं की तुलना में इसके अनेक लाभ हैं, यह कर उत्पादन और

---

6. अप्रत्यक्ष कर जाँच आयोग प्रतिवेदन, जनवरी 1978 भाग 2 पृ0 282.

वाणिज्यीकरण के प्रारम्भ के प्रति तटस्थ रहता है । बिक्रीकर में प्रायः लम्बवत् संयोजन को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे आगत और कच्चे मालों पर चुकाये जाने वाले बिक्री कर से बचा जा सके । उदाहरणार्थ - यदि कोई कार बनाने वाली फैक्टरी, कार के विभिन्न पुर्जों, टायरों इत्यादि को स्वयं बना रही है तो ऐसी फर्म की तुलना में कम कर देना होगा, जो अन्य फर्मों से इन सामानों का क्रय कर रही है, लेकिन इसके कारण इस प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । इस प्रकार यह अर्थव्यवस्था में ऐसे प्रारूपों को ही विकसित होने का अवसर प्रदान करती है जो आर्थिक आधारों पर उचित हो ।

मूल्य वृद्धि कर के पक्ष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तर्क यह दिया जाता है कि इसके द्वारा करापवंचन काफी कम हो जाता है । इसके दो कारण हैं, इस पद्धति में कर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है, जिसके कारण करापवंचन की प्रेरणा अधिक नहीं रहती; इस व्यवस्था में प्रत्येक फर्म अपने द्वारा क्रय किये गये सामानों पर चुकाये गये कर का पूर्ण विवरण रखने का प्रयास करती है और इस कारण यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि अन्य फर्मों द्वारा दिखाया गया विक्रय विवरण उचित है या नहीं ।

मूल्य वृद्धि कर पक्ष में यह भी कहा जाता है कि इसके अन्तर्गत प्रत्येक फर्म उत्पादन व्यवस्था में अधिकाधिक कुशलता लाकर उत्पादित लागत को कम करने का प्रयास करती है, क्योंकि लागत जितनी अधिक बढ़ जायेगी, मूल्य वृद्धि का अन्तर उतना ही अधिक हो जाने से कर भार अधिक हो जायेगा ।

मूल्य वृद्धि कर किसी भी अन्तिम उत्पाद में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न आगतों पर केवल एक बार ही लगाया जाता है । अतः अंतिम उत्पाद में पड़ने वाले कर भार को नियन्त्रित किया जा सकता है और इस कारण उस कर से आगतों पर विस्तृत करारोपण के दोषों के बिना सामान्य कर के लाभ मिल जाते हैं ।

मूल्य वृद्धि कर के अन्तर्गत किसी विशिष्ट उत्पाद के अन्तिम मूल्य पर कर का अनुपात समान रहता है और इस तथ्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि उत्पादन के चरण कम हैं या अधिक और इस कारण उत्पादन में आवश्यक विवेकपूर्ण चरणों को बनाये रखा जा सकता है ।

मूल्य वृद्धि कर द्वारा बिक्री कर में कर के संचयी प्रभावों को नियन्त्रित किया जा सकता है अर्थात् इसमें कर के दोहरेपन की सम्भावना नहीं रहती, क्योंकि उत्पादन और वितरण के प्रत्येक स्तर पर केवल उतनी राशि में कर लगता है, जो उस स्तर में मूल्यों में वृद्धि के रूप में गणना की गई है ।

इस कर व्यवस्था में निर्यातों को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि किसी भी उत्पाद का निर्यात होने पर उसमें प्रयुक्त किये गये आगतों पर लगे करों की वापसी हो जाती है तथा उत्पादक विश्व बाजार में अपने उत्पादन में मूल्य को प्रतियोगी बनाये रखने में समर्थ रह सकता है । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक विशेषज्ञ ने इसके महत्व की चर्चा का उल्लेख करते हुए लिखा है कि इससे व्यवसायी को यह स्वतन्त्रता होती है कि वह अपनी लागत पर कर भार को कम करने के आधार को छोड़कर कुशलता के आधार पर उत्पादन के स्वरूप, उत्पत्ति के साधनों का समन्वय और उत्पादन की पद्धतियों को अपना सके ।-[7]

अतः मूल्य वृद्धि कर को अपनाने पर कर की दरों में परिवर्तन करके पूँजी प्रधान उद्योगों की तुलना में श्रम प्रधान उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा सकता है, किसी सीमित आगत को नियन्त्रित करने के लिए "अतिरिक्त गैर वापसी योग्य शुल्क" लगाया जा सकता है और कुछ विशिष्ट उत्पादकों एवं उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें कर से आवश्यक छूट भी दी जा सकती है ।

मूल्य वृद्धि कर के लाभों की समीक्षा के पश्चात् उन सीमाओं का उल्लेख किया जा रहा है जो विकासशील देशों में इस कर के क्रियान्वयन में आ सकती है । यह व्यवस्था अत्यन्त जटिल है और इसके लिए जिस तरह की कुशल और विस्तृत सरकारी मशीनरी की आवश्यकता होती है, वह सामान्यतः विकासशील देशों में नहीं मिलती। यह भी ध्यान रहे कि एक बिन्दु बिक्रीकर की तुलना में इसको उत्पादन और वितरण

---

7. अप्रत्यक्ष कर जाँच आयोग प्रतिवेदन, जनवरी 1978, भाग 2, पृ0 286.

से विभिन्न स्तर पर लगाये जाने से प्रशासन तन्त्र पर तुलनात्मक रूप से अधिक भार पड़ता है । वास्तव में इस पद्धति को उचित रूप में उन्हीं देशों में अपनाया जा सकता है जो आर्थिक और वित्तीय संरचना में विकसित हो चुके हैं और जहाँ व्यवसायियों द्वारा पूर्ण, विस्तृत और कुशल लेखे रखे जाते हैं । भारत जैसे विशाल देश में जहाँ व्यव-साय में अनेकों छोटे-छोटे उद्योग और फर्में संलग्न हैं, वहाँ इस दृष्टि में आवश्यक लेखों का रखना कठिन और खर्चीला है । इसके समर्थन में यह बात कही जाती है कि ये अपने प्रभावों में काफी तटस्थ रहता है, लेकिन कोई भी सरकार हो, वह अपनी कर व्यवस्था से देश के उत्पादन, उपभोग और वितरण पर अनेक वांछनीय प्रभाव डालना चाहती है और यदि उस दृष्टि से इन समायोजनाओं को इसमें जोड़ा जाता है तो यह कर पद्धति जटिल और अनाकर्षक हो सकती है । भारत जैसी अल्पविकसित अभावशील अर्थव्यवस्था में इससे लाभ की भी आशा नहीं रह जाती है कि इससे उत्पादन लागत को कम करने का अवसर मिलता है । भारत में अधिकांश आवश्यक वस्तुओं में विक्रेता बाजार की स्थिति है जिसमें बढ़ते हुए मूल्यों पर भी माल आसानी से बेचा जा सकता है । संघीय देशों में इस कर की महत्वपूर्ण सीमा है क्योंकि यह अनुभव है कि इस कर को संघीय प्रशासन की तुलना में एकात्मक शासन में आसानी से अपनाया जा सकता है । भारत जैसे देश में जहाँ केन्द्र और राज्य के मध्य करों का अधिकार विभक्त है । इसको पूर्ण रूप से अप-नाने के लिए यह आवश्यक होगा कि केन्द्रीय सरकार अप्रत्यक्ष कर की पूरी व्यवस्था को अपने हाथों में लें ।

अतः विवेचना के पश्चात् यह कहा जा सकता है कि सैद्धान्तिक रूप में यह अप्रत्यक्ष कराधान में यह एक महत्वपूर्ण सुधार है, लेकिन व्यवहारिक एवं प्रशासनिक पहलू से इसमें अनेक कठिनाइयाँ हैं ।

भारत में मूल्यवृद्धि कर द्वारा बिक्रीकर के प्रतिस्थापन की सम्भाव्यता

मूल्यवृद्धि कर के उद्गम और विकास के इतिहास से स्पष्ट है कि अधिकांश देशों में इसे विक्रय करके प्रतिस्थापन के रूप में अपनाया गया है, लेकिन भारतीय सन्दर्भ में अनेक समस्यायें हैं - यहाँ के संघीय शासन व्यवस्था है जिसमें संविधान के अन्तर्गत केन्द्र और राज्यों को कर के पृथक अधिकार मिले हुए हैं और यदि इसको पूर्ण रूप से अपनाया

गया तो राज्य सरकारों को बिक्रीकर के सम्बन्ध में जो स्वायत्तता प्राप्त है, वह समाप्त हो जायेगी, जिसके आधार पर इस कर का राजनैतिक विरोध होगा । इस कर व्यवस्था के लिए व्यापारियों द्वारा विस्तृत लेखे रखने और अधिकारियों द्वारा उन्हें विस्तृत रूप में निरीक्षण करने की आवश्यकता होगी और उस सन्दर्भ में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी । यहाँ यह भी समझना होगा कि यदि बिक्रीकर की भाँति राज्य सरकारों को मूल्य वृद्धि कर अपनाने की स्वतन्त्रता उपलब्ध कराई भी जाये तो उसमें एकरूपता और समन्वय की वही समस्यायें आयेंगी जो वर्तमान में बिक्रीकर में विद्यमान हैं ।

इन्हीं सब परिप्रेक्ष्यों में विचार करने के उपरान्त अप्रत्यक्ष कर जाँच समिति ने यह सुझाव दिया था कि देश की प्रशासनिक और अन्य परिस्थितियों के सन्दर्भ में इस को अपनाने में आवश्यक सावधानी रखनी होगी और उत्पादन पूर्ण होने के उपरान्त की अवस्था में इस कर को अपनाना अभी व्यवहारिक नहीं है । समिति ने प्रयोगात्मक रूप में निर्माणी स्तर पर सीमित रूप में इस कर को लगाने का सुझाव दिया था और इस सन्दर्भ में इस कर के लिए एक नया नाम "निर्माणी मूल्य वृद्धिकर" का सुझाव दिया था । स्पष्ट है कि समिति द्वारा किये गये विस्तृत विश्लेषण के आधार पर निकट भविष्य में बिक्रीकर को इसके द्वारा या इसके किसी संशोधित रूप से प्रतिस्थापित करने की सम्भावना नहीं है, लेकिन उत्पादन शुल्क को विवेकपूर्ण बनाने की दृष्टि से इसका प्रयोग किया जा सकता है और सन् 1986-87 के केन्द्रीय सरकार के बजट में इसको एक संशोधित रूप में 'मोड वाट' के नाम से अपनाया गया है । यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि वर्तमान समय में विभिन्न राज्यों में बिक्रीकर प्रावधानों में कच्चे माल के प्रयोग के सम्बन्ध में कुछ छूटें दी गई हैं । इसकी धारणा के सन्दर्भ में इन छूटों को अधिक एक रूप और तर्कसंगत बनाने का प्रयास अवश्य किया जा सकता है ।

बिक्रीकर के प्रतिस्थापन के सन्दर्भ में पिछले एक दशक से प्रबल माँग की जाती रही है और उस पर सरकार तथा राजस्व विशेषज्ञों द्वारा गम्भीर चिन्तन भी किया जाता रहा है लेकिन केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय स्वायत्तता

के प्रश्न को लेकर इस प्रतिस्थापन के सन्दर्भ में कोई सर्वमान्य निर्णय नहीं हो पाया है । वास्तविकता यह है कि बिक्रीकर के प्रतिस्थापन के प्रश्न पर विस्तृत रूप से विचार करने और निर्णय लेने से पहले देश में अप्रत्यक्ष कर ढांचे की सम्पूर्ण व्यवस्था की समीक्षा करनी होगी और उसमें सुधार करने तथा बिक्रीकर के प्रतिस्थापन के साथ समन्वय करने की आवश्यकता होगी । आर्थिक विशेषज्ञ लगभग इस बात पर सहमत हैं कि यदि बिक्रीकर को समाप्त करके उत्पादन शुल्क के साथ उसे मिला दिया जाये और उत्पादन शुल्क की व्यवस्था को सुधार कर केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासित मूल्य वृद्धि कर अपनाया जाए तो प्रारम्भिक कुछ सीमाओं और कठिनाइयों के बाद कराधान की एक आदर्श पद्धति सिद्ध हो सकती है, लेकिन राज्य सरकारों द्वारा निरन्तर अपनी स्वायत्तता को बनाये रखने के दृष्टिकोण से सम्बन्ध में निकट भविष्य में यह सम्भव नहीं है कि इस तरह की व्यवस्था हो सके । यद्यपि "सरकारिया आयोग" का प्रतिवेदन केन्द्र और राज्यों के मध्य सम्बन्धों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से यही दिखाई पड़ता है कि राज्य सरकारें बिक्री कर के पूर्ण प्रतिस्थापन के लिए किसी भी परिस्थिति में तैयार नहीं होंगी । यद्यपि कुछ समझौतों के आधार पर कुछ आवश्यक और देश भर में समान मूल्य पर बिकने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में त्रिपाठी कमेटी के सुझावों के आधार पर बिक्रीकर को अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से प्रतिस्थापित सरलता से किया जा सकता है ।

जहाँ तक बिक्रीकर को एक मुश्त वार्षिक कर या इसी तरह की संशोधित पद्धति से प्रतिस्थापित करने का प्रश्न है । उसका सरलता के आधार पर व्यवसायी वर्ग भले ही समर्थन करें लेकिन कर व्यवस्था की किसी सम्पूर्ण पद्धति के आधार पर इसे वांछनीय नहीं कहा जा सकता है । मूल्य वृद्धि कर के प्रतिस्थापन का प्रश्न एक तकनीकी विश्लेषण का प्रश्न है । केन्द्रीय सरकार अपनी उत्पादन शुल्क व्यवस्था में कुछ संशोधित अवस्था में सन् 1986-87 के बजट में इसे अपना चुकी है । उसके अनुभवों के आधार पर कुछ समय पश्चात् इस पर अधिक विस्तृत और उपयोगी विचार सम्भव हो सकता है ।

निष्कर्ष यह है कि वर्तमान परिस्थितियों के सन्दर्भ में बिक्रीकर के किसी निष्कर्ष पूर्ण अध्ययन में इसकी प्रतिस्थापन का प्रश्न नहीं, वरन् इसमें यथासम्भव सरलता, एकरूपता, प्रशासकीय कुशलता तथा प्रक्रिया के आधुनिकीकरण के पहलुओं पर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता है ।

--------::0::--------

अध्याय दशम

सुझाव एवं निष्कर्ष

अध्याय-10

सुझाव एवम् निष्कर्ष

बिक्री कर व्यवस्था से सम्बन्धित विविध पहलुओं की समीक्षात्मक अध्ययन के उपरान्त इसे राज्य की मुख्य आगम के स्रोत के रूप में अधिक उपयोगी बनाने हेतु एवम् राज्य में इसकी भूमिका को और प्रभावशाली बनाने के लिये निम्नलिखित सुझाव अनुकरणीय हैं । वर्तमान समय में बिक्रीकर की जो भी समस्यायें हैं वे मुख्यतः बिक्री कर प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं की भिन्नता के कारण हैं । अतः इस कर को राष्ट्रीय स्तर पर यथासम्भव एक रूप, सरल और विवेकपूर्ण बनाने का प्रयास करना चाहिये । बिक्रीकर की दरें, कर-मुक्त की सीमा तथा कच्चे माल और आगतों पर छूटों से सम्बन्धित प्रावधानों में एकरूपता अत्यन्त आवश्यक है । इस दृष्टि से सभी राज्यों में राज्य स्तर पर "विशिष्ट अध्ययन समितियां" गठित की जायें, जो अपने-अपने राज्यों में बिक्रीकर व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा कर सकें और अन्य राज्यों के समरूप बनाने की दृष्टि से आवश्यक सुझाव प्रस्तुत कर सकें । इसके पश्चात् राष्ट्रीय स्तर पर उच्च स्तरीय स्तर पर अध्ययन समिति गठित की जाये, जो राज्य स्तरीय समितियों के अध्ययन, विश्लेषण और सुझावों के सन्दर्भ में बिक्रीकर अधिनियम एवं नियमों का आदर्श प्रारूप तैयार कर सके और उसके आधार पर सभी राज्यों को यह निर्देश दिये जायें कि स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप थोड़े - बहुत संशोधनों सहित अपने राज्य का नवीन बिक्रीकर अधिनियम बनायें । यदि ऐसे निर्देश ब देने के लिए केन्द्रीय स्तर पर संविधान में संशोधन के प्रावधान की आवश्यकता हो तो उसकी व्यवस्था भी की जानी चाहिए ।

शोध कार्य में किये गये अध्ययन से अब स्पष्ट हो चुका है कि बिक्रीकर का पूर्ण प्रतिस्थापन करने में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयां होंगी अतः इस सन्दर्भ में मूल्य वृद्धि कर विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इसे अपनाने में अब विलम्ब नहीं करना चाहिये । दूसरी तरफ सम्पूर्ण राष्ट्र में समान मूल्य पर बिकने वाली आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं जैसे वनस्पति, औषधियां, सीमेन्ट, कागज व कागज गत्ता तथा पेट्रोलियम उत्पादन पर त्रिपाठी कमेटी के सुझावों के सन्दर्भ में बिक्रीकर को "अतिरिक्त

उत्पादन शुल्क से प्रतिस्थापित करना उचित रहेगा । इसके अतिरिक्त राज्यों की बिक्री कर व्यवस्थाओं को यथासम्भव समरूप बनाये रखने की दृष्टि से यह उचित होगा कि एक स्थायी व्यवस्था के रूप में केन्द्रीय स्तर पर "बिक्री कर समन्वय परिषद्" का गठन किया जाये । जिसमें प्रत्येक राज्य के सर्वोच्च बिक्रीकर अधिकारियों को शामिल किया जाये और जिसकी वर्ष में एक या दो मीटिंग अनिवार्य हों, जिससे सभी राज्यों को बिक्रीकर से सम्बन्धित अनुभवों, पहलुओं और समस्याओं का सामूहिक रूप से विश्लेषण करने और पारस्परिक विचार-विनिमय करने का अवसर प्राप्त हो सके ।

प्रायः सभी राज्यों में मोटर स्पिरिट पर बिक्रीकर, सामान्य बिक्रीकर के अतिरिक्त एक पृथक अधिनियम के अन्तर्गत लगाया जाता है । मोटर स्पिरिट के सन्दर्भ में पृथक बिक्रीकर अधिनियम होने का केवल ऐतिहासिक कारण है क्योंकि सर्वप्रथम इसी वस्तु पर मध्य प्रान्त और बरार में बिक्रीकर लगाया गया था । व्यावहारिकता की दृष्टि से पृथक रूप से केवल एक मद के लिए बिक्रीकर अधिनियम के होने का कोई औचित्य नहीं है । अतः मोटर स्पिरिट पर कर व्यवस्था को भी सामान्य बिक्रीकर व्यवस्था में ही मिला देना चाहिए ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की तरह ही राज्य सरकारों को भी दीर्घकालीन राजकोषीय नीति अपनानी चाहिए और इस सन्दर्भ में आदर्श बिक्री कर अधिनियम की व्यवस्था लागू हो जाने के पश्चात् कर की दर, कर मुक्ति की सीमा, करारोपित वस्तुओं की सूची इत्यादि में कम से कम पाँच वर्ष तक स्थायित्व रखना चाहिए और प्रत्येक पाँच वर्ष के पश्चात् बिक्रीकर मुक्ति की सीमा को देश के मूल्य निर्देशांकों के अनुपात में समायोजित करना चाहिए। यह भी ध्यान रखा जाये कि बिक्रीकर प्रावधानों में जो भी परिवर्तन किये जायें, वह राज्य सरकार के वार्षिक बजट में ही होने चाहिए । जिससे कर प्रशासन में सरलता रहे और व्यापारियों, अधिवक्ताओं तथा अधिकारियों को इसकी उचित जानकारी मिल सके । यह भी उचित ब रहेगा कि सामान्य व्यापारियों की जानकारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण संशोधनों को राज्य एवं स्थानीय स्तर के समाचारपत्रों में भी प्रकाशित किया जाये ।

पिछले कुछ वर्षों में प्राय: अधिकांश राज्यों में बिक्रीकर को लक्ष्य प्रधान बना दिया गया है अर्थात् राज्य सरकार द्वारा यह निश्चित कर दिया जाता है कि बिक्रीकर राजस्व में कितनी वृद्धि करनी है जिसके कारण कर अधिकारी भी कर निर्धारण करते समय वास्तविक बिक्रियों को नजर अन्दाज करते हुए अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं । इस सन्दर्भ में यह उचित होगा कि लक्ष्य निर्धारित न करके बिक्री कर अधिकारी को अपने क्षेत्र में गत वर्ष में एकत्र किये गये कर आगम से अधिक राशि एकत्र करने पर कुछ पुरस्कार और प्रेरणाओं की योजनायें होनी चाहिए, लेकिन बिक्रीकर अधिकारी इन प्रेरणाओं से प्रेरित होकर अनुचित रूप से कर बढ़ाने के प्रयास न करें । इसके लिए प्रत्येक अधिकारी द्वारा किये गये अपील परिणामों को भी ध्यान में रखना चाहिए और इस दृष्टि से यह भी ध्यान रखना होगा कि कर-निर्धारण के एक वर्ष के अन्दर ही अपीलों का भी निपटारा हो जाना चाहिए । इसी के साथ बिक्रीकर अधिकारियों और कर्मचारियों को निष्पक्ष और ईमानदार बनाने की दृष्टि से यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि नियुक्ति के समय वे अपनी सम्पत्ति की घोषणा करें और पाँच वर्ष के पश्चात् उनके या उनके परिवार के सदस्यों के नाम सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उसमें अनुचित और अनावश्यक वृद्धि हो तो उससे सम्बन्धित व्यक्तियों से आवश्यक स्पष्टीकरण माँगे जाने चाहिए । बिक्रीकर विभाग में सचल दस्तों, चैक पोस्टों और विशेष अनुसन्धान शाखा इत्यादि की विद्यमान व्यवस्था के अतिरिक्त विशेष चौकसी दल का गठन किया जाना चाहिए। यह विभाग सीधे बिक्रीकर आयुक्त अथवा राज्य के सर्वोच्च बिक्रीकर अधिकारी के नियन्त्रण में हो । इसे प्रत्यक्ष रूप से बिक्रीकर जाँच के कार्यों में भाग लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन बिक्रीकर अधिकारियों और व्यापारियों दोनों के सन्दर्भ में गोपनीय रिपोर्ट तैयार करने का कार्य दिया जाना चाहिए, जिसके आधार पर उच्च बिक्रीकर प्रशासन सम्बन्धित अधिकारियों और व्यापारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर सके ।

बिक्रीकर की चोरी सामान्यता ट्रकों द्वारा माल ढोने के कारण होती है, इस प्रवृत्ति को नियन्त्रित करने के लिए यह व्यवस्था होनी चाहिए कि ट्रान्सपोर्टरों

को बिक्रीकर विभाग से भी रजिस्ट्रेशन नम्बर लेना होगा और यदि किसी ट्रक या ट्रकों में बिना उचित लेखों के माल लाया जाये तो आवश्यक पेनल्टी प्रावधान के अतिरिक्त यह व्यवस्था भी होनी चाहिए कि सम्बन्धित ट्रक या ट्रकों की कम्पनी या फर्म भविष्य में कम से कम 6 माह तक माल लाने वाले जाने का कार्य न कर सके, लेकिन यह ध्यान रखा जाये कि ट्रान्सपोर्टरों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही करने से पूर्व उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए और साथ ही मामले का निपटारा यथासम्भव अल्प अवधि में हो जाना चाहिए । राजस्व की दृष्टि से बिक्रीकर की महत्वपूर्ण समस्या करापवंचन की है । यद्यपि करापवंचन प्रत्येक कर में होता है लेकिन ऐसा अनुभव है कि राज्य स्तरीय करों में सर्वाधिक करापवंचन बिक्री-कर में होता है । यद्यपि सामान्यतः इसके लिए व्यापारी को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि बिक्रीकर प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टा-चार के लिए बिक्रीकर अधिकारी वर्ग भी कम उत्तरदायी नहीं है । इस सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री श्री वीर बहादुर सिंह ने स्वयं अपने कार्यकाल में स्वीकार किया है कि, "बिक्री कर विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों तथा व्यापारियों की मिलीभगत से प्रदेश में बड़े पैमाने पर बिक्रीकर की चोरी होती है ।" वास्तवि-कता यह है कि करापवंचक कितना भी कुशल क्यों न हो । यदि कर प्रशासक ईमान-दार, निष्ठावान, सुयोग्य और सुदृढ़ हो तो इसे बड़ी सीमा तक नियन्त्रित किया जा सकता है । यद्यपि देश की सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार के सन्दर्भ में इस समस्या का पूर्ण निदान सम्भव नहीं है, तथापि सरकार और उच्च बिक्री कर अधिकारियों को इसके लिए विपक्षीय प्रयासों और उपायों पर ध्यान देना आवश्यक है । जहाँ एक ओर व्यापारियों द्वारा अपनाये जाने वाले कर-वंचन के तरीकों पर कठोर नियन्त्रण की आवश्यकता है, वहाँ दूसरी ओर कर प्रावधानों को सरल और स्पष्ट बनाने के साथ ही कर प्रशासन को सुप्रशिक्षित और प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए । करापवंचन के मामले में दोषी व्यापारियों पर ही दण्ड का प्रावधान नहीं होना चाहिए, वरन् बिक्रीकर विभाग के उन अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध भी दण्डात्मक कार्यवाही होनी चाहिए जिनकी मिलीभगत, उदासीनता, अयोग्यता

और शिथिलता के कारण करापवंचन होता है । यह सन्तोष का विषय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ आवश्यक कदम उठाये हैं । सन् 1985 में राज्य में बिक्रीकर विभाग के कुछ अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया और भ्रष्टाचार के आरोप में एक अधिकारी की सेवा समाप्त कर दी गयी । कुछ बिक्रीकर अधिकारी की पद-अवनति की गई और एक सहायक आयुक्त को चेतावनी दी गई । करापवंचन को नियन्त्रित करने के लिये छापे डालना और जाँच करना बिक्रीकर प्रशासन का पूर्ण अधिकार है, लेकिन यदि किसी छापे में व्यापारी पर करापवंचन सिद्ध नहीं होता है या स्वतः कर निर्धारण में बिक्रीकर अधिकारी द्वारा आपत्ति लगाने के बाद भी लेखों में कोई त्रुटि या करापवंचन सिद्ध नहीं कर पाते तो यह व्यवस्था होनी चाहिए कि व्यापारी अपने वार्षिक बिक्रीकर के भुगतान के आधार पर अपनी मानहानि की क्षतिपूर्ति बिक्रीकर प्रशासन से करा लें । इससे अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को अनावश्यक रूप से परेशान करने की प्रवृत्ति में कमी आयेगी । अन्तर्राज्यीय व्यवहारों में करापवंचन को नियंत्रित करने की दृष्टि से यह उचित होगा कि व्यक्तिगत उपभोग की वस्तुओं को छोड़कर अन्य सामानों को मँगाने की अनुमति केवल पंजीकृत व्यापारियों को होनी चाहिए । रेल या ट्रक परिवहन की बिल्टियों पर माल भेजने व माल लाने वाले के नाम एवं पते के साथ ही उनके बिक्रीकर रजिस्ट्रेशन नम्बर का उल्लेख अनिवार्य होना चाहिए । सभी चैक-पोस्टों पर कम्प्यूटर व्यवस्था होनी चाहिए, जिनमें चैक पोस्टों से निकलने वाले ट्रकों के सामानों के बारे में पूर्ण विवरण फीड किया जा सके । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख चैक पोस्टों पर कम्प्यूटर व्यवस्था प्रारम्भ की जा चुकी है । चैक पोस्टों पर कम्प्यूटर के प्रयोग से फार्म-31 तथा फार्म-सी के दुरुपयोग को भी नियन्त्रित किया जा सकता है । रेलवे द्वारा मँगाये जाने वाले मालों पर करापवंचन रोकने के लिए वैधानिक रूप से बिक्रीकर अधिकारियों को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वे रेलवे पर बुकिंग या छुड़ाये जाने वाले माल की जाँच कर सकें । कुछ प्रमुख वस्तुओं के सम्बन्ध में रेलवे बिल्टी के साथ व्यापारी का विस्तृत बिल संलग्न करना भी अनिवार्य किया जा सकता है, जिसमें माल के क्रेता और विक्रेता व्यापारी तथा कर की राशि के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना हो । करापवंचन को नियन्त्रित करने के लिए व्यापक जन सम्पर्क और जन जागरण कार्यक्रमों से व्यापारी

वर्ग में ईमानदारी की भावना को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। वहाँ बिक्रीकर अधिकारियों में भी कुशल, ईमानदार, व्यवहारकुशल और कर्मठ बनने की भावना को विकसित करना होगा। बिक्रीकर के अपवंचन को रोकने, कर के सम्बन्ध में व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने और व्यापारियों को कर व्यवस्था और उसके सन्दर्भ में उचित जानकारी प्रदान करने की दृष्टि से बिक्रीकर प्रशासन में जन सम्पर्क व्यवस्था को विकसित और सुदृढ़ करना चाहिए। जिला स्तर पर पृथक से जन सम्पर्क अधिकारी की व्यवस्था होनी चाहिए और उसे बिक्रीकर के बारे में उचित जनमानस तैयार करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

करापवंचन को नियन्त्रित करने, समयबद्ध कर निर्धारण करने तथा कर प्रशासन की शिथिलताओं का समाधान करने के लिये यह आवश्यक है कि बिक्रीकर प्रशासन को सुदृढ़ किया जाये। इस दृष्टि से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लेखांकन एवं कर प्रावधानों के सन्दर्भ में अच्छी तरह प्रशिक्षित किया जाये, सूचना पद्धति को सुधारा जाये, अनुसन्धान कार्य को प्रोत्साहित किया जाये, कर योग्य बिक्री वाले व्यापारियों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाये तथा उच्च स्तरीय कर प्रशासन को सुगठित किया जाये।

बिक्रीकर विभाग के कार्यों के प्रति व्यापारियों में विश्वास की भावना और कर जमा करने में उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करने के लिए यह भी आवश्यक है कि जहाँ बिक्रीकर की वसूलयाबी कठोरता के साथ की जावें, वहाँ दूसरी ओर कर-निर्धारण या अपील के निर्णय के कारण व्यापारी को होने वाली राशि की वापसी व्यापारी द्वारा माँग किये बिना बिक्रीकर कार्यालय द्वारा व्यापारी को प्रेषित की जानी चाहिए।

उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में विशिष्ट सुझाव

उत्तर प्रदेश में बिक्रीकर की दृष्टि से विभिन्न वस्तुओं को पाँच उपवर्गों में बाँटा गया है और इनमें से चतुर्थ एवं पंचम वर्ग की वस्तुओं को कर के स्तर एवं कर

की दर की दृष्टि से क्रमशः 76 और 56 वर्गों में विभाजित किया गया है । सरलीकरण की दृष्टि से यह अत्यन्त आवश्यक है कि वस्तुओं के वर्गों और कर की दर की विभिन्नताओं को यथासम्भव न्यूनतम किया जाये । इससे व्यवसायियों को जैसे रखने तथा अधिकारियों को कर की गणना करने में दोनों को ही सुविधा होगी तथा कर की जटिलता को न्यूनतम किया जा सकेगा । यह भी उल्लेखनीय है कि चतुर्थ वर्ग की 76 वस्तुओं में भी 30 वस्तुओं पर 12 प्रतिशत या इससे अधिक की दर से कर है । व्यवहारिकता की दृष्टि से यह दर अधिक प्रतीत होती है । अतः इस वर्ग में कर की दर अधिकतम 10 प्रतिशत तक सीमित रखनी चाहिए । पाँचवें वर्ग को केवल 3 वस्तुओं पर 8 प्रतिशत की दर से कर है, शेष पर 6 प्रतिशत या इससे कम की दर से कर है । अतः वर्गीकरण के औचित्य की दृष्टि से 8 प्रतिशत वाली तीन वस्तुओं पर भी कर की दर 6 प्रतिशत कर दी जानी चाहिए । यह भी उचित रहेगा कि जन-सामान्य के उपभोग की कम मूल्य वाली वस्तुओं जैसे माचिस, डबलरोटी, अभ्यास-पुस्तिका, फाउन्टैन पैन एवं पैन्सिल, जलाने की लकड़ी तथा बर्फ एवं बर्फ कैन्डी इत्यादि को बिक्री कर से मुक्त कर दिया जाये । उत्तर प्रदेश में बिक्रीकर की दरें अपेक्षाकृत ऊँची हैं और उस पर अतिरिक्त बिक्रीकर का अनुचित और अनावश्यक भार है । उसे तुरन्त समाप्त कर देना चाहिए । इस सन्दर्भ में केन्द्रीय सरकार द्वारा आयकर पर सरचार्ज की समाप्ति विचारणीय आदर्श माना जा सकता है ।

इस समय यहाँ बिक्रीकर से छूट की सीमा उत्पादक विक्रेता की दशा में 50,000 रुपये तथा अन्य व्यापारियों की दशा में 1,00,000 रुपये है । बिक्रीकर आगम के समंकों से स्पष्ट है कि सन् 1983-84 में राज्य में प्राप्त कुल बिक्रीकर आगम का केवल 6.5 प्रतिशत भाग 1,25,000 रुपये तक की बिक्री वाले व्यापारियों से प्राप्त होता था और यह भाग सन् 1984-85 में घटकर 4.2 प्रतिशत ही रह गया । अतः सामान्य और छोटे व्यवसायियों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से यह व्यवहारिक होगा कि कर मुक्ति की विक्रय सीमा को बढ़ाकर उत्पादक विक्रेता की दशा में एक लाख रुपये और अन्य व्यापारियों की दशा में दो लाख रुपये कर दिया जाये। ऐसा करने से बिक्रीकर आगम पर कोई विशेष विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन

व्यापारियों को भारी सुविधा होगी और बिक्रीकर प्रशासन के भार में महत्वपूर्ण कमी आयेगी । इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि सन् 1984-85 में 1,25,000 रुपये बिक्री वाले व्यापारियों की संख्या कुल कर योग्य व्यापारियों के 58.5 प्रतिशत थी जबकि इनसे आगम मात्र 4.2 प्रतिशत था । यदि दो लाख रुपये बिक्री तक के व्यापारियों की दृष्टि से देखा जाए तो यह भाग क्रमश: 73.2 प्रतिशत और 7.3 प्रतिशत था । स्पष्ट है कि बिक्री कर से मुक्त बिक्री कर की सीमा में वृद्धि करने से कर प्रशासन पर आधे से अधिक व्यापारियों का भार कम हो जायेगा और कर आगम में मामूली कमी होगी जिसे कर प्रशासन अपनी कुशलता द्वारा अन्य व्यापारियों से प्राप्त कर सकता है ।

बिक्रीकर की दरों को कम करने, नगण्य राजस्व प्रदान करने वाली वस्तुओं पर से बिक्रीकर हटाने और कर मुक्ति की सीमा बढ़ाने से राज्य में बिक्रीकर राजस्व में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन करापवंचन को नियन्त्रित करके इसकी पर्याप्त क्षतिपूर्ति की जा सकती है । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के 59 निगम कार्य कर रहे हैं जिनमें लगभग 4460 करोड़ रुपये विनियोग है, फिर भी प्रतिवर्ष 1017 करोड़ रुपये का घाटा होता है ।[1] अत: सरकार को राजस्व प्राप्ति के सन्दर्भ में जनता से पर्याप्त मात्रा में ही कर राजस्व पर ही जोर नहीं देना चाहिये, वरन् अपने निगमों की कार्यकुशलता बढ़ाकर लाभ प्राप्त करना चाहिए और दूसरी ओर कर की जटिलताओं, विविधताओं और समस्याओं को हल करने का प्रयास करना चाहिए । बिक्रीकर अवशेषों की धनराशि निरन्तर बढ़ी है । अत: इन अवशेषों को तत्परता से वसूल करने की आवश्यकता है । बकाया वसूली तथा संयुक्त वाद के मामलों को निबटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए और सम्बन्धित अधिकारियों को मासिक या त्रैमासिक आधार पर यह समीक्षा करते रहना चाहिए कि अवशेष वसूली के प्रयासों में उचित कार्यवाही की जा रही है ।

यदि बिक्रीकर से मुक्ति की सीमा बढ़ा दी जाये तो पाँच लाख रुपये तक की बिक्री पर पूर्णत: स्वत: कर-निर्धारण योजना अपनाई जानी चाहिए और जब तक बिक्रीकर विभाग के पास सम्बन्धित व्यापारी द्वारा बिक्रीकर चोरी का स्पष्ट प्रमाण

न हो, स्वतः कर निर्धारण मान लेना चाहिए । इस व्यवस्था में व्यापारी द्वारा सही तथ्यों को प्रेषित करने और प्रेरणा देने की दृष्टि से स्वतः कर-निर्धारण योजना के अन्तर्गत आने वाले व्यापारियों के रिटर्नों की एक निश्चित प्रतिशत की प्रतिवर्ष अनिवार्य चैकिंग होनी चाहिए और उसमें त्रुटि मिलने पर पर्याप्त अधिक दर से पैनल्टी का प्रावधान होना चाहिए ।

उत्तर प्रदेश में बिक्रीकर प्रशासन में सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था से अलग परिक्षेत्र, क्षेत्र और मण्डलों का गठन किया गया है । यह उचित होगा कि बिक्रीकर प्रशासन का गठन भी प्रदेश की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार ही तहसील, जिला और कमिश्नरी स्तर पर बिक्रीकर निर्धारण, संग्रहण और न्याय व्यवस्था को गठित किया जाये ।

उत्तर प्रदेश में बिक्रीकर व्यवस्था में स्वीकृत पदों और कार्यरत व्यक्तियों में पर्याप्त अन्तर रहा है । सन् 1984-85 में उपायुक्त बिक्रीकर के 26, सहायक आयुक्त बिक्रीकर के 150, बिक्रीकर अधिकारी के 750, बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी-2 के 642, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के 6960 और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 4337 पद स्वीकृत थे, जबकि इन पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 22, 116, 672, 409, 5993 और 3486 थी । बिक्रीकर प्रशासन की कुशलता और प्रभावशीलता को बढ़ाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस अन्तर को न्यूनतम किया जाए और उसके पश्चात् यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाये कि विभाग के कार्यों में कोई पैन्डेन्सी न रहे । इससे व्यवसायियों के मन में अनिश्चितता कम होती है, करापवंचन को पकड़ने में सुविधा रहती है और विभाग का कार्य उचित रूप से संचालित होता है ।

उत्तर प्रदेश में सन् 1983 में मंडी टैक्स प्रारम्भ किया गया, जो मुख्यतः खाद्यान्नों और किराने के कुछ कृषि उत्पादनों जैसे धनिया, सौंफ, मेंथी इत्यादि पर लगता है । मंडी कर से प्राप्त राजस्व का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अविकसित मण्डियों को विकसित करने के लिए वित्त जुटाना था, लेकिन यह शहरी क्षेत्रों में भी लगता है और बहु बिन्दु कर के रूप में लगता है । इससे व्यापारियों को अनावश्यक

कर भार की समस्या आती है । एक ओर बिक्रीकर को सरल और उदार बनाने पर ज़ोर दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर मंडी टैक्स को लगाना व्यापारियों के लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न करना है और देश के अधिकांश राज्यों में मंडी टैक्स लगता भी नहीं है । अतः यह न्यायसंगत होगा कि मंडी टैक्स को पूर्ण समाप्त कर दिया जाए और बिक्रीकर की राशि में से ही एक निश्चित भाग अविकसित मंडियों के विकास के लिए सुरक्षित रखा जाए ।

अतः स्पष्ट रूप में यह कहा जा सकता है कि अपने वर्तमान स्वरूप के अर्द्ध-शतक अवधि में बिक्रीकर, स्वतन्त्रता के उपरान्त कुछ ही वर्षों में राज्य के राष्ट्रीय स्तर पर राजस्व के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । वर्तमान समय में राज्य के राजस्व में महत्वपूर्ण आधार के रूप में राजस्व प्रदान कर रहा है । केन्द्र और राज्यों के मध्य वित्त व्यवस्था के आवंटन के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुछ सीमित वस्तुओं की दशा में इसका प्रतिस्थापन भले ही हो जाये, लेकिन अप्रत्यक्षकर ढाँचे में राष्ट्रीय स्तर पर किसी क्रान्तिकारी परिवर्तन के हुए बिना तक सामान्य रूप से यह कर देश में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाये रखेगा और इस सन्दर्भ में यदि उपरोक्त सुझावों को क्रियान्वित करके बिक्रीकर व्यवस्था को सरल, तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और एकरूप बनाया जा सका तो निश्चित रूप से करदाताओं में विशेष असन्तुष्टि या विरोध के बिना एक अच्छे करारोपण के विभिन्न सिद्धान्तों की कसौटी पर खरा उतर कर यह कर राज्य सरकारों के राजस्व में पर्याप्त योगदान प्रदान कर सकेगा ।

----------::0::----------

परिशिष्ट अ - य

परिशिष्ट (अ)

उत्तर प्रदेश में बिक्रीकर विभाग का प्रशासनिक ढाँचा

टिप्पणी :

	स्वीकृत	कार्यरत
बिक्री कर अधिकारी	750	672
बिक्री कर अधिकारी श्रेणी 2	642	409

परिशिष्ट (ब)

बिक्रीकर विभाग के परिक्षेत्र, क्षेत्र, मण्डल एवं उपमण्डल

क्र0 सं0	उपायुक्त (वा0) के परिक्षेत्र का नाम	सहायक आयुक्त (वा0) के क्षेत्र का नाम	सहायक आयुक्त के क्षेत्र में सम्मिलित मण्डल	उपमण्डल	बहुमण्डलीय मण्डल — मण्डल का नाम	खण्डों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	वाराणसी	1. वाराणसी "ए"	1. वाराणसी		वाराणसी	1-5
			2. बलिया		बलिया	2
			3. जौनपुर		जौनपुर	2
			4. गाजीपुर			
			5. मुगलसराय			
		2. वाराणसी "बी"	1. वाराणसी		वाराणसी	6-7
			2. गोपीगंज			
			3. मिर्जापुर		मिर्जापुर	2
			4. राबर्टसगंज			
			5. भदोही			
2.	इलाहाबाद	1. इलाहाबाद	1. इलाहाबाद		इलाहाबाद	7
			2. प्रतापगढ़			
			3. फतेहपुर			
		2. झाँसी	1. झाँसी		झाँसी	2
			2. ललितपुर			
			3. उरई		उरई	2
			4. बाँदा		बाँदा	2
			5. कर्वी			
			6. महोबा			
3.	गोरखपुर	1. गोरखपुर	1. गोरखपुर		गोरखपुर	4
			2. आजमगढ़		आजमगढ़	2
			3. मऊनाथभंजन			
			4. बस्ती		बस्ती	2

1	2	3	4	5	6	7
			5. तैतरी बाजार			
			6. देवरिया		देवरिया	2
			7. पडरौना			
		2. फैजाबाद	1. फैजाबाद		फैजाबाद	2
			2. अकबरपुर			
			3. गोण्डा		गोण्डा	2
			4. बलरामपुर			
			5. सुलतानपुर			
			6. बहराइच		बहराइच	2
			7. नानपारा			
4.	लखनऊ	1. लखनऊ	1. लखनऊ		लखनऊ	11
			2. रायबरेली			
			3. बाराबंकी			
		2. सीतापुर	1. सीतापुर	1. पलियाकला	सीतापुर	2
			2. लखीमपुरखीरी		लखीमपुरखीरी	2
			3. हरदोई		हरदोई	2
			4. शाहजहाँपुर		शाहजहाँपुर	2
5.	कानपुर	1. कानपुर "ए"	1. कानपुर		कानपुर	1-10
			2. पुखरायां			
		2. कानपुर "बी"	1. कानपुर		कानपुर	11-19
			2. उन्नाव			
			3. डाँडिक			
6.	अलीगढ़	1. अलीगढ़	1. अलीगढ़	1. कासगंज	अलीगढ़	6
			2. हाथरस	2. गंजडुंडवारा	हाथरस	2
			3. एटा			
		2. मैनपुरी	1. मैनपुरी	1. औरैया		
			2. इटावा	2. शिकोहाबाद		

1 2	3	4	5	6	7
		3. फतेहगढ़		फतेहगढ़	2
		4. कन्नौज			
		5. मंझना			
7. आगरा	1. आगरा "ए"	1. आगरा		आगरा	1-7
		2. फिरोज़ाबाद		फिरोज़ाबाद	3
	2. आगरा "बी"	1. आगरा		आगरा	8-14
		2. मथुरा		मथुरा	3
		3. कोसीकला			
8. बरेली	1. बरेली	1. बरेली		बरेली	6
		2. बदायूँ		बदायूँ	2
		3. पीलीभीत		पीलीभीत	2
	2. हल्द्वानी	1. नैनीताल			
		2. काशीपुर			
		3. खटीमा			
		4. रुद्रपुर			
		5. रामनगर			
		6. अल्मोड़ा			
		7. पिथौरागढ़			
		8. हल्द्वानी		हल्द्वानी	2
9. मुरादाबाद	1. मुरादाबाद	1. मुरादाबाद		मुरादाबाद	6
		2. चन्दौसी		चन्दौसी	2
		3. अमरोहा			
		4. हसनपुर			
		5. सम्भल			
		6. रामपुर		रामपुर	2
	2. बिजनौर	1. बिजनौर	1. चान्दपुर		
		2. कोटद्वार	2. लैंसडाउन		
		3. धामपुर	3. रुद्रप्रयाग	धामपुर	2
		4. नजीबाबाद			

1	2	3	4	5	6
10.	सहारनपुर	1. सहारनपुर	1. सहारनपुर	सहारनपुर	6
			2. देवबन्द		
			3. देहरादून	देहरादून	4
			4. ऋषिकेश		
		2. मुजफ्फरनगर	1. मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर	4
			2. शामली	शामली	2
			3. खतौली		
			4. रुड़की		
			5. हरिद्वार		
11.	मेरठ	1. मेरठ	1. मेरठ	मेरठ	7
			2. बड़ौत	बड़ौत	2
			3. सरधना		
			4. मवाना		
			5. हापुड़	हापुड़	3
12.	गाजियाबाद	1. गाजियाबाद	1. गाजियाबाद	गाजियाबाद	8
			2. मोदीनगर		
			3. बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	3
			4. डिबाई		
			5. सिकन्दराबाद		
			6. गुलावठी		
			7. खुर्जा	खुर्जा	2
			8. नोएडा	नोएडा	3

स्रोत : आयुक्त बिक्रीकर उत्तर प्रदेश, सांख्यिकीय अनुभाग, बिक्रीकर विभाग का सामान्य वार्षिक प्रतिवेदन, 1984-85 लखनऊ पर आधारित, पृष्ठ संख्या 62-63

परिशिष्ट ।स।

कर मुक्त वस्तुओं की सूची

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम की धारा 4।अ। के अन्तर्गत कुछ वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर बिक्रीकर नहीं लगता । ये वस्तुएँ निम्न हैं :

।अ। पानी, परन्तु इसमें खनिज पानी, सोडा वाटर, टानिक का पानी, डिस्टिल्ड पानी तथा इत्र का पानी शामिल नहीं है ;

।ब। दूध, परन्तु इसमें Condensed दूध का पाउडर तथा Baby Milk शामिल नहीं है ;

।स। नमक, इसमें काला नमक शामिल है ।;

।द। समाचार-पत्र ;

।य। मोटर स्प्रिट तथा डीजल तेल ;

।र। एल्कोहल ; तथा

।ल। अन्य कोई वस्तु जो राज्य सरकार द्वारा कर से मुक्त घोषित कर दी गयी हो । सरकार ने निम्न वस्तुओं को कर-मुक्त घोषित कर दिया है ;

1. कृषक यन्त्र जो मानव अथवा पशुशक्ति से चलते हैं ।
2. हथकरघा से निर्मित सब प्रकार का कपड़ा ।धोतियाँ, साड़ियाँ तथा पलंग की चादर सहित।;
3. पट्टियाँ जो चोट, घाव आदि पर बाँधी जाती हैं ;
4. बारदाना तथा डिब्बे ।ऐसे व्यापारी द्वारा इसका विक्रय जो केवल कर मुक्त माल बेचता है और अपने क्रय व्यापार के दौरान इसका भी विक्रय करता है।;

5. पुस्तकें तथा मैगजीन ;
6. जिल्दसाजी में प्रयुक्त होने वाला कपड़ा, चमड़ा आदि ;
7. बेंत का बना सामान (फर्नीचर को छोड़कर) ;
8. गन्ने के बीज ;
9. कैनवास का कपड़ा ;
10. पशुओं का चारा (कुनी, भूसी, छिलके-चोकर, ग्वार आदि) ;
11. चौकें खड़िया की ;
12. चरखा तथा उसके भाग ;
13. चिकन के काम का कपड़ा जो मिल में न बना हो ;
14. सिगार, सिगरेटें, बीड़ी तथा तम्बाकू का कोई रूप ;
15. देशी शराब ;
16. डीजल तेल ;
17. दरियाँ जो हथकरघे अथवा पिटलूम पर बनी हों ;
18. खाने का तेल जो घानी पर मानव अथवा पशुशक्ति से बना हो ;
19. अण्डे ;
20. सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर सरकार की शर्तों के अधीन बेचा गया गल्ला ;
21. खाद, रासायनिक खाद छोड़कर ;
22. ताजी फल तथा हरी सब्जियाँ ;
23. चिकन का काम किये हुए सिले हुए वस्त्र, चाहे मिल के कपड़े पर हो, चाहे हथकरघे के कपड़े पर ;
24. गोबर गैस का प्लान्ट तथा उसके भाग (केवल 31.3.81 तक); (अधिसूचना दिनांक 31 जुलाई, 1980)
25. रूमाल ;
26. हाथ का बना गोटा यदि व्यापारी स्वयं निर्माता हो ;
27. हाथ का कता हुआ धागा ;
28. शहद ;
29. सींघ के कंघे ;

30. होजरी का कपड़ा ;
31. कलाबत्तू तथा जरी ;
32. खांड़सारी शक्कर ;
33. खीलें, मुरमुरा (लैया) तथा चिवड़ा ;
34. कोटू, रामदाना व सिंघाड़ा ;
35. पशु ;
36. कच्चा गोश्त तथा मछली (सूखी हुई व ताजी) ;
37. दूध (Condensed व डिब्बे का दूध छोड़कर) ;
38. मोटर स्प्रिट ;
39. मुरब्बा ;
40. समाचार-पत्र ;
41. हथकरघे पर बनी हुई निवाड़ ;
42. गिलट के आभूषण ;
43. धान (Paddy)
44. सादा पान ;
45. भुने हुए चने ;
46. प्लास्टिक बेंत का सामान (फर्नीचर को छोड़कर) ;
47. Water Prrof वस्त्र ;
48. नमक ;
49. बीज (थैलों अथवा डिब्बों में)
50. लाख बत्ती ;
51. सिंघाड़ा व सिंघाड़े का आटा ;
52. सलेटें व सलेट की बत्तियां ;
53. चीनी;
54. पानी ;
55. वाटर मार्क कागज ;
56. फूल, फूलों के बीज, पौधे, ककड़ी, खीरा, खरबूजा तथा खरबूजे के बीज ;
57. हवा से चलने वाली चक्की (विंडमिल, 1 जनवरी 1981 से)

परिशिष्ट (द)

जाँच चौकियाँ एवं सचल दल इकाईयाँ

विक्रीकर अधिकारी (प्रभारी) के नियंत्रण में जाँच चौकियाँ

क्र0 सं0	जाँच चौकियों के नाम	जनपद का नाम	क्र0 सं0	जाँच चौकियों के नाम	जनपद का नाम
1.	कुल्हाल	देहरादून	24.	तहराय	झाँसी
2.	करनवाँ	सहारनपुर	25.	रक्सा	ललितपुर
3.	कैराना	मुजफ्फरनगर	26.	मड़ौरा	ललितपुर
4.	लोनी	मेरठ	27.	श्रीनगर	हमीरपुर
5.	ट्रांसपोर्टनगर	गाजियाबाद	28.	चौकटा	इलाहाबाद
6.	विजयनगर	गाजियाबाद	29.	डूमरगंज (ड्रमण्डगंज)	मिर्जापुर
7.	मोहननगर	गाजियाबाद	30.	राबर्टसगंज	मिर्जापुर
8.	भोपुरा	गाजियाबाद	31.	नौबतपुर	वाराणसी
9.	साहिबाबाद	गाजियाबाद	32.	भरौली	बलिया
10.	डल्लूपुरा	गाजियाबाद	33.	मेहरौना	देवरिया
11.	चिल्ला	गाजियाबाद	34.	तमकुही राजचौराहा	देवरिया
12.	महाराजपुर	गाजियाबाद	35.	सुनौली	गोरखपुर
13.	भोलापुर	गाजियाबाद	36.	रुपईडीहा	बहराइच
14.	इन्द्रपुरी	गाजियाबाद	37.	बमनगर	खीरी
15.	सूरजपुर दादरी	गाजियाबाद	38.	गौरीफन्टा	खीरी
16.	कोटवन	मथुरा	39.	बनबसा	नैनीताल
17.	हुनरी	मथुरा	40.	सौंख	मथुरा
18.	बछमेरा	आगरा	41.	गोवर्धन	मथुरा
19.	फतेहपुर सीकरी	आगरा	42.	नन्दगाँव	मथुरा
20.	नगराबाद	आगरा	43.	देवरीरक्स रानीपुर	झाँसी
21.	सर्वां	आगरा	44.	सीतापुर	बाँदा
22.	गवरौल	इटावा	45.	भरनीचौराहा	बाँदा
23.	सर्वां	इटावा	46.	बारा	गाजीपुर

क्र		बिक्रीकर अधिकारी (प्रभारी) के नियन्त्रण में सचल दल			
1.	सहारनपुर		17.	इटावा	
2.	मुजफ्फरनगर		18.	कानपुर	प्रथम
3.	मेरठ		19.	कानपुर	द्वितीय
4.	गाजियाबाद	प्रथम	20.	कानपुर	तृतीय
5.	गाजियाबाद	द्वितीय	21.	पुखरायां	
6.	गाजियाबाद	तृतीय	22.	झांसी	
7.	बुलन्दशहर		23.	हमीरपुर	
8.	अलीगढ़		24.	इलाहाबाद	
9.	मथुरा		25.	मिर्जापुर	
10.	आगरा	प्रथम	26.	वाराणसी	प्रथम
11.	आगरा	द्वितीय	27.	वाराणसी	द्वितीय
12.	एटा		28.	गोरखपुर	
13.	बरेली		29.	फैजाबाद	
14.	मुरादाबाद	प्रथम	30.	खीरी	
15.	मुरादाबाद	द्वितीय	31.	लखनऊ	
16.	हापुड़		32.	मुख्यालय (इकाई)	

स्त्रोत : आयुक्त बिक्रीकर (उत्तर प्रदेश), सांख्यिकीय अनुभाग, बिक्रीकर विभाग का सामान्य वार्षिक प्रतिवेदन, 1984-85 लखनऊ पर आधारित, पृष्ठ 64.

परिशिष्ट (य)

क्रय-विक्रय कर से मुक्त संस्थाएँ

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम की धारा4(ब) के अन्तर्गत निम्न संस्थाओं द्वारा माल का क्रय-विक्रय कर-मुक्त है :

(अ) अखिल भारतीय कताई संघ ;

(ब) गांधी आश्रम, मेरठ तथा उसकी शाखाओं द्वारा माल का क्रय-विक्रय; तथा

(स) अन्य किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग द्वारा किये गये क्रय-विक्रय पर जिनका नाम राज्य सरकार द्वारा गजट में इस सम्बन्ध में प्रकाशित कर दिया जाय ।

राज्य सरकार ने अग्रांकित व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के नाम इस सम्बन्ध में घोषित किये है :

1. कश्मीर सरकार के आर्ट एम्पोरियम की लखनऊ व देहरादून की शाखाएँ;
2. जवाहर लाल नेहरू स्मृति कोष, इलाहाबाद ;
3. उद्योग मन्त्रालय, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित विकास योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र ;
4. रेलों में रेस्टोरेन्ट-कार द्वारा विक्रय ;
5. भारतीय रेल प्रदर्शनी, बम्बई द्वारा संचालित "पहियों पर प्रदर्शनी" में भाग लेने वाले व्यापारियों द्वारा प्रदर्शनी में विक्रय ;
6. अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग, बम्बई द्वारा उत्तर प्रदेश में मान्य संस्थाएँ ;
7. उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं में छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए चलाये गये मैस ;
8. तिब्बत महिला केन्द्र, देहरादून ; (31.3.1984 तक)
9. तिब्बत नेहरू मेमोरियल फाउन्डेशन ;
10. नारी कला मन्दिर, लखनऊ ;
11. उत्तर प्रदेश राजकीय कर्मचारी कल्याण निगम ;

12. मिलिट्री कैन्टीन व कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेन्ट (इण्डिया) ;

13. भारतीय मिलिट्री अकादमी बेकरी, देहरादून ;

14. उत्तर प्रदेश में सरकार, स्थानीय सत्ता अथवा पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए बनायी गयी संस्थाओं द्वारा संचालित अस्पताल अथवा डिस्पेन्सरी ;

15. Indian Tourism Development Corporation Limited की बनारस हवाई अड्डे की शाखा द्वारा विदेशी यात्रियों को विदेशी मुद्रा के प्रतिफल स्वरूप बेचा गया माल बशर्ते Cash Memo/Bill पर निम्न सूचनाएँ हों ;

(अ) विदेशी यात्री का नाम ;

(ब) पासपोर्ट नम्बर तथा पासपोर्ट जारी करने वाले देश का नाम ;

(स) यात्री टिकट नम्बर ;

(द) Flight नम्बर ;

(य) हवाई कम्पनी का नाम ;

(र) बिक्री का विवरण ;

(ल) क्रेता के हस्ताक्षर ; एवं

(व) विदेशी मुद्रा प्राप्ति की मात्रा (Notification dated 30th July, 1981.

16. व्यापारी द्वारा स्वनिर्मित (बिना बिजली की शक्ति की सहायता के) संगमरमर की मूर्तियों (Marble idols) की बिक्री (Notification dated 10th Sept., 1980).

17. आयुर्वेदिक सेवा समिति, बाबा काली कमली, ऋषिकेश द्वारा विक्रीत आयुर्वेदिक औषधियाँ । (Notification dated 16th May, 1981).

ग्रन्थ सूची, सरकारी गजट एवम् रिपोर्ट, पत्रिकायें तथा समाचार-पत्र

1. Aiyer, V.G.R., Public Finance, Rawat, Jaipur, 1978.

2. Andley, Sundram & Agarwal, Public Economics and Public Finance, Ratan Prakashan Mandir, Hospital Road, Agra, 1985.

3. Bhargava, P.K., Essay on Public Finance, Kishore Publishing House, Kanpur, 1978.

4. Bhargava, R.N., Public Finance, Chaitanya Publishing House, Allahabad, 1971.

5. Bhargava, R.N., and Bhargava P.K., Public Finance of the Central & State Government of India, Chugh Publication, Allahabad, 1978.

6. Bhatia, H.L., Public Finance, Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 5 Ansari Road, New Delhi, 1982.

7. Bhatnagar, Sudha, Union State Financial Relations and Finance Commissions, Chugh Publication, Allahabad, 1979.

8. Bird, M., An Appraisal of the Columbion Sales Tax Baltimore, John Hopkines Press, 1967.

9. Chawla, O.P., Gupta, B.L., & Nahar, M.L., Introduction of Central & Rajasthan Sales Tax, Ramesh Book Depot, Jaipur, Rajasthan.

10. Chawla, O.P., Personal Taxation in India, Somaya Publication, 1972.

11. Dalton, H., Principles of Public Finance, Printed in Great Britain by Butler & Tanner Ltd., Forme and London.

12. Dhingra, W.C., Madhya Pradesh Central Sales Tax Act, 1958.

13. Due, John F., The Retail Sales Tax in Honduras Reading on Taxation in Developing Countries, Bird and Oldman, John Hopkines Press, 1967.

14. Due, John F., Public Finance, John Hopkines Press, 1967.

15. Eckstein, O., Economic Policy in our Time Amsterdam, North Holland Publishing Company, 1968.

16. Gaur, V.P. & Narang D.B., Punjab General Sales Tax Act, 1948. Kalyani Publishers, New Delhi, 1981.

17. Gaves, Harold M., Financing Government Vth Edition.

18. Goyal, J.P., Sales Tax Uttar Pradesh & Central, 1985.

19. Goyal, J.P., Sales Tax Haryana, 1985.

20. Goyal, J.P., Sales Tax Delhi, 1985.

21. Goyal, Radhey Shyam, Rules and Interporations of Sales Tax Commodities under Uttar Pradesh Sales Tax Act 1948 & Central Sales Tax Act 1956.

22. Gurtoo, D.N., Public Finance College Book Depot, Jaipur, Printed by Bharat Printers Jaipur, 1972.

23. Haig And Shoup, The Sales Tax in American States.

24. Hajela, T.N., Public Finance, Shiv Lal Agarwal & Co., Agra-3, 1978.

25. Hicks, U.K., Public Finance-Oxford at the Clavendon Press, Printed at Great Britain.

26. Lokanathan, P.S., Sales Tax System in Andhra Pradesh, Published by National Council of Applied Economic,Research, New Delhi, 1963.

27. Maheshwari, K.L., Rajaswa, Oriental Printing Press, Aligarh.

28. Mehrotra, H.C., & Goyal S.P., The Law Sales Tax in Uttar Pradesh & Sales Tax Sahitya Bhawan, Agra 3.

29. Mehta J.K., Public Finance, Kitab Mahal, Allahabad, 1973.

30. Misra. B., Economics of Public Finance, Macmillan India Ltd., New Delhi, 1980.

31. Pant, J.C., Public Finance, 1984-85.

32. Pigou, A.C., A Study in Public Finance, Macmillan & Co.,Ltd., New York, St. Martin's Press Printed at Great Britain, 1956.

33. Prest, A.R., Public Finance in Theory and Practice, English Language Book Society and Weidenfield and Nicolson, Printed at Great Britain, 1960.

34. Saligman, Studies of Public Finance.

35. Saxena, R.C. and Mathur, P.C., Public Finance, Jai Prakash Nath & Co., Meerut, 1970.

36. Sharma, K.K., and Gautam, R.K., Public Finance, Vikash Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, Printed at Rupak Printers, New Delhi.

37. Singh, S.K., Public Finance in Developed and Developing Countries, Published S.Chand & Company Ltd., Ram Nagar, New Delhi, 1986.

38. Sriniwasachari, M., Tamil Nadu Sales Tax (Madras Act 1 of 1959).

39. Taylor, P.E., The Economics of Public Finance, Oxford & IBH Publishing Co., 36 Chowkinghee Road, Calcutta,16,1965.

40. Thathachary, V.G.K., Incidence of Taxation in Gujarat, Published, National Council of Applied Economic Research, Parisila Bhawan, Indraprastha Estate, New Delhi.

41. Tyagi, B.P., Public Finance, Publisher, Jai Prakash Nath Publication, Meerut, 1983-84.

42. Venu, S., Public Finance & Fiscal Policy, Trimurti Publication Pvt.Ltd., W-152, Greater Kailash, New Delhi, 110048.

B GOVERNMENT PUBLICATIONS & REPORTS

1. Central Sales Tax Act & U.P. Sales Tax Act.
2. U.P. Sales Tax Rule, 1948.
3. The Central Sales Tax Registration and Turnover Rules.
4. Report of Taxation Enquiry Commission, Vol.III, 1953-54.
5. Report of Indirect Taxation enquiry Committee (Jha Committee) 1977-78.
6. Reports of Finance Commissions.
7. Reports on Currency & Finance.

C. आयुक्त, बिक्रीकर, उत्तर प्रदेश के प्रकाशन

1. बिक्रीकर विभाग का सामान्य वार्षिक प्रतिवेदन (1978-79 से 1984-85)
2. महत्वपूर्ण आदेशों एवं परिपत्रों की हैण्डबुक (त्रैमास जुलाई-सितम्बर 1984 से त्रैमास जुलाई-सितम्बर 1985)
3. बिक्रीकर विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वार्षिक प्रतिवेदन, 1985-86.

D JOURNALS

1. Business Standard.
2. Commerce.
3. Eastern Economist.
4. Reserve Bank of India Bulletin.
5. The Economic Scene.

E NEWS PAPERS

1. Dainik Rajpath, New Delhi.
2. Financial Express, Bombay.
3. Hindustan Times, New Delhi.
4. Hindustan (Hindi), New Delhi.
5. Nav Bharat Times, New Delhi.
6. The Economic Times, New Delhi.